



विषयसूची / CONTENTS

• अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से / From the Chairman & Managing Director	3
• वार्षिक साधारण बैठक की सूचना / Notice of Annual General Meeting.....	7
• निदेशकों की रिपोर्ट / Directors' Report	9
• प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण / Management Discussion and Analysis	11
• बेसल II के पिलर III के अंतर्गत प्रकटीकरण (नया पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क) / Disclosures Under Pillar-III of Basel-II (New Capital Adequacy Framework)	43
• कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट / Corporate Governance Report.....	77
• तुलन पत्र / Balance Sheet	124
• लाभ व हानि लेखा / Profit and Loss Account.....	125
• महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ /Significant Accounting Policies	135
• लेखों पर टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	141
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report.....	171
• नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement.....	175
• हमारी प्रगति का विहंगावलोकन/ Our Progress at a glance	177
• मुख्य निष्पादन अनुपात / Key Performance Ratios	179
• विदेशी मुद्रा में संक्षिप्त वित्तीय विवरण Abridged Financial Statements in Foreign Currency	181
• शाखाओं का वर्गीकरण - जनसंख्या - समूहवार Classification of Branches - Population Groupwise	182
• अनुषंगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण - आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड Financial Statements of Subsidiary - Andhra Bank Financial Services Limited	183
• आन्ध्रा बैंक एवं इसकी अनुषंगी का समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statements of Andhra Bank and its Subsidiary	219
• प्रॉक्सी फॉर्म / Proxy Form	250
• उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पास / Attendance Slip / Entry Pass.....	251

लेखा परीक्षक Auditors
वी.एन. केडिया एंड कंपनी
B.N. Kedia & Co
के.के. घई एंड कंपनी
K.K. Ghei & Co
के.एस.रामकृष्णा एंड कंपनी
K.S. Ramakrishna & Co
रामन एसोसिएट
Raman Associate
राजु एंड प्रसाद
Raju & Prasad
नटराज अय्यर एंड कंपनी
Nataraja Iyer & Co

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट
Registrar & Share Transfer Agent
मेसर्स एमसीएस लिमिटेड (यूनिट: आन्ध्रा बैंक)
काशीराम जमनादास बिल्डिंग
कार्यालय सं 21/22, भूतल
5, पी डीमेलो रोड (घडियाल गोदी)
मुम्बई - 400 009
M/s. MCS Ltd. (Unit: Andhra Bank)
Kashiram Jamnadas Building
Office No. 21/22 Ground Floor
5, P. D'Mello Road, (Ghadiyal Godi)
Mumbai - 400 009



प्रिय शेयरधारक,

प्रारंभ में, मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि आपके बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान अपना अच्छा कार्य-निष्पादन दोहराया है जबकि बाजार अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक था।

मैं सगर्व और संतुष्टपूर्वक आपको यह सूचित करता हूँ कि आपके बैंक ने सर्वोच्च मध्यम आकार के बैंकों में स्थान पाने हेतु कई मील-पथर पार किए हैं जोकि सुदृढ़ और स्वस्थ व्यवसाय प्रगति का सूचक है।

ए एस सी बी जमा ने गत वर्ष में दर्ज वर्ष-दर-वर्ष 17.02% की तुलना में मार्च 2011 के अंतिम शुक्रवार तक 15.8% वर्ष-दर-वर्ष प्रगति में गिरावट दर्शाई है। उसी समय अग्रिमों ने पिछले वर्ष में वर्ष-दर-वर्ष 16.9% के निष्पादन की तुलना में 21.4% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शायी। उद्योग में जमा वृद्धि की गति धीमी पड़ने के बावजूद आपके बैंक ने जमा में 18.9% और अग्रिमों में 25.3% की वृद्धि दर्ज की। वर्ष के दौरान जमा और अग्रिम दोनों के अंतर्गत बैंक का बाजार अंश 5 बीपीएस से बढ़ा।

इस समय एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि वर्ष 2009-10 के लिए बैंक ने अपने कार्य-निष्पादन हेतु निम्न लिखित चार पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

- बिज़नेस वर्ल्ड से उत्तम मध्य आकार बैंक
- द अनलिस्ट पत्रिका से उत्तम बैंक- कैमेल रेटिंग के मुख्य मानकों के अंतर्गत कार्यनिष्पादन
- बिज़नेस टुडे से "आस्तियों की गुणवत्ता हेतु उत्तम बैंक"
- स्टेट फोरम आफ बैंकर्स क्लब केरल से उत्तम सार्वजनिक क्षेत्र बैंक- बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार
- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु "एमएसएमई राष्ट्रीय पुरस्कार"

आपका बैंक ग्राहक केंद्रित बैंक है और इसका ध्यान मुख्यतः ग्राहकों को संवर्धित सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। बैंक ने ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु नए उत्पाद और सेवाएं आरंभ की है।

वर्ष के दौरान भारत सरकार को 7.458 करोड़ ईक्विटी शेयर ₹ 147.28 प्रति शेयर प्रीमियम पर अधिमान्य रूप से आबंटित किए गए जिसके परिणामस्वरूप पूंजी में ₹ 74.58 करोड़ तक की वृद्धि हुई और शेयर प्रीमियम खाते में ₹ 1,098 करोड़ की वृद्धि हुई। इससे बैंक की टीयर- I पूंजी में वृद्धि हुई है और बड़ी हुई उधार गतिविधियों के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सीआरएआर बढ़ा है।

इस परिप्रेक्ष्य में, मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आपके बैंक का वित्तीय कार्यनिष्पादन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

I. तुलन-पत्र मुख्य विशेषताएं

1. कुल व्यापार 31.03.2010 का ₹ 1,34,194 करोड़ से बढ़कर 22.44% वृद्धि के साथ 31.03.2011 को ₹ 1,64,310 करोड़ हुआ।

2. जमा पिछले वर्ष ₹ 77,688 करोड़ की तुलना में 18.62% वृद्धि के साथ ₹ 92,156 करोड़ हुआ।
3. कम लागत जमा (कासा) ₹ 22,864 करोड़ से बढ़कर 17.12% वृद्धि के साथ ₹ 26,779 करोड़ हुआ। कुल जमा में कासा का अंश 29.06% रहा।
4. सकल बैंक ऋण मार्च 2010 की समाप्ति को ₹ 56,505 करोड़ से बढ़कर 27.69% वृद्धि के साथ 31.03.2011 को ₹ 72,154 करोड़ हुआ।
5. ऋण-जमा अनुपात में सुधार हुआ और पिछले वर्ष के 73.05% की तुलना में मार्च 2011 की समाप्ति तक यह 78.46% हो गया।
6. प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम ₹ 19,012 करोड़ से बढ़कर 21.41% वृद्धि के साथ ₹ 23,082 करोड़ हुए। प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम भारतीय रिज़र्व बैंक के मानक 40% की तुलना में समंजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40.65% रहे।
7. कृषि अग्रिम ₹ 9,173 करोड़ से बढ़कर ₹ 10,369 करोड़ हुए। कृषि अग्रिम भारतीय रिज़र्व बैंक के मानक 18% की तुलना में समंजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 18.26% रहे।
8. बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने हेतु अत्यंत महत्व दिया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रदत्त अग्रिम मार्च 2010 की समाप्ति को ₹ 8,285 करोड़ से बढ़कर 34.04% वृद्धि के साथ मार्च 2011 की समाप्ति को ₹ 11,105 करोड़ हुए।
9. खुदरा ऋण 17.69% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 31.03.2011 को ₹ 10,479 करोड़ हुआ।
10. आवास क्षेत्र (सीधा वित्त) को अग्रिम 28.71% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹ 4,479 करोड़ हुआ।
11. पूंजी और प्रारक्षितियां 47.22% वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 6,492 करोड़ हुईं।
12. प्रति शेयर अर्जन ₹ 21.56 से बढ़कर ₹ 26.05 हुआ, और प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 90.93 से बढ़कर ₹ 116.02 हुआ।
- II अर्जन गति
13. अर्जित निवल लाभ मार्च 2010 की समाप्ति को ₹ 1,046 करोड़ की तुलना में मार्च 2011 की समाप्ति को ₹ 1,267 करोड़ रहा।
14. परिचालन लाभ मार्च 2010 की समाप्ति को ₹ 1,810 करोड़ की तुलना में मार्च 2011 की समाप्ति को ₹ 2,413 करोड़ रहा।
15. लागत-आय अनुपात 41.40% रहा जो पिछले वर्ष पर 132 आधार पाइंट सुधार है।
16. निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सुधार हुआ और पिछले वर्ष 3.21% की तुलना में मार्च 2011 की समाप्ति को 3.80% रहा।
17. आस्तियों पर आय (आरओए) 1.36% रही।
18. सीआरएआर मार्च 2010 को 13.93% की तुलना में मार्च 2011 को 14.38% रहा।
19. औसत निवल मालियत पर आय पिछले वर्ष 25.96% की तुलना में 23.24% रही।



Dear Shareholder,

At the outset, I am delighted to inform you that your Bank has repeated its splendid performance during the year 2010-'11 while the market was very competitive.

I share with pride and satisfaction, that your Bank has crossed many a milestone to be amongst the top Mid-size Banks, which is testimony for its strong and healthy business growth.

The deposits of ASCBs have shown a subdued y-o-y growth at 15.8% as on the last Friday of March'11 compared to y-o-y growth of 17.2% recorded in the previous year. At the same time advances have outperformed with 21.4% y-o-y growth over previous year's performance of 16.9%. Despite slow down in deposit growth witnessed by the industry, your bank posted a higher y-o-y growth of 18.9 % in deposits and 25.3% growth in advances as on the last reporting Friday of March 2011. The market share of the Bank both under deposits and advances improved by 5 bps each during the year.

Yet another worth mentioning aspect at this juncture is that your Bank has received the following awards for its performance of 2009-'10.

- 'Best Mid Sized Bank' by "Business World".
- 'Best Bank-Performance on Key parameters under CAMEL ratings' adjudged by "The Analyst" magazine.
- 'Best Bank for Quality of Assets' by "Business Today".
- 'Best Public Sector Bank-Banking Excellence Award' by "State forum of Bankers' Club, Kerala".
- 'MSME National Award' - for outstanding performance in "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)".

Your bank is a customer centric Bank with its prime focus to improve the services to the customers. The Bank has introduced new products and services to cater to the changing needs of the customers.

During the year 7.458 crore of equity shares were allotted preferentially to Govt. of India at a premium of ₹ 147.28 per share and with this the capital increased by ₹ 74.58 Cr and the Share Premium account increased by ₹ 1,098 Crore. This has helped the Bank to shore up its Tier I capital and have a higher CRAR to meet the requirements arising out of increased lending activity.

In this backdrop, it gives me great pleasure to present to you the financial performance of your Bank for the financial year ended March 2011.

I. Balance Sheet Strength

1. Total Business increased by 22.44% to reach ₹ 1,64,310 crore as on 31.03.2011 from ₹ 1,34,194 crore as on 31.03.2010

2. Deposits increased by 18.62% and stood at ₹ 92,156 crore against ₹ 77,688 crore in the previous year
3. Low-cost deposits (CASA) have gone up by 17.12% to reach ₹ 26,779 crore from ₹ 22,864 crore. The share of CASA in total deposits stood at 29.06 %.
4. Gross Bank Credit increased by 27.69% to ₹ 72,154 crore as on 31.03.2011 from ₹ 56,505 crore, as at the end of Mar '10.
5. Credit-Deposit ratio improved to 78.46 % as at the end of Mar'11 from 73.05% in the previous year.
6. Priority sector advances have gone up by 21.41 % to ₹ 23,082 crore from ₹ 19,012 crore. Priority Sector advances constituted 40.65% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the RBI norm of 40%.
7. Agriculture advances increased to ₹ 10,369 crore from ₹ 9,173 crore. Agriculture advances constituted 18.26% of Adjusted Net Bank Credit against RBI norm of 18%.
8. Bank has accorded utmost importance for lending to MSME Sector. Advances to Micro, Small and Medium Enterprises increased by 34.04% to ₹ 11,105 crore as at the end of Mar'11 as against ₹ 8,285 crore in the previous year.
9. "Retail Lending" increased to ₹ 10,479 crore as on 31.03.2011, with y-o-y growth of 17.69%
10. The advances to the Housing Sector (Direct Finance) increased to ₹ 4,479 crore registering a y-o-y growth of 28.71%.
11. "Capital and Reserves" increased to ₹ 6,492 crore, an increase of 47.22 %.
12. Earning Per Share increased to ₹ 26.05 from ₹ 21.56, while Book Value Per Share increased from ₹ 90.93 to ₹ 116.02.

II. Earnings Momentum

13. Net Profit earned was ₹ 1,267 crore, as at the end of Mar'11 compared to ₹ 1,046 crore as at the end of Mar'10.
14. Operating profit increased from ₹ 1,810 crore as on 31.03.2010 to ₹ 2,413 crore as on 31.03.2011.
15. "Cost to Income Ratio" stood at 41.40 % which is an improvement of 132 basis points over previous year.
16. "Net Interest Margin (NIM)" improved to 3.80 % as at the end of Mar'11 against 3.21% in the previous year.
17. "Return on Assets (ROA)" was 1.36 %.
18. CRAR improved to 14.38% as on 31.3.'11 compared to 13.93% as on 31.3.'10.
19. "Return on Average Net Worth" stood at 23.24% compared to 25.96% in the previous year.
20. Gross NPAs to Gross Advances ratio stood at 1.38 % while, Net NPAs to Net Advances Ratio stood at 0.38% as at the end of Mar '11.

20. सकल अग्रिम को सकल एनपीए अनुपात मार्च 2011 की समाप्ति पर 1.38% रहा. निवल अग्रिम अनुपात को निवल एनपीए अनुपात 0.38% रहा.

21. "एनपीए प्रावधान कवरेज अनुपात" 31.03.2011 को 83.94% रहा

III. आय और व्यय

22. कुल आय पिछले वर्ष ₹ 7,337 करोड़ से बढ़कर 25.23% वृद्धि के साथ ₹ 9,188 करोड़ रही.

23. ब्याज आय ₹ 6,373 करोड़ से 30.10% वृद्धि के साथ ₹ 8,291 करोड़ रही.

24. दिनांक 31.03.2011 को अर्जित शुल्क आधारित आय ₹ 96 करोड़ रही.

IV. लाभांश

25. निवेशक मंडल ने वर्ष 2010-11 हेतु 55% लाभांश की सिफारिश की है.

V. सुपुर्दगी चैनल

26. मार्च 2011 की समाप्ति तक आपके बैंक के सुपुर्दगी चैनल बढ़कर 2676 हो गए याने वर्ष के दौरान 75 शाखाओं सहित 174 अतिरिक्त सुपुर्दगी चैनल.

27. कुल शाखाएं मार्च 2010 की समाप्ति को 1557 से बढ़कर मार्च 2011 की समाप्ति को 1632 हो गई हैं. अन्य वितरण चैनलों में 981 एटीएम, 25 विस्तार पटल और 38 अनुषंगी कार्यालय शामिल हैं.

VI. जोखिम प्रबंधन

28. बैंक का पूजी पर्याप्त अनुपात संतोषजनक है और प्रभावशाली जोखिम प्रबंधन प्रणाली भी लागू की गई है. जोखिम प्रबंधन के अलावा, स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने हेतु ऋण अनुमोदन, मंजूरी और निगरानी हेतु उचित प्रणालियों को लागू किया गया है.

VII. संरचनागत परिवर्तन

29. प्रभावशाली नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, दिल्ली, चेन्नै और विशाखपट्टणम में तीन नए आंचलिक निरीक्षणालयों की स्थापना की गई है.

वर्तमान चंडीगढ़ और नई दिल्ली अंचलों की पुनःसंरचना करते हुए लखनऊ में एक नए अंचल की स्थापना की गई है जिससे अंचलों की कुल संख्या वर्तमान 22 से बढ़कर 23 हो गई है.

VIII. वित्तीय समावेशन योजना

भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप, बैंक वित्तीय समावेशन योजना के कार्यान्वयन में अग्रगामी रहा है.

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत मार्च, 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में बैंकिंग केन्द्र खोलने के लिए बैंक को 1144 गाँव (1060 गाँव आन्ध्र प्रदेश में और 84 गाँव अन्य राज्यों में) आबंटित किये गये.

बैंक ने "ग्राम क्रांति केन्द्र" के नाम से सूचना और संचार तकनालजी (आईसीटी) आधारित केन्द्र का चयन किया है, जिन का परिचालन बीसी द्वारा प्रत्येक गाँव में किया जाता है. इन केन्द्रों के माध्यम से बैंक ने शुद्ध बचत बैंक खाता, सामान्य प्रयोजन हेतु क्रेडिट कार्ड सुविधा/किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा, छोटे आवर्ती जमा उत्पाद, प्रेषण सुविधा, और माइक्रो बीमा सुविधा, जैसी सेवाओं को प्रगामी रूप से प्रदान करने का प्रस्ताव किया है. 31.03.2011 तक, 500 गाँवों के लक्ष्य की तुलना में बैंक ने इस के अंतर्गत 540 गाँव कवर किये हैं

बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा अंतर्निहित "एबी ग्राम क्रांति बचत खाता" योजना शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम बैलेंस की शर्त या सेवा प्रभार नहीं हैं. 31.03.2011 तक बैंक ने 1.50 लाख खाते के लक्ष्य के विरुद्ध 1.53 लाख खाते खोले.

IX. आपका बैंक अपने सभी पणधारियों के प्रति प्रतिबद्ध है. विभिन्न पणधारियों के निरंतर समर्थन के कारण आपका बैंक वर्तमान स्थिति तक पहुँचा है और आपका बैंक भविष्य में भी आप सभी से अमूल्य समर्थन की आशा रखता है.

मैं हमारे सभी पणधारी, ग्राहक, विनियामक, बैंक के स्टाफ और सर्वसंबंधित, जिनके सहयोग और समर्थन से बैंक वर्षानुवर्ष स्वस्थ कार्यनिष्पादन कर सका है, के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ.

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

(आर. रामचन्द्रन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हैदराबाद
05.05.2011



21. "NPA Provision Coverage Ratio" stood at 83.94% as on 31.03.2011.

III. Income and Expenditure

22. Total Income increased by 25.23 % to ₹ 9,188 crore as against ₹ 7,337 crore in the previous year.
23. Interest income increased by 30.10 % from ₹ 6,373 crore to ₹ 8,291 crore.
24. Fee based income earned was ₹ 96 crore as on 31.03.2011.

IV. Dividend

25. The Board of Directors have recommended a dividend of 55 % for the year 2010-'11.

V. Delivery channels

26. Your Bank's network of delivery channels increased to 2676 by the end of March '11 i.e., 174 additional delivery channels during the year including 75 branches.
27. Total branches increased from 1557 as at the end of Mar '10 to 1632 as at the end of Mar '11. Other delivery channels include 981 ATMs, 25 Extension Counters and 38 Satellite offices.

VI. Risk Management

28. The Bank has a comfortable capital adequacy ratio and has also put in place robust risk management systems. Besides risk management, proper systems are also in place for approval, sanction and monitoring of credit to maintain a healthy asset quality.

VII. Structural Changes

29. In order to ensure effective control, three new Zonal Inspectorates are established in Delhi, Chennai and Visakhapatnam.

One new Zone was established in Lucknow by restructuring the existing Chandigarh and New Delhi Zones taking the total number of Zones to 23 from existing 22 Zones.

VIII. Financial Inclusion Plan (FIP)

In line with the expectations from RBI and Govt. of India, Bank has been on frontline in the implementation of Financial Inclusion Plan (FIP).

The Bank was allotted 1144 villages (1060 villages in Andhra Pradesh and 84 villages in other states) with population above 2000 under Financial Inclusion Plan (FIP) to provide the banking outlets by March, 2012.

The Bank has opted ICT based outlets called 'Grama Kranthi Kendras' operated by the BCs at each village. Through these outlets, bank proposes to offer services such as Pure Savings Bank Account, General Purpose Credit Card facility / Kisan Credit Card facility, Tiny Recurring Deposit products, Remittance facility and Micro Insurance facility, progressively. The Bank has covered 540 villages under this scheme against 500 villages to be covered by 31.03.2011.

The Bank has introduced "AB Grama Kranthi Savings Account" scheme with an in-built overdraft facility. No minimum balance or service charge is applicable to these accounts. As on 31.03.2011, the Bank has opened 1.53 lakh accounts against the target of 1.50 lakh accounts.

Your Bank is committed to all its stakeholders. Continuous support of various stakeholders enabled your Bank to reach the present stage and your Bank is looking forward to the valuable support from all of you in the years ahead.

I place on record our sincere gratitude to all our shareholders, customers, regulators, staff of the Bank and all concerned with whose cooperation and support the Bank is able to achieve a healthy performance year after year.

With best wishes,

Yours sincerely,

Hyderabad,
05.05.2011.

(R. Ramachandran)
Chairman & Managing Director

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आन्ध्र बैंक के शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक बुधवार, दिनांक 22 जून, 2011 के सुबह 10.00 बजे शिल्पकला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट विलेज, हाइ-टेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद - 500 081 में निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी।

- 31 मार्च, 2011 को बैंक का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा, लेखा द्वारा कवर की गयी अवधि हेतु बैंक के कामकाज एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं तुलनपत्र एवं लेखा पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्राप्ति, विचार करना और अपनाना
- ईक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना.

स्थान: हैदराबाद

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 05.05.2011

(आर रामचंद्रन)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

टिप्पणियां :

- बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक प्राक्सी नियुक्त कर सकते हैं. ऐसा प्राक्सी बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है.
- प्राक्सी को प्रभावी बनाने के लिए बैठक के कम से कम चार दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य जमा / दर्ज करनी चाहिए. ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्राक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.
- प्रतिनिधि की नियुक्ति : कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी व्यक्ति को बैठक में भाग लेने या वोट देने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक वह संकल्प, जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो और बैठक के अध्यक्ष ने उसे प्रमाणित किया हो, की प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय, हैदराबाद में बैठक के चार दिन पहले जमा नहीं करता है.
- उपस्थिति पत्रक सह प्रवेश पास : शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पत्रक भरकर एवं उसमें दिये गये खाली स्थान पर हस्ताक्षर करके उसे बैठक स्थल पर जमा कर दें. प्राक्सी / प्रतिनिधि उपस्थिति पत्रक पर प्राक्सी या प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करें.
- बुक क्लोजर : शेयरधारकों के रजिस्टर और शेयर अंतरण रजिस्टर शुक्रवार, दिनांक 17 जून, 2011 से मंगलवार, दिनांक 21 जून, 2011 तक (दोनों दिन सहित) बंद रखा जाएगा.
- लाभांश : वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए निदेशक मंडल प्रति ईक्विटी शेयर के 55% (₹ 5.50 प्रति शेयर) के लाभांश की सिफारिश करता है. लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदित किया जाता, तो ऐसे सभी शेयर धारकों को, जिनके नाम शेयर भौतिक रूप में शेयरधारक रजिस्टर में हों तथा जिनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में हो तो डिपजिटरी द्वारा प्रदान किये गये लाभ भोगी स्थिति विवरणी के अनुसार, सोमवार, दिनांक 16 जून, 2011 को प्रदत्त किया जाएगा. लाभांश देने की तिथि बुधवार, 29 जून, 2011 है.
- इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा द्वारा लाभांश का भुगतान: निवेशकों को अपने लाभांश वारंट के धोखा नकदीकरण से बचाने के लिए बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा की सुविधा उन शेयरधारकों को दी है, जिनके बैंक खाते निम्न केन्द्रों में हैं : नई दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलूरु, चेन्नै, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, गुआहाटी, पटना, लुधियाना, अमृतसर, इलाहाबाद, वाराणसि, लखनऊ, आगरा, उदयपुर, जोधपुर, राजकोट, बडौदा, सूरत, पणजी, पुणे, नासिक, इंदौर, भोपाल, तिरुपति/

- चित्तूर, विजयवाडा, नेल्लूरु/वर्गामिट्टा, विशाखपट्टणम, मैसूर, मंगलूरु, पाण्डिचेरी, तिरुचिरापल्लि, मदुरै, सेलम, ईरोड, कोयम्बतूर, कोजिकोड, त्रिस्सूर, एर्णाकुलम, हल्दिया, एवं रांची.
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन ई सी एस) सिस्टम का उद्देश्य लाभांश का भुगतान केन्द्रीयकृत संसाधन द्वारा सुगम बनाना है. एनईसीएस (जमा) से जारीकर्ता को हिताधिकारी खातों में बहुविध जमा को सुगम बनाना है, जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत कवर किये गये हैं. इस उद्देश्य हेतु शेयरधारकों को अमूर्त धारण के मामले में अपने संबंधित डिपजिटरी प्रतिभागियों को अपना सीबीएस खाता संख्या, एमआईसीआर संख्या आदि तथा भौतिक धारण में रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को विवरण देकर अपने बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करना है. एनईसीएस शेयर धारक को भुगतान की तिथि को ही खाते में लाभांश प्राप्त करने में मदद करती है.
- पन्नों का समेकन : शेयरधारक, जिन्होंने एक ही क्रम के नाम से एक से अधिक खातों में शेयर रखे हैं, से अनुरोध है कि वे रजिस्टर व अंतरण एजेंट को ऐसे खातों के लेजर पन्नों का विवरण शेयर सर्टिफिकेट के साथ भेज दें ताकि बैंक द्वारा सभी का समेकन एक ही खाते में किया जा सके. शेयर सर्टिफिकेट बाद में आवश्यक पृष्ठांकन के बाद सदस्यों को लौटा दिये जाएंगे.
- अंतरण के लिए जमा करना : शेयर सर्टिफिकेट, अंतरण विलेख के साथ बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर भेजा जाए : मेसर्स एमसीएस लिमिटेड (यूनिट: आन्ध्र बैंक) काशीराम जमनादास बिल्डिंग कार्यालय सं 21/22, भूतल 5, पी डीमेलो रोड (घडियाल गोदी) मुम्बई - 400 009
- शेयरधारकों से अनुरोध : क) कृपया नोट करें कि वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां वार्षिक साधारण बैठक में एक मितव्ययता के उपाय के रूप में वितरित नहीं की जाएंगी. अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति बैठक में अपने साथ लाएँ. ख) सदस्य कृपया नोट करें कि बैठक के दौरान कोई उपहार-कूपन नहीं बांटे जाएंगे. ग) शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे बैग/ब्रीफकेस/टैप रिकार्डर/केमेरा आदि अपने साथ न लाएँ क्योंकि ये वस्तुएं सुरक्षा जांच के अधीन हैं. इनके लाने से हाल में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है. नोट: बैंक चाहता है कि यदि शेयरधारक वार्षिक साधारण बैठक में कोई सुझाव देना या स्पष्टीकरण चाहते हों तो केवल कार्यसूची की मद के संबंध में वे अपने सुझाव शंका आदि बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर संविभाग एवं निवेशक सेवा कक्ष को भेज सकते हैं जो कम से कम बैठक की तिथि के 15 दिन पहले प्राप्त हों.



NOTICE

Notice is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the shareholders of Andhra Bank will be held on Wednesday, the 22nd June, 2011 at 10.00 A.M. at Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad-500 081, to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2011 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors Reports on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend on Equity Shares.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Hyderabad

Date: 05.05.2011

(R.Ramachandran)

Chairman & Managing Director

Notes:

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY OR PROXIES TO ATTEND AND VOTE THERE AT INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF. A PROXY NEED NOT BE A MEMBER.
2. A Proxy, in order to be effective, must be deposited / lodged at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the meeting. No employee of the Bank shall be appointed as duly authorized representative or a proxy.
3. **Appointment of a representative:**
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company, unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Hyderabad not less than four days before the date of the meeting.
4. **Attendance slip cum entry pass:**
For the convenience of the members, attendance slip is enclosed to this report. Members are requested to fill in and affix their signatures in the space provided therein and handover the attendance slip cum Entry pass at the entrance of the venue of the meeting. Proxy / Representative of the shareholder should mark on the attendance slip as proxy or representative as the case may be.
5. **Book Closure:**
The Register of Shareholders and Share Transfer Books would remain closed from Friday, the 17th June, 2011 to Tuesday, the 21st June, 2011 (both days inclusive).
6. **Dividend:**
The Board of Directors have recommended a dividend of 55% (₹ 5.50 ps. per equity share) for the financial year 2010-2011. The dividend, if approved by the Shareholders at the Annual General Meeting, shall be paid to the shareholders holding shares in physical form and whose names appear in the Register of Shareholders and to the shareholders holding shares in electronic form on the basis of the beneficiary position statement provided by the depositories at the end of Thursday, the 16th June, 2011. The dividend payout date is Wednesday, the 29th June, 2011.
7. **Dividend payment by way of Electronic Clearing Service (ECS):**
In order to protect the investors from fraudulent encashment of their dividend warrants, the Bank has offered Electronic Clearing Service facility to the shareholders having Bank accounts at the following centers:
Agra, Ahmedabad, Allahabad, Amritsar, Bangalore, Baroda, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Coimbatore/Tirupur, Ernakulam, Erode, Guwahati, Haldia, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jodhpur/

Udaipur, Kanpur, Kolkata, Kozhikode, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mangalore, Mysore, Nagpur, Nasik, Nellore/Dargamitta, New Delhi, Panaji, Patna, Pondicherry, Pune, Rajkot, Ranchi, Salem, Surat, Tiruchirapalli, Tirupati/Chittoor, Tiruvananthapuram, Trissur, Varanasi, Vijayawada, Visakhapatnam

8. Dividend payment by way of National Electronic Clearing Service (NECS) :

The objective of the system is to facilitate centralized processing of payment of dividend. The NECS (credit) facilitate the Issuer multiple credits to beneficiary accounts which have been covered under Core-Banking Solution. For the purpose, the shareholders have to update their bank account details by furnishing their CBS account number, MICR No., etc. to their respective Depository Participants in case of dematerialized holdings and to the Registrars & Transfer Agents in case of physical holdings. The NECS facilitates the shareholder to receive dividend in his account on the pay-out date itself.

9. Consolidation of Folios:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Registrars and Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

10. Lodgment for Transfers:

Share Certificates along with transfer deed should be forwarded to the Registrars and Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s. MCS Limited (Unit: Andhra Bank)
Kashiram Jamnadas Building, Office No. 21/22,
Ground Floor, 5, P.D'Mello Road, (Ghadiyal Godi)
Mumbai - 400 009.

11. Request to Shareholders

- a. Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General meeting as an Economy measure. Hence, shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the meeting.
- b. Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.
- c. Shareholders are advised to avoid bringing bags / brief cases/ tape records / cameras etc. as these items are subject to a security check and may not be allowed at the venue.

Note: Bank shall highly appreciate if shareholders, desirous of making any suggestion, seeking clarification, etc. at the Annual General Meeting, relating to the item of agenda only may send their suggestions, queries, etc. so as to reach the shares Division & Investors Services Cell at Head Office of the Bank atleast 15 days before the date of meeting.

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशकों को 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखों का लेखा परीक्षित विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट समेत बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. लाभप्रदता

बैंक ने पिछले वर्षों की अपनी वृद्धि गति को बनाए रखा एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान यथोचित अच्छा कार्यनिष्पादन किया है। ब्याज व्यय में प्रभावी प्रबंधन तथा ब्याज आय बढ़ाने के लिए किये गये प्रयासों के परिणाम स्वरूप, निवेशों की बिक्री में प्राप्त लाभ में ₹ 184 करोड़ का घाटा तथा वेतन परिशोधन और दूसरे विकल्प के रूप में पेंशन का विस्तार तथा उपदान अधिनियम में संशोधन के कारण उपदान राशियों में वृद्धि के कारण ₹ 280 करोड़ के अतिरिक्त स्थापना व्यय के होते हुए भी, बैंक चालू वर्ष में बेहतर निवल लाभ अर्जित कर सका।

कुल आय ₹ 7,377 करोड़ से ₹ 9,188 करोड़ तक बढ़ गयी है जो 25.23% वृद्धि है जबकि गैर ब्याज आय (निवेशों की बिक्री में लाभ को छोड़ कर) में 18.13% की वृद्धि दर्ज हुई एवं पिछले वर्ष ₹ 640 करोड़ की तुलना में ₹ 756 करोड़ रही। बैंक का परिचालन लाभ ₹ 1,810 करोड़ से ₹ 2,413 करोड़ तक बढ़ गया है जो 33.33% की वृद्धि है। निवल लाभ 21.15 % वृद्धि के साथ पिछले वर्ष के ₹ 1,045.85 करोड़ से 2010-11 में ₹ 1,267.07 करोड़ हो गया है।

सारणी 1: राजस्व, व्यय एवं लाभप्रदता की विशिष्टताएँ

(₹ करोड़ों में)

	2009-10	2010-11	शुद्ध वृद्धि	वृद्धिप्रतिशत
कुल ब्याज आय	6372.87	8291.28	1918.41	30.10
कुल ब्याज व्यय	4178.13	5070.31	892.18	21.35
निवल ब्याज आय	2194.74	3220.97	1026.23	46.76
अन्य आय	964.62	896.96	-67.66	-7.01
निवेशों की बिक्री पर लाभ	324.50	140.78	-183.72	-56.62
अन्य स्थायी आय	640.12	756.18	116.06	18.13
परिचालन व्यय	1349.54	1704.86	355.32	26.33
परिचालन लाभ	1809.82	2413.06	603.24	33.33
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	763.97	1145.99	382.02	50.00
निवल लाभ	1045.85	1267.07	221.22	21.15

1.1 कुल ब्याज आय 30.10% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2010 को ₹ 6,372.87 करोड़ की तुलना में 31.03.2011 को ₹ 8,291.28 करोड़ हुई है। इसमें अग्रिमों से ब्याज आय 29.60% वृद्धि के साथ 31.03.2010 को ₹ 5,161.28 करोड़ से 31.03.2011 को ₹ 6,689.17 करोड़ है। निवेशों से ब्याज आय 29.56% वृद्धि के साथ मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 1,539.59 करोड़ रही।

1.2 ऋण विस्तार, विशेषकर, अधिक अर्जन वाले अग्रिमों पर फोकस एवं अग्रिमों से ब्याज आय में परवर्ती वृद्धि ने 46.76% तक निवल ब्याज आय में वृद्धि में सहयोग दिया है।

1.3 कुल गैर ब्याज आय में शुल्क आधारित आय पिछले वर्ष के ₹ 107.52 करोड़ की तुलना में 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 96.19 करोड़ रही।

1.4 कुल व्यय 31.03.2010 को ₹ 5,527.66 करोड़ की तुलना में 31.03.2011 को ₹ 6,775.17 करोड़ रहा। इसमें परिचालन व्यय ₹ 1,704.86 करोड़ रहा (26.33% की वृद्धि)। स्थापना व्यय कुल व्यय के प्रतिशत रूप में 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए 16.30% रहा।

विनियोजन

निवल लाभ से बने विनियोजन सारणी 2 में दर्शाए गये हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 316.92 करोड़ सांविधिक प्रारक्षितों को अंतरित किया गया एवं इससे अब सांविधिक प्रारक्षित ₹ 1,690.00 करोड़ रहा। लाभांश के लिए अंतरित राशि ₹ 357.70 करोड़ है (लाभांश कर मिलाकर)।

सारणी 2: निवल लाभ से विनियोजन

(₹ करोड़ों में)

	2010 - 11
निवल लाभ से विनियोजन	1267.07
सांविधिक प्रारक्षित को अंतरण	316.92
पूँजी प्रारक्षित को अंतरण	4.40
राजस्व और अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण	400.00
विशेष आरक्षित को अंतरण	96.00
प्रस्तावित लाभांश को अंतरण (लाभांश कर समेत)	357.70
आगे लाया गया लाभ	92.05

2. प्रमुख वित्तीय अनुपात

2.1 बैंक ने प्रमुख वित्तीय अनुपातों में अच्छी वृद्धि दर्शायी है। निवल ब्याज मार्जिन पिछले वर्ष के 3.21% की तुलना में 3.80 % रहा। परिचालन लाभ में 33.33% वृद्धि दर के साथ पिछले वर्ष के 1,810 करोड़ की तुलना में ₹ 2,413 तक वृद्धि हुई है। आय को लागत अनुपात 42.72% से 41.40% तक सुधार हुआ जो परिचालन सक्षमता की वृद्धि को दर्शाता है। लाभप्रदता की वृद्धि के उत्प्लावन से प्रति शेयर अर्जन ₹ 21.56 से ₹ 26.05 तक एवं प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 90.93 से ₹ 116.02 तक बढ़ गया है। भारत सरकार द्वारा ₹ 1,173 करोड़ तक पूँजी में (शेयर प्रीमियम राशि को मिलाकर) वृद्धि, करने की वजह से, आरक्षितियाँ और अधिशेष, आदि में वृद्धि के कारण पूँजी पर्याप्तता अनुपात 14.38 % तक बढ़ गया।

मार्च 11 के अंत को सकल अग्रिमों को सकल अनर्जक आस्तियाँ 1.38% रही एवं निवल अग्रिमों को निवल अनर्जक आस्तियाँ 0.38% रहीं।



Directors' Report

The Directors of your Bank are glad to present the Annual Report of the Bank together with the audited Statement of Accounts and Auditors' Report for the financial year ended March 31, 2011.

1. PROFITABILITY:

The sustained growth momentum of the previous years was continued and satisfactory performance was achieved during the financial year 2010-11. With more efficient management of interest expenses and steps taken to augment interest income, the Bank could post higher Net Profit during the current year, despite reduction in Profit on Sale of investments by ₹ 184 Crore and additional establishment expenses of ₹ 280 Crore on account of wage revision and extension of pension as second option and increase in the gratuity amounts due to the amendment to the Gratuity Act.

Total Income increased by 25.23% from ₹ 7,337 crore to ₹ 9,188 Crore. while core non- interest income (excluding sale of Profit on Investments) registered a growth of 18.13 % and stood at ₹ 756 crore compared to ₹ 640 crore in the previous year. Operating Profit of the Bank increased to ₹ 2,413 crore from ₹ 1,810 crore, registering an increase of 33.33 %. Net Profit increased by 21.15 % to ₹ 1,267.07 crore in 2010 - '11 from ₹ 1,045.85 crore in the previous year.

Table 1: Highlights of Revenue, Expenditure and Profitability

	(₹ in crore)			
	2009 - 10	2010-11	Absolute Growth	Percentage Growth
Total Interest Income	6372.87	8291.28	1918.41	30.10
Total Interest expenditure	4178.13	5070.31	892.18	21.35
Net interest Income	2194.74	3220.97	1026.23	46.76
Other income	964.62	896.96	-67.66	-7.01
Profit on sale of investments	324.50	140.78	-183.72	-56.62
Core other Income	640.12	756.18	116.06	18.13
Operating expenses	1349.54	1704.86	355.32	26.33
Operating profit	1809.82	2413.06	603.24	33.33
Provisions and contingencies	763.97	1145.99	382.02	50.00
Net Profit	1045.85	1267.07	221.22	21.15

- The total interest income has shown a robust growth of 30.10% from ₹ 6,372.87 crore as on 31.3.2010 to ₹ 8,291.28 crore as on 31.3.2011. Of this, interest income from advances grew by 29.60% from ₹ 5,161.28 crore as on 31.3.2010 to ₹ 6,689.17 crore as on 31.3.2011. Interest Income from investments increased by 29.56 % and stood at ₹ 1,539.59 Crore for the financial year ended March, 2011.

- The focus on credit expansion, high yielding advances in particular and the consequent increase in interest income from advances has contributed for the increase in Net Interest Income by 46.76 %.
- Of the total non interest income, fee based income stood at ₹ 96.19 Crore for the financial year ended March 2011 against ₹ 107.52 Crore in the previous year.
- Total expenses were ₹ 6,775.17 crore as on 31.3.2011 as against ₹ 5,527.66 crore as on 31.3.2010. Of this, operating expenses stood at ₹ 1,704.86 crore (an increase of 26.33 %). Establishment expenditure as a percentage of Total Expenditure stood at 16.30 % for the year ended 31.3.2011.

APPROPRIATIONS

The appropriations made out of Net Profit are shown in Table 2. An amount of ₹ 316.92 crore was transferred to statutory reserves during 2010-11, and with this, the statutory reserves now stand at ₹ 1,690.00 crore. Transfer towards dividend (including dividend tax) amounted to ₹ 357.70 crore.

Table 2: Appropriations out of Net Profit

	(₹ in crore)
Appropriation out of Net Profit	2010 - '11
Transfer to Statutory Reserves	1267.07
Transfer to Capital Reserve	316.92
Transfer to Revenue & Other Reserves	4.40
Transfer to Special Reserve	400.00
Transfer to proposed dividend (including dividend tax)	96.00
Profit carried over to Balance sheet	357.70
	92.05

2. KEY FINANCIAL RATIOS

2.1. The Bank has shown good improvement in key financial ratios. Net Interest Margin (NIM) improved to 3.80% compared to 3.21% in the previous year. Operating Profit improved to ₹ 2,413 Crore compared to ₹ 1,810 crore in the previous year, with a growth of 33.33 %. The Cost to Income ratio improved to 41.40% from 42.72% in the previous year, reflecting enhanced operational efficiency. Buoyed by improved profitability, Earning Per Share (EPS) increased from ₹ 21.56 to ₹ 26.05 and Book Value Per Share (BVPS) increased from ₹ 90.93 to ₹ 116.02. The capital adequacy ratio rose to 14.38 %, following infusion of capital (including share premium amount) to the extent of ₹ 1,173 crore by Govt. of India, increase in Reserves & Surplus etc.,

Gross Non-Performing Assets to Gross Advances stood at 1.38 %, and Net Non-Performing Assets to Net Advances stood at 0.38% as at the end of Mar'11.

सारणी 3: प्रमुख वित्तीय अनुपात

पैरामीटर	31.3.2010	31.3.2011
अग्रिमों पर उपज (%)	10.92	11.16
जमाओं की लागत (%)	6.10	5.90
निवल ब्याज मार्जिन (%)	3.21	3.80
निधियों पर उपज (%)	8.49	8.93
निधियों की लागत (%)	5.57	5.46
आय को लागत अनुपात (%)	42.72	41.40
सीआरएआर (%)	13.93	14.38
आस्तियों पर प्रतिफल (%)	1.39	1.36
प्रति शेयर अर्जन (₹)	21.56	26.05
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	90.93	116.02
निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	0.17	0.38
सकल अनर्जक आस्तियाँ (%)	0.86	1.38

3. पूँजी एवं निवल मालियत :

वर्ष के दौरान भारत सरकार को 7.458 करोड़ ईक्विटी शेयर ₹ 147.28 प्रति शेयर प्रीमियम पर अधिमाम्य रूप से आबंटित किए गए जिसके परिणामस्वरूप पूँजी में ₹ 74.58 करोड़ तक की वृद्धि हुई और शेयर प्रीमियम खाते में ₹ 1,098 करोड़ की वृद्धि हुई. ₹ 1,267 करोड़ के निवल लाभार्जन और पूँजी में ₹ 1,173 करोड़ की वृद्धि के कारण पूँजी और निवल मालियत में निम्नानुसार पर्याप्त वृद्धि हुई :

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	31.3.2010	31.3.2011
शेयर पूँजी	485.00	559.58
आरक्षितियाँ और अधिशेष	3925.04	5932.84
बैंक की निवल मालियत	4410.04	6492.42

4. पूँजी पर्याप्तता :

भारत सरकार को 7.458 करोड़ शेयर आबंटित किये जाने पर, भारत सरकार की शेयर धारिता 58% तक बढ़ गयी. इससे बैंक की टीयर- I पूँजी में वृद्धि हुई है और बढ़ी हुई उधार गतिविधियों के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सीआरएआर बढ़ा है.

मार्च, 2011 के अंत तक कुल पूँजी निधि पिछले वर्ष के ₹ 7,530.27 करोड़ की तुलना में 30.95% बढ़कर ₹ 9,861.04 करोड़ रही. पूँजी पर्याप्तता अनुपात, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदंड 9% की तुलना में, 14.38 % रहा.

बैंक में व्यवसाय स्तर तथा अतिरिक्त पूँजी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूँजी स्तर की पर्याप्तता के निर्धारण हेतु आंतरिक पूँजी पर्याप्तता भी है. आईसीएएपी का आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा वैधीकरण होता है. निर्धारण प्रक्रिया में ऋण केन्द्रीयकरण जोखिम बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम चल-निधि आदि जैसे बेसल-II मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत पिलर-II के समावेश हेतु रूपरेखा भी सम्मिलित है.

सारणी 4 : सीआरएआर स्थिति (%)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2011
टीयर-1 पूँजी	8.18	9.68
टीयर - II पूँजी	5.75	4.70
कुल	13.93	14.38

5. लाभांश:

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 55% के लाभांश की सिफारिश की, जो पिछले वर्ष के लाभांश से 5% अधिक है.

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण :
1. स्थूल आर्थिक विकास

वर्ष 2008-09 के मंद गमन के पश्चात, वर्ष 2010-11 में भारतीय अर्थ व्यवस्था में तेजी और दृढ़ता आयी. केन्द्रीय सांख्यिकी संस्थान के पूर्वानुमान के अनुसार, कृषि एवं अनुषंगिक गतिविधियों में 5.4 प्रतिशत वृद्धि और औद्योगिक क्षेत्र में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए, 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद 8.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है. वर्ष 2010-11 में सेवा क्षेत्र ने आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तथा 2010-11 में 9.6% प्रगति दर्ज की.

वर्ष 2010-11 के दौरान मुद्रा स्फीति का निरंतर दबाव रहा. उसमें आपूर्तियों में घाटे व कीमत के दबावों में साधारणीकरण के संकेत रहे. तथापि भारतीय रिजर्व बैंक ने संरचनात्मक व स्थूल आर्थिक प्रयासों से बढ़ती मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास किये.

1.1 मौद्रिक और चलनिधि स्थिति

भारतीय रिजर्व बैंक की सुगठित मुद्रा नीति साधारणीकरण प्रक्रिया के फल स्वरूप पूरे 2009-10 वर्ष के दौरान रही अधिक चलनिधि परिस्थितियाँ वर्ष 2010-11 में कुंचित हुई. वर्ष 2010-11 के प्रथमार्ध में 3जी/बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नीलामियों द्वारा अधिक मात्रा में संग्रहण के जरिए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी गयी मुद्रा स्फीति निरोधक नीति की वजह से सरकारी नकदी शेषों में आकस्मिक और तीव्र वृद्धि के कारण चलनिधि स्थिति में कड़ी तंगी रही.

चलनिधि में घाटे को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक ने कई प्रयासों की शुरुआत की. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) के सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) को उनके एनडीटीएल के 25 आधार बिंदुओं (बीपीएस) से 24 बीपीएस तक घटाया, जो 18 दिसंबर, 2010 से प्रभावी है. इसके अलावा चलनिधि स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) आयोजित किये गये. एलएएफ के अंतर्गत एससीबी को अतिरिक्त चलनिधि समर्थन प्रदान किया गया. यह सुविधा, जो पहले उनके एनडीटीएल पर 2 प्रतिशत तक उपलब्ध थी, एसएलआर में 1 प्रतिशत बिंदु तक घटती के बाद, उनके एनडीटीएल पर 1 प्रतिशत तक कम कर दिया गया और दूसरा एलएएफ विंडो आरंभ किया गया.

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान रेपो दर में 175 आधार बिंदु (बीपीएस) बढ़ाये और प्रति पुनः खरीदी दर में 225 बीपीएस बढ़ाये. इसके अतिरिक्त, नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 25 बीपीएस बढ़ाये. मुद्रा नीति के इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप, दृढ़ मौद्रिक नीति प्रेषण का संकेत देते हुए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने विभिन्न परिपक्वता अवधियों की अपनी जमा दर और अग्रिम दरों में 25-500 बीपीएस श्रेणी में वृद्धि की.



Table 3 - Key Financial Ratios

Parameter	31.3.2010	31.3.2011
Yield on Advances (%)	10.92	11.16
Cost of Deposits (%)	6.10	5.90
Net Interest Margin (%)	3.21	3.80
Yield on Funds(%)	8.49	8.93
Cost of Funds(%)	5.57	5.46
Cost-to-income Ratio (%)	42.72	41.40
CRAR (%)	13.93	14.38
Return on Assets (%)	1.39	1.36
Earning Per Share (₹)	21.56	26.05
Book Value Per Share (₹)	90.93	116.02
Net NPA (%)	0.17	0.38
Gross NPAs (%)	0.86	1.38

3. CAPITAL & NET WORTH

During the year 7.458 crore of equity shares were allotted preferentially to Govt. of India at a premium of ₹ 147.28 per share and with this the capital increased by ₹ 74.58 Cr and the Share Premium account increased by ₹ 1,098 Crore. Due to Net Profit of ₹ 1,267 Crore earned and capital infusion of ₹ 1,173 crore, the capital and Net worth have improved substantially as detailed hereunder:

(₹ in crore)		
Parameter	31.3.2010	31.3.2011
Equity capital	485.00	559.58
Reserves Surplus	3925.04	5932.84
Net worth of the Bank	4410.04	6492.42

4.0. CAPITAL ADEQUACY

Consequent to issuance of 7.458 crore shares to GOI, the shareholding of GOI increased to 58%. This has helped the Bank to shore up its Tier I capital and have a higher CRAR to meet the requirements arising out of increased lending activity.

The total capital funds as at the end of Mar'11 stood at ₹ 9,861.04 crore, up 30.95% from ₹ 7,530.27 crore in the previous year. The capital adequacy ratio stood at 14.38%, which is above the RBI prescribed norm of 9%.

The higher Tier I capital ratio of 9.68% provides the Bank sufficient headroom for future business expansion. As per RBI guidelines, the Bank has already moved over to Basel II Capital Adequacy norms with effect from 31.03.2009 and computed CRAR for Credit risk, Operational risk and Market risks. However, as advised by RBI, the Bank continued to compute the CRAR as per Basel- I norms also as a parallel run.

Bank has also put in place "Internal Capital Adequacy Assessment Process" (ICAAP) for assessing the adequacy of capital levels keeping in view the expected increase in business levels and the additional capital requirement. The ICAAP is subjected to validation by Internal Auditors. The assessment process also includes a framework for inclusion

of Pillar-II risks under Basel-II guidelines, such as credit concentration risk, interest rate risk in the banking book, liquidity risk etc.,

Table 4: CRAR Position (%)

	31 March 2010	31 March 2011
Tier-1 capital	8.18	9.68
Tier-II capital	5.75	4.70
Total	13.93	14.38

5. DIVIDEND

The Board of Directors of the Bank recommended a dividend of 55% for the financial year 2010-'11, which is 5% higher than previous year.

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

1. MACRO ECONOMIC DEVELOPMENTS:

After slowdown in 2008-09, turnaround of Indian economy has been fast and strong during 2010-'11. The GDP growth for 2010-11 was estimated at 8.6 percent as per advance estimate of CSO, backed by 5.4 percent growth in agricultural and allied activities and momentum in industrial sector of 8.1 percent growth. Services sector with a growth of 9.6 percent in 2010-11, has played dominant role in economic growth.

Headline inflation exhibited a strong persistence in 2010-'11. It reflected both supply shocks and gradual generalization of price pressures. However, RBI has taken a series of steps, both structural and macroeconomic to combat the rising inflation.

1.1 Monetary and Liquidity Conditions

The surplus liquidity conditions that prevailed all through 2009-10 tightened in 2010-11 in response to the calibrated normalization of monetary policy by the Reserve Bank. There was severe tightness in liquidity conditions resulting from a sudden and sharp increase in the government cash balances stemming from significantly higher mobilization of 3G/BWA spectrum auctions in the early part of the year 2010-11 and anti inflationary policy stance adopted by RBI.

The Reserve Bank initiated a number of measures to mitigate the liquidity deficit. The Statutory Liquidity Ratio (SLR) of SCBs was reduced from 25 per cent of their NDTL to 24 per cent with effect from December 18, 2010. Also, Open Market Operations (OMO) were conducted for purchase of government securities to ease the liquidity condition. Additional liquidity support to SCBs was provided under the LAF. This facility, which was initially available up to 2 per cent of their NDTL, was brought down to one per cent of NDTL after reduction in the SLR by one percentage point and second LAF window was introduced.

The Reserve Bank increased the repo rate by 175 basis points (bps) and the reverse repo rate by 225 bps during FY2010-11. In addition, the cash reserve ratio (CRR) was raised by 25 bps. In response to these monetary policy measures, scheduled commercial banks (SCBs) raised their deposit rates and lending rates in the range of 25-500 bps during FY10-11 across various maturities, indicating strong monetary policy transmission.

1.2 भुगतान संतुलन और बाहरी क्षेत्र

2010-11 के दौरान भुगतान संतुलन गतिविधियों ने यह संकेत दिये हैं कि अर्ध वर्ष 1 में 2010-11 जीडीपी का 3.7% व्यापार घाटा निर्यात में वृद्धि दर्शाते हुए तीसरी तिमाही में जीडीपी का 2.1% हो गया। चौथी तिमाही में बढ़कर पूरे वर्ष हेतु चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2010-11 हेतु जीडीपी का 2.5% होने का अनुमान है।

अप्रैल-मार्च, 2010-11 के दौरान 245.87 बिलियन अमेरिकी डालरों के निर्यात हुए हैं, जब कि पिछले वर्ष में ये 178.75 बिलियन अमेरिकी डालर के थे और गत वर्ष की तुलना में 37.5% वृद्धि दर दर्ज की गयी। अप्रैल-मार्च, 2010-11 के दौरान 350.69 बिलियन अमेरिकी डालरों के आयात हुए हैं जबकि पिछले वर्ष में ये 288.37 बिलियन अमेरिकी डालर के थे और 21.6% वृद्धि दर दर्ज की गयी। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 109.62 बिलियन अमेरिकी डालर के घाटे की तुलना में व्यापार घाटा 104.83 बिलियन अमेरिकी डालर रहा।

विदेशी निवेशक व्यक्तियों के निवेशों, बाहरी समर्थन, अल्पकालिक व्यापार जमाएं, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी के अंतर्गत अधिक निवल आगमनों के कारण निवल पूँजी आगमनों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। निवल पूँजी आगमनों में महत्वपूर्ण वृद्धि के होते हुए भी, अप्रैल-दिसंबर, 2009 की तुलना में चालू खाते में व्यापक घाटे के कारण अप्रैल-दिसंबर, 2010 के दौरान प्रारक्षितियों की वृद्धि में सीमांत घाटा हुआ है। अप्रैल-फरवरी 2010-11 के दौरान निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आगमन 25.9 बिलियन अमेरिकी डालर रहे जब कि पिछले वर्ष के इसी समय के दौरान ये 33.8 बिलियन अमेरिकी डालर थे।

1.3. शेयर बाजार

वैश्विक रुख के अनुरूप, भारतीय शेयर बाजार वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान अस्थिर रहा। यूरोप के देशों के ऋण संकट और मध्य प्राच्य तथा उत्तर आफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र में आंदोलन, मुद्रास्फीति, पूँजी में बढ़ती लागत, आदि से संबंधित समस्यायें शेयर बाजार में इस अस्थिरता के प्रमुख कारण हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान बीएसई सेन्सेक्स ने 10.94% और एनएसई निफ्टी ने 11.14% पाइंट कमाये। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान विदेशी निवेशक व्यक्ति निवल खरीददार रहे और म्यूचुअल फंड निवल विक्रेता।

1.4. ऋण बाजार

भारतीय रिजर्व बैंक की नीति दरों में वृद्धि तथा प्रचलित सख्त चलनिधि स्थिति की झलक वर्ष 2010-11 के दौरान लघु एवं मध्यम अवधि सरकारी प्रतिभूतियों हेतु प्रथमिक तथा गौण उपज में वृद्धि की प्रवृत्ति में मिलती है। केन्द्रीय बजट 2011-12 में वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु सरकारी निवल ऋण वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 3.35 ट्रिलियन ऋण की तुलना में तनिक अधिक ₹ 3.43 ट्रिलियन रहा। इसके परिणाम स्वरूप, सबसे अधिक व्यापारित सरकारी 10 वर्षीय बांड में वृद्धि हुई। साथ ही, अवसंरचना क्षेत्र के कार्पोरेटों द्वारा जारी किये गये कार्पोरेट बांड में सुधार हेतु 5 वर्ष से अधिक अवशिष्ट परिपक्वता वाले भारतीय कार्पोरेट बांड में एआईआई निवेश सीमा बढ़कर 25 बिलियन डालर हो गयी।

1.5. विदेशी मुद्रा बाजार

विश्व व्यापी विकास तथा घरेलू बाजार में सख्त चल निधि स्थिति के होते हुए भी, रुपया स्थिर रहा। बढ़ते चालू खाता घाटे तथा पूँजी के आगमन/बहिर्गमन द्वारा यूरो को छोड़ अन्य प्रमुख अंतर राष्ट्रीय मुद्राओं के प्रति रुपये में दो प्रकार से परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2010-11 के दौरान, रुपया 44.03 - 47.58 प्रति अमेरिकी डालर के आस पास रहा।

1.6. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपाय

अर्थ व्यवस्था में बहाली से कदम मिलाते हुए, सरकार शनैः शनैः प्रोत्साहन

पैकेज हटा रही है। इन प्रयासों में सरकार ने कई उत्पादों पर उत्पाद शुल्क पूर्व-संकट स्तर पर ला दिया है तथा पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। इसके समर्थन में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख आर्थिक दरों में वृद्धि की तथा 2009-10 की चतुर्थ तिमाही तथा बाद में वर्ष 2010-11 के दौरान स्थिति पर सख्त दृष्टिकोण अपनाया।

वर्ष 2010-11 हेतु नीति स्थिति तीन प्रमुख बातों द्वारा प्रभावित थी जैसे वसूली प्रक्रिया का समेकन, मुद्रा-स्फीति दबाव में बलाघात तथा अधिक सरकारी ऋण। संक्षेप में आर्थिक नीति का उद्देश्य है (क) मुद्रास्फीति दबाव के और अधिक होने पर प्रभावशाली, सख्त तथा उपयुक्त रूप से उत्तर देने हेतु तैयार रहते हुए मुद्रा स्फीति अपेक्षाओं का स्थिरण। (ख) चल निधि का प्रभावी रूप से प्रबंध करना ताकि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों से ऋण हेतु मांग में प्रगति की गैर-विघटनकारी तरीके से संतुष्टि हो। और (ग) मूल्य, उत्पादन तथा वित्तीय स्थिरता के अनुरूप ब्याज दर व्यवस्था बनाए रखना।

वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित कुछ महत्वपूर्ण नीतिपरक उपाय :

- रेपो दर में 5.00% से 6.75% तक 175 बीपीएस वृद्धि
- प्रति पुनः खरीदी दर में 3.50% to 5.75% 225 बीपीएस वृद्धि
- 5.75% से 6.00% तक नकदी आरक्षित निधि (सीआरआर) में वृद्धि
- 25% से 24% तक एसएलआर में घटौती
- आवास ऋण के संबंध में मूल्य को ऋण की अधिकतम सीमा (एलटीवी) अनुपात निर्धारित की गयी। वह 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एलटीवी अनुपात के रहते हुए, ₹ 75 लाख और अधिक आवासीय घरेलू ऋणों के लिए जोखिम भार 125% तक बढ़ाया गया।
- वाणिज्यिक बैंकों के टीजर ऋणों के लिए मानक आस्ति प्रावधान आवश्यकता 2% कर दी गयी।
- सत्व/अनुषंगी प्रदत्त पूँजी में किया गया संपूर्ण निवेश, यदि ऐसा निवेश सत्व/अनुषंगी के 20% प्रदत्त पूँजी से अधिक है, तो उसका 50% टीयर-I और 50% टीयर-II विभाजन करना है, जब इनका समेकन बैंक के पूँजी प्रयोजनों हेतु नहीं किया जाता।

1.6.1 बैंकों के संबंध में केन्द्रीय बजट 2011-12 में घोषित उपाय

- वर्ष 2011-12 के दौरान कृषि क्षेत्र के ऋण में 26.67% वृद्धि याने वर्ष 2010-11 के ₹ 3,75,000 करोड़ से ₹ 4,75,000 करोड़।
- जो किसान अपने फसल ऋणों का समय पर भुगतान करते हैं, उन्हें अल्पकालिक सावधि ऋण हेतु दिये जाने वाले कृषि ऋणों में सरकारी ब्याज अनुदान 2% से 3% तक बढ़ाया गया।
- सभी 73,000 जनावासों में, जहाँ 2000 से अधिक आबादी है, बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का कार्य वर्ष 2011-12 के दौरान पूरा किया जाना है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ₹ 500 करोड़ पुनः पूँजीकरण
- बैंकों को टीयर-I पूँजी बनाये रखने के लिए ₹ 6000 करोड़ का आबंटन
- ₹ 15 लाख तक के आवास ऋण (जहाँ मकान की लागत ₹ 25 लाख से अधिक न हो), के लिए 1% ब्याज अनुदान।
- बैंकों द्वारा ₹ 25 लाख तक मंजूर किये गये आवास ऋण (वर्तमान ₹ 20 लाख तक) प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी में लाये गये हैं।
- निजी क्षेत्र के उद्यमियों को बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में उपयुक्त सांविधिक संशोधन प्रस्तावित किये गये।



1.2 Balance of Payment (BOP) and External Sector

Balance of Payment developments during 2010-11 indicate that Current Account Deficit that amounted to 3.7 percent of GDP in H1 of 2010-11, moderated to 2.1 percent of GDP in Q3 primarily reflecting pick up in exports. With the trend gaining in Q4, the Current Account Deficit (CAD) for the full year is estimated to be 2.5 per cent of GDP for FY 10-11.

Exports during the period April-March 2010 -11 was US \$ 245.87 billion as against US \$ 178.75 billion registering a growth of 37.5 per cent over the same period last year. Imports for the period April-March, 2010-11 was US \$ 350.69 billion as against US \$ 288.37 billion registering a growth of 21.6 per cent over the same period last year. The trade deficit stood lower at US \$104.83 billion compared to deficit of US\$ 109.62 billion during FY 2009-10.

Net capital inflows increased significantly driven by higher net inflows under FII investments, external assistance, short-term trade credits, ECBs and banking capital. Although net capital inflows increased significantly, accretion to reserves during April-December 2010 was marginally lower mainly due to widening of the current account deficit over April-December 2009. The net FDI inflow during April-February 2010-11 moderated to US \$ 25.9 billion compared to US \$ 33.8 billion during the corresponding period of previous year.

1.3. Equity Market

In line with the global trend, the Indian equity market remained volatile during FY2010-11. Concerns relating to debt crisis in European countries and disturbance in Middle East and Northern Africa (MENA) region, inflation worries, rising cost of capital have contributed to the volatility in equity market. BSE Sensex gained 10.94% and NSE Nifty gained 11.14% during 2010-11. FIIs were net buyers and Mutual Funds were net sellers in FY 2010-11.

1.4. Debt Market

The prevalence of tight liquidity conditions and hikes in the Reserve Bank's policy rates were reflected in an upward movement in primary as well as secondary yields for short and medium-term GSecs during 2010-11. In Union Budget 2011-12, the government net borrowing for FY 2011-12 is pegged at ₹ 3.43 trillion marginally higher compared to net borrowing of ₹ 3.35 trillion during 2010-11. Consequent to this, most traded government 10 year bond paper rose. Also, in order to improve depth in bond market, FII investment limit in bonds issued by Corporates in the Infrastructure Sector having residual maturity of more than 5 years has been increased to \$ 25 billion.

1.5. Foreign Exchange Market

The rupee has stayed orderly, notwithstanding the global developments and tight liquidity condition in the domestic market. Rupee has moved two ways against major international currencies except Euro, driven by capital inflows/outflows. During 2010-11, rupee hovered around 44.03-47.58 per US \$.

1.6. Measures announced by RBI

Keeping in pace with the recovery of economy, the Government is gradually withdrawing the stimulus packages. As part of this endeavour, Government restored excise duties on several products to the pre-crisis levels and increased

excise duty on petrol and diesel. This was supplemented by the RBI increasing the key monetary rates and continuing the tightening stance throughout the fourth quarter of 2009-10 and subsequently during 2010-'11.

The policy stance for 2010-11 was guided by three major consideration viz., Consolidation of the recovery process, accentuating inflationary pressures and higher Government borrowings. In short, the stance of the monetary policy is intended to a) Anchor inflationary expectations while being prepared to respond appropriately, swiftly and effectively in case of further build-up of inflationary pressures. b) Actively manage liquidity to ensure that the growth in demand for credit from both the private and public sectors is satisfied in a non-disruptive way and c) Maintain an interest rate regime consistent with price, output and financial stability.

Some of the major policy measures announced by RBI during 2010-11:

- Repo rate increased by 175 bps from 5.00% to 6.75%
- Reverse Repo Rate increased by 225 bps from 3.50% to 5.75%
- CRR increased from 5.75% to 6.00%
- SLR reduced from 25% to 24%.
- The ceiling on Loan to Value Ratio (LTV) in respect of Housing loan was fixed not to exceed 80%
- The risk weight for residential Housing loans of ₹ 75 lakhs and above irrespective of LTV ratio was raised to 125%
- The Standard Assets Provisioning requirement in case of commercial Banks for Teaser Loans was fixed at 2%.
- The entire investments in the paid up equity of entity / subsidiary, where such investment exceeds 20% of the paid up equity of the entity / subsidiary shall be deducted at 50% in Tier-I and 50% in Tier-II capital, when these are not consolidated for capital purposes with the Bank.

1.6.1 Measures announced in Union Budget 2011-'12 pertaining to Banks

- The flow of credit to Agricultural sector to increase from ₹ 3,75,000 crore during 2010-'11 to ₹ 4,75,000 core during 2011-'12, an increase of 26.67%.
- Interest Subvention on Agricultural loans increased from 2% to 3% for providing short term crop loans to farmers who repay their crop loans in time.
- Providing Banking facilities to all the 73,000 habitations having population of over 2000 to be completed during 2011-'12.
- ₹ 500 Crore for recapitulation of Regional Rural Banks(RRBs)
- Allocation of ₹ 6,000 crore for maintaining Tier-I capital of Banks
- Housing loans upto ₹ 15 lacs (where the cost of the house does not exceed ₹ 25 lakhs) to get interest subvention of 1%.
- Housing loans sanctioned by Banks up to ₹ 25 lakhs(as against existing ₹ 20 lakhs) fall under 'Priority Sector' category.
- Suitable legislative amendments in BR Act proposed for additional Banking licenses to Private sector Players.

1.7 बैंकिंग उद्योग में प्रवृत्तियाँ :

वर्ष 2011-12 के अधिकांश समय के दौरान अग्रिमों में निरंतर वृद्धि दर्ज हुई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किये गये बैंक ऋणों में वृद्धि वर्ष 2009-10 के 16.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 के 25 मार्च को 21.4 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष के आधार पर 2010-11 में खद्येतर ऋण में वृद्धि 21.2 प्रतिशत रही जब कि पिछले वर्ष में यह 17.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2010-11 के दौरान सकल जमाराशियों में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम रही। जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान वर्षानुगत वर्ष सकल जमाराशियों में 15.8 वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2009-10 के दौरान यह 17.2 प्रतिशत रही। वर्ष 2010-11 के दौरान ऋण में 21.4 अधिक विस्तार और अग्रिमों में 15.8 अपेक्षा से कम विस्तरण के परिणाम स्वरूप ऋण जमा अनुपात 26 मार्च के 72.2 प्रतिशत से 25 मार्च, 2011 को 75.68 तक बढ़ गया। बैंकों ने अपनी निधि आवश्यकताओं के लिए प्रधानतया सीडी मार्केट पर निर्भर किया।

वर्ष 2010-11 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की घरेलू जमा दरें बढ़ गयीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान रेपो दर में 175 आधार बिंदु (बीपीएस) बढ़ाये और प्रति पुनः खरीदी दर में 225 बीपीएस बढ़ाये। परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक बैंकों ने विभिन्न परिपक्वता अवधियों की अपनी जमा दर और अग्रिम दरों में 25-500 बीपीएस श्रेणी में वृद्धि की। एससीबी के बीपीएलआर 2010 के जून के अंत तक अपरिवर्तित रहे। 1 जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली ने बीपीएलआर प्रणाली का स्थान ग्रहण किया। जमा दरों में बढोत्तरी के कारण आलोच्य वर्ष में बैंकों ने आधार दर और बीपीएलआर दरों को बढ़ाया।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के 18.7% की तुलना में एसएलआर प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेशों में भी वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान अपेक्षाकृत कम याने 8.3% रहा। एसएलआर आवश्यकताओं में घटौती और बैंकिंग तंत्र से निधियों की मांग में वृद्धि के कारण, वर्ष 2009-10 के 19.3 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) की तुलना में सरकारी प्रतिभूतियों में केवल 8.5% वृद्धि दर्ज हुई।

2 बैंक के कार्यनिष्पादन की विशेषताएं

2.1 व्यवसाय

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आन्ध्र बैंक का व्यवसाय पिछले वित्तीय वर्ष (2009-10) के ₹ 1,34,194 करोड से 31.03.2011 को ₹1,64,310 करोड तक बढ़ गया है जो वार्षिक वृद्धि दर 22.44% है।

2.2 जमाएँ

₹14,468 करोड की संपूर्ण वृद्धि दर्शाते हुए 31 मार्च 2011 को बैंक की कुल जमाएँ ₹ 92,156 करोड हो गयी हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 18.62 % वृद्धि दर्ज की गयी। कुल जमाओं में कम लागत जमाओं (चालू एवं बचत) का शेयर 29.06% रहा है।

- चालू जमाएँ 31.03.2010 को ₹ 6,746 करोड से 31.03.2011 को ₹ 7,160 करोड तक बढ़ गयी हैं जो 6.14% की वृद्धि है।
- बचत बैंक जमाएँ वित्तीय वर्ष 2010 में 16,118 करोड से वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 19,619 करोड तक बढ़ गयी है जो 21.72% की वृद्धि है।
- सावधि जमाएँ 31.03.2010 को ₹ 54,824 करोड से ₹ 65,377 करोड तक बढ़ गयी जो 19.25% की वृद्धि है।

2.3 अग्रिम

सकल बैंक ऋण 27.69% बढ़ गया जो 31.03.2010 को 56,505 करोड से 31.03.2011 को ₹ 72,154 करोड हो गया।

कृषि क्षेत्र को ऋण 13.04% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2010 को 9,173 करोड से 31.03.2011 को ₹ 10,369 करोड हो गया।

माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण 34.04% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2010 को 8,285 करोड से 31.03.2011 को ₹ 11,105 करोड हो गया।

2.4 लाभप्रदता

परिचालन लाभ 33.33% की वृद्धि दर अभिलेखित करते हुए पिछले वर्ष के 1,810 करोड की तुलना में ₹ 2413 करोड रहा।

निवल लाभ 21.15% वृद्धि दर्ज करते हुए 2009-10 के दौरान ₹ 1,046 करोड से 2010-11 के दौरान ₹ 1,267 करोड तक बढ़ गया है।

निवल ब्याज आय पिछले वर्ष के दौरान ₹ 2,195 करोड की तुलना में ₹ 3,221 करोड तक बढ़ गया है जो 46.76% वृद्धि है।

2.5 आस्ति गुणवत्ता

सकल अग्रिम अनुपात को सकल अनर्जक आस्तियाँ 1.38% रहीं एवं परिमाणवार सकल अनर्जक आस्तियाँ मार्च 2011 के अंत को ₹ 995.64 करोड थीं। निवल अग्रिमों को प्रतिशत के रूप में निवल अनर्जक आस्तियाँ 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 0.38% रहे।

2.6 पूँजी पर्याप्तता

बैंक के पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर- बैसल II) 13.93% (31.03.2010 को) से 31.03.2011 को 14.38% है।

3. व्यवसाय समीक्षा

बैंक का कुल व्यवसाय (जमाएँ प्लस सकल बैंक ऋण) 22.44% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2010 को ₹ 1,34,194 करोड से 31.03.2011 को ₹ 1,64,310 करोड तक बढ़ गया है।

3.1 कुल जमाएँ

कुल जमाएँ (अंतर्बैंक जमाओं को छोड़कर) 18.88% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2010 को ₹ 77,356 करोड से 31.03.2011 को ₹ 91,962 करोड तक बढ़ गयी है। कुल जमाओं में चालू जमाएँ ₹ 7,075 करोड, बचत जमाएँ ₹ 19,619 करोड एवं मीयादी जमाएँ ₹ 65,268 करोड शामिल हैं।

सारणी 5 : कुल जमाओं का श्रेणी वार श्रेणीकरण

(₹ करोड में, प्रतिशत को छोड़कर)

क्र.सं.	जमाओं का प्रकार	राशि	कुल जमाओं का प्रतिशत
1	चालू जमाएँ	7075	7.69
2	बचत बैंक जमाएँ	19619	21.33
3	मीयादी जमाएँ	65268	70.98
4	कुल (1+2+3)	91962	100.00

पिछले वर्ष से वृद्धि का दर (%) 18.88



1.7 Trends in Banking Industry:

Advances of banks have shown a continuous increasing trend mostly during the financial year 2010-11. Growth in bank credit extended by scheduled commercial banks (SCBs) stood at 21.4 per cent as on 25th March 2011 as compared to 16.9 per cent for the corresponding period in 2009-10. Growth in non-food credit in 2010-11 on financial-year basis is at 21.2 per cent as compared to 17.1 per cent in the previous year. Growth in aggregate deposits in 2010-11 has been lower than for the corresponding period of the previous year. While the year on year growth in aggregate deposits was 15.8 percent during 2010-11, it was 17.2 percent during 2009-10. The high expansion in credit at 21.4 percent relative to lower growth in deposits at 15.8 percent during 2010-11 has resulted in increase in the credit- deposit ratio from 72.2 per cent as on 26th March '10 to 75.68 per cent as on 25th March '11. Banks resorted heavily on CD market to meet their funds requirement.

Domestic deposit rates of SCBs have moved up during 2010-11. Following the RBI's raising of the repo and reverse repo rates by 175 basis points (bps) and 225 bps respectively during FY 10-11, the SCBs increased their deposit rates by 25-500 bps. The BPLR of SCBs remained unchanged till end-June 2010. The base rate system replaced the BPLR system with effect from 1 July 2010. Increase in deposit rates by the banks resulted in increase in base rate and BPLR by the banks during the year.

Growth in scheduled commercial banks' (SCBs) investments in SLR securities also grew at a lower rate of about 8.3 per cent for the FY 2010-11 compared to 18.7% during FY 2009-10. Consequent to lower SLR requirements and increased demand for funds from the banking system, total investment by SCBs in government securities increased by only 8.5 percent compared to increase of 19.3 percent (y-o-y) in 2009-10.

2 Performance Highlights of the Bank

2.1 Business

During the financial year 2010-11, Andhra Bank's Business increased to ₹ 1,64,310 Crore as on 31.3.2011 from ₹ 1,34,194 crore in the previous financial year (2009-10), recording an annual growth rate of 22.44 %.

2.2 Deposits

Bank's total deposits amounted to ₹ 92,156 crore as on March 31, 2011, showing an absolute accretion of ₹ 14,468 crore and a growth of 18.62 % over previous year. The share of low cost deposits (current and savings) in total deposits stood at 29.06 percent

- Current deposits increased from ₹ 6,746 crore as on 31.3.2010 to ₹ 7160 crore as on 31.3.2011, which is an increase of 6.14 %.
- Savings Bank deposits increased to ₹ 19,619 crore in FY 2010-'11 from ₹ 16,118 crore in FY10, with a growth of 21.72 %.
- Term deposits increased from ₹ 54,824 crore as on 31.3.2010 to ₹ 65,377 Crore, registering an increase of 19.25%.

2.3 Advances

Gross Bank Credit increased by 27.69 % from ₹ 56,505 Crore as on 31.3.2010 to ₹ 72,154 crore as on 31.3.2011.

Credit to agriculture sector registered an increase of 13.04 % from ₹ 9,173 Crore as on 31.3.2010 to ₹ 10,369 crore as on 31.3.2011.

Credit to Micro, Small and Medium Enterprises registered an increase of 34.04 % from ₹ 8,285 Crore as on 31.3.2010 to ₹ 11,105 crore as on 31.03.2011.

2.4 Profitability

Operating Profit increased to ₹ 2,413 crore compared to ₹ 1,810 crore in the previous year, recording a growth rate of 33.33 %.

Net Profit improved from Rs.1,046 Crore during 2009-10 to ₹ 1,267 crore during 2010 -11, registering a growth of 21.15%

Net Interest Income improved to ₹ 3,221 crore, compared to ₹ 2,195 Crore during the previous year, an increase of 46.76%.

2.5 Asset Quality

Gross NPAs to gross advances ratio stood at 1.38% and quantum wise, Gross NPAs were ₹ 995.64 crore as at the end of Mar'11. The Net NPAs as a percentage to Net Advances stood at 0.38% as on 31.3.2011.

2.6 Capital Adequacy

Capital Adequacy Ratio of the Bank (CRAR- Basel II) stood at 14.38% as on 31.3.'11, compared to 13.93% as on 31.3.'10.

3. BUSINESS REVIEW

The Total Business (Total Deposits plus Gross Bank Credit) of the Bank registered a growth of 22.44% from ₹ 1,34,194 Crore as on 31.3.2010 to ₹ 1,64,310 crore as on 31.3.2011.

3.1. Aggregate Deposits

Aggregate Deposits (excluding inter bank deposits) registered a growth of 18.88% from ₹ 77,356 crore as on 31.3.2010 to ₹ 91,962 crore as on 31.3.2011. Aggregate deposits included Current deposits of ₹ 7,075 crore, Savings deposits of ₹ 19,619 crore and Term deposits of ₹ 65,268 crore.

Table 5: Category-wise classification of Aggregate Deposits

(₹ in crore, except for percentages)			
Sl. No.	Type of Deposits	Amount	Percentage of Aggregate deposits
1	Current Deposits	7075	7.69
2	Savings Bank Deposits	19619	21.33
3	Term Deposits	65268	70.98
4	TOTAL (1+2+3)	91962	100.00
	Growth rate over previous year (%)	18.88	

31.03.2011 को कुल जमाओं (अंतर्बैंक जमाओं को घटाकर कुल जमाएँ) का एरिया बार वितरण निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 6 : कुल जमाओं का क्षेत्रवार श्रेणीकरण

(₹ करोड़ में, प्रतिशत को छोड़कर)

क्र.सं.	शाखाओं की श्रेणी	राशि	कुल को %
1	ग्रामीण	5610 (10.69%)	6.10
2	अर्धशहरी	13922 (8.79%)	15.14
3	शहरी	23226 (25.65%)	25.26
4	मेट्रो	49204 (19.99%)	53.50
5	कुल (1+2+3+4)	91962 (18.88%)	100.00

नोट : () में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष से वार्षिक वृद्धि दर सूचित करते हैं।

3.2 सकल बैंक ऋण

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने सकल बैंक ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 27.69% की बेहतरीन वृद्धि दर्ज की है। संपूर्ण रूप में बैंक का सकल बैंक ऋण मार्च 2010 के अंत को ₹ 56,505 करोड़ की तुलना में मार्च 2011 के अंत को ₹ 72,154 करोड़ रहा है। सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि दर्ज की गयी।

सारणी 7 : अग्रिम पोर्टफोलियो का श्रेणीकरण

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2010	31.03.2011	भिन्नता
1. खाद्य ऋण	948.44	1222.28	273.84
2. गैर खाद्य ऋण (2.1 से 2.4)			
2.1 कृषि क्षेत्र को अग्रिम (आरआईडीएफ को छोड़कर)	9057.02	10369.15	1312.13
2.2 एमएसएमई क्षेत्र को अग्रिम	8284.75	11104.77	2820.02
2.3 बृहत उद्योग	21680.70	31309.91	9629.21
2.4 अन्य अग्रिम	16534.45	18148.34	1613.89
सकल बैंक ऋण (1+2)	56505.36	72154.45	15649.09
जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार	19011.97	23082.42	4070.45

3.2.1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार

बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार 31.03.2010 को ₹ 19,012 करोड़ से 31.03.2011 को ₹ 23,082 करोड़ तक बढ़ गया है। यानी वार्षिक वृद्धि 21.41% है। समायोजित निवल बैंक ऋण (भारि बैंक द्वारा जैसा परिभाषित) को प्रतिशत के रूप में बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम 40.65% रहा। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% भारि बैंक के मानदंड से अधिक है। यह राशि समग्र निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) की 7.74% है, जब कि भारतीय रिजर्व

बैंक का निर्धारित लक्ष्य 5% है। इसमें से महिलाओं का शेयर ₹ 4,394 करोड़ है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत अजा/अजजा लाभार्थियों को दिये गये कुल ऋण ₹ 1104 करोड़ रहा।

सारणी 8 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (31.03.2011 को)

(₹ करोड़ में, प्रतिशत को छोड़कर)

श्रेणी	2010 -11
1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (2 से 6)	23082.42
2 कृषि ऋण	10369.15
3. माइक्रो एवं लघु उद्यम	7111.66
4. माइक्रो ऋण	278.29
5. शैक्षिक ऋण	1621.66
6. आवास ऋण (प्रत्यक्ष वित्त को मिलाकर)	3701.66
अनुपात	
I. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम - एएनबीसी का (%)	40.65
II. कृषि अग्रिम - एएनबीसी का (%)	18.26

3.2.1.1 कृषि को ऋण

उधार कार्य में कृषि को बैंक महत्वपूर्ण स्थान देता रहा है। कृषि क्षेत्र को अग्रिम 31.03.2010 के ₹ 9,173.05 करोड़ से 31.03.2011 को ₹ 10,369.15 करोड़ रहा। कृषि को उधार समायोजित निवल बैंक ऋण (भारि बैंक मानदंड 18%) 2010-11 के दौरान 18.26% रहा।

3.2.1.2. कृषि में नयी पहल

- वर्ष 2010-11 के दौरान 75730 नये किसानों को ₹ 419.02 बैंक ऋण के साथ कवर किया गया।
- कृषि ऋण छूट एवं ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से 78450 किसानों को ₹ 151.80 करोड़ की ऋण में 25% राहत प्रदान की।
- बैंक ने नयी किसान मित्रवत योजना, **एबी किसान प्रगति** आरंभ की। इसके अंतर्गत, नियमित उत्पाद ऋण के अलावा, अधिकतम ₹ 10,000 तक झंझट रहित ऋण किसानों को प्रदान किया जाता है, जो उनकी छोटी छोटी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है, जिनका निर्धारण करना कठिन है।
- आन्ध्र प्रदेश के किसानों के ज्ञानवर्धन के लिए बैंक द्विमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है, जिसका नाम है **किसान विज्ञान वेदिका** यह पत्रिका कृषि क्षेत्र में हो रहे नवोन्मेषी और निरूपित प्रगामी व्यवहारों को, जैसे कि सेंद्रिय खेतीबाड़ी, लघु सिंचाई, डेरी पालन, मत्स्यपालन, सौर ऊर्जा का विनियोजन, एसएचजी के कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण आदि शामिल हैं।

3.2.1.3 स्वयं सहायक समूह (एसएचजी) को उधार

बैंक ने स्वयं सहायक समूहों के गठन एवं ऋण लिंकेज के जरिए माइक्रो वित्त बढ़ाने का अपना प्रयास जारी रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए एवं ग्रामीण गरीबों तक पहुँचने के लिए एसएचजी के लिंकेज को एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में लिया गया है एवं बैंक एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग ले रहा है। 2010-11 के दौरान बैंक ने 2.43 लाख समूहों को कवर किया है एवं ₹ 2,471 करोड़ तक वित्तीय सहायता दी है।



Area-wise distribution of aggregate deposits (total deposits less inter-bank deposits) as on 31.03.2011 is set forth in the following Table.

Table 6: Area-wise classification of Aggregate Deposits
(₹ in crore, except for percentages)

Sl. No.	Category of branches	Amount	% in Aggregate deposits
1	Rural	5610 (10.69%)	6.10
2	Semi-Urban	13922 (8.79%)	15.14
3	Urban	23226 (25.65%)	25.26
4	Metro	49204 (19.99%)	53.50
5	TOTAL (1+2+3+4)	91962 (18.88%)	100.00

Note: Figures in () indicate annual growth rate over the previous year

3.2 Gross Bank Credit

During the year ended March 2011, Bank registered a robust y-o-y growth of 27.69% in Gross Bank Credit. In absolute terms, Bank's Gross Bank Credit stood at ₹ 72,154 Crore at the end of March 2011, as compared to Rs. 56,505 crore as at the end of March 2010. The credit growth was distributed across all sectors.

Table : 7 Classification of Advances Portfolio

Category	31.03.2010	31.03.2011	Variance
1. Food Credit	948.44	1222.28	273.84
2 Non-Food Credit (2.1 to 2.4)			
2.1 Advances to Agricultural Sector (Excluding RIDF)	9057.02	10369.15	1312.13
2.2 Advances to MSME sector	8284.75	11104.77	2820.02
2.3 Large industries	21680.70	31309.91	9629.21
2.4 Other Advances	16534.45	18148.34	1613.89
GROSS BANK CREDIT (1+2)	56505.36	72154.45	15649.09
Of which, Lending to Priority sector	19011.97	23082.42	4070.45

3.2.1 Priority Sector Lending

The Bank's priority sector lending increased to ₹ 23,082 crore as on 31.3.2011 from ₹ 19,012 crore as on 31.3.2010, i.e., an annual increase of 21.41%. As a percentage to Adjusted Net Bank Credit, priority sector advances of the Bank stood at 40.65%. This is well above the RBI's norm for priority sector advances of 40% of Adjusted Net Bank Credit. Of this, the advances to women borrowers stood at ₹ 4,394 crore. This amount constitutes 7.74% of ANBC against RBI norm of 5%. Total credit extended to SC/ST beneficiaries under priority

sector advances stood at ₹ 1,104 crore.

Table : 8 Priority sector lending (as on 31.3.2011)

(₹ in Crore, except percentages)

Category	2010 -11
1. Priority sector advances (2 to 6)	23082.42
2. Agriculture loans	10369.15
3. Micro and Small enterprises	7111.66
4. Micro credit	278.29
5. Educational Loans	1621.66
6. Housing Loans (including indirect finance)	3701.66
Ratios:	
I. Priority sector advances as % to ANBC	40.65
II. Agriculture advances as % to ANBC	18.26

3.2.1.1 Credit to Agriculture

The Bank has always been treating Agriculture as a thrust area in lending activity. The lending to agriculture sector increased from ₹ 9,173.05 crore as on 31.3.2010 to ₹ 10,369.15 crore as 31 March 2011. Lending to agriculture constituted 18.26 % of Adjusted Net Bank Credit (RBI norm:18%) during 2010-11.

3.2.1.2. New initiatives in Agriculture

- Covered 75,730 new farmers during the financial year 2010-11 with bank credit of ₹ 419.02 crore
- Provided 25% Debt Relief of ₹ 151.80 crore to 78,450 farmers as benefit from Government of India under the Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2008.
- The Bank has formulated a new farmer friendly scheme, namely, 'AB Kisan Pragathi' which provides, in addition to regular production credit, hassle free credit up to a maximum of ₹ 10,000 to the farmer in the areas where it is difficult to assess the small credit requirement for various purposes of miscellaneous nature.
- To enrich the knowledge levels of farmers in Andhra Pradesh, the Bank is coming out with bimonthly magazine, namely, 'Kisan Vignan Vedika' which provides information on innovative and established improved practices of agriculture such as organic farming, minor irrigation, dairy farming, pisciculture, utilization of solar energy, programmes on SHGs and women empowerment etc.,

3.2.1.3 Lending to Self Help Groups (SHGs)

Bank continued its efforts to promote Micro Finance through formation and credit linkage of Self Help Groups. Linkage of SHGs has been seen as a key activity for the economic development of the rural areas and for reaching out to the rural poor and the Bank has been actively participating in SHG-bank linkage programme. During 2010-11, Bank has covered 2.43 lakh groups and provided financial assistance to the extent of ₹ 2,471 crore.

3.2.2 माइक्रो एवं छोटे उद्यमियों को उधार (एमएसई)

हमारे बैंक के लिए माइक्रो एवं छोटे उद्यम एक दबाव का क्षेत्र है। माइक्रो एवं छोटे उद्यमों को ऋण 42.07% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 5006 करोड़ की तुलना में मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 7,112 करोड़ रहा है। मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए छोटे उद्यमों को ऋण ₹ 3,776 करोड़ रहा जबकि माइक्रो उद्यमों को ऋण ₹ 3,336 करोड़ रहा है।

भारि बैंक ने अपने मौद्रिक नीति के वार्षिक विवरण में यह विनिर्दिष्ट किया कि माइक्रो एवं छोटे उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रतिवर्ष 20% बढ़ाना है। वित्तीय वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में 42.07% की वृद्धि भारि बैंक मानदंडों से अधिक है।

3.2.3 कमजोर वर्ग को ऋण

कमजोर वर्ग के अंतर्गत उधारकर्ताओं को उधार 16.86% बढ़ा है जो 31.03.2010 को ₹ 5,990 करोड़ से 31.03.2011 को ₹ 7,000 करोड़ हो गया है। अब, कमजोर वर्ग को ऋण समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 12.33% है जब कि भारतीय रिजर्व बैंक का निर्धारित मानदंड 10% है। कमजोर वर्ग के अंतर्गत लाभार्थियों में अज/अजजा उधारकर्ता, महिला उधारकर्ता, छोटे एवं सीमांत किसान, एसएचजी आदि शामिल हैं।

3.2.4 अल्पसंख्यकों को ऋण

मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अल्पसंख्यकों को ऋण ₹ 2,610 करोड़ रहा जो कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 11.31% है।

3.2.5 अज/अजजा उधारकर्ताओं को ऋण

मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत अज/अजजा उधारकर्ताओं को दिया गया ऋण 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1,003 करोड़ की तुलना में ₹ 1,104 करोड़ रहा है जो 10.06% की वृद्धि है। अज/अजजा उधारकर्ताओं को दिये गये ऋण में मांग को वसूली 31.03.2011 को 35.78% है।

3.3 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

भारतीय अर्थ व्यवस्था के विकास में एमएसएमई क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बैंक कई सालों से इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में अधिक प्राथमिकता दे रहा है।

मार्च, 2010 के अंत में एमएसएमई अग्रिम ₹ 8,285 करोड़ थे जब कि मार्च 2011 के अंत को ये 34.04% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹ 11,105 तक बढ़ गये।

एमएसएमई क्षेत्र में महिला हितार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ब्याज दर में 0.50% छूट दे रहा है। बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ताओं की शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए प्रधान कार्यालय एवं सभी आंचलिक कार्यालयों में एमएसएमई केयर सेल भी स्थापित किये गये हैं। बैंक एमएसएमई क्षेत्र को उधार के संबंध में भारतीय बैंकिंग कूट एवं मनक बोर्ड की प्रतिबद्धता कूट का भी पालन कर रहा है।

माइक्रो और लघु उद्यमियों को रु.1 करोड़ तक की ऋण सुविधा के लिए बैंक ने चेक लिस्ट के साथ सरलीकृत आवेदन पत्र शुरू किया है।

3.4 खुदरा उधार

व्यवसाय बढ़ाने, ऋण जोखिम का विस्तार एवं उच्च उपार्जन अग्रिमों पर ध्यान फोकस डालने के लिए बैंक के पास एक सख्त खुदरा मॉडल है। बैंक का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो 31.03.2010 के ₹ 8,904 करोड़ की

तुलना में 31.03.2011 को ₹ 10,479 करोड़ रहा है और 17.69% वर्षानुवर्ष वृद्धि दर दर्ज की। खुदरा ऋण सकल बैंक ऋण का 14.52% है। खुदरा ऋणों में वृद्धि का मुख्य कारण आवास ऋण हैं। आवास ऋण (प्रत्यक्ष) 2009-10 वित्तीय वर्ष में रु.3480 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,479 करोड़ हो गया है जो 28.71% की वृद्धि है। स्वर्ण ऋण पिछले वर्ष के ₹ 1,382 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,544 करोड़ रहे और 11.72% वृद्धि दर्ज की।

3.5 अग्रिम - उद्योगवार एक्सपोजर

विभिन्न क्षेत्रों, जैसे, पावर, निर्माण एवं संविदाकार, लोहा एवं इस्पात, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास ऋण, एनबीएसी, टेक्स्टाइल्स आदि को बैंक का प्रमुख ऋण एक्सपोजर है। शीर्ष 10 उद्योगों को संभागों सकल बैंक ऋण का 69.40% है जो विविध ऋण को सूचित करता है।

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या	उद्योग	पिछली तिमाही के कुल अग्रिमों के % के रूप में सीमाएं	31.03.2011 को वास्तविक निधि आधारित एक्सपोजर	पिछली तिमाही यानी 31.12.2010 के कुल अग्रिमों के % के रूप में एक्सपोजर
1	पावर	25.00	15494.44	23.62
2	निर्माण एवं संविदाकार	10.00	6435.09	9.81
3	लोहा एवं इस्पात	15.00	5485.99	8.36
4	आवास ऋण	10.00	5200.90	7.93
5	एनबीएफसी	10.00	5045.13	7.69
6	टेक्स्टाइल्स	7.00	3527.12	5.38
7	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	9.00	3522.32	5.37
8	पेट्रोलियम उत्पाद	5.00	2276.08	3.47
9	राइस मिल्स	6.00	1639.20	2.50
10	जिनीयरिंग (हेवी एवं लाइट)	5.00	1446.29	2.21
	कुल		50072.56	

3.6 सकल बैंक ऋण की क्षेत्रवार स्थिति

31.03.2011 को जनसंख्या समूहवार ऋणों का वितरण निम्न प्रकार था
सारणी 11 : सकल बैंक ऋण - 31.03.2011 को जनसंख्या समूहवार

क्र.सं.	श्रेणी	राशि	कुल को %
1	ग्रामीण	7319 (16.38)	10.14
2	अर्धशहरी	9903 (21.32)	13.72
3	शहरी	15618 (27.24)	21.65
4	मेट्रो	39314 (32.02)	54.49
5	कुल	72154 (27.69)	100.00

नोट : () में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष से वार्षिक वृद्धि दर सूचित करते हैं।



3.2.2 Lending to Micro & Small Enterprises (MSE)

Micro and Small Enterprises in MSME Sector is given much importance in lending activity of the Bank. Lending to Micro and Small Enterprises stood at ₹ 7,112 crore for the year ended March 2011 as against ₹ 5,006 crore for the year ended March 2010, registering a year-on-year growth of 42.07 %. Out of total lending of ₹ 7,112 crore to MSE Sector, credit to Small enterprises stood at ₹ 3,776 crore, while credit to Micro enterprises stood at ₹ 3,336 crore.

In the Annual Statement of Monetary Policy announced in April 2010, RBI had stipulated that credit to Micro and Small Enterprises segment should grow at 20% per annum. The growth in this sector during the financial year 2010-11 at 42.07 % is well above the RBI norm.

3.2.3 Credit to Weaker Sections

The lending to borrowers under "Weaker Sections" increased by 16.86 % to ₹ 7,000 crore as 31.03.2011 from ₹ 5,990 Crore as on 31.03.2010. Loans and Advances to weaker sections constituted 12.33% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the RBI stipulated norm of 10%. Beneficiaries under weaker sections include Small & Marginal Farmers, SC/ST borrowers, SHG borrowers, beneficiaries under DRI, SGSY, SJSRY etc.,

3.2.4 Credit to Minorities

For the financial year ended March'11, credit to Minorities stood at ₹ 2,610 crore, which constituted 11.31 % of total priority sector advances.

3.2.5 Credit to SC/ST Borrowers

For the financial year ended March 2011, total credit extended to SC/ST borrowers under priority sector advances stood at ₹ 1,104 crore, compared to ₹ 1,003 crore for the year ended 31.03.2010, an increase of 10.06 %. The recovery to demand in the credit extended to SC/ST borrowers stood at 35.78% as on 31.3.2011.

3.3 Credit to MSME Sector

MSME Sector is playing a crucial role in the economic development of our country. The Bank has been according high priority in lending to this sector since a long time.

The MSME advances which were at ₹ 8,285 Crore as at the end of March 2010 rose to ₹ 11,105 crore registering a y-o-y growth of 34.04%.

In order to encourage the women borrowers in MSME sector, Bank is extending a concession of 0.50% in the interest rate. Bank has also set up MSME care cells at Head Office and at all Zonal Offices to facilitate MSME borrowers for quick redressal of their grievances.

Bank is also adhering to the code of commitment of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) regarding lending to MSME sector.

The Bank has introduced simplified loan application forms along with check lists for loan facilities up to ₹ 1 Crore for Micro and Small Enterprise borrowers.

3.4 Retail Lending

Bank has a robust retail model to augment business, spread the credit risk and to have focused attention on high yielding

advances. Retail credit portfolio of the Bank increased to ₹ 10,479 crore as on 31.3.'11 compared to ₹ 8,904 Crore as on 31.3.'10., registering a y-o-y growth of 17.69%. The Retail credit constitutes 14.52% of the Gross Bank Credit.

The credit in retail credit was mainly driven by Housing loans. Housing loans (direct) improved from ₹ 3,480 crore in 2009-10, to ₹ 4,479 crore during 2010-11, an increase of 28.71%. The Non-Agricultural Gold Loans recorded a growth of 11.72% and increased from ₹ 1,382 crore in the previous year to ₹ 1,544 crore as on 31.3.'11.

3.5 Advances- Industry-wise Exposure

Bank's major loan exposure is to various sectors like, power, construction and contractors, housing loans, iron & steel, NBFC, Commercial Real Estate, Textiles, Engineering, Rice Mills, Drugs & Pharmaceuticals etc., The Exposure to Top 10 industries constitutes 69.40% of gross bank credit, signifying a diversified loan portfolio

(₹ in Crore)				
Sl. No	Industry	Ceilings as % of total advances of previous quarter	Actual Fund based exposure as on 31.03.2011	Exposure as % of total advances of previous quarter i.e. 31.12.2010
1	Power	25.00	15,494.44	23.62
2	Construction & Contractors	10.00	6,435.09	9.81
3	Housing Loans (includes residential mortgages & indirect finance to Housing intermediaries)	15.00	5,485.99	8.36
4	Iron & Steel	10.00	5,200.90	7.93
5	NBFC	10.00	5,045.13	7.69
6	Commercial Real Estate	7.00	3,527.12	5.38
7	Textiles	9.00	3,522.32	5.37
8	Engineering (Heavy & Light)	5.00	2,276.08	3.47
9	Rice Mills	6.00	1,639.20	2.50
10	Drugs & Pharmaceuticals	5.00	1,446.29	2.21
	Total		50,072.56	

3.6 Area-wise position of Gross Bank Credit

The population group wise distribution of credit as on 31.03.2011 was as under:

Table: 11 Gross Bank Credit- Population Group Wise as on 31.3.2011

Sl. No.	Category	Amount	% to total
1	Rural	7319 (16.38)	10.14
2	Semi-Urban	9903 (21.32)	13.72
3	Urban	15618 (27.24)	21.65
4	Metro	39314 (32.02)	54.49
5	TOTAL	72154 (27.69)	100.00

Note: Figures in () indicate annual growth rate over the previous year

4. निवेश

भारि बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंकों को एनडीटीएल के 24% तक एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश करना है। बैंक के निवेश निर्णय जोखिम-प्रतिफल व्यापार-ऑफ पर आधारित हैं एवं बैंक विनियामक एवं आंतरिक मार्गदर्शीसिद्धांतों का सख्त पालन कर रहा है। नकद प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से संबंधित सांविधिक निर्धारणों का रखरखाव किया जा रहा है। कालावधि एवं जोखिम मूल्य की दैनिक निगरानी के अतिरिक्त तिमाही अंतरालों में निवेश संभागों की स्ट्रेस-जांच एवं बैंक-जांच द्वारा तिजोरी परिचालनों में जोखिम प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। बांड एवं डिबेंचर संभागों के बाह्य दर निर्धारण माइग्रेसन का भी तिमाही आधार पर निगरानी किया जा रहा है।

31 मार्च 2011 को निवेश (मूल्यहास का निवल) 15.91% तक बढ़कर 31.03.2010 को ₹ 20,881 करोड़ से ₹ 24,204 करोड़ तक हो गया है। एसएलआर निवेश ₹ 23,251 करोड़ रहा जो 31.03.2011 को निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 25.02% है। निवेशों से ब्याज आय 2009-10 में ₹ 1,188.32 करोड़ से 2010-11 में ₹ 1,539.59 करोड़ तक बढ़ गयी है। निवेशों की विक्री पर लाभ जो 2009-10 के दौरान ₹ 324.50 करोड़ था, 2010-11 के दौरान 140.78 करोड़ है।

सारणी 12 : निवेशों का श्रेणीकरण

(₹ करोड़ में, प्रतिशत को छोड़कर)

	2009-10	2010-11	भिन्नता (%)
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	19743.53	22719.54	15.07
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	37.46	23.59	-37.03
3. शेयर	106.46	196.38	84.46
4. डिबेंचर एवं बाँड	581.61	585.97	0.75
5. सहायक कंपनियाँ एवं /या संयुक्त वेंचर	97.71	135.36	38.53
6. अन्य	314.23	543.14	72.85
कुल (1 से 6)	20881.00	24,203.99	15.91

4.1. महत्वपूर्ण निवेश

4.1.1. संयुक्त उद्यम बीमा

बैंक ने बैंक ऑफ बडौदा एवं यू के के लीगल एवं जेनरल ग्रुप पीएलसी के साथ मिलकर इंडियाफास्ट जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त वेंचर गठित किया है कंपनी में बैंक का शेयरहोल्डिंग 30% है जबकि बैंक ऑफ बडौदा का 44% एवं लीगल एवं जेनरल ग्रुप द्वारा 26% है। जीवन बीमा उद्यम में बैंक का निवेश ₹ 97.50 करोड़ है।

4.1.2. मलेशिया में बैंकिंग अनुषंगी

बैंक ने बैंक ऑफ बडौदा और इंडियन आवरसीज बैंक के साथ मलेशिया में एक बैंकिंग अनुषंगी की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया। उद्यम में बैंक का अंशदान 25% है, जो ₹ 112 करोड़ है। संयुक्त उद्यम को दिनांक 13.08.2010 को इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के नाम से निगमित किया गया है और उसका परिचालन शुरू करने की प्रक्रिया जारी है।

4.1.3. युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बैंकों के सहायता संघ द्वारा प्रोन्नत किया गया है, जिसमें हमारा बैंक भी एक पणधारी है। केनरा बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, इलहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स इसके अन्य प्रमुख बैंक हैं। इसने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ गठबंधन किया है तथा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज इसे ट्रेडिंग प्लॉट फार्म और करेंसी और ब्याज दर उत्पादों के लिए समाशोधन सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी में बैंक का अंशदान 2.39% है।

4.1.4. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंजों में से एक के साथ जुड़ने के लिए बैंक ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (एमसीएक्स) के साथ गठबंधन किया। एक्सचेंज ने वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान परिचालन शुरू किया। बैंक ने एक्सचेंज में 4.6% की पूंजी लगायी।

4.2 तिजोरी एवं फारेक्स व्यवसाय

विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए बैंक श्रेणी-I के प्राधिकृत डीलर है। बैंक 45 पदनामित बी श्रेणी शाखाओं के जरिए विदेशी मुद्रा व्यवसाय करता है। बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 24,107 करोड़ का वणिक् टर्नओवर अभिलेखित किया है जो पिछले वर्ष के टर्नओवर से 18% अधिक है। बैंक ने मार्च 2010 के अंत के ₹ 3,22,977 करोड़ की तुलना में मार्च 2011 को ₹ 4,34,402 करोड़ का अंतर्बैंक टर्नओवर प्राप्त किया है, जो 34.5% अधिक है। बैंक का निर्यात वित्त भारतीय रुपयों में 31.03.2011 को ₹ 2,728 करोड़ रहा तथा विदेशी मुद्रा में निर्यात वित्त 203.59 मिलियन अमेरिकी डालर है।

बैंक एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरिए मुद्रा वायदे पर स्वामित्व व्यापार कर रहा है। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने 10,044.08 मिलियन अमेरिकी डालर और 85.51 मिलियन यूरो का टर्नओवर किया है।

बैंक में **एवी स्पीडवे** के नाम से एक योजना है, जो इंटरनेट आधारित एक प्रेषण सुविधा योजना है तथा जिसके जरिये अमेरीका में अमेरिकी डालरों का प्रेषण ग्राहकों के भारत के खातों में जमा किया जा सकता है। चालू वर्ष के दौरान इस योजना के माध्यम से 6.51 मिलियन अमेरिकी डालरों का प्रेषण प्राप्त किया। खाडी के देशों से प्रेषण प्राप्त करने के लिए बैंक ने विभिन्न विनिमय घरों के साथ प्रबंधन किया। बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में कुल ₹ 168.52 करोड़ के प्रेषण प्राप्त किये। चालू वर्ष में ओमन एण्ड यूएई एक्सचेंज सेंटर एण्ड कंपनी एलपीसी, सुलतानेट ऑफ ओमन एण्ड एमिरेट्स इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एलपीसी, दुबई से भी गठ बंधन के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये तथा परिचालन कार्य प्रक्रियाधीन हैं।

देशीय जोखिम, विनिमय जोखिम एवं अन्य विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक में पद्धतियाँ हैं। एकल देशीय जोखिम सीमा के लिए देशीय जोखिम एक्सपोजर एवं प्रत्येक जोखिम श्रेणी के अंतर्गत देशों के ग्रुप के लिए कुल जोखिम सीमाएँ निर्धारित की गयी हैं एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है।

5 क्रेडिट कार्ड व्यापार

- कुल व्यापार पण्यवर्त मार्च 2010 के ₹ 1,718 करोड़ से मार्च, 2011 तक ₹ 1,807 करोड़ तक बढ़ गया।



4. Investments

In terms of RBI guidelines, the Bank is required to invest in SLR securities to the extent of 24% of NDTL. Bank's investment decisions are based on risk-return trade-off and bank is scrupulously following the regulatory and internal guidelines. Statutory prescriptions relating to Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) are also complied with. Risk Management in treasury operations has been strengthened further by undertaking stress testing and back testing of the investment portfolio at quarterly intervals, besides daily monitoring of Duration and Value-at-Risk (VaR). External rating migration of the bonds and debentures portfolio is also being monitored on quarterly basis.

As on 31st March, 2011, the Investments (net of depreciation) increased by 15.91% to ₹ 24,204 crore from ₹ 20,881 crore as on 31.03.2010. SLR maintained was ₹ 23,251 crore, which constituted 25.02% of net demand and time liabilities (NDTL) as on 31.3.2011. Interest income from investments increased from ₹ 1,188.32 Crore in 2009-'10 to ₹ 1,539.59 crore in 2010-'11. Profit on sale of investments stood at ₹ 140.78 crore during 2010-'11, while it was ₹ 324.50 crore during 2009-'10.

Table 12: Classification of investments

(₹ in crore, except for percentages)			
	2009-10	2010-11	Var (%)
1. Government Securities	19,743.53	22,719.55	15.07
2. Other Approved Securities	37.46	23.59	-37.03
3. Shares	106.46	196.38	84.46
4. Debentures & Bonds	581.61	585.97	0.75
5. Subsidiaries and / or Joint Ventures	97.71	135.36	38.53
6. Others	314.23	543.14	72.85
TOTAL (1 to 6)	20,881.00	24,203.99	15.91

4.1 Strategic Investments

4.1.1 Joint Venture Insurance

The Bank is having Joint venture in insurance with Bank of Baroda and Legal and General Plc of UK christened 'IndiaFirst Life Insurance Co.Ltd'. The Bank's stake in the venture is 30% while Bank of Baroda holds 44% and Legal and General Plc holds 26%. Quantum wise, the investment of the Bank in the life insurance venture is ₹ 97.50 Crore.

4.1.2 Banking Subsidiary in Malaysia

The Bank, along with Bank of Baroda and Indian Overseas Bank, has entered into a tie up for setting up a banking subsidiary in Malaysia. The Bank's stake in the venture is 25% which comes to around ₹ 112 Crore. The JV has been incorporated on 13.08.2010 in the name "INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD" and is in the process of commencing operations.

4.1.3 United Stock Exchange of India Ltd

United Stock Exchange of India Ltd is promoted by a

consortium of banks, of which the Bank is also one of the stake holders. The other major banks are Canara Bank, Bank of Baroda, Allahabad Bank, Bank of India, Indian Overseas Bank and Oriental Bank of Commerce. The company has tied up with Bombay Stock Exchange which is providing the trading platform and clearing services for the currency and interest rate derivative products. The Bank holds 2.39% of stake in the company.

4.1.4. Multi Commodity Exchange of India Ltd.,

With a view to be associated with one of the major commodity exchanges, the bank has a tie up with the Multi Commodity Exchange (MCX) Ltd. The exchange commenced operations during the financial year 2004-05. The Bank has an equity stake of 4.6% in the exchange.

4.2. Treasury & Forex Business

The Bank is an Authorized Dealer Category-I Bank to deal in foreign exchange. The foreign exchange business is handled through 45 designated B category branches of the Bank. During the year 2010-11, the Bank recorded a merchant turnover of ₹ 24,107 crore registering a growth of 18% over the previous year. The Bank achieved Inter-bank turnover of ₹ 4,34,402 crore as on 31st March 2011 compared to ₹ 3,22,977 crore as at the end of March 2010 showing an increase of 34.5%. Export finance of the Bank stood at ₹ 2,728 crore as on 31.03.2011 in Indian rupees and the export credit in foreign currency was to the tune of USD 203.59 Mio.

The Bank has been undertaking proprietary trades in Currency Futures through MCX Stock Exchange Limited and United Stock Exchange Limited. The Bank did a turnover of USD 10,044.08 Mio and Euro 85.51 Mio during the year 2010-11.

The Bank has internet based remittance facility for USD remittances from USA for crediting to its customers' accounts in India by name "AB Speedway". During the current year, the Bank received remittances to the tune of USD 6.51 Million through this product. The Bank has got arrangements with various Exchange Houses for remittances from Gulf countries. The Bank received remittances for a total of ₹168.52 crore during the financial year. During the current year, Bank has received RBI's approval for tie up with Oman & UAE Exchange Centre & Co. LPC, Sultanate of Oman and Emirates India International Exchange LPC, Dubai also and is in the process of making them operational.

Systems have been put in place for management of country risk, exchange risk and other foreign exchange risks. The country risk exposures for single country risk limit and aggregate risk limits for the group of countries under each risk category are fixed and are being monitored on daily basis.

5 Credit Card Business

- The Total business turnover increased from ₹ 1,718 crore in March 2010 to ₹ 1,807 crore in March 2011.

- बैंक ने कार्डधारियों को कई प्रकार के भुगतान विकल्प प्रदान किये जैसे बैंक की सभी शाखाओं से सीबीएस के माध्यम से ऑन लाइन भुगतान और गैर ग्राहक कार्डधारियों के लिए नेफ्ट के माध्यम से भुगतान की सुविधा.
- बैंक निवासी और अनिवासी जमाकर्ताओं को जमा रसीदों के ग्रहणाधिकार के प्रति वीसा/मास्टर क्रेडिट कार्ड जारी कर रहा है.
- कार्डधारकों के ई-मेल आई डी संग्रहित कर मासिक बिल की साफ्ट प्रति उन्हें भेजी जाती है.
- क्रेडिट कार्ड प्रभाग ने पिछले वर्ष के ₹ 12.77 करोड़ की तुलना में मार्च, 2011 को ₹ 15.55 करोड़ लाभ अर्जित किया.
- बैंक ने **एवी वीसा प्लैटिनम** के नाम से एक नया कार्ड जारी किया, जिसके जरिए कार्डधारक वीसा इंटरनेशनल द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है. प्रधान प्लैटिनम कार्डधारक ₹ 10 लाख तक दुर्घटना बीमा के लिए और एड-ऑन कार्डधारक ₹ 5 लाख तक दुर्घटना बीमा के लिए कवर किये जाते हैं.
- भारतीय रिजर्व बैंक के अधिदेश के अनुरूप हमारे बैंक के क्रेडिट कार्ड सभी प्रकार के आईवीआर (मोबाइल) लेनदेनों के लिए 3-डी सेक्यूर पासवर्ड युक्त हैं.

6. वाणिज्य बैंकिंग सेवाएं

बैंक ने दो कंपनियों के लिए लाभांश वारंटों के भुगतान के लिए अदायगी बैंक के रूप में कार्य किया है. बैंक ने एक कंपनी के लिए एसओपी प्रमाणन कार्य किया है.

प्रभाग के एक अंग के रूप में एक शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष कार्य कर रहा है. समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने 14 शिकायतें एवं 8192 अनुरोध प्राप्त किये हैं जैसे कि पता परिवर्तन, शेयरों का अंतरण और प्रेषण, डिविडेंड वारंटों का नहीं प्राप्त होना, आर्बटन प्रमाण पत्रों/वापसी आदेशों का प्राप्त नहीं होना, आदि. सभी शिकायतों एवं अनुरोधों का उत्तर दिया गया है.

बैंक को आईपीओ/एफपीओ के निवेशकों से एसबीए (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन पत्र) आवेदन पत्र स्वीकार करने के लिए सेबी द्वारा स्वयं प्रमाणित सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी) के रूप में अनुमोदन प्राप्त है. बैंक ने 63 आईपीओ/एफपीओ में भाग लिया है.

7. बैंकेश्युरेंस एवं शुल्क आधारित उत्पाद

बैंकेश्युरेंस के अंतर्गत बैंक जीवन एवं जीवनेतर बीमा उत्पादों को विपणन कर रहा है. बैंक के अन्य उत्पाद सेवाओं में म्यूचुअल निधि उत्पाद, टेलीफोन बिलों का संग्रहण, प्रत्यक्ष कर, वाणिज्यिक कर, नगरपालिका कर, उपयोगिता भुगतान इत्यादि शामिल हैं.

- वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक ने मेसर्स इंडियाफस्ट लाइफ इंश्यूरेंस के जीवन बीमा पालिसियों को बेचा है और ₹ 171.58 करोड़ के प्रीमियम वसूल किया है तथा ₹ 13.03 करोड़ कमीशन प्राप्त किया है.
- 10 म्यूचुअल कंपनियों के साथ बैंक का गठबंधन है. बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान दो और कंपनियों के साथ गठबंधन किया है.
- बैंक **एवी डीमेट** ब्राण्ड नाम पर जनता को डिपाजिटरी सेवाएं प्रदान कर रहा है. बैंक सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और नेशनल सेक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) है. बैंक की 158 शाखाएं डीमेट खाते खोलने के लिए प्राधिकृत हैं.

- जनवरी 2009 से बैंक ने बुलियन व्यापार में प्रवेश किया. बैंक स्वर्ण मुद्राओं को (24 कैरट 99.99% स्वच्छता के) बेचता है. देश भर की प्राधिकृत शाखाओं द्वारा बैंक इनकी रीटेल बिक्री करता है. ये सिक्के 4 ग्राम, 8 ग्राम और 10 ग्रामों में मिलते हैं. वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने 306.735 किलो स्वर्ण सिक्के बेचे हैं और 3.41 करोड़ कमीशन प्राप्त किया.

8. प्रारंभ किये गये नये उत्पाद और सेवाएं

8.1 एवी वीसा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड : बैंक ने **एवी वीसा प्लैटिनम कार्ड** जारी किया. इस कार्ड की अतिरिक्त सुविधाएं जैसे दुर्घटना बीमा कवरेज मुख्य कार्डधारक को ₹ 10 लाख तक और एड-ऑन कार्डधारक को ₹ 5 लाख तक, कार्ड की न्यूनतम सीमा 50% नकद आहरण सीमा के साथ ₹ 75,000, ₹ 25,000 तक बैगेज बीमा सुविधा, आदि. आगे रोलओवर सुविधा पर सेवा प्रभार 1.5% हैं, जो उद्योग के न्यूनतम प्रभारों में से एक है.

8.2. एम-पे : बैंक द्वारा शुरू की गयी एक सुरक्षित और सुविधाजनक बैंकिंग सेवा है, जो किसी भी जगह से किसी भी समय पर उपयोग की जा सकती है. इसके अंतर्गत ग्राहक अपने खाते की शेष राशि को चेक कर सकते हैं, लघु खाता विवरणी देख सकते हैं, चेकों के भुगतान रोकने के लिए नोट दे सकते हैं, मोबाइल पर बटन दबा कर (मोबाइल से मोबाइल और मोबाइल से खाते को) दान और निधियों का अंतरण कर सकते हैं. जो ग्राहक एम-पे सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, उनके यहाँ जावा एनेबुल्ड या विंडो मोबाइल 5.0 या उससे अधिक श्रेणी के माडल या जीपीआरएस (जनरल पाकेट रेडियो सर्विस) विंडोस मोबाइल प्रोफेशनल माडल होना आवश्यक है.

8.3. एवी ई-ट्रेड : यह एक तीन सुविधायें युक्त खाता है, जो नेट आधारित ऑनलाइन ट्रेडिंग है. मेसर्स रेलिगेर सेक्युरिटीज लिमिटेड (सेबी का पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर और एनएसई और बीएसई का कार्पोरेट ब्रोकर है) के साथ बैंक के स्ट्रेटजिक गठबंधन के अंतर्गत बैंक ग्राहकों को नेट आधारित ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करती है. इस योजना के अंतर्गत ग्राहक केवल एक ही एंटीटी के साथ, यानी मेसर्स रेलिगेरसेक्युरिटीज लिमिटेड के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग खाता, डीमेट खाता और इंटरनेटयुक्त बैंक खाता खोल सकता है. बैंक प्रतिभूति बाजार में आसानी से ट्रेड करने हेतु इन तीनों खातों को **एवी ई-ट्रेड** के अंतर्गत समेकित करता है.

8.4. एवी बिल पे सेवाएं : ग्राहकों के सभी बिल भुगतान आवश्यकताओं को निपटाने के लिए यह एक त्वरित, सुरक्षित, सुविधायुक्त तथा स्मार्ट सोल्यूशन है. ग्राहक टेलीकाम, बिजली, केबल और इंटरनेट प्रदाताओं को, दान, बीमा, यात्रा और टिकटिंग, ऋण भुगतान, ऑनलाइन कर भुगतान, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग, आदि के लिए बैंक इंटरनेट का उपयोग करते हुए भुगतान किये जा सकते हैं.

9. सूचना प्रौद्योगिकी पहल

क) कोर बैंकिंग सोल्यूशन :

- बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस के अंतर्गत है. बैंक के ग्राहक देशभर की किसी भी शाखा से अपने लेनदेन कर सकते हैं.

ख) इंटरनेट बैंकिंग :

- रीटेल और कार्पोरेट दोनों तरह के ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है. 1,10,000 से अधिक ग्राहक इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं.
- इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ग्राहक अपने सीबीडीटी कर अदा कर सकते हैं.



- Bank has facilitated several payment options to the cardholders like online payments through CBS at all the Branches of the Bank and to non customer cardholders for payment through NEFT.
- Bank is also issuing VISA/Master Credit Cards against lien on Deposits for both Residents and Non-Residents.
- e-Mail IDs of cardholders are collected and soft copy of the Monthly bills are sent to the cardholders.
- The credit card division made a Profit of ₹ 15.55 crore for March 2011 as against ₹ 12.77 crore in the previous year.
- The Bank has launched a premium card "AB VISA Platinum" which enables cardholders to enjoy all the privileges offered by VISA International. Platinum Cardholders are covered with an accident insurance facility up to ₹10 lacs for main cardholder and ₹ 5 lacs for add on cardholders. .
- Credit Cards of our Bank are enabled for 3D-Secure password for all IVR (Mobile) transactions as per RBI mandate.

6 Merchant Banking Services

The bank has acted as a 'Paying Banker' for payment of dividend warrants for two companies. The Bank has also done certification of ESOP for one company.

A Shareholders and Investors Grievance Cell is functioning as a part of the Division. The Bank has received 14 complaints and 8192 requests such as change of address, Transfer and transmission of shares, non receipt of dividend warrants, non receipt of allotment certificates/refund orders etc., during the year under review. All the complaints and requests have been addressed.

The Bank is approved as Self Certified Syndicate Bank (SCSB) by SEBI for the purpose of accepting ASBA (Application Supported by Blocked Amount) applications from investors of IPOs / FPOs. During the year, the Bank has participated in 63 IPO / FPO issues. Select branches of the Bank in major cities are designated for accepting ASBA applications.

7. Bancassurance & Fee-based Products

Under Bank assurance, the Bank is marketing both Life and Non-Life Insurance products. The Bank is offering products/ services such as mutual fund products, collection of telephone bills, direct taxes, commercial taxes, municipal taxes, utility payments etc.,

- During the FY 2010-11, the Bank sold Life Insurance policies of 'M/s.IndiaFirst Life Insurance' and collected premium of ₹ 171.58 Crore and earned a commission income of ₹ 13.03 Crore.
- The Bank is already having tie ups with ten Mutual Fund companies. The Bank has entered into tie up with two more companies during 2010-11.
- The Bank is offering Depository Services to the public under the brand name of "AB Demat". The Bank is a

Depository Participant (DP) with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as well as with National Securities Depository Limited (NSDL). 158 branches of the Bank are authorized to open demat accounts.

- The Bank has entered into the bullion business in January 2009. The Bank sells gold coins (24 carat 99.99% purity). The retail sale has been undertaken by the Bank across the country, through its authorized branches in the denominations of 4 grams, 8 grams and 10 grams. During the financial year, the bank sold 306.73 Kgs of gold coins and earned commission income of ₹ 3.41 crore.

8. New Products & Services

8.1 AB VISA Platinum Credit Card: The Bank introduced 'AB VISA Platinum card' which has additional features such as Accidental insurance cover to main card holder up to ₹ 10 lakhs and to add on card holder up to ₹ 5 lakhs, minimum card limit of ₹ 75,000 with 50% as cash drawal limit, baggage insurance upto ₹ 25,000 etc. Further the service charges under this card are at 1.5% on roll over facility, which is one of the lowest in the industry.

8.2.mPAY: A service introduced by the Bank which is a secure and convenient means of Banking from any where and at any time. Under this, customers can check their account balances, view mini-account statement, know cheque status, note stop payment of cheques, make donations and transfer funds (Mobile to Mobile and Mobile to Account) on press of button on mobile. Customers intending to avail m-PAY facility should possess mobile handset java enabled or windows mobile 5.0 & above model or windows mobile professional model with activated GPRS (General Packet Radio Service).

8.3. AB e-Trade: This is a three in one account that facilitates net based on line trading. The Bank under strategic tie up with M/s. Religare Securities Ltd., (A SEBI Registered Stock Broker and a corporate member of NSE&BSE) is offering net based on line trading account facility to the clients.

8.4. AB Bill Pay Service: This is a fast, secure, convenient and smart solution to all bill payment requirements of customers. Customers can make payments to 'Telecom' 'Electricity', 'cable & Internet providers', 'Donations & charity' 'Insurance' 'Travel & Ticketing' 'Loan Repayments', 'on line tax' 'Mutual Funds' 'Credit card' 'online shopping' etc., using Bank's Internet Banking facility.

9. IT initiatives

a) Core Banking Solution (CBS):

- All Branches of the Bank are under CBS. Customers of the Bank can transact from any of our branches across the country.

b) Internet Banking :

- Internet Banking facility is available to both Retail and Corporate Customers. More than 1,10,000 customers are availing Internet Banking facility.
- Customers of the Bank can pay their CBDT Taxes through Internet Banking.

- इंटरनेट बैंकिंग द्वारा (अपने या अन्य पक्षकार के) एक खाते से दूसरे खाते में आंध्र बैंक में और अन्य बैंक शाखाओं भी लेनदेन कर सकते हैं.
- इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हुए अपने यूटिलिटी बिल, बीमा प्रीमिया, नगर पालिका करों का भुगतान कर सकते हैं.
- एक नया उत्पाद यानी, ऑनलाइन शापिंग का भी आरंभ किया गया है, जिसके जरिए बैंक के ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हुए लगभग 3500 व्यापारियों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं/सेवाएं खरीद सकते हैं.
- बैंक के क्रेडिट कार्ड बिल इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हुए भुगतान किये जा सकते हैं.
- बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए आन्ध्र प्रदेश वाणिज्य कर का भुगतान करने की सुविधा प्रदान की है.

ग) एसएमएस अलर्ट :

- काउण्टर पर किये जाने वाले विभिन्न लेनदेनों के लिए, एटीएम पर नकद आहरण, पीओ लेनदेन, इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए तथा अन्य विभिन्न लेनदेनों के लिए बैंक अपने ग्राहकों को मुफ्त एसएमएस अलर्ट सुविधाएं प्रदान करता है. 31.03.2011 को 17.2 लाख से ज्यादा ग्राहक यह सुविधा प्राप्त कर रहे हैं. इस एसएमएस पुश अलर्ट सुविधा के लिए पंजीकरण बैंक के एटीएम के जरिए किया जा सकता है.
- एसएमएस पुल सुविधा के अंतर्गत ग्राहक अपने खाते से संबंधित सूचना कभी भी प्राप्त करने के लिए बैंक को एक एसएमएस भेजकर प्राप्त कर सकता है. इस के अंतर्गत बैलन्स पृष्ठताछ, मिनी विवरणी, चेक की स्थिति, आदि की सूचना प्राप्त कर सकते हैं.

घ) मोबाइल बैंकिंग :

- बैंक ने लेनदेन आधारित मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत की. इसके द्वारा मोबाइल से मोबाइल और मोबाइल से खाते को निधियों का अंतरण, मंदिरों को दान और यूटिलिटी भुगतान किये जा सकते हैं.

ड.) टेली बैंकिंग :

- टेली बैंकिंग और इंटर वाइस रेस्पॉन्स सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध हैं. ग्राहक टोल फ्री नंबर 1800-425-1515 डायल कर ऑनलाइन पर रजिस्टर कर सकता है. ग्राहक उसके बाद से उसी टोल फ्री नंबर को फोन कर इस सेवा का उपयोग कर सकता है और अपने अपने खाते से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है.

च) एटीएम/डेबिट कार्ड :

- एटीएम / डेबिट कार्डों की संख्या 31 मार्च 2010 के 49.72 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2011 को 61.10 लाख हो गयी.
- ग्राहक को शाखा में खाता खोलते ही काउण्टर पर ही पिन सहित एक गैर व्यक्तिगत डेबिट कार्ड जारी करने की सुविधा लागू की गयी है. वर्ष के दौरान 10 लाख से ज्यादा गैर व्यक्तिगत डेबिट कार्ड जारी किये गये.
- एटीएम की संख्या 31 मार्च 2010 को 859 से बढ़कर 31 मार्च 2011 को 981 हो गयी. बैंक बायोमैट्रिक सुविधा के साथ चार एटीएम परिचालित कर रहा है जिनमें से 3 मोबाइल एटीएम हैं.
- बैंक अपने एटीएम को स्वीकारने के अतिरिक्त, बैंक द्वारा जारी एटीएम/ डेबिट कार्ड एनएफएस नेटवर्क एवं वीसा नेटवर्क पर 75,000 एटीएम को स्वीकार किया जाता है.

- बैंक सीवीवी के साथ डेबिट कार्ड जारी करना प्रारंभ किया है ताकि उनको ऑनलाइन अदायगी के लिए प्रयोग किया जा सके. बैंक के क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड का प्रयोगकर इंटरनेट के जरिए लेनदेनों के लिए बैंक ने एक नया सुरक्षा फीचर *विज्ञा द्वारा सत्यापित* प्रारंभ किया है.

छ) अन्य पहल :

- सभी पंजीकृत ग्राहकों को ई-मेल द्वारा समय समय पर स्टेटमेंट भेजे जाते हैं.
- पेंशन भोगियों का समस्त डाटा केन्द्रीकृत किया गया है. 1124 शाखाओं द्वारा 41,073 पेंशन भोगियों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं.
- रीटेल, कृषि और कार्पोरेट ऋणों के संदर्भ में ऋण प्रस्तावों के तुरंत संसाधन के लिए आटोमेटेड प्रक्रिया शुरू की गयी.
- बैंक के ग्राहक बैंक एटीएम का उपयोग करते हुए अपने पूर्व-प्रदत्त मोबाइल फोनों को रीचार्ज कर सकते हैं.
- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड अंतरण (नेफ्ट) और तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) को भी सीबीएस के साथ समेकित किया गया.

10. नेटवर्क विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने 75 शाखाएं (23 विस्तार काउंटर्स के उन्नयन सहित) और 122 ए टी एम खोले हैं. इसके साथ 31 मार्च 2011 के अंत तक बैंक के 2676 डेलिवरी चैनल्स हैं जिसमें 1632 शाखाएं, 25 विस्तार काउंटर, 38 सेटलाइट ऑफिस और 981 ए टी एम हैं, जो 23 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में फैले हैं.

सारणी 13 : जनसंख्या समूहवार शाखाओं का वर्गीकरण

क्र.सं.	श्रेणी	संख्या	कुल का %
1	ग्रामीण	432	26.47
2	अर्ध-शहरी	456	27.94
3	शहरी	478	29.29
4	मेट्रो	266	16.30
	कुल	1632	100.00

बैंक की 53 विशेष शाखाएं हैं जो विशेष क्षेत्र के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं. बैंक के दो प्रतिनिधि कार्यालय (विदेश में) दुबई (यू ए ई) और न्यू जर्सी (यू एस ए) में हैं. विशेष शाखाओं का विवरण निम्न प्रकार हैं :

सारणी 14 : विशेष शाखाएं

क्रम संख्या	विशेष शाखाओं की श्रेणी	शाखाएं
1	विशेष एस एम ई शाखाएं	16
2	विशेष कृषि वित्त शाखाएं	3
3	विशेष एग्री हाइ-टेक शाखाएं	6
4	विशेष आवास वित्त शाखाएं	4
5	वैयक्तिक बैंकिंग शाखाएं	4
6	कार्पोरेट वित्त शाखाएं	2
7	ऑटो टेक शाखा	1
8	आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा	3
9	एन आर आई शाखा	6
10	खुदरा ऋण शाखा	8
	कुल	53



- Fund Transfer facility is available from one account to another account (self or third party) within Andhra Bank as well to accounts maintained with other Banks through Internet Banking.
- Bank's customers can pay their Utility Bills, Insurance Premia, and Municipal Taxes etc., using Internet Banking facility.
- A new e-product viz., AB Online Shoppe was launched through which the Bank's customers can purchase the desired products / services offered by about 3500 merchants using Internet Banking.
- The Bank's Credit Card Bills can be paid through Internet Banking facility.
- Bank has also extended facility to its Internet Banking customers to make payment of Andhra Pradesh Commercial Tax through Internet Banking.

c) SMS Alerts:

- SMS Alerts facility is provided to our customers, free of cost, for various types of transactions across the counter, cash drawals through ATMs, POS transactions, Internet Banking transactions etc., As on 31st March 2011, more than 17.2 Lakh customers are availing this facility. The registration for SMS Push Alert facility can be made through Bank's ATMs.
- SMS Pull facility has also been provided to our customers through which they can get account related information as and when they require by sending an SMS to Bank. The features include balance enquiry, mini-statement, cheque status, etc.,

d) Mobile Banking:

- The Bank introduced Transaction based Mobile Banking. This facilitates funds transfer from mobile to mobile and mobile to account, donations to temples and utility payments.

e) Tele Banking:

- Tele-Banking and Interactive-Voice-Response facilities are available to the Customers. Customer can dial up Toll-free number 1800-425-1515 and register online. The customer can thereafter call the same toll-free number and utilize the facility for knowing the account related information.

f) ATM/Debit Cards:

- Number of ATM / Debit cards increased from 49.72 lakhs as on 31st March 2010 to 61.10 lakhs as on 31st March 2011.
- A facility of issuing Non-Personalized Debit Card with PIN, immediately on opening of an account across the counter has been introduced. More than 10 Lakh Non Personalized Debit Cards were issued during the year.
- Number of ATMs increased from 859 as on 31st March 2010 to 981 as on 31st March 2011. The Bank is operating four ATMs with Biometric facility out of which 3 are mobile ATMs.

- The ATM / Debit Cards issued by the Bank are also accepted on NFS Network and VISA Network (more than 75,000 ATMs), besides the Bank owned ATMs.
- Debit Cards with CVV are issued by the Bank so that customers can use them for online payments. A new security feature "Verified by VISA" was introduced for transactions through Internet using Banks Credit and Debit Cards.

g) Other Initiatives:

- Statements of Account are being sent periodically through e-mail to all registered customers.
- All the data of pensioners is centralized. 41073 pensioners are served through 1124 branches.
- For quick processing of Loan proposals, an Automated Process has been implemented for Retail, Agricultural and Corporate Loans.
- The Bank's customers can recharge (top-up) their pre-paid mobiles using Bank's ATMs.
- National Electronic Fund Transfer (NEFT) and Real Time Gross Settlement (RTGS) are also integrated with CBS solution

10. Network Expansion

During the year, Bank opened 75 Branches (including up gradation of 23 Extension Counters) and 122 ATMs. With this, as at the end of 31st March 2011, the Bank had 2676 Delivery Channels consisting of 1632 Branches, 25 Extension Counters, 38 Satellite Offices and 981 ATMs spread over 23 States and 3 Union territories.

Table 13:- Population Group Wise classification of Branches

Sl. No.	Category	Number	% to total
1	Rural	432	26.47
2	Semi-Urban	456	27.94
3	Urban	478	29.29
4	Metro	266	16.30
	TOTAL	1632	100.00

The Bank has 53 specialized branches, catering to the needs of the specific segments of clientele. The Bank also has two Representative (overseas) Offices at Dubai (U.A.E) and New Jersey (U.S.A). The details of specialized branches are as follows:

Table 14: Specialized Branches

Sl. No.	Category of Specialized Branches	No. of Branches
1	Specialized MSME Branches	16
2	Specialized Agriculture Finance Branches	3
3	Specialized Agri- Hitech Branches	6
4	Specialized Housing Finance Branches	4
5	Personal Banking Branches	4
6	Corporate Finance Branches	2
7	Auto Tech Branch	1
8	Asset Recovery Management Branches	3
9	NRI branches	6
10	Retail credit branches	8
	TOTAL	53

10.1 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में उपस्थिति

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शाखाओं की संख्या बढ़कर 31.03.2011 तक 209 हो गई हैं जबकि 31.03.2010 को 204 थी अर्थात 31.03.2011 को बैंक की कुल शाखा नेटवर्क का 12.81% देश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हैं।

10.2 संरचनात्मक परिवर्तन

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने एक नया आंचलिक कार्यालय खोला है, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ स्थित है। इस प्रकार आंचलिक कार्यालयों की संख्या 23 हो गयी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले शाखाओं को लखनऊ आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत लाये गये हैं। शीघ्र निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने तथा ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह विभाजन किया गया है।

बैंक ने वर्ष के दौरान 3 नये आंचलिक निरीक्षण कार्यालयों की स्थापना भी की है जिनके प्रधान कार्यालय चेन्नै, नई दिल्ली और विशाखपट्टणम में हैं।

11. गुणात्मक पहलुएं

11.1 जोखिम प्रबंधन

बैंक ने दिशा निर्देश नोटों / भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और ऑपरेशनल जोखिम के प्रबंधन के लिए एक व्यापक **एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति** तैयार की है। तदनुसार सभी जोखिम प्रबंधन कार्य अर्थात क्रेडिट जोखिम, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) डॉमिस्टिक ट्रेजरी का मिड ऑफिस और परिचालनगत जोखिम कार्य को जोड़ा गया है। बैंक की **एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति** की समीक्षा प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अधिसूचना के अनुरूप की जाती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) बैंक के जोखिम प्रबंधन पहलुओं के कार्यान्वयन के संबंध में मार्ग दर्शन करने नियमित बैठकें करती है।

11.1.1 क्रेडिट जोखिम

- बैंक ने क्रेडिट जोखिम के मामलों से संबंधित सभी मामलों के विश्लेषण के लिए **क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति** का गठन किया है और तब बोर्ड को सिफारिश की जाती है।
- बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक सुपारिभाषित **ऋण नीति** है। बैंक ने ऋण प्रस्तावों की प्रस्तुति हेतु मानकों, वित्तीय प्रतिज्ञा पत्र, ऋण निर्धारण मानक और बैंचमार्क, ऋण अनुमोदन अधिकार का प्रत्यायोजन, बड़े ऋण एक्सपोजर के संबंध में विवेकपूर्ण सीमा, आस्ति केन्द्रीकरण, संपादित ऋण हेतु मानक, संभाग प्रबंधन, ऋण समीक्षा पद्धति, जोखिम केन्द्रीकरण, जोखिम निगरानी और मूल्यांकन, ऋणों का निर्धारण, प्रावधानीकरण, विनियामक/ विधिक अनुपालन आदि के संबंध में नीति निर्धारित की है।
- बैंक ने विभिन्न श्रेणी के एक्सपोजरों के लिए व्यापक जोखिम निर्धारण प्रणाली तैयार की है।
- बैंक ने कार्पोरेट ऋणकर्ताओं के ऋण निर्धारण हेतु बाहरी ऋण निर्धारण संस्थाओं (ईसीएआई) के साथ समझौता ज्ञापन किया है।
- बैंक क्रिसिल की उद्योग सूचना और क्रिसिल अनुसंधान से उद्योग जोखिम स्कोर सेवा का उपयोग कर रहा है।
- बैंक उन उद्योगों / क्षेत्रों का पोर्टफोलियो अध्ययन करता है जहाँ एक्सपोजर महत्वपूर्ण हैं और ऐसे अध्ययन के निष्कर्षों पर चर्चा ऋण

जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड में की जाती है।

11.1.2 बाजार जोखिम

बैंक ने बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए एक सुपारिभाषित **बाजार जोखिम प्रबंधन नीति** निर्धारित की है। बैंक आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति और निवेश/विदेशी मुद्रा नीति के माध्यम से बाजार जोखिम का प्रबंधन करता है।

आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) नामक उच्च प्रबंधन समिति बैंक के एएलएम को निरीक्षण करती है तथा बाजार में नकदी एवं ब्याज दर परिवर्तन पर विचार विमर्श करती है तथा विभिन्न उत्पादों का कीमत निर्धारण करती है। पहचानीकरण, माप, निगरानी एवं नकदी पर बाजार जोखिम को कम करना, ब्याज दरें, ईक्विटी एवं मुद्रा क्षेत्र से एएलसीओ द्वारा मानिटर किये जाते हैं।

दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता स्थिति की समीक्षा करते हुए परिपक्वता बेमेल के लिए गैप विश्लेषीकरण के माध्यम द्वारा नकदी जोखिम का माप एवं प्रबंधन किया जाता है। आस्ति एवं देयताओं के लिए, जो गैर परिपक्वता प्रकृति वाले हैं, बैंक द्वारा व्यवहारात्मक अध्ययन का आयोजन किया जा रहा है तथा पायी गयी टिप्पणियों को गैप विश्लेषीकरण में उपादान किया जा रहा है। संरचनात्मक अध्ययन के परिणामों को बैंक-टैस्टिंग तथा नियमित रूप से वैधीकरण करना है। निवल गैप एवं एक वर्ष तक के संचित गैप के लिए विवेकपूर्ण सीमाएँ रखी गयी हैं तथा इन सीमाओं को माप एवं निगरानी नियमित रूप से की जाएगी। बैंक के तरलता प्रोफाइल को भी विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से नियमित रूप से माप किया जाएगा तथा इनपर निगरानी लगायी गयी विवेकपूर्ण सीमाओं की सहायता से की जाएगी।

गैप विश्लेषीकरण तथा अवधि गैप विश्लेषीकरण द्वारा ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। ब्याज दरों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर प्रभाव के प्रति सहनशीलता सीमाएँ लगायी गयी हैं। बैंक की ईक्विटी पर ब्याज दरों में परिवर्तन प्रभाव को माप करने हेतु अवधि गैप विश्लेषीकरण किया गया है तथा ईक्विटी की परिवर्तित अवधि के लिए प्रुडेंशियल सीमाएँ रखी गयी हैं। ईक्विटी की परिवर्तित अवधि की स्थिति को नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। मुद्रा परिचालन समेत बाजार जोखिम को माप करने हेतु वीएआर एवं अवधि विश्लेषण को उपयोग किया जा रहा है। बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआईबीबी) को भी मासिक आधार पर निर्धारित किया जा रहा है। तरलता और ब्याज दरों की परिवर्तनों का अनुरूपण करते हुए उनके प्रभाव का आकलन करने हेतु तनाव परीक्षण अभ्यास किये जाते हैं।

11.1.3. परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम का प्रबंधन एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति का एक भाग है और बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु ध्यान केन्द्रित किया है। परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग बैंक के सभी परिचालन जोखिम संबंधी कार्यकलापों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है, जिनमें जोखिम प्राफाइल को समझना, परिचालन जोखिम के प्रबंधन से संबंधित सामग्री को तैयार करना और नियंत्रणों में सुधार और न्यूनतम जोखिम को लक्षित करते हुए कार्य करना। परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालन जोखिम नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है और बोर्ड/जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा अनुमोदित सीमाओं के अधीन अनुपालन की निगरानी करती है।



10.1 Presence in Minority-Dominated Districts

The number of branches in Minority dominated districts increased from 204 as on 31.3.2010 to 209 as on 31.3.2011. Of the Bank's total network across the country, the percentage of branches in minority dominated districts stands at 12.81 %.

10.2 Structural Changes

During the year 2010-11, the Bank has added one new Zone with Lucknow as its headquarters, thus taking the total number of Zones to 23. Branches functioning in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh States have been brought under the purview of Lucknow Zonal Office. This was done with the intent to facilitate speedy decision making and for the convenience of customers.

The Bank has also started three Zonal Inspectorate Offices during the year with Head Quarters at Chennai, New Delhi and Visakhapatnam (A.P.)

11. Qualitative Aspects:

11.1. Risk Management

The Bank has put in place a comprehensive "Integrated Risk Management Policy" for the management of credit risk, market risk and operational risk as per the guidance notes/guidelines of RBI. Accordingly, all the risk management functions, viz., credit Risk, Asset-Liability Management (ALM), Mid-office of the domestic treasury and operational risk functions have been integrated. The "Integrated Risk Management Policy" of the Bank is being reviewed every year in tune with the notifications given by the RBI. Risk Management Committee (RMC) of Board meets regularly to provide guidance and directions in implementing the risk management initiatives of the Bank.

11.1.1 Credit Risk

- The Bank has constituted 'Credit Risk Management Committee' for analyzing all issues relating to credit matters and for recommending to the Board.
- The Bank has a well defined 'Loan Policy' duly approved by the Board. The Bank has formulated policies on standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks, delegation of credit approving powers, prudential limits on large credit exposures, asset concentration, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance, etc.,
- The Bank has in place a comprehensive Internal Credit Risk Rating system for various categories of exposures.
- Bank has entered into memorandum of understanding with the External Credit Assessment Institutions (ECAIs) for rating the corporate borrowers.
- The Bank utilizes industry reports from CRISIL and the industry risk score service from CRISIL Research
- The Bank undertakes portfolio studies on industries/sectors where the exposures are substantial and the

findings of such studies are discussed by 'Credit Risk Management Committee'.

11.1.2 Market Risk

The Bank has in place a well-defined 'Market Risk Management Policy' and organizational structure for market risk management functions. The Bank manages market risk through 'Asset-Liability Management (ALM) policy and 'Investments/Forex policy'.

A high level executive committee, namely, Asset-liability Committee (ALCO) oversees the ALM in the Bank and deliberates on liquidity and interest rate scenario in the market and decides upon the pricing of various products. ALCO regularly monitors the identification, measurement, monitoring and mitigation of market risk in liquidity, interest rates, equity and forex areas.

The 'liquidity risk' is measured and managed through 'gap analysis' for maturity mismatches based on residual maturity. The liquidity position of the bank is tracked on a daily basis by means of structural liquidity statements. For assets and liabilities, which are of non-maturity nature, Bank is conducting behavioural studies and factoring the observations in the gap analysis. The behavioural study findings are subjected to back-testing and validated regularly. Prudential limits are fixed for net gaps and also for cumulative gap up to one year and these limits are measured and monitored regularly. Liquidity profile of the Bank is also measured regularly through various liquidity ratios and monitoring of the same is done with the help of prudential limits fixed thereon.

The 'interest rate risk' is managed through 'gap analysis' and 'duration gap analysis'. Tolerance limits have been fixed for impact on net interest income (NII) due to adverse changes in interest rates. To measure the impact of interest rate changes on Bank's equity, duration gap analysis is done and prudential limit is set for modified duration of equity. Modified duration of equity is within the prudential limits set for this purpose. VaR and duration analysis are used for measuring market risk including treasury operations. The Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is also being assessed on monthly basis. Stress testing exercises by simulating scenarios of liquidity and interest rates are undertaken to estimate their impact.

11.1.3 Operational Risk

Management of Operational Risk is a part of the 'Integrated Risk Management Policy' and the Bank has focused attention for the management of Operational Risk in the light of RBI guidelines. Operational Risk Management Department is responsible for coordinating all the operational risk management activities of the bank which includes building an understanding of the risk profile, implementing tools related to operational risk management, and working towards the goals of improved controls and lower risk. Operational Risk Management Committee [ORMC] ensures implementation of the Operational risk policies and monitors the compliance with limits approved by the Board/Risk Management Committee [RMC].

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार *बेसिक इंडिकेटर एप्रोच* को अपनाते हुए बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की संगणना करता है। परिचालन जोखिम गणना में उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए बैंक ने निम्न कदम उठाये :

- परिचालन जोखिम प्रबंधन, जो उद्देश्य, पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और परिचालन जोखिम हानि घटनाओं का नियंत्रण, को कवर करता है।
- 5 वर्षों के लिए ऐतिहासिक हानि डाटा का सृजन किया जा रहा है। शाखा स्तर पर ही परिचालन हानि घटनाओं को ट्रैक करने की प्रथा बैंक में है।
- बुजिनेस लॉइन मैपिंग नीति तैयार की गयी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।
- परिचालन जोखिम पर पूँजी प्रभार की गणना समांतर रूप से मानक एप्रोच (टीएसए) द्वारा की जाती है।

11.1.4. बेसल - II तैयारी

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार *नये पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क* के अंतर्गत बैंक ऋण जोखिम के लिए मानक एप्रोच, बाजार जोखिम के लिए मानक आविधिम एप्रोच और परिचालन जोखिम के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच का अनुपालन करता है।

ऋण जोखिम : बैंक निवेश के अंतर्गत एचटीएम संविभाग सहित समग्र तुलन पत्र हेतु ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है। बैंक कार्पोरेट उधारकर्ताओं के निर्धारण हेतु बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) की सेवाओं का लाभ उठाता है। बैंक प्रबंधन की राष्ट्रीय संस्था (एनआईबीएम), पुणे के परामर्श से विकसित ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल (सीआरआरएम) का अनुसरण कर रहा है। इस मॉडल को डब्ल्यूएएन (व्यापक क्षेत्र नेटवर्क) आधारित सीआरआरएम मॉडल बनाकर चालू वर्ष के दौरान आंतरिक रूप से और सुदृढ़ किया गया है ताकि आंकड़े केंद्रीकृत सर्वर में उपलब्ध हो सकें। यह मॉडल परिवर्तन मैट्रिसेज तथा डिफॉल्ट संभावनाओं हेतु सक्षम है तथा इससे बैंक को भविष्य में उन्नत माप दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी। आंतरिक निर्धारण आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण अपनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन देने की अंतिम तिथि 01.04.2012 है तथा आवश्यक तैयारी प्रक्रियागत हैं।

बाजार जोखिम : भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक बाजार जोखिम (एच एफ टी एवं ए एफ एस वर्ग में निवेश) के लिए पूँजी की आवश्यकता का परिकलन करने के लिए मानक अवधि पद्धति अपना रहा है। आंतरिक मॉडल एप्रोच में परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं।

परिचालन जोखिम : बैंक ने 31.03.2009 से बेसिक इंडिकेटर एप्रोच के अनुसार परिचालन जोखिम के लिए पूँजी का प्रबंधन किया है। बैंक उन्नत मापन पद्धतियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी काम कर रहा है।

11.1.5 प्रकटीकरण नीति :

पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों में उल्लेखित प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार बैंक के पास प्रकटीकरण नीति है। उसमें दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जाता है और प्राधिकृत अधिकारी को उसकी रिपोर्ट दी जाती है।

11.2 आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन :

31.03.2011 को बैंक का सकल एन पी ए रु.995.64 करोड और

सकल अग्रिम का सकल एन पी ए प्रतिशत 1.38 है। निवल अग्रिमों का निवल एन पी ए 0.38% है। 31.03.2011 को 83.94% एन पी ए कवरेज का प्रावधान था।

एन पी ए खातों में कुल नकद वसूली रु.286.91 करोड थी। एन पी ए को अर्जक वर्ग में उन्नयन करने के लिए बल दिया गया है। समझौता / बातचीत के माध्यम को अपनाकर अनर्जक आस्ति कम करने की नीति अपनायी गयी।

सारणी 15 : अनर्जक आस्तियाँ

(प्रतिशत को छोड़कर ₹ करोड में)

	2009-10	2010-11
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियाँ	368.14	487.87
वर्ष के दौरान जोड	399.90	794.68
वर्ष के दौरान कमी	280.17	286.91
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियाँ	487.87	995.64
निवल अनर्जक आस्तियाँ	95.72	273.68

31 मार्च 2011 को अनर्जक आस्तियों का क्षेत्र वार विवरण निम्नप्रकार है:

सारणी 16 : क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोडों में, प्रतिशत को छोड़कर)

	राशि	कुल अग्रिम का प्रतिशत @
1. कृषि	116	1.12
2. एम एस एम ई	354	3.18
3. खुदरा ऋण	223	2.39
4. बृहत् व मध्यम कार्पोरेट	275	0.71
5. अन्य	28	1.08
कुल	996	1.38

@ स्तंभ 3 में दर्शाये गये आंकड़े क्षेत्रीय अग्रिमों का क्षेत्रीय एनपीए का प्रतिशत दर्शाते हैं।

अनर्जक आस्तियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत किये गये प्रावधान निम्न प्रकार हैं :

सारणी 17 : अनर्जक आस्तियों के लिए किये गये प्रावधान

(₹ करोडों में)

आस्ति की प्रकृति	राशि	किया गया प्रावधान
अवमानक आस्तियाँ	561.49	284.94
संदिग्ध आस्तियाँ	425.81	425.81
हानि आस्तियाँ	8.34	8.34
कुल	995.64	719.09

11.2.1 पुनर्संरचना तंत्र

वर्ष 2010-11 के दौरान 67 खाते जिसमें ₹ 504.45 करोड बकाया राशि थी को पुनर्संरचना पैकेज के तहत पुनर्संरचित किया गया। मार्च 2011 को पुनर्संरचित खातों में ₹ 2,502.80 करोड राशि एवं 55958 खाते हैं।



The Bank has been computing capital charge for operational risk by adopting 'Basic Indicator Approach' as stipulated by the RBI. To move towards advanced approaches for Operational Risk Measurement, the Bank has put in place the following:

- Operational Risk Management Policy which covers the objectives, identification, assessment, monitoring and control of operational risk loss incidents.
- Historical Loss Data is being created for 5 years. The Bank has a system in place to track the Operational Loss events at branch level.
- Business Line Mapping Policy is framed and approved by the Board
- Capital Charge on Operational Risk is being calculated using The Standardized Approach (TSA) on parallel basis.

11.1.4 Basel - II Preparedness

As per RBI guidelines, Bank follows the Standardized Approach for credit risk. Standardized Duration Approach for market risk and Basic Indicator Approach for operational risk under the 'New Capital Adequacy Framework'.

Credit Risk: Bank follows Standardized Approach for Credit risk for total balance sheet including the HTM portfolio under investment. Bank avails the services of External Credit Assessment Institutions (ECAIs) for rating the corporate borrowers. The Bank is adopting a Credit Risk Rating Model (CRRM) developed with the consultancy assistance of National Institute of Bank Management (NIBM), Pune. This model is further strengthened internally during the current year by making it as a WAN (Wide Area Network) based CRRM model so that data is accessible at centralized server. This model is capable of providing transition matrices and default probabilities and would help the Bank in moving over to the Advanced Measurement Approach in future. Earliest date for making an application to RBI for moving over to Internal Rating Based (IRB) approach is 01.04.2012 and necessary preparation is under process.

Market Risk: The Bank is applying the Standardized duration method for computing capital requirement for market risks (investments in HFT and AFS categories) as per RBI's guidelines. For moving over to Internal Models Approach, required steps are being taken.

Operational Risk: Bank has been providing capital charge for operational risk as per the Basic Indicator Approach (BIA) with effect from 31.03.2009. Bank is in the process of moving over to the Advanced Measurement Approach.

11.1.5. Disclosure Policy:

The Bank has a Disclosure Policy as per the disclosure requirements as advised by Reserve Bank of India on the implementation of the new capital adequacy framework. The guidelines therein are adhered to and compliance is reported to the competent authorities.

11.2 Management of Asset Quality

Gross NPAs of the bank stood at ₹ 995.64 crore as on 31.3.2011 with Gross NPAs as a percentage to gross advances at 1.38 % and Net NPAs as a percentage to net advances at 0.38%. The Provision coverage of NPAs as on March 31, 2011 stood at 83.94%.

Total reduction in NPA accounts amounted to ₹ 286.91 crore. Special thrust was given on up gradation of NPAs to performing category.

Table 15: Position of Non-Performing Assets

	(₹ in crore)	
	2009-10	2010-11
Gross NPAs at the beginning of the year	368.14	487.87
Additions during the year	399.90	794.68
Reduction during the year	280.17	286.91
Gross NPAs at the end the year	487.87	995.64
Net NPAs	95.72	273.68

The segment-wise distribution of NPAs as on 31st March, 2011, is as under:

Table 16: Segment-wise Non-Performing Assets

	(₹ in crore, except for percentages)	
Segment	Amount	% to total advances*
I. Agriculture	116	1.12
II. MSME	354	3.18
III. Retail Credit	223	2.39
IV. Large and Mid Corporate	275	0.71
V. Others	28	1.08
Total	996	1.38

*Figures in column 3 indicate percentage of sectoral NPAs to sectoral advances

Provisions held under different classes of NPAs are as under:

Table 17: Provisions held for Non-Performing Assets (including floating provisions)

	(₹ in Crore)	
Nature of Asset	Amount	Provision Held
Sub-standard Assets	561.49	284.94
Doubtful Assets	425.81	425.81
Loss Assets	8.34	8.34
Total	995.64	719.09

11.2.1 Restructuring mechanism

During FY 2010-11, sixty seven accounts with outstanding of Rs.504.45 crore were restructured. The total balances in restructured accounts as at the end of March 2011 stood at ₹ 2,502.80 crore in 55958 accounts.

11.2.2 उधार प्रचलन :

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति है बाजार की स्थिति गतियाँ और जोखिम जोखिम बोध को ध्यान में रखते हुए उसकी समीक्षा और संशोधन की जाती है। बोर्ड के अनुमोदन से ऋण नीति मार्गदर्शी सिद्धांतों की समेकित समीक्षा और परिशोधन किया गया। बैंक ने ग्राहकवार, उद्योग/क्षेत्रवार पर्याप्त जोखिम सीमाएं (आंतरिक सीमाएं) निर्धारित की, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर हैं। स्वस्थ पोर्टफोलियो हेतु मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र तैयार करे उनकी सहायता से शाखा, आंचलिक कार्यालय और प्रधान कार्यालय स्तर पर ऋण खातों की निगरानी करने के लिए एक विशिष्ट ऋण निगरानी नीति तैयार की गयी। उच्च मूल्य के ऋण खातों का अनुवर्तन प्रधान कार्यालय स्तर पर किया जाता है।

11.2.3. तकनीकी मूल्यांकन कक्ष (टीएसी) और सिंडिकेशन डेस्क

बैंक में तकनीकी मूल्यांकन कक्ष (टीएसी) है, जो ऋण संसाधन और मंजूरी विभाग से स्वतंत्र है। यह एसबीआई, सीएपी, एपीआईटीसीओ, आदि जैसे अन्य परियोजना परामर्शदाताओं के अनुरूप बनाया गया है। कार्पोरेट ग्राहकों के लिए परियोजना सूचना ज्ञापन (पीआईएम) तैयार करना, तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता (टीईवी) का अध्ययन करना और ऋण प्रबंधन (ऋण सिंडिकेशन) करना, आदि कार्य कक्ष संभालता है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में कक्ष ने ₹ 5.46 करोड़ का शुल्क आधारित आय अर्जित की।

11.2.4. नया बिजनेस ग्रुप (एनबीजी)

मूल्यवान नये ग्राहकों की आवश्यकताओं के त्वरित निपटान हेतु, उनके प्रस्ताव *नया बिजनेस ग्रुप चैनल* द्वारा भेजे जाते हैं और प्रस्ताव की गुणवत्ता के आधार पर सैद्धांतिक मंजूरीयों पर तुरंत निर्णय दिये जाते हैं। बैंक का बृहत् कार्पोरेट विभाग नया बिजनेस ग्रुप समिति की बैठकों का समन्वयन करता है।

11.2.5. ऋण निगरानी कक्ष

प्रधान कार्यालय के अधिकारों के अधीन आने वाले खातों की निगरानी करने, बृहत् और मिड कार्पोरेट विभागों के लिए अलग से ऋण निगरानी कक्ष का पुनर्गठन किया गया। प्रधान कार्यालय के सीएमआरडी विभाग द्वारा की जा रही ऋण निगरानी से यह अनन्य और अलग है।

11.3 प्रबंधन सूचना तंत्र

बैंक द्वारा विकसित किया गया सुदृढ़ प्रबंधन सूचना तंत्र महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक डाटा का संग्रहण करता है, जैसे कि, जोखिम प्रबंधन और योजना तथा वरिष्ठ प्रबंधन को निर्णय लेने में प्रभावी उपकरण के रूप में काम आता है। बैंक प्रमुख पैरामीटरों में उपलब्ध सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए दैनंदिन आधार पर भी विश्लेषण कर सकता है और उपयुक्त निर्णय तुरंत ले सकता है।

11.4 निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा

31 मार्च 2010 बैंक की 1557 शाखाएँ थीं। उसमें से 1422 शाखाओं का वर्ष 2010-11 के दौरान निरीक्षण करना था। बैंक ने सभी 1422 शाखाओं का निरीक्षण कर लिया और शतप्रतिशत निरीक्षण का अनुपालन किया। इसके अलावा 45 शाखाओं का फेमा के अंतर्गत निरीक्षण किया गया। 31.12.2009 को 275 शाखाएँ जिनमें 59.07% जमाएँ, 74.89%

अग्रिम, 65.96% कुल व्यापार था, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत लाया गया।

सभी नियंत्रक कार्यालयों एवं 20 प्रधान कार्यालय विभागों का प्रणाली निरीक्षण एवं वित्तीय लेखा परिक्षण वर्ष 2010-11 में किया गया।

बैंक ने सीबीएस वातावरण में ऑफ साइट सर्वेलेन्स लेखा परीक्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान की और लेखा परीक्षण के लिए एक तंत्र विकसित किया। मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए नियमित निरीक्षण की गयी सभी शाखाओं में ऑफ साइट सर्वेलेन्स लेखा परीक्षण भी किया गया।

11.5. अनुपालन नीति

बैंक में एक समेकित अनुपालन नीति है। उप महा प्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया। बैंक द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुसार विभिन्न विभागों और आंचलिक कार्यालयों के अनुपालन अधिकारियों की भूमिका व दायित्वों को परिभाषित करते हुए उपयुक्त संस्थागत ढांचा बनायी गयी है। अनुपालन नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रणाली बनायी गयी है।

11.6. सूचना अधिकार अधिनियम का पालन करना

सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 दिनांक 18.10.2005 से लागू हुआ। चूँकि हमारा बैंक अधिनियम की धारा 2(एच) के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण है, हमारे बैंक में इसे तत्काल लागू किया गया।

सभी आंचलिक प्रबंधकों को संबद्ध अंचलों के सभी कार्यालयों के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किये गये। वे अनुरोधों पर विचार कर उपयुक्त सहयोग/सूचना प्रदान करते हैं। प्रधान कार्यालय में महा प्रबंधक अधिनियम के तहत अपेलेट प्राधिकारी है।

वर्ष 2011-11 के दौरान सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत बैंक ने 589 अनुरोध और 128 अपील प्राप्त किये। सभी अनुरोध और अपीलों का उत्तर समय पर दिया गया है।

11.7 ग्राहक सेवा

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण एवं समय पर निपटान के लिए बैंक एक अच्छी नीति अपना रहा है। शाखा स्तर पर, आंचलिक कार्यालय स्तर पर तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर शिकायतों की पारदर्शिकता और तुरंत निपटान हेतु उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये गये हैं।

पेंशनरों की सुविधा के लिए केन्द्रीय पेंशन संबंधी समस्त डाटा का केन्द्रीकरण किया गया है और उसे केन्द्रीय पेंशन संसाधन विभाग से लिंक किया गया है। इससे पेंशन और बकायों का राशि बिना किसी विसंगति समय पर जमा होती है। इसके अलावा सुधार के लिए किसी प्रकार के नये प्रयास भी इस में किये जा सकते हैं।

ग्राहक बैठक :

बैंक किसी एक निर्धारित दिन में सभी शाखाओं में एक साथ ग्राहक बैठकों का आयोजन करता है। ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। बैठकों में ग्राहकों के विचार व सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। सही स्फूर्ति से उनके अनुपालन के लिए प्रयास किये जाते हैं। प्रधान कार्यालय के सभी कार्यपालक व वरिष्ठ अधिकारियों ने विशेष पर्यवेक्षक के रूप में बैठकों में भाग लिया और ग्राहकों से विचार विमर्श किया।



11.2.2 Lending Practices:

The bank has a Board approved loan policy in place and is being reviewed and revised taking into account market conditions and risk perceptions. A comprehensive review and revision of loan policy guidelines was made with the approval of the Board. The Bank has prescribed constitution wise, Industry/sector wise, substantial exposure ceilings (internal ceilings) with in the ceilings fixed by RBI. An exclusive credit monitoring policy is devised for monitoring of borrowal accounts at branch, Zonal Office and Head Office level by devising reporting formats with monthly frequency to have healthy portfolio. High value borrowal accounts are monitored at Head Office level.

11.2.3. Technical Appraisal Cell (TAC) & Syndication Desk

The Bank has Technical Appraisal Cell (TAC) which is independent of Credit Processing & Sanctioning Departments and is in line with other project consultants in the market viz., SBI CAPs, APITCO etc., The cell undertakes preparation of Project Information Memorandum (PIM), conducting Techno-Economic Viability (TEV) Study and Debt Arrangement (Loan Syndication) for corporate clients. The Cell has earned fee based income of ₹ 5.46 crs during the financial year 2010-11.

11.2.4. New Business Group (NBG)

For speedy disposal of new customer requirements with a big ticket, the proposals are routed through the 'New Business Group channel' and immediate decisions of in principle sanctions are accorded depending upon the strength of the proposal. The Bank's Large Corporate Department is coordinating the meetings of the New Business Group Committee

11.2.5. Credit Monitoring Cell

Credit Monitoring Cell of the Bank is reconstituted for both Large and Mid Corporate Departments separately to monitor the accounts falling under the powers of Head Office. This monitoring cell is exclusive and separate from the credit monitoring done by Credit Monitoring & Review Department (CMRD) at Head Office.

11.3 Management information System

The robust Management Information System developed by the Bank captures data essential for vital functions such as risk management and planning and is serving as an effective tool for the Top Management in decision making. The bank is in a position to analyse performance in major parameters even on a day to day basis using the information system available and take quick decisions suitably.

11.4 Inspection & Audit

As on 31.03.2010, the Bank had 1557 branches, out of which 1422 branches were due for inspection during the year 2010-11. Bank has conducted inspection of all 1422 branches due for inspection, thus fulfilling 100% compliance of inspection. Apart from this, 45 branches were subjected to inspections

under FEMA. During 2010-11, 275 branches were brought under the purview of Concurrent Audit covering 59.07 % of deposits, 74.89 % of advances, 65.96 % of total business of the bank as on 31.12.2009.

All the Controlling Offices and 20 H.O Departments were subjected to Systems Inspection and Financial Audit during 2010-11.

Bank has also identified areas for Off Site Surveillance(OSS) Audit under CBS environment and developed tools for OSS Audit covering identified areas. All the branches subjected to regular inspection, were also covered under OSS Audit for the period ended March'11.

11.5. Compliance Policy

The Bank has in place a comprehensive Compliance Policy. An Executive of the Bank in the rank of Deputy General Manager has been appointed as the 'Chief Compliance Officer'. As per the Policy adopted by the Bank, suitable organizational structure has been laid down defining the roles and responsibilities for Compliance Officers of various departments and Zonal Offices. Suitable reporting system is put in place to ensure effective implementation of the compliance policy.

11.6 Adherence to Right to Information Act

RTI Act, 2005 came into force with effect from 18.10.2005 and the Act was implemented in our bank from the date of inception as the Bank is a Public Authority under Sec. 2(h) of the Act.

All Zonal Managers are designated as Central Public Information Officers (CPIOs) for all Offices in the Zone to deal with request and render reasonable assistance/information. General Manager at Head Office is the Appellate Authority under the Act.

During the Year 2010-11, Bank received 589 Requests and 128 Appeals under RTI Act. All the requests and appeals were responded and replied in time.

11.7 Customer Service

The Bank is adopting a well defined policy for the redressal of customer complaints and their timely disposal. Suitable guidelines are in place for the speedy and transparent redressal at Branch, Zonal Office and Head Office levels.

In order to facilitate the pensioners, all the data relating to Central Government pensions was centralized and is linked to Central Pension Processing centre to facilitate the timely credit of pensions and arrears without any discrepancies and also to introduce any new measures for improvement.

Customers' Meet:

The Bank conducted customers' meet across the country on a single day at regular intervals so as to obtain the views and suggestions of the customers and implement them in true spirit. Entire Top management and Senior Officers from Head Office and Zonal Offices visited the branches as Special Observers and interacted with customers.

एसएमएस अपसेट

वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में निरंतर व्यापार वृद्धि दर्ज करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण उत्कृष्ट ग्राहक सेवा है। नवोन्मेषिता के अन्वेषण में बैंक ने तकनीकीयुक्त सेवा की आरंभ की है। एसएमएस अपसेट इसके अंतर्गत ग्राहक भारत के किसी भी प्रांत से तुरंत निपटान के लिए एसएमएस के जरिए अपनी शिकायतों को भेज सकता है। यह नयी अपसेट सेवा द्वारा बैंक को ऑनलाइन द्वारा ग्राहकों की आकांक्षाओं को जानने का अवसर मिलता है और उन्हें त्वरित गति से निपटा सकता है।

शिकायतकर्ता ग्राहक को अपने मोबाइल पर अंग्रेजी में अपसेट टाइप कर एसएमएस के जरिए 9666606060 को भेजना है। एसएमएस प्राप्त होते ही, ग्राहक को उनके मोबाइल पर तत्काल पावती भेजी जाती है। ग्राहक सेवा विभाग उनसे संपर्क कर शिकयत के विवरण प्राप्त करती है और उसे निपटाने के लिए प्रयास करता है।

बैंक की यह अनोखी सेवा ग्राहकों में लोकप्रिय बन गयी। औसत निपटान समय एक दिन से कम है।

11.8 मानव संसाधन प्रबंधन

आलोच्य वर्ष 2010-11 के दौरान, वर्तमान मानव संसाधन नीति का पुनरीक्षण करने और महत्वपूर्ण व्यापार क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सही अपेक्षाएं/परिवर्तनों को सुझाने एवं संगठन के व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने नीति को संरेखन करने के लिए निदेशक मंडल की एक उप समिति गठित की गयी।

आलोच्य वर्ष में वर्तमान मानव शक्ति को बढ़ाने और ऋण, सूचना प्रौद्योगिकी, विदेशी मुद्रा, जोखिम प्रबंधन, राजकोष, आदि क्षेत्रों में हुनर घाटे को कम करने के लिए और वित्तीय समावेशन की मांगों को पूरा करने के लिए, 163 विशेषज्ञ अधिकारियों, 450 सामान्य अधिकारियों और 1000 लिपिकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

11.9 औद्योगिक संबंध

बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण है। मान्यता प्राप्त अधिकारी फेडरेशन एवं अवार्ड कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ हर तिमाही में संयुक्त बैठक की गयी है। इसके अलावा, आंचलिक स्तर में स्थानीय मामलों के समाधान के लिए, कामकाजी स्थितिगतियों में सुधार और ग्राहक सेवा संबंधी मामलों पर चर्चाएं होती हैं। कर्मचारियों के हित में कर्मचारी कल्याण योजनाओं में सीमाओं को बढ़ाने के लिए विचार किया गया।

11.10 प्रशिक्षण

बैंक में मानव श्रम पूंजी में आमूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2010-11 में साफ्ट स्किल डेवलपमेंट, विचार भावों में परिवर्तन, उत्पाद जागरूकता आदि विषयों पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। बैंकिंग में हो रहे परिवर्तनों से कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए वित्तीय समावेशन, जोखिम प्रबंधन, एनपीए प्रबंधन, सैबर सुरक्षा, अंतर राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस), आदि विषय प्रशिक्षण कैलेंडर में सम्मिलित किये गये और उन पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। चालू वर्ष में बैंक ने सामान्य चैनलों में लिपिकों एवं स्केल III तक के अधिकारियों को कवर करते हुए 3837 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया, जो कुल कर्मचारियों का 46.88% है। तकनीकी फ्रंट में परिचालनगत निपुणता में सुधार लाने के लिए चालू वर्ष में 2565 कर्मचारियों को सी बी एस पर उन्नत कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया

गया। इसके अलावा भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फीडआई), मुंबई के तत्वावधान में वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए विदेशी मुद्रा पर अन्य बैंकों द्वारा आयोजित कार्यशाला में कर्मचारियों को नामित किया। अंतर राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल करने तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों की दक्षताओं से अपने को लैस करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 22 कर्मचारियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

11.11. कर्मचारी संख्या

श्रेणी	संख्या	कुल का %
अधिकारी	8058	57.16
लिपिक	3248	23.04
अधीनस्थ कर्मचारी (सुरक्षा गार्डों को मिलाकर)*	2792	19.80
कुल	14098	100.00

* अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को छोड़कर

11.12. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रोफाइल

बैंक भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अजा एवं अजजा के लिए आरक्षण नीति कार्यान्वित करता आ रहा है। 31.03.2011 को बैंक के कार्यदल में अजा एवं अजजा का प्रतिनिधित्व क्रमशः 3065 एवं 1172 है जो कुल कार्यदल का 21.74% एवं 8.31% है। मार्च 2011 के अंत में बैंक में अधिकारियों की संख्या 8058 है जिसमें अजा श्रेणी के अधिकारी 1329 हैं और अजजा श्रेणी के 550 हैं। बैंक ने अजा एवं अजजा कर्मचारियों की समस्याओं को निपटाने के लिए प्रधान कार्यालय में एक महा प्रबंधक को तथा अंचल के स्तर पर सभी आंचलिक प्रबंधकों को मुख्य संपर्क अधिकारियों के रूप में पदनामित किया। आन्ध्रा बैंक अजा एवं अजजा कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से बैंक चर्चाएं कर रहा है।

11.13. खेल

बैंक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए खेलों को प्रोत्साहित कर रहा है। बैंक ने क्रिकेट, कबड्डी एवं चेस जैसे कुछ खेलों से उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती की है। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने उपर्युक्त क्षेत्रों में कई ट्रफियाँ और मेडल प्राप्त किये हैं।

11.14. विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)

बैंक विकलांग व्यक्तियों के भर्ती के संबंध में भारत सरकार के निदेशों का विवेकपूर्ण पालन करता है। 31.03.2011 को विकलांग श्रेणी के अंतर्गत बैंक में कुल 213 स्टाफ हैं जिसमें से 70 अधिकारी 101 लिपिक एवं 32 अधीनस्थ कर्मचारी एवं 10 अंशकालिक सफाई कामगार हैं।

12. राजभाषा

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने राजभाषा के प्रयोग को व्यापक बनाने और विभिन्न सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करने के लिए अनवरत प्रयास किये।

कोर बैंकिंग सोल्यूशन के परवर्ती परिवेश में बैंक ने स्क्रिप्ट मैजिक साफ्टवेयर को अपनाया। शाखाओं में ग्राहकों के लिए हिन्दी में पास बुक और जमा रसीदों का मुद्रण साफ्टवेयर की वजह से संभव हुआ है। एटीएम स्क्रीन पर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा हिन्दी में इंटर फेज भी उपलब्ध कराया गया। बैंक के एटीएम और डेबिट कार्ड द्विभाषिक रूप में बनाये गये हैं। बैंक का संशोधित वेबसाइट तेलुगु, हिन्दी और अंग्रेजी, तीनों भाषाओं में उपलब्ध हैं।



SMS 'UPSET' :

Excellence in customer service is an important tool for the Bank to register sustained business growth in the present competitive environment. In the quest of innovation, the Bank has launched technology embedded service "Upset" wherein customers anywhere in India can ventilate their grievances through SMS for immediate resolution. This newly introduced service 'Upset' provides an opportunity to the bank to receive the expectations of the customers online and enables the bank to initiate necessary steps for speedy redressal.

The aggrieved customer is required to type the word Upset in mobile and forward the same through SMS to 9666606060. On receipt of the SMS, the customer receives acknowledgment to the mobile instantaneously. Customer Service Department calls back the customer to elicit the details of the grievance/complaint and takes steps to resolve the same.

This unique product has been well received by customers and the average redressal time is less than a day.

11.8 Human Resources Management

During the year 2010-11, a Sub-Committee of Board was constituted to revisit the existing HR Policy of the Bank and to suggest right strategies / changes to the policy based on the critical business areas and to align the policy to achieve the business goals of the organization.

To augment the existing manpower and bridge the skill gaps in areas like Credit, Information Technology, Forex, Risk Management, Treasury etc., and to meet the demands of Financial Inclusion, process for recruitment of 163 Specialist Officers, 450 General Officers and 1000 Clerks was initiated during the year.

11.9 Industrial Relations

Industrial relations are cordial in the Bank. Quarterly meetings were held with the representatives of the recognized Officers' Federation and Award Employees' Union. Apart from this, meetings were also held at Zonal Level to sort out the local issues to better the working conditions as well as customer service. For the benefit of the employees, enhancement in the limits was considered under staff welfare schemes.

11.10. Training

In FY 2010-11, to bring about radical changes in the core capabilities of Bank's human capital, various training programmes like Soft Skill Development, Attitudinal Change, Product Awareness were conducted. To equip the employees with changes in the Banking sector, workshops and training programmes on Financial Inclusion, Risk Management, NPA Management, Cyber Security, International Financial Reporting Standards (IFRS) etc were included in the calendar of trainings. During the year 3837 employees were trained in its training centres which constitute 46.88 % of the total staff strength covering clerks and officers up to MMGS III. To improve operational efficiency on technology front, Advanced Programme on Core Banking Solutions was conducted during the year and 2565 employees were trained. The Bank has

sponsored employees to Orientation Programme on Foreign Exchange organized by other Banks on behalf of FEDAI, Mumbai. To have an international exposure and to equip themselves with the accomplishments in the Global financial markets, 22 employees in different cadres were sent to training programmes conducted abroad.

11.11. Staff Strength

Cadre	Strength	% to total strength
Officers	8058	57.16
Clerks	3248	23.04
Sub-Staff (including Security Guards)*	2792	19.80
Total	14098	100.00

*Excluding Part Time Sweepers

11.12 SC/ST Profile

The Bank has been implementing the reservation policy for SCs & STs as per Govt. of India guidelines. The representation of SCs and STs is 3065 and 1172 respectively forming 21.74% and 8.31 % of the total workforce as on 31st March 2011. Out of the total officer strength of 8058 as on 31st March 2011, 1329 officers belonged to SC category and 550 officers belonged to ST category. Bank has nominated one General Manager as Chief Liaison Officer for SCs & STs at Head Office and all Zonal Managers as Liaison officers at Zonal level to address the grievances of SC & ST employees. The Bank has been conducting quarterly joint meetings with the representatives of 'SC & ST Employees' Welfare Association of Andhra Bank'.

11.13. Sports & Games

The Bank is encouraging sports in order to facilitate promotion of sports and games to achieve excellence. The Bank has recruited outstanding sports personnel in a few disciplines like Cricket, Kabaddi and Chess. During the year 2010-11, the Bank has won several trophies and medals in the above fields.

11.14. Persons with Disabilities(PWD)

The Bank is prudently following the Govt of India guidelines regarding recruitment of Persons with Disabilities. As at the end of March 2011, the Bank had a total of 213 Staff under 'Persons with Disabilities' category consisting of 70 officers, 101 clerks, 32 subordinate staff and 10 part time sweepers.

12. Official Language

During the year, the bank made consistent efforts in promoting and propagating the use of Official Language and to comply with various other statutory requirements.

In post CBS environment, Bank has adopted "Script Magic" Hindi software. The software enabled the branches to print pass books and Deposit receipts for customers in Hindi. ATM screens are provided with interface in Hindi, in addition to English and Regional Languages. ATM and Credit Cards of the Bank are prepared in Bilingual form. The revised web-site of the Bank is made available in trilingual form.

आगे, आलोच्य वर्ष के दौरान, बैंक ने कर्मचारियों के लिए, राजभाषा के कार्यान्वयन में अधिकतम भागीदारी हेतु, हिन्दी माध्यम में ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया।

संयुक्त निदेशक (हिन्दी), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु प्रधान कार्यालय का दौरा किया। महा प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारी अहमदाबाद शाखा और आंचलिक कार्यालय, चेन्नै का निरीक्षण किया। आंचलिक कार्यालय विजयवाड़ा को राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई।

बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा क्षेत्र ~~xx~~ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैंक की गृह पत्रिका राजभाषा सरिता के लिए भी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक से राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ।

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) हैदराबाद और कर्नूल केन्द्र का संयोजक है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) हैदराबाद को भारत सरकार, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) प्राप्त हुआ।

भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना में समय समय पर दिये गये विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक सतत प्रयास कर रहा है।

13. सतर्कता

बैंक का सतर्कता विभाग प्रधानतया 3 सतर्कता मुद्दों का पर्यवेक्षण करता है, यानी निरोधात्मक, अन्वेषणात्मक और दंडात्मक। धोखा-धड़ी घटनाओं को रोकने के लिए सभी स्तरों पर निरोधात्मक सतर्कता प्रयासों को कार्यान्वित करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। सभी आंचलिक कार्यालयों में सतर्कता मामलों को देखने के लिए बैंक ने वरिष्ठ स्तर के (मुख्य प्रबंधक और अधिक) अधिकारियों को पदनामित किया।

निरोधात्मक सतर्कता के प्रयास के रूप में धोखाधड़ी मामलों कार्य शैली का विवरण और ऐसी स्थितियों में सतर्कता आवश्यकता पर परिपत्र दिये जाते हैं।

धोखाधड़ियों की प्रकृति, विद्यमान आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों का विश्लेषण, कंप्यूटर और सीबीएस परिवेश में उनकी पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने और धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोकने तथा पद्धति एवं प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सुझाव देने हेतु कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में महाप्रबंधकों की एक समिति गठित की गयी।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान बैंक ने प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालय और शाखाओं में *ग्राहक जागरूकता बैठक* आयोजित कीं।

₹ 100 लाख या उससे अधिक मूल्य के धोखा धड़ी के सभी मामले मंडल की लेखापरीक्षा उपसमिति द्वारा पुनरीक्षित किये जाते हैं। ₹ 100 लाख या उससे अधिक धोखाधड़ी मामलों की समीक्षा करने के लिए बैंक ने बोर्ड स्तरीय विशेष समिति का गठन किया।

बैंक में सभी प्रकार की निविदाओं की सूचना, उनकी राशि से संबंध न रखते हुए, अपने वेब साइट पर रखने की प्रथा है। निविदाओं के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के तुरंत बाद, सूचना वेब साइट में रखी जाती है।

बैंक द्वारा किये गये अनेक प्रयासों के परिणाम स्वरूप धोखाधड़ियों की संख्या पिछले वर्ष की 94 से आलोच्य वर्ष में 59 तक घट गयी।

14. अग्रणी बैंक योजना

बैंक आन्ध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में 6 जिलों में यानी, गुंटूर, पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, श्रीकाकुलम गंजाम एवं गजपति जिलों में अग्रणी बैंकों की जिम्मेदारियाँ निभा रहा है। सभी जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व प्रभावी रूप से निभा रहा है।

15. राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)

आन्ध्र प्रदेश में आन्ध्र बैंक राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक है। वित्तीय वर्ष 2010-11 चार तिमाहियों के दौरान बैंक ने 16 संचालन समिति की बैठकें, 4 राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकें और 3 कोर समिति की बैठकें सहित 34 बैठकें आयोजित की हैं।

इनके अलावा, सचिव, वित्त (संस्थागत वित्त) के समन्वयन में विभिन्न बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु राज्य स्तरीय उप समिति का भी गठन किया गया। समिति नियमित रूप से वित्तीय समावेशन योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति की सभी तिमाही बैठकों में आन्ध्र प्रदेश राज्य के माननीय मुख्य मंत्री और राज्य के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

16. एपीबीआईआरईडी :

आन्ध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण और उद्यमी विकास संस्थान (एपीबीआईआरईडी) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार, नाबार्ड और आन्ध्र बैंक सहित 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा गठित एक लाभ-रहित संस्थान है। संस्थान 18-35 आयु वर्ग के ग्रामीण युवक और युवतियों को, ग्रामीण उद्यमियों को और ग्रामीण एसएचजी महिलाओं को क्षमता वर्धन, उद्यमी विकास, परियोजना अवसर मार्गदर्शन, आदि सेवाओं में प्रशिक्षण प्रदान करती है। कृषि तथा अनुषंगी कार्यकलापों में किसानों और कृषकों को उपयुक्त तकनालजी प्रदान करती है।

17. वित्तीय समावेशन

बैंक के व्यवस्थापक के लक्ष्यों का अनुपालन करते हुए, समाज में वित्तीय सुविधाओं से उपेक्षित वर्गों के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु बैंक ने अनेक कदम उठाये।

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, मार्च, 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गाँव में बैंकिंग सेवा केन्द्र उपलब्ध की जानी है। ये शाखाएं ईट और पत्थर से बनने की आवश्यकता नहीं है, सूचना और संचार तकनालजी (आईसीटी) का उपयोग करते हुए बिजिनेस करेस्पॉन्डेंट माडल (बी) में इनका परिचालन किया जा सकता है।

नो फ्रिल खाते

सरलीकृत केवाईसी पद्धतियों द्वारा बैंक ने 31.03.2011 को 9.10 लाख से अधिक खाते खोले। ग्राहकों के साथ गहरे संबंध स्थापित करने और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह सफल प्रयास है।

व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल

स्मार्ट कार्ड तकनालजी का प्रयोग करते हुए *शाखा रहित बैंकिंग मॉडल* के जरिए ग्रामीण ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बैंक व्यापार प्रतिनिधियों (बीसी) सेवाओं का उपयोग कर रहा है।



Further, the bank has conducted an on-line Test to the staff in Banking in Hindi medium for their increased participation in O.L. Implementation, during the year under review.

Joint Director (Hindi), Department of Financial Services, Ministry of Finance visited the Bank's Head Office to evaluate the O.L. Implementation at various departments. General Manager (Rajbhasha), Reserve Bank of India visited Ahmedabad Branch and Chennai Zonal Office. Zonal Office, Vijayawada has been awarded with Rajbhasha Shield by Dept. of Official Language, Govt. of India.

The Bank received 'Reserve Bank Rajbhasha Puraskar' for O.L. Implementation in Region 'B' from the Governor, Reserve Bank of India. 'RBI Puraskar' was also awarded for Bank's Hindi House magazine 'Rajbhasha Sarita'.

The bank is the convener of Town Official Language Implementation Committee (Banks), for Hyderabad and Kurnool centres. The TOLIC (Banks), Hyderabad has been awarded with Rajbhasha Shield (2nd position) by the Regional Implementation Office, Dept. of Official Language, Govt. of India.

The bank has been making sustained efforts to achieve the various targets set in the Annual Action Plan by the Government of India from time to time.

13. Vigilance

Vigilance Department of the Bank oversees three primary aspects of Vigilance - Preventive, Detective and Punitive. Greater emphasis is being laid for implementation of Preventive Vigilance measures at all levels to check the instances of frauds. The Bank has identified and nominated Senior level officers (Chief Manager and above) as Vigilance Officers to look after the Vigilance matters in all Zonal Offices.

As a measure of preventive vigilance, Circulars are being issued from time to time detailing the modus operandi in frauds and the need to be vigilant under such conditions.

A Committee was constituted with General Managers headed by Executive Director to look into the nature of frauds, analyze the internal control systems in vogue, examine its adequacy and efficacy in the light of computers and CBS environment to give its suggestions to strengthen the systems, and procedures to prevent occurrence of frauds.

As a part of Vigilance Awareness Week, Bank has conducted "Customer Awareness Meets" at Head Office and Zonal Offices/ Branches.

All cases of frauds involving ₹ 1 lakh and above are being individually reviewed by the Audit Committee of the Board. Bank has constituted a Board Level Special Committee to review large value frauds involving ₹ 100 lakhs and above.

The Bank is having a system of posting information on all the tenders on its Website. The status i.e. award of tenders is also being posted on the website immediately after finalization.

Due to various initiatives taken by the Bank, the number of frauds registered has come down to 59 during this financial year as against 94 in the previous year.

14. Lead Bank Scheme

The Bank is having Lead Bank responsibility in six districts viz., Guntur, West Godavari, East Godavari and Srikakulam districts of Andhra Pradesh ; Ganjam and Gajapathi districts of Odisha State. The Bank is effectively functioning in these districts in implementation of Lead Bank Scheme.

15. SLBC

Andhra Bank is the Convener Bank for State Level Bankers' Committee of Andhra Pradesh State. During the year 2010-11, the Bank has conducted 34 meetings which include 16 Steering Committee meetings, 4 SLBC meetings, 3 Core Committee meetings etc.,

In addition, a Sub- Committee was constituted at State level to review the implementation of Financial Inclusion Plans (FIPs) by various Banks with Secretary, Finance (IF) as Coordinator. The Committee is regularly reviewing the implementation of Financial Inclusion Plans (FIPs).

All the quarterly meetings of SLBC were attended by Hon'ble Chief Minister of A.P. State and Senior officials of various Government Departments.

16. APBIRED:

Andhra Pradesh Bankers Institute of Rural and Entrepreneurship Development (APBIRED) is a non-profit society formed by Govt. of Andhra Pradesh, NABARD and six Public Sector Banks including Andhra Bank. The institute imparts capacity building, entrepreneurship development, project opportunity guidance etc., to rural men and women (in the age group of 18 years to 35 years), Rural entrepreneurs, rural SHG women and also promotes transfer of appropriate technology to farmers and agriculturists in agriculture and allied activities.

17. Financial Inclusion

In pursuit of the mission of founder of the Bank, various steps were initiated to provide banking facilities to the financially excluded sections of the society.

As per Govt. of India directions, every village in the country with population of over 2000 must have access to Banking service outlets by March, 2012. These outlets need not be brick and mortar branches but can also be through Business Correspondent (BC) operated models using Information and Communication Technology (ICT).

The Bank has been implementing the schemes / projects such as opening of "No Frills" accounts, Smart Card project for Government benefit distribution (Electronic Benefit Transfer) in A.P. State, SHG lending through Smart Card project and Financial Literacy and Credit Counseling centers (FLCC) in lead districts.

No Frills Accounts

With simplified KYC procedures, the Bank opened more than 9.10 lakh accounts as on 31.03.2011 which enabled to build strong relationships with customers paving way to achieve financial inclusion.

Business Correspondent (BC) Model

The Bank is engaging the services of BCs to outreach the rural clientele through 'Branchless Banking Model' using Smart Card technology.

एबी स्मार्ट कार्ड परियोजना

आन्ध्र प्रदेश राज्य के चार जिलों में यानी, वरंगल, पूर्वी गोदावरी, श्रीकाकुलम और गुंटूर जिलों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अर्जन (एमजीएनआरईजी) योजना के अंतर्गत पारिश्रमिकों की मजदूरी के इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट अंतरण (ईबीटी) के लिए बैंक स्मार्ट कार्ड परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। 31.03.2011 को 2605 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया और 11.37 लाख नाम दर्ज किये गये। इनमें से 10 लाख कार्ड जारी किये गये और ₹ 136 करोड़ स्मार्ट कार्ड के जरिए वितरित किये गये।

स्वयं सहायता समूह - स्मार्ट कार्ड

स्वयं सहायता समूह के ग्राहकों को उनके दरवाजे पर ही बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का यह एक नया प्रयास है। इसकी प्रायोगिक परियोजना 4 शाखाओं, यानी, रायवरम, कडियम, अनपति और बीबीनगर में कार्यान्वित की जा रही है। अब तक 2400 स्वयं सहायता समूह इस योजना के अंतर्गत कवर किये गये हैं। एसएचजी सदस्या शाखा में आये बिना ही अपने लेनदेन पूरा कर सकती हैं। इस सुविधा की वजह से एसएचजी सदस्या अपने समय और स्रोतों की बचत कर पा रही हैं।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी)

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत मार्च, 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में बैंकिंग केन्द्र खोलने के लिए बैंक को 1144 गाँव (1060 गाँव आन्ध्र प्रदेश में और 84 गाँव अन्य राज्यों में) आर्बाटित किये गये हैं।

बैंक ने ग्राम क्रांति केन्द्र के नाम से सूचना और संचार तकनालजी (आईसीटी) आधारित केन्द्र का चयन किया है, जिन का परिचालन बीसी द्वारा प्रत्येक गाँव में किया जाता है। इन केन्द्रों के माध्यम से बैंक ने शुद्ध बचत बैंक खाता, सामान्य प्रयोजन हेतु क्रेडिट कार्ड सुविधा/किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा, छोटे आवर्ती जमा उत्पाद, प्रेषण सुविधा, और माइक्रो बीमा सुविधा, जैसी सेवाओं को प्रगामी रूप से प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा अंतर्निहित *एबी ग्राम क्रांति बचत खाता* योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम जमाशेष की शर्त या सेवा प्रभार नहीं हैं। 31.03.2011 तक बैंक ने 1.50 लाख खाते के लक्ष्य के विरुद्ध 1.53 लाख खाते खोले।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

ग्रामीण जनता को विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के बारे में अवगत कराने हेतु बैंक ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के अपने 4 अग्रणी जिलों, यानी, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर और श्रीकाकुलम जिलों में 4 एफएलसीसी केन्द्र खोले हैं। ये केन्द्र ग्रामीण जनता के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों का प्रधान उद्देश्य वैयक्तिक आर्थिक शिक्षण प्रदान करना है ताकि उनका समग्र आजीविका में सुधार हो और वित्तीय मामलों में आपात से बच सकें।

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत, प्रचार हेतु बैंक ने कई कदम उठाये, जैसे करपत्रों का वितरण, प्रलेखनों की प्रदर्शनी (श्रव्य और दृश्य), प्रचार मोबाइल वैन, आदि। इसके अलावा देशभर में गठित सभी 11 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए आये प्रशिक्षार्थियों को वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

18. अनुषंगी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक में आन्ध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि. (एबीएफएसएल) के नाम से एक अनुषंगी है जो बैंक के पूर्ण स्वामित्व में है। वर्ष 2010-11 के दौरान एबीएफएसएल ने किसी प्रकार का व्यापार नहीं किया।

बैंक द्वारा प्रायोजित गुंटूर एवं पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी जिलों को कवर करते हुए गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) में चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक और गंजाम एवं ओडीशा राज्य में गंजाम एवं गजपति जिलों को कवर करते हुए ऋषिकुल्या ग्राम्य बैंक हैं। 31.03.2011 को दोनों आरआरबीयों का मिश्रित व्यापार ₹ 2940 करोड़ है और कुल शाखा नेटवर्क 186 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाएं सीबीएस के अंतर्गत हैं। 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए दोनों बैंकों ने ₹ 12.31 करोड़ लाभ अर्जन किया।

19. संसदीय समितियों का दौरा

बैंक संसदीय समिति की बैठकों का सक्रिय रूप से आयोजन एवं समन्वय करता है। वर्ष 2010-11 के दौरान निम्न संसदीय समितियों के दौरों का विवरण निम्न प्रस्तुत हैं :

- दिनांक 4 जुलाई से 7 जुलाई, 2010 तक हैदराबाद में सरकारी आश्वासनों पर संसदीय समिति, का अध्ययन दौरा।
- दिनांक 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, 2010 तक हैदराबाद में संसदीय स्थायी समिति, वित्त का अध्ययन दौरा।
- दिनांक 17 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2010 तक हैदराबाद में अधीनस्थ विधान पर संसदीय समिति, राज्य सभा का अध्ययन दौरा।

20. आन्ध्र बैंक ग्रामीण विकास न्यास

आन्ध्र बैंक ग्रामीण विकास न्यास के तत्वावधान में किसानों, एसएचजी महिला, ग्रामीण बेराजगार युवकों और शिल्पकारों, इत्यादि को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से बैंक ने 11 ग्रामीण स्वरोजगार संस्थाओं की स्थापना की। संस्थापन से लेकर 31 मार्च 2011 तक विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इन संस्थानों ने 96,809 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया। बैंक ने ओडीशा राज्य के गजपति जिले के परलाकिमिडी में जनवरी, 2011 में एक और संस्था खोली है।

वर्ष 2010-11 के दौरान एबीआरडीटी के प्रशिक्षण संस्थानों ने 293 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और 7107 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया। इनमें 1610 अनुसूचित जाति के, 649 अनुसूचित जनजाति के और 550 अल्प संख्यक समुदाय के अभ्यर्थी हैं।

21. सुरक्षा प्रबंध

शाखा, करेसी चेस्ट और एटीएम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैंक अत्यधिक प्रधानता देता है। 955 शाखाओं में सीसी टीवी निगरानी प्रणाली का कार्य प्रगति पर है। करेसी चेस्ट और शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। एटीएमों की पर्याप्त भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और बैंक/उसके कर्मचारी/ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।



AB Smart Card Project

The Bank is implementing Smart Card Project for Electronic Benefit Transfer (EBT) of Government schemes such as Social Security Pensions and wages to wage earners of MGNREG scheme in four districts viz., Warangal, East Godavari, Srikakulam and Guntur of Andhra Pradesh state. As on 31.03.2011, 2605 Grampanchayats were covered and 11.37 lakh enrollments have been registered. Out of the above, 10 lakh cards were issued and an amount of ₹ 136 crore was disbursed through these Smart Cards.

Self Help Group (SHG) - Smart Cards

It is a new initiative taken up by the Bank to serve SHG customers at their door steps. The pilot project is under implementation at four branches viz., Rayavaram, Kadiam, Anaparthi and Bibinagar. So far, 2400 SHGs are covered under this scheme. SHG members are able to complete their banking transactions without having to visit the branch. This initiative has enabled SHG members to save time and resources.

Financial Inclusion Plan (FIP)

The Bank was allotted 1144 villages (1060 villages in Andhra Pradesh and 84 villages in other states) with population above 2000 under Financial Inclusion Plan to provide the banking outlets by March, 2012.

The Bank has opted ICT based outlets called 'Grama Kranthi Kendras' operated by the BCs at each village. Through these outlets, the Bank proposes to offer services such as Pure Savings Bank Account, General Purpose Credit Card facility / Kisan Credit Card facility, Tiny Recurring Deposit products, Remittance facility and Micro Insurance facility, progressively. The Bank has covered 540 villages under this model against the target of 500 villages by 31.03.2011.

The Bank has introduced "AB Grama Kranthi Savings Account" scheme with an in-built overdraft facility. No minimum balance or service charge is applicable to these accounts. As on 31.03.2011, the Bank opened 1.53 lakh accounts against the target of 1.50 lakh accounts.

Financial Literacy and Credit Counseling Centers (FLCCs)

As part of educating the rural people about the various banking and financial services, the Bank has opened four FLCCs in the Lead Districts of Andhra Pradesh viz., East Godavari, West Godavari, Guntur and Srikakulam. These centers take up awareness programmes for the benefit of rural people. These initiatives primarily aim at personal financial education to enable individuals to take effective actions to improve their overall well-being and avoid distress in financial matters.

As part of Financial Inclusion Plan, the Bank has taken various steps for publicity such as distribution of pamphlets, display of documentaries (audio and video), Publicity Mobile Vans, etc. In addition to the above, the bank has taken initiatives to impart financial literacy and credit counseling aspects to the

participants attending training programmes at all 11 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) established across the country.

18. Subsidiaries & Regional Rural Banks

The Bank has one subsidiary, namely, the Andhra Bank Financial Services Limited (ABFSL), which is wholly-owned by the Bank. During the year 2010-11, ABFSL did not conduct any business.

The Bank sponsored two RRBs, namely, Chaitanya Godavari Grameena Bank located in Guntur (Andhra Pradesh), covering the districts of Guntur, East Godavari and West Godavari and Rishikulya Gramya Bank in Ganjam and Gajapathi Districts in the state of Odisha. The combined business of the two RRBs as on 31.03.2011 stood at ₹ 2,940 Crore with a total branch network of 186. All the branches of RRBs are under CBS. These two RRBs earned a Net Profit of ₹ 12.31 Crore for the year ended 31.3.2011.

19. Visits of Parliamentary Committees

The Bank is actively involved in organizing and coordinating the Parliamentary Committee visits. The following are the details of visits of Parliamentary Committees during the year 2010-11 :

- Parliamentary Committee on Government Assurances from 4th to 7th July'2010 in Hyderabad.
- Study Tour Programme of Parliamentary Standing Committee on Finance in Hyderabad from 21st to 23rd October'2010.
- Parliamentary Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha in Hyderabad from 17th to 19th Dec'2010

20. Andhra Bank Rural Development Trust

Under the aegis of Andhra Bank Rural Development Trust (ABRDT), the Bank has set up 11 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) which are imparting need based training programs for the benefit of Farmers, SHG women, Rural unemployed youth and artisans. These institutes have so far trained over 96809 entrepreneurs till March 2011, since their inception. The Bank opened yet another institute at Parlakhemundi, Gajapathi district of Odisha State in January 2011.

During 2010-11, the Training Institutes of ABRDT have conducted 293 training programmes and trained 7107 candidates which include 1610 scheduled caste, 649 scheduled tribe and 550 minority community candidates.

21. Security Arrangements

The Bank has accorded top priority to up-grade security arrangements at branches, currency chests and ATMs. Installation of CCTV Surveillance Systems in 955 branches is in progress. Annual security inspections of all Currency Chests and branches were conducted. Adequate physical security of ATMs is being ensured and efforts are being made to further enhance security systems to ensure safety and security of the Bank, its employees and Customers.

22. एनआरआई कक्ष

बैंक और एनआरआई ग्राहकों के बीच संप्रेषण को प्रभावी चैनल के रूप में एनआरआई कक्ष की स्थापना की गयी है। कक्ष मासिक एन आर आई न्यूज बुलेटिन द्वारा अनिवासी ग्राहक के साथ-साथ दो प्रतिनिधि कार्यालयों को भी वित्तीय क्षेत्रों की अद्यतन गतिविधियों की जानकारी प्रदान करता है। बैंक का एनआरआई कक्ष अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र में गतिविधियों पर अनिवासी भारतीयों को जानकारी प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त कक्ष दुबई एवं न्यू जेर्सी के प्रतिनिधि कार्यालयों के साथ संपर्क रखता है और बैंक के एनआरआई ग्राहकों से नियमित पत्राचार करता है।

एनआरआई ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु हमारे बैंक की सभी शाखाएं अब एफसीएनआर खाते खोलकर मंटेन कर सकती हैं।

सीबीएस प्लैट फार्म का प्रयोग करते हुए बैंक अब यूआई विनिमय केन्द्र, अबुधाबी से प्राप्त प्रेषण सीधे जमा कर रहा है, जहाँ भी प्रेषक हिताधिकारी का 15 अंक वाला खाता नंबर देता है। इससे हिताधिकारी के खाते में राशि जमा होने में समय कम लगता है।

बैंक ने खाडी देशों में कई विनिमय केन्द्रों से समझौते हेतु व्यवस्था की है तथा वित्त वर्ष के दौरान यूआई तथा ओमान प्रत्येक में एक, दो विनिमय केन्द्रों हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत, आम जनता में वित्तीय साक्षरता और विदेशी मुद्रा पर जागरूकता फैलाने हेतु एनआरआई कक्ष ने तीन प्रदर्शनियों, दो हैदराबाद में और एक विशाखपट्टणम में भाग लिया। आम आदमी में विदेशी मुद्रा विषयों पर जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

23. ब्रांड मूल्य तथा संचार

बैंक ने अपने ब्रांड मूल्य में सुधार हेतु कई कदम उठाए हैं। छवि बनाने के अभ्यास के रूप में होर्डिंग, बैंक लिट बस शेल्टर, अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी, हैदराबाद, इवाक्रा बाजार, हैदराबाद में अपने स्टाल खोलने, जैसे माध्यमों से आउट डोर विज्ञापन द्वारा बैंक ने लगातार प्रचार गतिविधियाँ बनाए रखीं। इसके अलावा, बैंक ने पत्रिकाओं, स्मारिकाओं, समाचार पत्रों में विज्ञापनों, टीवी चैनलों पर स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार किया है।

24. बैंक की वेबसाइट

बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट www.andhrabank.in अंग्रेजी, हिन्दी और तेलुगु तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट दर्शकों को बैंक की सेवाएं उत्पाद के संबंध में सूचना प्रदान करती है, बैंक से संपर्क करने की सुविधा प्रदान करती है और सेवाएं प्रदान करती है।

वेबसाइट को चालू वित्तीय वर्ष में नये डिजाइन, टेम्प्लेट, फ्लैशिंग इमेज, उपयोगकर्ता-मित्रवत नैविगेटिंग मेकानिज्म के साथ पुनः सज्जित और विकसित किया गया है और उसका निरंतरता के आधार पर अद्यतन किया जाता है।

वेबसाइट पर इंटरनेट बैंकिंग, आवक प्रेषण, कर भुगतान और ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, वेबसाइट में पूछताछ, प्रतिसूचना, ग्राहक शिकायत जैसे ग्राहक केन्द्रित डायनमिक मॉड्यूल भी हैं। वेबसाइट

सूचना का भण्डार है और पारदर्शिता के उपकरण के रूप में भी काम करती है।

भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को भी वेबसाइट सुविधा पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक के नाते बैंक www.slbcap.nic.in के नाम से दूसरी वेबसाइट भी मंटेन करता है। इस वेबसाइट में बैंकर और जनता के लिए एसएलबीसी बैठकों के सभी कार्यविवरण, राज्य सरकार के निदेश और अनुदेश शामिल हैं।

बैंक वेबसाइट का रखरखाव सुरक्षित रूप से करने के लिए सीईआरटी-आईएन (इंडियन कंप्यूटर एमर्जेंसी रेस्पॉन्स टीम) द्वारा समय समय पर जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का सख्त पालन करता है।

25. पुरस्कार व सम्मान

उत्तम कार्य निष्पादन के लिए आलोच्य वर्ष में बैंक ने निम्न पुरस्कार प्राप्त किये

- 1) बिजिनेस वर्ल्ड द्वारा सर्व श्रेष्ठ बैंक (मध्यम श्रेणी)
- 2) उत्कृष्ट बैंक - कैमेल रेटिंग के अंतर्गत प्रधान पैरामीटरों के कार्य निष्पादन में - *दि अनलिस्ट* मैगज़ेन द्वारा निर्धारित।
- 3) आस्तियों की गुणवत्ता में सर्व श्रेष्ठ बैंक - *बिजिनेस टुडे* द्वारा प्रदान किया गया।
- 4) सर्व श्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक - केरल के स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स द्वारा बैंकिंग उत्कृष्टता अवार्ड।
- 5) प्रधान मंत्री रोजगार उत्पाद कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सर्व श्रेष्ठ कार्य निष्पादन में वर्ष 2009-10 के लिए एमएसएमई राष्ट्रीय अवार्ड।

26. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

बैंक ने गरीबों तथा सामाजिक उद्धरण में कार्यरत धर्मार्थ न्यास तथा अन्य संस्थाओं को दान दिये हैं। अड्यार कैंसर संस्थान, चेन्नै तथा एल वी प्रसाद नेत्र संस्थान, हैदराबाद, निजाम इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद, करीमनगर में मानसिक विकलांगों का विशेष स्कूल *मनोविकास*, वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए अक्रा ज्योति कल्याण ट्रस्ट, कोलकाता आदि जैसी संस्थाओं/ट्रस्टों के लिए बैंक द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 1.87 करोड़ का दान दे समर्थन किया गया।

27. 2011-12 हेतु दृष्टिकोण

भारतीय रिजर्व बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8% वृद्धि होने तथा 2011-12 के दौरान बैंक जमा में 17% तथा ऋण में 19% वृद्धि का आकलन किया है। विश्वभर में बढ़ते हुए ऊर्जा मूल्य मुद्रा स्फीति के आपूर्ति पक्ष में चिंता का विषय है। 2010-11 में मुद्रा स्फीति दबाव पर नियंत्रण करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही आर्थिक सख्ती के अनुरूप कदम उठाये है तथा 03.05.2011 को घोषित आर्थिक नीति के दौरान रेपो-दर 50 बीपीएस बढ़ाकर इसे जारी रखा। बढ़ते हुए इनपुट की लागत तथा पूँजी की लागत कंपनियों के समक्ष आदर्श स्तर बनाए रखने में चुनौती होगी। हमारा देश प्रगति की गति बनाए रखने की राह पर है। इस दिशा में बैंकिंग क्षेत्र प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु तैयार है।



22. NRI cell

The NRI cell was set up with a view to serve as an effective channel of communication between the Bank and its NRI clientele. The cell is updating the Non Resident customers as well as the two Representative Offices with latest developments in the financial sphere through its Monthly NRI News bulletin. The NRI Cell is disseminating information on developments in the economy and financial sector to Non - Residents. Apart from this, the Cell also undertakes liaison with the Representative Offices of Dubai and New Jersey (USA) and keeps regular correspondence with the NRI customers of the Bank.

In order to extend services to NRI customers, all branches of our bank are now enabled to open and maintain FCNR accounts.

Utilising the CBS platform, bank is now directly crediting the remittances received from UAE Exchange Centre, Abu Dhabi wherever the remitters are providing the 15 digit account number of the beneficiary thereby reducing the time taken for crediting the amounts to beneficiary's account.

Bank has made arrangements to enter in to tie up with more exchange houses in gulf countries and obtained RBI approval for two Exchange centers during the financial year, one each in UAE and Oman.

To spread financial literacy and awareness on foreign exchange among the general public, NRI cell has participated in three exhibitions, two in Hyderabad and one in Visakhapatnam. These exhibitions were conducted under the guidance of Reserve Bank of India in their endeavor to spread awareness on foreign exchange matters among common men.

23. Branding and Communications

The Bank has undertaken several steps to improve the Brand value. As a part of image building exercise, the Bank has carried out publicity activities continuously by exploring outdoor advertising through channels like Hoardings, Backlit Bus shelters, stalls at All India Industrial Exhibition, DWACRA Bazar in Hyderabad. Apart from these, the Bank has also given wide publicity through Print & Electronic Media, scrolling on TV channels and advertisements in News Papers, Magazines and Souvenirs.

24. Bank's Website

The Bank maintains its Corporate Website www.andhrabank.in in three languages viz., English, Hindi and Telugu to provide visitors with information about the Bank, its services and products and to facilitate communication with the Bank and for availing its services.

The website was revamped and developed during the financial year with improved designs, templates, flashing images, user friendly navigating mechanism etc., which is being updated on continuous basis.

Services like Internet Banking, Inward Remittance, Tax payment and other online services are available on the web site. Further the website contains dynamic modules like Inquiry, Feed Back, Customer Grievance which are customer centric. The website is a storehouse of information and also acts as a tool of transparency.

The Bank is in the process of making its website accessible to persons with disabilities as per Government of India guidelines.

The Bank being the Convener of State Level Bankers' Committee, Andhra Pradesh, maintains another website www.slbcap.nic.in. This website communicates all the proceedings of SLBC Meetings, State Government directives, instructions to bankers and public.

The Bank follows meticulously CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) guidelines issued from time to time in maintaining bank's website securely.

25. Awards and Rewards

During the year, the Bank received the following awards for its best performance for the year 2009-'10.

- 1) Best Bank (Mid Sized) award by "Business World"
- 2) Best Bank -Performance on Key Parameters under CAMEL rating adjudged by 'The Analyst' Magazine
- 3) Best Bank for the Quality of Assets awarded by 'Business Today'
- 4) Best Public Sector Bank -Banking Excellence Award by the State Forum of Bankers' Club, Kerala
- 5) MSME National Award for outstanding performance in Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP).

26. Corporate Social Responsibility

The Bank has given Donations to Charitable Trusts and other Institutions engaged in the Upliftment of the society and poor people. The Institutions/Trusts like, Adyar Cancer Institute-Chennai, LV Prasad Eye Institute-Hyderabad, NIMS-Hyderabad, Manovikas Special School for Mentally Challenged-Karimnagar, Akrajyothi Welfare Trust, Kolkata for construction of Old Age Home, etc., were supported by the Bank by donating an amount of ₹ 1.87 crore during the year 2010-11.

27. Outlook for 2011-12

RBI has estimated the GDP growth around 8%, the Bank deposits growth at 17% and non food credit at 19% during 2011-12. However, the rising energy prices, globally, remain a concern of supply side inflation front. To contain inflationary pressure, RBI has already taken steps in 2010-11, in terms of monetary tightening, and continued the same by raising Repo Rate by 50 bps during monetary policy announced on 3.5.2011. The rising input cost and cost of capital will pose a challenge for companies to maintain their bottom line. Banking sector is poised to play a major and crucial role in the economic development of the country.

28. वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के बोर्ड की संरचना में निम्न लिखित परिवर्तन हुए :

- श्री आर एस रेड्डी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अधिवर्षिता पर दिनांक 31.08.2010 को सेवा निवृत्त हुए.
- श्री आर रामचंद्रन दिनांक 01.09.2010 से बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया.
- श्री मनोरंजन दास दिनांक 11.05.2010 से बोर्ड के वर्कमेन कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये.
- श्री बी महेश्वरन, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक दिनांक 29.07.2010 को बोर्ड से सेवा निवृत्त हुए.
- श्री एन वी आर रेड्डी दिनांक 29.07.2010 से अंशकालिक गैर-अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये.
- श्री के आर आनंदा दिनांक 30.07.2010 से भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये.
- श्री एन राज गोपाल रेड्डी दिनांक 04.08.2010 से बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये.

29. निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणी

निदेशक मंडल एतद्वारा व्यक्त करता है कि

- वार्षिक लेखों की तैयारी में लागू लेखा पद्धति मानकों का पालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गये हैं.

- लेखा पद्धतियों का चयन किया गया है और सुसंगत तथा उचित रूप से इन्हें लागू किया गया है और विवेकपूर्ण निष्कर्ष और अनुमान किए गये हैं ताकि 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक के काम-काज और लाभ-हानि का सही और सटीक स्थिति दर्शाई जा सके.
- बैंक की आस्तियों की रक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं के निवारण हेतु कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखापद्धति रिकार्ड बनाए रखने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गयी है.
- वार्षिक लेखा, सतत आधार पर तैयार किये गये हैं.

30. आभार प्रदर्शन

आन्ध्रा बैंक, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य प्राधिकारी/एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों एवं करेस्पॉण्डेंट बैंकों के उनके अमूल्य समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता है. निदेशक मंडल सभी कर्मचारियों की निष्ठापूर्ण सेवा एवं उल्लेखनीय व्यावसायिकता एवं अनवरत वृद्धि एवं लाभप्रदता बनाये रखने के लिए बैंक की दूरदृष्टि के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भूरि भूरि प्रशंसा करता है. अंतिम रूप से निदेशक मंडल सभी ग्राहक एवं पणधारियों को तहेदिल से धन्यवाद देता है.

कृते निदेशक मंडल की ओर से,

हैदराबाद

दिनांक : 05-05-2011

(आर. रामचंद्रन)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



28. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

The following changes took place in the composition of the Board of the Bank during the Financial Year 2010-'11:

- Sri R.S. Reddy, Chairman & Managing Director retired on superannuation on 31.08.2010.
- Sri R.Ramachandran has assumed charge as the Chairman & Managing Director of the Bank on 01.09.2010.
- Sri Manoranjan Das appointed as Workmen Employee Director on the Board w.e.f. 11.05.2010.
- Sri B.Maheswaran, RBI Nominee Director retired from the Board on 29.07.2010.
- Sri N.V.R.Reddy appointed as part-time Non-Official Director on the Board w.e.f. 29.07.2010.
- Sri K.R.Ananda appointed as RBI Nominee Director on the Board w.e.f. 30.07.2010.
- Sri N. Raja Gopal Reddy appointed as Officer Employee Director on the Board w.e.f.04.08.2010.

29. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors hereby states that

- The applicable accounting standards have been followed in the preparation of the annual accounts and proper explanations have been furnished, relating to material departures.
- Accounting policies have been selected, and applied consistently and reasonably, and prudent judgments and estimates have been made so as to give a true and fair

view of the state of affairs of the Bank and of the Profit & Loss of the Bank for the financial year ended 31st March 2011.

- Proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies (Amendment) Act, 2000, for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The annual accounts have been prepared on a going concern basis

30. ACKNOWLEDGEMENT

Andhra Bank is grateful to the Government of India, RBI, SEBI and other authorities/agencies, Financial Institutions and Correspondent Banks for their valuable support and guidance. The Directors also express their deep sense of appreciation to all the staff members of the Bank for their dedicated service, outstanding professionalism and commitment towards Bank's vision for a sustainable growth. Finally, the Directors wish to sincerely thank all the customers, shareholders and other stakeholders for their valuable support.

For and on behalf of the Board,

Place: Hyderabad,

Date: 05.05.2011

(R Ramachandran)

Chairman & Managing Director

31.03.2011 को वेसल II के पिलर III के अंतर्गत प्रकटीकरण (नया पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क)

सारणी डी एफ - I प्रयोग की गुंजाइश

1.1 गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) ग्रुप में प्रथम बैंक का नाम, जिस के लिए यह रूपरेखा लागू है .

इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण आन्ध्रा बैंक (एकल) से संबंधित है. बैंक का जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूँजी अनुपात (सी आर ए आर) एकल आधार पर दर्शाया गया है.

ख) ग्रुप की इकाइयों के संक्षिप्त विवरण के साथ लेखा और नियंत्रण प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार पर भिन्नताओं की रूपरेखा :

i. जो पूर्ण रूप से समेकित है :

आन्ध्रा बैंक की एक ही अनुषंगी है, यानी, आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्वीसेज लिमिटेड (एबीएफएसएल). वास्तव में एबीएफएसएल महत्वपूर्ण वित्तीय कारोबार नहीं कर रहा है. ₹ 5.00 करोड़ की कुल शेयर पूँजी (100%) का आन्ध्रा बैंक ने ही अंशदान किया है.

ii. जो यथानुपात समेकित है : कुछ नहीं

iii. जिस पर कटौती प्रक्रिया की गयी :

बैंक की निम्न सहयोगी संस्थाएँ हैं, जिन के लिए बैंक ने पूँजी शेयर का 35% अंशदान दिया है.

क्र. संख्या	संस्था का नाम	निगमित देश	स्वामित्व अनुपातिक प्रतिशत
1	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35%
2	ऋषिकुल्या ग्रामीण बैंक	भारत	35%

उपर्युक्त दोनों सहयोगी संस्थाएँ लाभ अर्जन कर रही हैं और उनके संबंध में पूँजी अपर्याप्तता नहीं है.

iv. जो न तो समेकित किये गये, तथा न ही कटौती (उदा. जहाँ निवेश जोखिम भारित है) :

क्र. संख्या	संस्था का नाम	निगमित देश	स्वामित्व अनुपातिक प्रतिशत
1	इंडिया फस्ट लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी	भारत	30.00%
2	ए एस आर ई सी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	26.02%
3	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी	मलेशिया	25.00%

1.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

ग) सभी अनुषंगियों में अपर्याप्त पूँजी की सकल राशि, जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया, यानी जिसे काट दिया गया है

और ऐसी अनुषंगियों के नाम : कुछ नहीं

आन्ध्रा बैंक की एकमात्र अनुषंगी, एबीएफएसएल की संचित हानियाँ बकाया हैं. अनुषंगी में निवेश के रूप में बैंक ने ₹ 5.00 करोड़ का पूर्ण प्रावधान किया है (कुल निवेश ₹ 5.00 करोड़).

घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की सकल राशि (उदा: चालू वही मूल्य), जो जोखिम भारित है, साथ साथ उनके नाम, निगमित देश या आवास, स्वामित्व हित का अनुपात और अन्यथा इन संस्थाओं में वोटिंग पॉवर का अनुपात. इस के अलावा, इस पद्धति बनाम कटौती का प्रयोग करते हुए नियंत्रक पूँजी पर परिमाणात्मक प्रभाव का भी उल्लेख करें.

बैंक ने इंडिया फस्ट इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से एक जीवन बीमा कंपनी का आरंभ की, जो बैंक ऑफ बडौदा और लीगल एण्ड जनरल के साथ एक संयुक्त वेंचर है. बैंक का अंशदान वर्ष 2009-10 में 30% है.

क्र. संख्या	संस्था का नाम	निगमित देश	स्वामित्व अंशदान का अनुपात	निवेश राशि
1	इंडिया फस्ट लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	30%	₹ 97.50 करोड़

संयुक्त वेंचर के निवेश को *परिपक्वता तक धारित* के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार जोखिम भारित किया गया है.

सारणी डी एफ - 2: पूँजी का ढांचा

2.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) सभी पूँजीगत उपकरणों की मुख्य बातें और नियम व शर्तों का संक्षिप्त विवरण, विशेषकर ऐसे पूँजी उपकरण जो टीयर - I और टीयर - II में शामिल करने योग्य हैं.



Disclosures under Pillar III of Basel II (New Capital Adequacy Frame work) as on 31.03.2011

Table DF-1: Scope of Application

1.1 Qualitative Disclosures:

a. The name of the top bank in the group to which the Framework applies.

Disclosures in this report pertain to Andhra Bank (Solo). The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of the Bank on stand alone basis only is shown.

b. An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group:

i. That are fully consolidated:

Andhra Bank has only one Subsidiary i.e., Andhra Bank Financial Services Ltd (ABFSL). Infact, ABFSL is not carrying on any significant financial activity. The total Share Capital (100%) of ₹ 5.00 crore is contributed by Andhra Bank only.

ii. That are pro-rata consolidated: NIL

iii. That are given a deduction treatment:

Bank has the following associates wherein the bank has contributed 35% of the share capital.

S.No.	Name of the entity	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage
1	Chaitanya Godavari Grameena Bank	India	35%
2	Rushikulya Grameena Bank	India	35%

The above mentioned two associates are making profits and there is no capital deficiency.

iv. That are neither consolidated nor deducted (eg. where the investment is risk weighted)

S.No.	Name of the entity	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage
1	India First Life Insurance Co.Ltd.	India	30.00%
2	ASREC (India) Ltd	India	26.02%
3	India International Bank (Malaysia) BHD	Malaysia	25.00%

1.2 Quantitative Disclosures:

c. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries: Nil

The sole subsidiary of the Bank, ABFSL has outstanding accumulated losses. The Bank has fully provided ₹ 5.00 Crores (Total Investment of ₹ 5.00 Cr) towards its investment in subsidiary.

d. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.

The Bank launched IndiaFirst Life Insurance Company, a Joint Venture with Bank of Baroda and Legal & General with a share of 30% in the year 2009-10.

Sl. No.	Name of the entity	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage	Amount invested
1	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	India	30%	₹ 97.50 crore

The investment in the Joint Venture is categorised as 'Held to Maturity' and risk-weighted accordingly.

Table DF-2: Capital Structure

2.1 Qualitative Disclosures:

a. Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in Upper Tier II.

31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने कुल ₹ 1,173.00 करोड़ हेतु ₹147.28 प्रति शेयर के प्रीमियम पर भारत सरकार को ₹10.00 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7,45,80,364 ईकविटी शेयरों का अधिमानी आबंटन किया है।

बैंक ने पहले (वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2011 से पहले) नवोन्मेषी बेमीयादी बांड (टियर I पूँजी), गौण ऋण बांड (लोयर टियर II), और अप्पर टियर II बांड पूँजी में शामिल करने हेतु जारी किये।

नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण बाण्ड :

वचन-पत्र - I इश्यू के रूप में अरक्षित गैर संचयी गौण बेमीयादी बाण्ड (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण - टीयर - I पूँजी)

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर	अवधि	काल आक्षण	पुट आक्षण	रेटिंग
31.12.2008	200.00	9.50	बे मीयादी	10 वर्ष के बाद *	कुछ नहीं	मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+' और मेसर्स क्रिसिल से 'एए स्टेबल'

* भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान टीयर - I पूँजी में शामिल करने योग्य किसी प्रकार के नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण/बाण्ड जारी नहीं किये गये।

जहाँ तक टीयर-II पूँजी में शामिल करने योग्य ऋण/बाण्डों का मामला है, बैंक ने निम्न को जारी किया :

गौण ऋण बाण्ड :

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टीयर-II ऋण बाण्ड - V इश्यू (सीरीज ई)

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर	अवधि	काल आक्षण	पुट आक्षण	रेटिंग
05.01.2005	200.00	7.25	111 महीने	कुछ नहीं	कुछ नहीं	फिच रेटिंग द्वारा 'एए+(इंड)'

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टीयर-II ऋण बाण्ड - VI इश्यू (सीरीज ए)

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर	अवधि	काल आक्षण	पुट आक्षण	रेटिंग
11.01.2008	700.00	9.15	124 महीने	कुछ नहीं	कुछ नहीं	मेसर्स केअर द्वारा 'सीएआरई एएए' और फिच रेटिंग द्वारा 'एए+(इंड)'

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टीयर-II बाण्ड इश्यू VII (सीरीज जी) :

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर	अवधि	काल आक्षण	पुट आक्षण	रेटिंग
10.09.2008	600.00	11.00	120 महीने	कुछ नहीं	कुछ नहीं	मेसर्स केअर द्वारा 'सीएआरई एएए' और फिच रेटिंग द्वारा 'एए+(इंड)'

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टीयर-II बाण्ड इश्यू VIII (सीरीज एच) :

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर	अवधि	काल आक्षण	पुट आक्षण	रेटिंग
24.12.2009	320.00	8.55	120 महीने	कुछ नहीं	कुछ नहीं	मेसर्स केअर द्वारा 'सीएआरई एएए' और मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एएए'



During the financial year ended 31st March, 2011, the bank has made a preferential allotment of 7,45,80,364 Equity Shares of the face value of ₹ 10/- each to Government of India at a premium of ₹ 147.28 per share for an aggregate of ₹ 1,173.00 Cr.

Bank has earlier issued (prior to the F.Y. ended 31st March, 2011) Innovative Perpetual Bonds (Tier I Capital), Subordinated Debt Bonds (Lower Tier II) and Upper Tier II Bonds for inclusion in Capital.

Innovative Perpetual Debt Bonds:

Unsecured Non Cumulative Subordinated Perpetual Bonds (Innovative Perpetual Debt- Tier I Capital) in the nature of Promissory Notes - I Issue

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate#	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
31.12.2008	200.00	9.50	Perpetual	After 10 years (Subject to RBI Approval)	None	'BWR AA+' by M/s.BRICKWORK RATINGS INDIA PVT LTD & 'AA+/Stable' by M/s. CRISIL

There was no issue of Innovative Perpetual Debts/Bonds during the financial year 2010-11 eligible for inclusion in Tier I Capital.

With regard to issue of Debts/Bonds eligible for inclusion in Tier-II Capital, the Bank has issued the following:

Outstanding Subordinated Debt Bonds:

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Debt Bonds V issue (Series E)

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
05.01.2005	200.00	7.25	111 months	None	None	'AA+ (Ind)' by Fitch Ratings

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Debt Bonds VI issue (Series F)

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
11.01.2008	700.00	9.15	124 months	None	None	'CARE AAA' by M/s. CARE & 'AA + (Ind)' by FITCH

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Debt Bonds VII issue (Series G)

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
10.09.2008	600.00	11.00	120 months	None	None	'CARE AAA' by M/s. CARE & 'AA + (Ind)' by FITCH

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Debt Bonds VIII issue (Series H)

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
24.12.2009	320.00	8.55	120 months	None	None	'CARE AAA' by M/s. CARE & 'BWR AAA' by M/s .BRICK WORK RATINGS INDIA PVT LTD

अप्पर टीयर II बाण्ड :

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय (अप्पर टीयर-II) बाण्ड इश्यू II (सीरीज ए) :

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर	अवधि	काल आश्वासन	पुट आश्वासन	रेटिंग
25.03.2009	200.00	9.30	यदि काल आश्वासन 10 साल के बाद नहीं किया जाता है तो आबंटन की मान्य तिथि से 15 साल	10 साल के बाद (भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन मिलने पर)	कुछ नहीं	मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+' और मेसर्स क्रिसिल द्वारा 'एए+/स्टेबल'

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय (अप्पर टीयर-II) बाण्ड इश्यू II (सीरीज बी) :

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर	अवधि	काल आश्वासन	पुट आश्वासन	रेटिंग
08.06.2009	520.00	8.72	यदि काल आश्वासन 10 साल के बाद नहीं किया जाता है तो आबंटन की मान्य तिथि से 15 साल	10 साल के बाद (भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन मिलने पर)	कुछ नहीं	मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+' और मेसर्स क्रिसिल द्वारा 'एए+/स्टेबल'

* भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन अधीन

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय (अप्पर टीयर-II) बाण्ड इश्यू III (सीरीज सी) :

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर	अवधि	काल आश्वासन	पुट आश्वासन	रेटिंग
18.12.2009	280.00	8.70	यदि काल आश्वासन 10 साल के बाद नहीं किया जाता है तो आबंटन की मान्य तिथि से 15 साल	10 साल के बाद (भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन मिलने पर)	कुछ नहीं	मेसर्स केअर द्वारा 'सीएआरई एए+' और मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+'

*भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन

यदि काल आश्वासन की समाप्ति के बाद यानी बाण्ड जारी करने की तिथि से 10 वर्ष बाद उसका उपयोग नहीं किया जाता है तो 0.5% स्टेप-अप आश्वासन लागू होगा.

2.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

ख) टीयर I पूँजी की राशि :

बैंक के टीयर I पूँजी में इक्विटी शेयर, आरक्षितियाँ और नवोन्मेषी बेमीयादी बाण्ड शामिल हैं. उनका विवरण निम्न प्रस्तुत है.

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि	राशि
प्रदत्त इक्विटी अंश पूँजी		559.58
आरक्षितियाँ:		
शेयर प्रीमियम	1778.42	
सांविधिक आरक्षितियाँ	1690.00	
पूँजी आरक्षितियाँ	343.56	
आयकर की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	300.00	



Upper Tier II Bonds:

Unsecured Redeemable Non-Convertible (Upper Tier-II) Bonds Issue I (A-Series):

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate#	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
25.03.2009	200.00	9.30	15 years from the deemed date of allotment, in case call option is not exercised at the end of 10 years	After 10 years (Subject to RBI Approval)	None	'BWR AA+' by M/s.BRICKWORK RATINGS INDIA PVT LTD & 'AA+/Stable' by CRISIL

Unsecured Redeemable Non-Convertible (Upper Tier-II) Bonds Issue II (B-Series):

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate#	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
08.06.2009	520.00	8.72	15 years from the deemed date of allotment, in case call option is not exercised at the end of 10 years	After 10 years (Subject to RBI Approval)	None	'BWR AA+' by M/s.BRICKWORK RATINGS INDIA PVT LTD & 'AA+/Stable' by CRISIL

Unsecured Redeemable Non-Convertible (Upper Tier II) Bonds Issue III (C-Series):

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate#	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
18.12.2009	280.00	8.70	15 years from the deemed date of allotment, in case call option is not exercised at the end of 10 years	After 10 years (Subject to RBI Approval)	None	'CARE AA+' by M/s.CARE and 'BWR AA+' by M/s. BRICKWORK RATINGS INDIA PVT LTD.

Step up option of 0.5% at the end of the call option i.e., 10th year from the date of issue of the Bond, in case the call option is not exercised.

2.2 Quantitative Disclosures:

b. The amount of Tier I Capital:

Bank's Tier I Capital comprises of equity shares, Reserves and Innovative Perpetual Bonds. The details of the same are as mentioned below.

Particulars	(₹ in Cr)	
	Amount	Amount
Paid up Equity Share Capital		559.58
Reserves:		
Share Premium	1778.42	
Statutory Reserve	1690.00	
Capital Reserve	343.56	
Special Reserve under Sec 36 (1) (viii) of Income Tax Act	300.00	

प्रतिधारित अर्जन (लाभ हानि खाते में शेष)	292.71	
राजस्व आरक्षिति	1528.15	5932.84
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण बाण्ड		200.00
कुल		6692.42
घटाइये :		
अमूर्त आस्तियाँ	48.28	
आस्थगित कर आस्ति	0.00	
प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए पूँजी प्रभार	0.53	
अनुषंगी एवं एसोसिएट्स में निवेश के लिए कटौती	7.15	55.96
कुल टीयर - I पूँजी		6636.46

ग) टीयर II पूँजी की कुल राशि (टीयर II पूँजी से कम करके) :

बैंक की टीयर - II पूँजी में गौण ऋण बाण्ड, अप्पर टीयर - II ऋण बाण्ड और अन्य सामान्य प्रावधान और हानि-आरक्षितियाँ शामिल हैं. उनका विवरण निम्न प्रस्तुत है.

(रु.करोड़ों में)

विवरण	राशि	राशि	राशि
सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षितियाँ मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान	54.81 437.59	492.40	492.40
घ) गौण ऋण बाण्ड			
31.03.2010 को कुल बकाया राशि	1780.00		
वर्ष में वर्धित राशि	0.00		
वर्ष के दौरान भुनायी	40.00		
वर्ष में पुनः शोधित			
टीयर - II में शामिल करने योग्य राशि	1740.00	1740.00	
अप्पर टीयर - II ऋण बाण्ड			
कुल बकाया राशि	1000.00		
जिस में से वर्ष में वर्धित राशि	0.00		
टीयर - II में शामिल करने योग्य राशि	1000.00	1000.00	2740.00
कुल			3232.40
ड.) गौण ऋण, जो लोअर टीयर II पूँजी में शामिल करने योग्य है			कुछ नहीं
च) टीयर II पूँजी से अन्य कटौती			
प्रतिभूति लेनदेन हेतु पूँजी प्रभार	0.53		
अनुषंगी में निवेश के लिए कटौती	7.15		7.68
कुल टीयर - II पूँजी			3224.72

छ) कुल योग्य पूँजी निम्न प्रकार है :

(रुपये करोड़ों में)

टीयर I पूँजी	6636.46
टीयर II पूँजी	3224.72
कुल योग्य पूँजी	9861.18

सारणी डीएफ - 3 : पूँजी पर्याप्तता

3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों को निभाने के लिए अपनी पूँजी पर्याप्तता के निर्धारण के लिए बैंक के दृष्टिकोण पर संक्षिप्त विवरण :

बेसल -II फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन मानदंडों का कार्यान्वयन करते समय बैंक ने विश्व की उत्तम परंपराओं को अपनाया है. बेसल -II से संबंधित विभिन्न मामलों को बताने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा है. बैंक की पूँजी आवश्यकता के आवधिक मूल्यांकन के लिए शीर्ष कार्यपालकों की अंतरिम पूँजी पर्याप्तता निर्धारण (आईसीएएपी) समिति का गठन किया गया है. इस समिति का गठन 4 वर्ष मध्यम अवधि के लिए



Retained Earnings (Balance in P&L A/c)	292.71	
Revenue Reserve	1528.15	5932.84
Innovative Perpetual Debt Bonds		200.00
Total		6692.42
Less :		
Intangible Assets	48.28	
Deferred Tax Asset	0.00	
Capital Charge for Securitization Transactions	0.53	
Deduction for investment in Subsidiaries & associates	7.15	55.96
TOTAL TIER-I CAPITAL		6636.46

c. The total amount of Tier II Capital (Net of deductions from Tier II Capital):

Bank's Tier II Capital comprises of Subordinated Debt Bonds, Upper Tier-II Debt Bonds and other general provisions and loss reserves. The details of the same are as mentioned below:

(₹ in Cr)			
Particulars	Amount	Amount	Amount
General Provisions and Loss Reserves	54.81		
Contingent Provisions on Standard Assets	437.59	492.40	492.40
d. Upper Tier-II Debt Bonds			
Total amount outstanding	1000.00		
Out of which raised during the year	0.00		
Amount eligible for inclusion in Tier-II	1000.00	1000.00	1000.00
e. Subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier II capital			
Total amount outstanding as on 31.03.2010	1780.00		
Amount raised during the year	0.00		
Discounted during the year	40.00		
Redeemed during the year			
Amount eligible for inclusion in Tier-II	1740.00	1740.00	1740.00
Total			3232.40
f. Other deductions from Tier II capital			
Capital Charge for Securitization Transactions	0.53		
Deduction for investment in Subsidiaries & Associates	7.15		7.68
TOTAL TIER-II CAPITAL			3224.72

g. Total eligible capital comprises of:

(₹ in Cr)

Tier I Capital	6636.46
Tier II Capital	3224.72
Total eligible Capital	9861.18

Table DF-3: Capital Adequacy

3.1 Qualitative disclosures:

a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

Bank is geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework. Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. For periodic assessment of Capital needs of the Bank, an Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) Committee

बैंक की पूँजी आवश्यकताओं का मानिटर एवं निर्धारण करने के लिए एवं बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम में जोखिम अधिभारित आस्ति को दृष्टि में रखकर किया गया है।

समिति नियमित रूप से बैठक बुलाती है एवं पूँजी का अधिकतम उपयोग करने के लिए विधिवत् सिनारियो पर प्रकाश डालते हुए, संबंधित मामलों पर निर्णय लेती है। बैंक आवश्यकता होने पर गौण ऋण और हाइब्रिड उपकरण के रूप में आवश्यकतानुसार टीयर -II पूँजी प्राप्त करता है।

3.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ों में)

मद	राशि
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं	
▪ मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	5650.30
▪ प्रतिभूतीकरण एसपोजर	कुछ नहीं
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं	
- मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
▪ ब्याज दर जोखिम	102.63
▪ विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	1.04
▪ ईक्विटी स्थिति जोखिम	53.95
(घ) परिचालन जोखिम की पूँजी आवश्यकताएं	
- मूल सूचक दृष्टिकोण	362.32
(ङ.) बैंक के कुल एवं टीयर - I सी आर ए आर	
▪ कुल सी आर ए आर (%)	14.38
▪ टीयर - I सी आर ए आर (%)	9.68
(च) समेकित ग्रुप के लिए कुल एवं टीयर - I सी आर ए आर	
▪ कुल सी आर ए आर (%)	14.38
▪ टीयर - I सी आर ए आर (%)	9.68
(छ) महत्वपूर्ण अनुषंगी के लिए जो समेकित ग्रुप में नहीं है, के लिए कुल एवं टीयर - I सी आर ए आर	
▪ कुल सी आर ए आर (%)	
▪ टीयर - I सी आर ए आर (%)	लागू नहीं

सारणी डीएफ- 4 : सामान्य प्रकटीकरण

4.1 गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण

4.1.1 गत देय और अनर्जक की परिभाषा (लेखा प्रयोजन हेतु):

आस्ति, पट्टे पर ली गयी आस्ति सहित जब भी बैंक को आय देना बंद कर देती है, अनर्जक आस्ति बन जाती है। 'अनर्जक आस्ति (एनपीए)' वह ऋण या अग्रिम है, जहाँ -

- सावधि ऋण के संबंध में जहाँ मूल धन का ब्याज व/या किस्त 90 दिन के लिए अतिदेय हो जाता है,
- ओवर ड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडीसीसी) के संबंध में, जब खाता निम्न प्रकार अतिदेय हो जाता है.
- बिल खरीदने व कटौती के संबंध में जब बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है.
- अल्पावधि फसल ऋण के संबंध में जब मूल धन की किस्त या ब्याज दो 'सल' के मौसमों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है
- दीर्घावधि फसल ऋण के संबंध में जब मूल धन की किस्त या ब्याज एक 'सल' के मौसम से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है.



comprising of the top executives has been constituted, to monitor and assess the Capital requirement of the Bank over the medium horizon of 4 years, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets in Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

The Committee meets regularly and decides on the capital related issues, with due focus on different options available for capital augmentation and realignment of Capital structure duly undertaking the scenario analysis for capital optimization. The Bank is raising Tier II capital in the form of Subordinated Debt and Hybrid Instruments, as and when required.

3.2 Quantitative disclosures:

(₹ in Cr)

Items	Amount
(b) Capital requirements for credit risk <ul style="list-style-type: none"> Portfolios subject to standardized approach Securitisation exposures 	5650.30 NIL
(c) Capital requirements for market risk <ul style="list-style-type: none"> - Standardized duration approach <ul style="list-style-type: none"> Interest rate risk Foreign exchange risk (including gold) Equity position risk 	102.63 1.04 53.95
(d) Capital requirements for operational risk <ul style="list-style-type: none"> - Basic indicator approach 	362.32
(e) Total and Tier I CRAR for the Bank <ul style="list-style-type: none"> Total CRAR (%) Tier I CRAR (%) 	14.38 9.68
(f) Total and Tier I CRAR for the Consolidated Group <ul style="list-style-type: none"> Total CRAR (%) Tier I CRAR (%) 	14.38 9.68
(g) Total and Tier I CRAR for the Significant Subsidiary which is not under consolidated group <ul style="list-style-type: none"> Total CRAR (%) Tier I CRAR (%) 	NA

Table DF-4: Credit Risk: General Disclosures

4.1 Qualitative Disclosures:

a) General qualitative disclosures with respect to credit risk

4.1.1 Definition of Past due and impaired (for accounting purposes):

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. A "Non Performing Asset" (NPA) is a loan or an advance where:

- interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan,
- the account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as indicated hereunder, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

- vi) अन्य खातों के संबंध में कोई भी प्राप्य राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है।
- vii) डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में प्राप्य अतिदेय डेरिवेटिव करार के बाजार मूल्य को जब सकारात्मक चित्रित करता है, यदि यह भुगतान की निर्धारित देय तारीख या तिथि से 90 दिन के लिए अतिदेय हो जाता है।

4.1.2 अव्यवस्थित स्थिति:

बकाया राशि, जब भी मंजूर की गयी राशि/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, खाते को अव्यवस्थित माना जाना चाहिए। जहाँ बकाया राशि मंजूर की गयी राशि/आहरण अधिकार से कम भी है किन्तु तुलन-पत्र की तारीख से 90 दिन तक कोई जमाएं नहीं हैं या इस अवधि में नामें किया गया ब्याज राशि से कम है, तो ऐसे खातों को अव्यवस्थित माना जाएगा।

4.1.3 "अतिदेय":

किसी भी ऋण सुविधा में बैंक द्वारा निर्धारित तारीख से पहले यदि राशि का भुगतान नहीं होता है, तो वह राशि अतिदेय मानी जाएगी।

4.1.4 रण नीति तथा प्रक्रिया :

ऋण जोखिम की परिभाषा "उधारकर्ताओं की या काउण्टर पार्टियों की ऋण की गुणवत्ता में कमी के कारण उत्पन्न होनेवाली संभाव्य हानियाँ" है। विभिन्न कारणों से उधारकर्ता को अपने वादे से चूक की संभावना होती है, जिससे बैंक का ऋण जोखिम मूर्त रूप धारण करता है। ग्राहक या काउण्टर पार्टी द्वारा विवशता के कारण या अनिच्छा के कारण उधार, व्यापार, निपटान और अन्य वित्तीय लेनदेनों के मामले में अपनी प्रतिबद्धताओं से चूक के कारण ये हानियाँ उत्पन्न होती हैं। दूसरे शब्दों में, हानियाँ ऋणों की गुणवत्ता में वास्तविक या महसूस की गयी कमियों के कारण उत्पन्न पोर्टफोलियो मूल्य में क्षति हैं। अतः ऋण जोखिम, चूक जोखिम और एक्सपोजर जोखिम दोनों का पर्यवसान है और यह बैंक द्वारा कार्पोरेट, व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था या राज्य के साथ ऋण कारोबार में उत्पन्न होता है।

ऋण जोखिम निम्न प्रकार के हो सकते हैं :

- प्रत्यक्ष ऋण के मामले में : मूलधन/और या ब्याज अदा नहीं किया जाता;
- गारंटियाँ या साख पत्रों के मामले में : दायित्व की परिणति पर ग्राहकों से निधियाँ वापस आना;
- राजकोष परिचालनों के मामले में : संबद्ध करारों के अंतर्गत काउण्टर पार्टियों द्वारा देय अदायगियाँ या अदायगियों की श्रृंखला प्राप्त नहीं होना या बंद हो जाना;
- प्रतिभूतियाँ व्यापार व्यवसाय के मामले में : निधि/ प्रतिभूतियों का निपटान नहीं होना;
- सीमापार एक्सपोजर के मामले में : राज्य द्वारा विदेशी मुद्रा निधियों की उपलब्धता और निर्बंध अंतरण में प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना।

ऋण जोखिम का प्रभावी प्रबंधन समेकित जोखिम प्रबंधन का एक विशिष्ट अंग है। किसी भी बैंकिंग संस्था की दीर्घ-कालिक सफलता के लिए यह अत्यावश्यक है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, ऋण रेटिंग/स्कोरिंग द्वारा मापन, संभाव्य ऋण हानि का अनुमान लगाते हुए राशि परिमाण की गणना, वैज्ञानिक ढंग से मूल्य निर्धारण और प्रभावशाली ऋण निगरानी व्यवस्था और पोर्टफोलियो प्रबंधन द्वारा नियंत्रण, आदि शामिल हैं।

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू है। समय समय पर उसकी समीक्षा की जाती है। गत वर्षों से विकसित कार्यक्षेत्र और वास्तविक अनुभव परिणाम स्वरूप इससे संबंधित नीति और पद्धतियों को परिमार्जन किया जा रहा है, नीति और पद्धतियों को बेसल II में बताये गये मार्गदर्शी सूत्रों के अनुरूप संरेखित किया गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति निम्न उद्देश्यों से तैयार की गयी है।

1. सही और स्वस्थ ऋण वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना।
2. आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखना।
3. स्वीकार्य सीमाओं/विवेकपूर्ण एक्सपोजर के अंदर ऋण जोखिम एक्सपोजर को बनाये रखना।
4. आस्ति पोर्टफोलियो का इस तरह से प्रबंधन करना कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास जोखिम से बचाव के लिए पर्याप्त पूँजी है।
5. बैंक में कार्यान्वित ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल का उपयोग करते हुए आंतरिक रेटिंग आधारित अप्रोच (आइ आर बी) को माइग्रेट करने के लिए आवश्यक डाटा बेस तैयार करना।
6. पद्धतियों और नियंत्रणों को सरल और कारगर बनाते हुए जोखिम को मिटाना है या कम करना।



- vi) any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
- vii) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

4.1.2 'Out of Order' status:

An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

4.1.3 'Overdue':

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

4.1.4 Strategies and Processes:

Credit Risk is defined as **"the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties"**. There is always a possibility for the borrower to default from his commitments for various reasons, resulting in crystallization of Credit risk to the Bank. These losses could stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counter party to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions. Alternatively, losses result from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality. Credit risk is, therefore, a combined outcome of Default Risk & Exposure Risk and arises from the Bank's dealings with or lending to a corporate, individual, bank, financial institution or a sovereign.

Credit risk may take the following forms:

- in the case of direct lending: principal and / or interest amount may not be repaid;
- in the case of guarantees or letters of credit: funds may not be forthcoming from the constituents upon crystallization of the liability;
- in the case of treasury operations: the payment or series of payments due from the counter parties under the respective contracts may not be forthcoming or ceases;
- in the case of securities trading businesses: funds/ securities settlement may not be effected;
- in the case of cross-border exposure: the availability and free transfer of foreign currency funds may either cease or restrictions may be imposed by the sovereign.

The effective management of credit risk is a critical component of comprehensive risk management and is essential for the long - term success of any banking institution. Credit Risk Management encompasses identification, measurement through credit rating/scoring, quantification through estimate of expected loan losses, pricing on a scientific basis and controlling through effective Loan Review Mechanism & Portfolio Management.

The Bank has in place a Credit Risk Management Policy which is reviewed from time to time. Over the years, the policy and procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel-II guidelines

The Credit Risk Management Policy is designed with the following Objectives.

1. Enhance the risk management capabilities to ensure orderly and healthy credit growth.
2. Maintain the Asset Quality.
3. Maintain credit risk exposure within acceptable parameters/prudential exposures.
4. Manage the asset portfolio in a manner that ensures, bank has adequate capital to hedge risks.
5. Build database necessary for migration to the Internal Ratings Based (IRB) approach, using the Credit Risk Rating Model implemented in the Bank.
6. Mitigate and reduce the risk by streamlining the Systems and Controls.

4.1.5 संबद्ध जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा और संगठन :

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन का ढांचा निम्न प्रकार है :

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी)
- महा प्रबंधक - समेकित जोखिम प्रबंधन विभाग (आई आर एम डी) (मुख्य जोखिम कार्यपालक) - प्रधान कार्यालय
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, समेकित जोखिम प्रबंधन विभाग (आई आर एम डी), प्रधान कार्यालय

4.1.6 जोखिम रिपोर्टिंग की प्रकृति और गुंजाइश और माप पद्धतियाँ :

ऋण जोखिम माप के अंतर्गत आयाम में अच्छे विकेंद्रीकृत पोर्टफोलियो की प्राप्ति के लिए ऋण जोखिम की माप में सीमाओं का लक्ष्य रखना शामिल है, जैसे कंपनियों, ग्रुप कंपनियों, उद्योग, संपाश्विक प्रकार एवं भौगोलिक, आदि, अच्छे जोखिम प्रबंधन एवं ऋण जोखिम तीव्रता से बचने के लिए व्यक्तिगत कंपनियों, ग्रुप कंपनियों, बैंक, व्यक्तिगत उधारकर्ता, गैर सरकारी संस्थाएं, नाजुक क्षेत्र, जैसे पूंजी बाजार, स्थावर संपदा (रियल एस्टेट), नाजुक वस्तुएं, आदि के संबंध में बैंक में प्रक्रियाएं एवं नियंत्रण उपलब्ध हैं.

4.1.7 जोखिम से बचाव और शमन करने की नीतियाँ और उपाय तथा शमन की निर्बाध प्रभाव को मानीटर करने की प्रक्रिया:

बैंक में सुव्यवस्थित ऋण नीति है. ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, वित्तीय प्रसंविदा, दर संबंधी मानक एवं बेंचमार्क, ऋण अनुमोदन अधिकारों का प्रत्यायोजन, बड़े ऋण एकसपोजर पर विवेकपूर्ण सीमाएं, आस्ति केन्द्रीकरण, ऋण संपाश्विक के लिए मानक, पोर्टोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा मेकानिज्म, जोखिम केन्द्रीकरण, जोखिम पर निगरानी एवं मूल्यांन, ऋणों का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, विनियामक/कानूनी अनुपालन, आदि के लिए बैंक ने मानकों पर नीतियाँ बनायी है.

4.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

क) कुल सकल ऋण जोखिम सीमाएं :

(रु करोड़ों में)	
श्रेणी	राशि
निधि आधारित	72,154.45
गैर निधि आधारित	17,425.43

ग) बैंक की कोई विदेशी शाखा नहीं है अतएव भौगोलिक एकसपोजर नहीं है.

घ) उद्योगवार जोखिम वितरण :

31.03.2011 तक उद्योगवार आंतरिक (निधिक) जोखिम सीमाएं तथा जोखिम

31.12.2010 (पिछली तिमाही) को कुल अग्रिम ₹ 65,587.34 करोड

क्र. संख्या	उद्योग	पिछली तिमाही के कुल अग्रिम में सीमा का %	पिछली तिमाही के कुल अग्रिम की सीमा राशि	31.03.2011 को वास्तविक निधिक एकसपोजर	पिछली तिमाही अर्थात् 31.12.2010 के कुल अग्रिम के रूप में एकसपोजर
1	टेकसटाइलज	9.00	5902.86	3522.32	5.37
2	पेट्रोलियम उत्पाद	10.00	6558.73	1086.26	1.66
3	उर्जा *	25.00	16396.84	15494.44	23.62
4	इंजीनियरिंग (भारी और लघु)	5.00	3279.37	2276.08	3.47



4.1.5 The structure and organisation of the relevant risk management function:

Credit Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- General Manager-Integrated Risk Management Department (Chief Risk Executive)-Head Office
- Credit Risk Management Cell, Integrated Risk Management Department, Head Office

4.1.6 Scope and nature of risk reporting and measurement systems:

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type, and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual companies, group companies, Banks, individual borrowers, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, sensitive commodities, etc., are in place.

4.1.7. Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

The bank also has a well defined Loan Policy in place. The bank has formulated policies & procedures on standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks, delegation of credit approving powers, prudential limits on large credit exposures, asset concentrations, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance etc.

4.2 Quantitative Disclosures:

b) The total Gross Credit Risk Exposures are :

(₹ in Cr)

Category	Amount
Fund Based	72,154.45
Non Fund Based	17,425.43

c) Bank has no Overseas Branches. Hence, Geographical exposures are not given.

d) Industry type distribution of exposures:

INDUSTRY WISE INTERNAL (FUNDED) EXPOSURE CEILINGS AND EXPOSURE AS ON 31.03.2011.

TOTAL ADVANCES AS ON 31.12.2010 (PREVIOUS QUARTER): ₹ 65,587.34 CRORE

(₹ In Crores)

Sl. No	Industry	Ceilings as % of total Advances of previous quarter	Ceiling amount on Total Advances of previous quarter	Actual Fund based exposure as on 31.03.2011	Exposure as % of total Total Advances of previous quarter i.e. 31.12.2010
1	Textiles*	9.00	5902.86	3522.32	5.37
2	Petroleum Products	10.00	6558.73	1086.26	1.66
3	Power *	25.00	16396.84	15494.44	23.62
4	Engineering (Heavy & Light)	5.00	3279.37	2276.08	3.47

5	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ *	10.00	6558.73	5045.13	7.69
6	हीरे और जवाहरात	5.00	3279.37	1239.40	1.89
7	धान मिल	6.00	3935.24	1639.20	2.50
8	चीनी	5.00	3279.37	1337.98	2.04
9	दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्स	5.00	3279.37	1446.29	2.21
10	तंबाकू	2.00	1311.75	580.13	0.88
11	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	5.00	3279.37	831.64	1.27
12	डिस्टिलरीज	1.00	655.87	152.74	0.23
13	लोहा और इस्पात *	10.00	6558.73	5200.90	7.93
14	निर्माण और ठेकेदार*	10.00	6558.73	6435.09	9.81
15	साफ्टवेयर	1.50	983.81	85.32	0.13
16	अस्पताल	3.00	1967.62	300.30	0.46
17	होटेल	3.00	1967.62	1040.55	1.59
18	शैक्षिक संस्थाएं	2.00	1311.75	599.80	0.91
19	आवास ऋण (आवासीय बंधक और आवासी मध्यवर्ती शामिल हैं) *	15.00	9838.10	5485.99	8.36
20	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) *	7.00	4591.11	3527.12	5.38

* पिछली तिमाही के सकल ऋण एक्सपोजर के 5 प्रतिशत से अधिक एक्सपोजर है.

31.03.2011 को उद्योगवार आंतरिक (गैर निधिक) ऋण जोखिम सीमाएं और ऋण जोखिम

31.12.2010 (पिछली तिमाही) को कुल गैर-निधिक सीमाएं ₹ 19,846.77 करोड हैं

(₹ करोडों में)

क्र. संख्या	उद्योग	पिछली तिमाही के निधितर सीमा का %	पिछली तिमाही के निधितर सीमा राशि	31.03.2011 को वास्तविक निधिक एक्सपोजर	पिछली तिमाही 31.12.2010 निधितर सीमा का %
1	टेकस्टाइलज	4.00	793.87	458.87	2.31
2	पेट्रोलियम उत्पाद	1.00	198.47	22.12	0.11
3	उर्जा *	15.00	2977.02	2622.29	13.21
4	इंजीनियरिंग (भारी और लघु)	12.00	2381.61	794.02	4.00
5	हीरे और जवाहरात	1.00	198.47	166.70	0.84
6	धान मिल	2.00	396.94	49.79	0.25
7	चीनी	4.00	793.87	355.72	1.79



5	NBFC *	10.00	6558.73	5045.13	7.69
6	Diamonds, Gems & Jewellery	5.00	3279.37	1239.40	1.89
7	Rice Mills	6.00	3935.24	1639.20	2.50
8	Sugar	5.00	3279.37	1337.98	2.04
9	Drugs & Pharmaceuticals	5.00	3279.37	1446.29	2.21
10	Tobacco	2.00	1311.75	580.13	0.88
11	Cement & Cement Products	5.00	3279.37	831.64	1.27
12	Distilleries	1.00	655.87	152.74	0.23
13	Iron & Steel *	10.00	6558.73	5200.90	7.93
14	Construction & Contractors *	10.00	6558.73	6435.09	9.81
15	Software	1.50	983.81	85.32	0.13
16	Hospitals	3.00	1967.62	300.30	0.46
17	Hotels	3.00	1967.62	1040.55	1.59
18	Educational Institutions	2.00	1311.75	599.80	0.91
19	Housing Loans (includes residential mortgages & indirect finance to Housing intermediaries) *	15.00	9838.10	5485.99	8.36
20	Commercial Real Estate *	7.00	4591.11	3527.12	5.38

*Exposure is more than 5 per cent of the gross credit exposure of the previous quarter

INDUSTRY WISE INTERNAL (NON-FUNDED) EXPOSURE CEILINGS AND EXPOSURE AS ON 31.03.2011.

TOTAL NON-FUNDED Limits AS ON 31-12-2010 (PREVIOUS QUARTER), ₹ 19,846.77 CRORE

(₹ In Crores)

Sl. No	Industry	Ceilings as % of Non Fund Limits of previous quarter	Ceiling amount on Non Fund Limits of previous quarter	Actual Non Fund based exposure as on 31.03.2011	Exposure as % of Non Fund Limits of previous quarter i.e. 31.12.2010
1	Textiles	4.00	793.87	458.89	2.31
2	Petroleum Products	1.00	198.47	22.12	0.11
3	Power *	15.00	2977.02	2622.29	13.21
4	Engineering (Heavy & Light)	12.00	2381.61	794.02	4.00
5	Diamonds, Gems & Jewellery	1.00	198.47	166.70	0.84
6	Rice Mills	2.00	396.94	49.79	0.25
7	Sugar	4.00	793.87	355.72	1.79

8	दवाइयों और फार्मास्यूटिकल्स	6.00	1190.81	548.00	2.76
9	तंबाकू	0.50	99.23	39.15	0.20
10	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	2.00	396.94	44.48	0.22
11	डिस्टिलरीज	0.50	99.23	15.11	0.08
12	लोहा और इस्पात *	14.00	2778.55	1728.43	8.71
13	निर्माण और ठेकेदार	50.00	9923.39	5493.45	27.68
14	साफ्टवेयर	1.00	198.47	64.22	0.32
15	अस्पताल	1.50	297.70	23.99	0.12
16	होटेल	1.50	297.70	25.25	0.13
17	शैक्षिक संस्थाएं	2.00	396.94	59.43	0.30
18	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)	2.00	396.94	104.10	0.52

* पिछली तिमाही के सकल ऋण एसपोजर के 5 प्रतिशत से अधिक एसपोजर है।

ड.) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण :

(₹ करोड़ों में)

परिपक्वता प्रतिमान	अग्रिम (निवल)	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
0 से 1 दिन	349.65	37.87	502.76
2 से 7 दिन	1207.61	66.22	30.40
8 से 14 दिन	2118.88	55.77	44.33
15 से 28 दिन	2899.98	148.62	75.95
29 दिनों से 3 महीने	6501.55	900.05	261.10
3 महीनों से अधिक और 6 महीने तक	5324.78	18.31	535.42
6 महीनों से अधिक और 1 वर्ष तक	7990.74	100.46	94.59
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	27783.57	1717.19	0.00
3 वर्षों से अधिक और 5 वर्ष तक	8342.02	3859.89	0.00
5 वर्षों से अधिक	8916.58	17305.50	0.00
कुल	71435.36	24209.88	1544.53

च) एन पी ए की राशि (सकल) :

(₹ करोड़ों में)

श्रेणी	राशि
अवमानक	561.49
संदिग्ध-1	306.07
संदिग्ध-2	99.88
संदिग्ध-3	19.86
हानि	8.34
कुल	995.64



8	Drugs & Pharmaceuticals	6.00	1190.81	548.00	2.76
9	Tobacco	0.50	99.23	39.15	0.20
10	Cement & Cement Products	2.00	396.94	44.48	0.22
11	Distilleries	0.50	99.23	15.11	0.08
12	Iron & Steel *	14.00	2778.55	1728.43	8.71
13	Construction & Contractors *	50.00	9923.39	5493.45	27.68
14	Software	1.00	198.47	64.22	0.32
15	Hospitals	1.50	297.70	23.99	0.12
16	Hotels	1.50	297.70	25.25	0.13
17	Educational Institutions	2.00	396.94	59.43	0.30
18	Commercial Real Estate	2.00	396.94	104.10	0.52

*Exposure is more than 5 per cent of the non fund limits of the previous quarter

e) Residual contractual Maturity breakdown of assets:

(₹ in Cr)

Maturity Pattern	Advances (Net)	Investments	Foreign Currency assets
0 to 1 day	349.65	37.87	502.76
2 to 7 days	1207.61	66.22	30.40
8 to 14 days	2118.88	55.77	44.33
15 to 28 days	2899.98	148.62	75.95
29 days to 3 months	6501.55	900.05	261.10
Over 3 months & upto 6 months	5324.78	18.31	535.42
Over 6 months & upto 1 year	7990.74	100.46	94.59
Over 1 year & upto 3 years	27783.57	1717.19	0.00
Over 3 years & upto 5 years	8342.02	3859.89	0.00
Over 5 years	8916.58	17305.50	0.00
Total	71435.36	24209.88	1544.53

f) Amount of NPAs (Gross):

	(₹ in Cr)
CATEGORY	AMOUNT
Sub-Std	561.49
Doubtful-1	306.07
Doubtful-2	99.88
Doubtful-3	19.86
Loss	8.34
Total	995.64

छ) निवल एन पी ए : (₹ करोड़ों में)

निवल एन पी ए	273.68
--------------	--------

ज) एन पी ए अनुपात : (₹ करोड़ों में)

सकल अग्रिमों का सकल एन पी ए (%)	1.38%
निवल अग्रिमों का निवल एन पी ए (%)	0.38%

झ) एन पी ए में परिवर्तन (सकल) : (₹ करोड़ों में)

(क) प्रारंभिक शेष	487.87
(ख) वर्ष के दौरान जोड़	794.68
(ग) वर्ष के दौरान घटाइयाँ	286.91
(घ) अंतिम शेष	995.64

ञ) एन पी ए प्रावधानों में परिवर्तन : (₹ करोड़ों में)

एन पी ए विशिष्ट प्रावधानों में परिवर्तन	
(क) प्रारंभिक शेष	353.80
(ख) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	472.37
(ग) बट्टा खाता	145.15
(घ) अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	कुछ नहीं
(ड.) अंतिम शेष	681.03
एन पी ए हेतु विशिष्ट अस्थिर प्रावधानों में परिवर्तन	
(क) प्रारंभिक शेष	38.06
(ख) वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं
(ग) वर्ष के दौरान घटाइयाँ	कुछ नहीं
(घ) अंतिम शेष	38.06

ट) अनर्जक निवेशों की राशि : ₹ 0.53 करोड़

ठ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानित राशि : ₹ 0.53 करोड़

ड) निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधानों में परिवर्तन ₹ करोड़ों में

(क) प्रारंभिक शेष	0.43
(ख) वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.10
(घ) अंतिम शेष	0.53



g) Net NPAs:

	(₹ in Cr)
Net NPAs	273.68

h) NPA Ratios:

Gross NPA to Gross Advances (%)	1.38%
Net NPA to Net Advances (%)	0.38%

i) Movement of NPAs (Gross):

	(₹ in Cr)
(a) Opening Balance	487.87
(b) Additions during the year	794.68
(c) Reductions during the year	286.91
(d) Closing Balance	995.64

j) Movement of Provision for NPAs:

	(₹ in Cr)
Movement of Specific Provisions for NPAs	
(a) Opening Balance	353.80
(b) Provisions made during the year	472.37
(c) Write-off	145.14
(d) Write-back of excess provisions	NIL
(d) Closing Balance	681.03
Movement of Floating Provisions for NPAs	
(a) Opening Balance	38.06
(b) Additions during the year	NIL
(c) Reductions during the year	NIL
(d) Closing Balance	38.06

k) Amount of Non-Performing Investments: ₹ 0.53 cr

l) Amount of provisions held for non-performing investments : ₹ 0.53 cr

m) Movement of provisions for depreciation on investments

	(₹ in Cr)
(a) Opening Balance	0.43
(b) Additions during the year	0.10
(c) Reductions during the year	NIL
(d) Closing Balance	0.53

सारणी डीएफ - 5 : ऋण जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण, जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन है

5.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो के लिए :

उपयोग की गयी ऋण निर्धारण एजेंसियों के नाम तथा किसी प्रकार के परिवर्तन के कारण

- क्रेडिट रेटिंग इनफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल)
- क्रेडिट अनालिसिस अण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
- एफ आई टी सी एच इंडिया
- आई सी आर ए लिमिटेड

वर्ष 2010-11 के दौरान उपयोग की गयी क्रेडिट एजेंसियों में कोई परिवर्तन नहीं है.

एक्सपोजर के प्रकार जिनके लिए एजेंसियों का उपयोग किया गया :

- एक वर्ष से कम या एक वर्ष की संविदागत परिपक्वता के साथ एक्सपोजर के लिए (नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर) अनुमोदित दर निर्धारण एजेंसी द्वारा दिये गये अल्पावधि दर निर्धारण का उपयोग किया गया..
- आंतरिक नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट एवं एक वर्ष से अधिक मीयादी ऋण एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि दर निर्धारण का उपयोग किया गया.
- बैंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मांगे गये दर निर्धारण का उपयोग करता है, जो वैध हैं एवं जिसकी मान्यता प्राप्त ई सी ए आई द्वारा समीक्षा की जाती है.
- बैंक एक ही उधारकर्ता के एक एक्सपोजर के लिए एक ई सी ए आई का दर निर्धारण एक साथ उपयोग नहीं करता है यदि संबंधित एक्सपोजर का दर निर्धारण एक ही चयनित ई सी ए आई द्वारा न किया गया हो. आगे, बैंक एक कार्पोरेट ग्रुप की अन्य संस्थाओं पर जोखिम भारत के लिए नहीं लगाता है.
- जहाँ एक्सपोजर उधारकर्ता को चयनित ई सी ए आई से बहु दर निर्धारण हैं, वहाँ जोखिम भारत संगणना के लिए बैंक ने निम्न प्रक्रिया अपनायी है:
 - i. यदि चयनित ई सी ए आई द्वारा दो दर निर्धारण किया गया हो, जो विभिन्न जोखिम भारतों को दर्शाता है, तो उच्च दर का जोखिम भारत लगाया जाता है.
 - ii. यदि चयनित ई सी ए आई द्वारा तीन या उससे अधिक दर निर्धारण किया गया हो, जो विभिन्न जोखिम भारतों को दर्शाता है, तो निम्नतम दो संबंधित दरों का संदर्भ लिया जाता है और इन दोनों में से उच्चतम दर का जोखिम भारत लगाया जाता है.
- बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों को सार्वजनिक निर्गमित दर के अन्तरण में प्रयुक्त प्रक्रिया का विवरण:

ऐसी कोई प्रक्रिया लागू नहीं है.

5.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

ख) मानकीकृत दृष्टिकोण पर जोखिम उपशमनों के पश्चात निम्न प्रस्तुत जोखिम बकिटों में तथा कटौती को मिलाकर बैंक की बकाया (निर्धारित तथा अनिर्धारित) एक्सपोजर राशि :

(₹ करोड़ों में)

	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
100% से कम जोखिम भारत	29,169.65	3,062.34
100% जोखिम भारत	32,200.03	12,367.47
100% से ज्यादा जोखिम भारत	6,553.64	821.48
घटाया गया	4,231.13	1,174.14
कुल	72,154.45	17,425.43

सारणी डी एफ - 6: ऋण जोखिम उपशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

6.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) ऋण जोखिम शमन के संदर्भ में शामिल सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता :



Table DF-5: Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach

5.1 Qualitative Disclosures:

a) For portfolios under the standardized approach:

Name of the credit rating agencies used, plus reasons for any changes

- Credit Rating Information Services India Limited (CRISIL)
- Credit Analysis and Research Limited (CARE)
- FITCH Ratings India (P) Ltd
- ICRA Limited

There was no change in the credit rating agencies used during the year 2010-11.

Types of exposure for which each agency is used:

- For exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except cash credit, overdraft) Short term ratings given by approved Rating Agencies are used.
- For domestic cash credit, overdraft and for term loan exposures of over 1 year, Long Term Ratings is used.
- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized ECAIs.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure to the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAIs. Further, the bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAIs, the bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
 - i. If there are two ratings accorded by chosen ECAIs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
 - ii. If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAIs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.
- **A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:**

No such process is applied

5.2 Quantitative Disclosures:

- b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of bank's outstandings (rated & unrated) in the following major risk buckets as well as those that are deducted:

(₹ in Cr)

	Fund Based	Non Fund based
Below 100% risk weight	29,169.65	3,062.34
100% risk weight	32,200.03	12,367.47
More than 100% risk weight	6,553.64	821.48
Deducted	4,231.13	1,174.14
Total	72,154.45	17,425.43

Table DF-6: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach

6.1 Qualitative Disclosures:

- a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

6.1.1 नीतियाँ और प्रक्रियाएँ, और यह बताना कि बैंक उनका कहाँ तक उपयोग करता है, ऑन अण्ड ऑफ बैलन्स शीट नेटिंग

बैंक ऑन बैलन्स शीट और ऑफ बैलन्स शीट का नेटिंग का प्रयोग तभी करता है जब जमा राशियाँ/नकद किसी खास ऋण आस्ति के विरुद्ध रखी जाती हैं।

6.1.2 संपाश्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया :

आस्तियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का पालन करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सूत्रों के अनुसार, बैंक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, जो जोखिम के प्रति संपाश्विकों को पूरा करता है (यथोचित संवारने के बाद)। इस तरह संपाश्विक मूल्य से प्रभावी रूप से जोखिम राशि को कम करता है।

6.1.3 बैंक द्वारा लिये जाने वाले मुख्य संपाश्विकों का वर्णन :

जोखिम शमन के रूप में बैंक द्वारा सामान्यतया लिये जाने वाले प्रधान संपाश्विक निम्न प्रकार हैं :

1. नकद/बैंक जमा राशियाँ
2. सोना
3. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
4. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और किसान विकास पत्र
5. प्रकटित सरेंडर वेल्यू के साथ भारतीय जीवन बीमा पालिसी
6. ऋण प्रतिभूतियाँ (नये पूँजी पर्याप्तता) म वर्क में परिभाषित अनुसार)
7. म्युचुअल फंड की इकाइयाँ।
8. संयंत्र और मशीनरी, भूमि व भवन (केवल एन पी ए खातों के मामले में)

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सूत्रों के अनुसार ऋण जोखिम शमन लागू किया जाता है।

6.1.4 गारंटर काउण्टर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण पात्रता :

जहाँ कहीं आवश्यक हो, ऋण जोखिम के उपशमन के लिए अतिरिक्त सुविधा के रूप में बैंक व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट गारंटी लेता है, जो गारंटर पर सीधा दावा किया जा सकता है एवं जो शर्त रहित एवं अविकल्पी है, गारंटर की ऋण पात्रता सामान्यतया उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति से संबंधित या प्रभावित नहीं है। राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिभूति सुविधा के रूप में दी गयी गारंटी भी बैंक स्वीकार करता है। ऐसी गारंटियाँ निरंतर प्रभावित रहती हैं, जब तक सुविधा की संपूर्ण चुकौती या निपटान नहीं किया जाता है।

6.1.5 लिये गये उपशमानों के अंदर जोखिम केन्द्रीकरण (वाजार या ऋण):

बैंक में आस्तियों का एक अच्छा प्रकीर्ण पोर्टफोलियो है, जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत है :

- उपर सूचित पात्र वित्तीय संपाश्विक
- सरकारी एवं अच्छे कॉर्पोरेटों द्वारा गारंटियाँ
- काउण्टर पार्टी द्वारा दी गयी अचल संपत्ति और चालू संपत्तियाँ

6.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि
क) संवारने के बाद पात्र वित्तीय संपाश्विक द्वारा कवर किये गये कुल एक्सपोजर, जिसमें से :	5,405.27
1. सोना : ₹ 2,702.11 करोड	
2. बैंक जमा : ₹ 2,677.95 करोड	
3. बीमा पालिसियाँ : ₹ 12.73 करोड	
4. राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि : ₹ 12.48 करोड	
ख) गारंटियों द्वारा कवर किया गया कुल एक्सपोजर	4,338.02
क्रेडिट डेरिवेटिव द्वारा कवर किया गया कुल एक्सपोजर	कुछ नहीं



6.1.1 Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting

The Bank makes use of on-balance sheet and off balance sheet netting only in cases where deposits/cash is held against the particular loan asset.

6.1.2 Policies and processes for collateral valuation and management:

A Board approved Policy on valuation of properties obtained by the Bank, is in place.

As per RBI guidelines, the Bank adopts the comprehensive approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.

6.1.3 Description of the main types of collateral taken by the Bank:

The main types of collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

1. Cash/ Bank's deposits
2. Gold
3. Securities issued by Central and State Government
4. NSCs and KVPs
5. LIC policies with a declared surrender value
6. Debt securities (as defined in the New Capital Adequacy Framework)
7. Units of Mutual Funds.
8. Plant & Machinery, Land & Building (In case of NPAs only)

The Credit Risk Mitigants are applied in accordance with the RBI guidelines.

6.1.4 Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

Wherever required, the Bank obtains Personal or Corporate guarantee, as an additional comfort for mitigation of credit risk, which can be translated into a direct claim on the guarantor, and is unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled.

6.1.5 Information about risk concentration (market or credit) within the mitigation taken:

Bank has a well dispersed portfolio of assets which are secured by various types of securities, such as:

- Eligible financial collaterals listed above
- Guarantees by sovereigns and well-rated corporates
- Fixed assets and current assets of the counterparty

6.2 Quantitative Disclosures:

		(₹ in Cr)
Particulars		Amount
a) Total exposure covered by eligible financial collateral after application of haircuts.		5,405.27
Of which:		
i) Gold	: 2702.11 Cr	
ii) Bank Deposits	: 2677.95 Cr	
iii) Insurance Policies	: 12.73 Cr	
iv) NSCs / KVPs etc	: 12.48 Cr	
b) Total exposure covered by guarantees		4,338.02
Total exposure covered by credit derivatives		Nil

सारणी डीएफ - 7: प्रतिभूतीकरण एकसपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

7.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) प्रतिभूतीकरण के संदर्भ में शामिल सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता :

7.1.1 प्रतिभूतीकरण गतिविधि के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इस में इन कार्यकलापों द्वारा बैंक से दूर अन्य निकायों में निहित प्रतिभूत एकसपोजर के ऋण जोखिम को अंतरण करने की मात्रा शामिल है.

प्रतिभूतीकरण गतिविधि हेतु बैंक का लक्ष्य

- आस्ति देयता असंतुलनों को कम करना
- शुल्क आधारित आय में वृद्धि; और
- निधियों का पुनः विनियोजन.

अंतरनिहित प्रतिभूतियों के एकसपोजर (यानी आवास ऋण) को पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) निवेशकों को हस्तांतरित किया गया.

7.1.2 प्रतिभूत आस्तियों में निक्षिप्त अन्य जोखिमों की प्रकृति (उदा. चलनिधि जोखिम);

नकद संपाश्विक प्रावधानों द्वारा चलनिधि जोखिम का ख्याल रखा जाता है और पर्याप्त प्रावधान किये जाते हैं.

7.1.3 प्रतिभूत प्रक्रिया में बैंक की विभिन्न भूमिकाएँ और प्रत्येक भूमिका का संक्षिप्त विवरण :

आन्ध्रा बैंक प्रवर्तक और सेवा-प्रदाता है. बैंक निम्न प्रकार वित्त पोषण प्रदान करता है:

- सबार्डिनेट ट्रान्ची (पी टी सी - बी) पूल प्रिन्सिपल में से 14.7% सबस्क्रिप्शन, जो ₹ 7.41 करोड़ है
- पूल में अधिक ब्याज का सबार्डिनेशन.
- ₹ 68 लाख समतुल्य नकद संपाश्विक

7.1.4 प्रतिभूत एकसपोजर के बाजार जोखिम में परिवर्तनों को मानिटर करने के लिए अपनायी जानेवाली प्रक्रिया का विवरण.

आस्तियों के अण्डरलैयिंग पूल के कार्य सूचना को निरंतर और सामयिक आधार पर प्राप्त करने की प्रक्रिया बैंक में उपलब्ध है. उस सूचना में - 30, 60, 90 दिन गत देय ऋणों का प्रतिशत, डिफाल्ट दरें, पूर्व भुगतान दरें और मोचन निषेध ऋण, आदि शामिल हैं.

7.1.5 ऋण जोखिम उपशमन के प्रयोग द्वारा प्रतिभूतीकरण एकसपोजर द्वारा रीटेन किये गये जोखिमों के शमन के लिए बैंक नीति का विवरण;

बैंक ने सबार्डिनेट पीटीसी को सबस्क्रैब कर, नकद संपाश्विक प्रदान कर साथ साथ आवश्यक प्रावधानों द्वारा साख में वृद्धि की.

ख) प्रतिभूतीकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सार :

7.1.6 या लेनदेन विक्रय या वित्तपोषण माने जाते हैं ;

लेन देन विक्रय माना जाता है.

7.1.7 रीटेन किये गये या खरीदे गये घटकों के मूल्य निर्धारण के तरीके और मुख्य धारणाएं (जिनमें निविष्टियाँ शामिल हैं):

बैंक का एक ही प्रतिभूतीकरण एकसपोजर है. प्रतिभूतीकरण के दिन को ऋण खातों की बकाया राशि पी टी सी का मूल्य माना गया.

7.1.8 पिछली अवधि की पद्धतियों और मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और उन परिवर्तनों का प्रभाव ;

कुछ नहीं

7.1.9 प्रतिभूत आस्तियों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए तुलन पत्र में देयताओं को पहचानने के लिए अपनायी जानेवाली नीति.

कुछ नहीं

ग) बैंकिंग बहियों में प्रतिभूतीकरण कार्यकलापों के लिए उपयोग किये गये ई सी ए आई के नाम एवं प्रतिभूतीकरण एकसपोजर के प्रभार जिस के लिए हर एजेंसी का उपयोग किया गया :

क्रिसिल, दर निर्धारण एजेंसी ने पूल का निर्धारण ए ए ए (एस ओ) किया है.



Table DF-7: Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

7.1 Qualitative disclosures:

a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:

7.1.1 the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.

Objectives of the Bank for undertaking the securitization activity –

- Reduction of asset liability mismatches;
- Increase in fee based income; and
- Redeployment of funds.
- Credit Risk of the underlying securitised exposures (i.e. Housing Loans) is transferred to the investors of Pass Through Certificates (PTCs).

7.1.2 the nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets;

While Liquidity risk has been taken care by providing cash collaterals, Credit risk is taken care by making adequate provisions.

7.1.3 the various roles played by the bank in the securitisation process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;

Andhra Bank is the originator and service provider. The Bank is also the provider of credit enhancement in the following form:

- Subscription to subordinate tranche (PTC-B) to the extent of 14.7% of the pool principal aggregating to ₹ 7.41 crore.
- Subordination of excess interest spread in the pool.
- Cash collateral equivalent to ₹ 68 lacs.

7.1.4 a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures.

The Bank has in place processes to access information on the performance of underlying pool of securitised exposure on an on-going basis and in a timely manner. Such information includes – percentage of loans which are 30, 60 and 90 days past due, default rates, prepayment rates and loans in foreclosure.

7.1.5 a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;

The Bank has provided credit enhancement by way of subscribing to the subordinate PTCs, by providing Cash collateral and also making suitable provisions.

b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:

7.1.6 whether the transactions are treated as sales or financings;

The transaction is treated as a sale.

7.1.7 methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased

The Bank has only one securitization exposure. The outstanding in the loan accounts as on the date of securitization was considered to be the value of PTCs.

7.1.8 changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;

Nil

7.1.9 policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets.

Nil

c) In the banking book, the names of ECAs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.

CRISIL, the Rating Agency has rated the pool as AAA (so).



7.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

बैंकिंग बही

घ) बैंक द्वारा प्रतिभूत कुल बकाया ऋण जोखिम : ₹ 50.36 करोड है

ड.) चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गयी एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियाँ, एक्सपोजर प्रकार द्वारा विघटित (उदा. क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि. अण्डर लैयिंग प्रतिभूति द्वारा विवरित): कुछ नहीं

च) एक साल के अंदर प्रतिभूतित किये जानेवाली आस्तियों की राशि : इस दशा में कुछ नहीं

छ) उत (च) में से प्रतिभूतिकरण के एक साल पूर्व उत्पन्न आस्तियाँ : लागू नहीं

ज) प्रतिभूतित एक्सपोजरों की कुल राशि (एक्सपोजर प्रकार द्वारा) और एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर पहचान नहीं की गयी लाभ या हानि .

वर्ष 2004 के दौरान बैंक ने ₹ 50.36 करोड के आवास ऋण प्रतिभूतित किये.

किसी प्रकार की हानियों की पहचान नहीं की गयी.

झ) निम्न मदों की सकल राशि :

- ऑन बैलन्स शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर रीटेन किया गया या एक्सपोजर प्रकार द्वारा विघटित क्रय और
- ऑफ बैलन्स शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर प्रकार द्वारा विघटित

ऊपर जैसा

ञ) धारित या क्रीत प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल राशि और संबद्ध पूँजी प्रभार, एक्सपोजर के बीच विघटित और प्रत्येक नियंत्रक पूँजी अप्रोच के लिए आगे जोखिम भारित बैड के रूप में विघटित

पी टी सी - ए के सबार्डिनेट के रूप में पी टी सी - बी के रूप में ₹ 7.41 करोड के प्रतिभूतित आवास ऋण बैंक द्वारा सबस्क्रैब किये गये

ट) टीयर - I पूँजी द्वारा कम किये गये एक्सपोजर, क्रेडिट एन्हांसिंग आई/ओ, जो समूची पूँजी में से घटाये गये हैं, और अन्य एक्सपोजर जो समूचे पूँजी में से घटाये गये हैं (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)

प्रतिभूतिकरण लेनदेन द्वारा पूँजी प्रभार ₹ 105.66 लाख है, जिस में से 50% टीयर I से और 50% टीयर II पूँजी से घटाया गया.

7.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक)

बैंक का व्यापार बही में कोई प्रतिभूति एक्सपोजर नहीं है

सारणी डी ए - 8: ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

8.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

8.1.1 रणनीति एवं प्रक्रियाएँ

बैंक में सुउदाहरित एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति एवं बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए संगठनात्मक संरचना है. नीति के उद्देश्य हैं:

- अंतर्निहित बाजार संबंधी जोखिम को कैप्चर करने एवं ऑफ बैलेंस शीट मदें, और बैंक के बेहतर हित में मानीटर एवं प्रबंध करने
- यह सुनिश्चित करने कि बैंक की निवल बयाज दर बाजार संबंधी पहलुओं के घटबढ से संरक्षित है
- बाजार जोखिम के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के स्तर को सुधारने
- पूँजी स्रोतों के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पूँजी संगणन के - अधुनातन पद्धतियों के अपनाने के लिए बैंक को तैयार रखना

8.1.2 संबद्ध जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्न प्रकार है.

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति



7.2 Quantitative disclosures:

Banking Book

- d) The total amount of exposures securitised by the bank: ₹ 50.36 crore
- e) For exposures securitised losses recognised by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security): NIL
- f) Amount of assets intended to be securitised within a year: NIL, at this stage
- g) Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation. : NIL
- h) The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.

Bank has securitized Housing Loans to the tune of ₹ 50.36 crore during 2004.

No losses were recognised by the Bank

i) Aggregate amount of:

- on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and
- off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type

Same as above

- j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach

₹ 7.41 crore of Securitised Housing Loans subscribed by the Bank as PTC-B, subordinate to PTC-A.

- k) Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).

Capital charge on Securitisation transaction is Rs.105.66 lacs, of which 50% is deducted from Tier I and 50% from Tier II Capital.

7.3 Quantitative Disclosures:

Trading book

The Bank does not have any securitization exposure in its trading book.

Table DF-8: Market Risk in Trading Book

8.1 Qualitative Disclosures:

8.1.1 Strategies and processes:

The Bank has in place a well-defined and Board approved 'Market Risk Management Policy' and organizational structure for Market risk management functions. The objectives of the policy are

- to capture all the market related risks inherent in on and off-balance sheet items, monitor and manage them in the best interests of the bank.
- to ensure that the bank's NII is protected from the volatilities in the market related factors
- to improve the sophistication levels of the risk management systems pertaining to Market Risk; and
- to prepare the bank for adoption of the advanced methods of capital computation to ensure optimum utilization of the capital sources.

8.1.2 The structure and organisation of the relevant risk management function:

Market Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board

- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ऑल्को)
- महाप्रबंधक -आईआरएमडी (मुख्य जोखिम कार्यपालक) - प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग प्रधान कार्यालय
 - इंटीग्रेटेड मिड ऑफिस
 - आस्ति देयता प्रबंधन अनुभाग

8.1.3 जोखिम रिपोर्टिंग एवं माप प्रणाली का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

- बैंक ने ओवरनाइट सीमा, इंस्टाडे सीमा, कुल गैप सीमा, स्टॉप लॉस सीमा, वीएआर सीमा, ब्रोकर टर्नओवर सीमा, पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा, उत्पादवार एक्सपोजर सीमा, इश्यूअरवार एक्सपोजर सीमा जैसे बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न एक्सपोजर सीमाएँ बनाई हैं।
- बैंक में ट्रेडिंग डेस्क से बोर्ड स्तर तक के विभिन्न स्तरों में जोखिम सीमा मानीटर करने के लिए जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली विद्यमान है।
- जोखिम प्रबंधन के लिए या लेखा प्रयोजनों के लिए बाजार को मार्क किये जाने वाले प्रयोग किये जाने वाले दर स्वतंत्र रूप से सत्यापित किये जाते हैं।
- बैंक की रणनीति के अनुसार रिपोर्ट निष्पादन एवं जोखिम, व्यापार गतिविधियों के प्रबंधन के लिए रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है।
- समय पालन, स्वचालीकरण के साथ यथोचित यथार्थता को रिपोर्टिंग सिस्टम सुनिश्चित करता है
- रिपोर्ट लचीले हैं और निर्णय करने की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करते हैं।
- डीलिंग रूम गतिविधियाँ केंद्रीकृत है
- रिपोर्टिंग फॉर्मेट एवं समयांतरल आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि वे जोखिम मानीटरिंग, माप एवं निवारण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

8.1.4 हेजिंग के लिए एवं/या जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजेस/ प्रशामकों के प्रभावीपन को जारी रखने हेतु मानीटर करने की प्रक्रियाएँ एवं रणनीति

बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए बोर्ड की विभिन्न अनुमोदित नीतियाँ यानी कि बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, काउण्टर पार्टी बैंक जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, फारेक्स नीति एवं एएएलएम नीति विद्यमान हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम निर्धारण, पहचान एवं माप एवं प्रशामक, जोखिम सीमा एवं ट्रिगर, जोखिम मानीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।

काउंटर बैंक जोखिम प्रबंधन नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के श्रेणीकरण के लिए बैंक में स्कोरिंग मॉडल है। स्कोरिंग मैट्रिस के अनुसार काउंटरपार्टी द्वारा प्राप्त प्वायंट के आधार पर विभिन्न एक्सपोजर सीमाएँ तय की जाती हैं।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति में विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांत हैं यह सुनिश्चित करने कि प्रासंगिक निधीयन योजना बनाने के द्वारा दबाव की स्थिति के समय चलनिधि की स्थिति अनुकूल है। प्रत्येक समय में सह्य सीमाएँ हैं और उसके उल्लंघन से चलनिधि में बाधाएँ आने का संकेत प्रदान करेंगे।

8.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ों में)

बाजार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं	
- मानकीकरण अवधि अप्रोच	
▪ ब्याज दर जोखिम	102.63
▪ विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	1.04
▪ ईक्विटी स्थिति जोखिम	53.95

सारणी डीएफ - 9 : परिचालन जोखिम :

9.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

9.1.1 रणनीति एवं प्रक्रियाएँ

बैंक का परिचालक जोखिम प्रबंधन सुदृढ़ संगठनात्मक संस्कृति एवं स्वस्थ परिचालक प्रक्रिया, कार्पोरेट मूल्यों सहित, प्रवृत्ति, सक्षमता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग एवं प्रासंगिक योजना युक्त हैं। बैंक में प्रभावी परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनायी गयी हैं।

9.1.2 संबंध जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

बैंक में परिचालक जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्न प्रकार है।



- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- General Manager-Integrated Risk Management Department (Chief Risk Executive)-Head Office
- Market Risk Management Cell, Integrated Risk Management Dept HO-
 - Integrated Mid Office
 - Asset Liability Management Cell

8.1.3 Scope and nature of risk reporting and measurement systems:

- Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the bank from trading desk to the Board level.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with bank's strategy.
- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation. The reports are flexible and enhance decision-making process.
- The Dealing room activities are centralized
- The reporting formats & the frequency is periodically reviewed so as to ensure that they suffice the risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.

8.1.4 Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

Various Board approved policies viz., Market Risk Management Policy, Country Risk Management Policy, Counterparty Bank Risk Management Policy, Investment Policy, Forex Policy and ALM policy are put in place for market risk management. Market risk management policy provides the framework for risk assessment, identification and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

Bank has in place a scoring model for categorization of International banks under Counterparty Bank Risk Management Policy. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparties as per the scoring matrix.

Liquidity risk management policy lays down various guidelines to ensure that the liquidity position is comfortable at times of stress by formulating contingency funding plan. Tolerance levels are incorporated under each time frame and any breach of the same would signal a forthcoming liquidity constraint.

8.2 Quantitative Disclosures:

(₹ in Cr)	
Capital requirements for market risk	
- Standardized duration approach	
▪ Interest rate risk	102.63
▪ Foreign exchange risk (including gold)	1.04
▪ Equity position risk	53.95

Table DF-9: Operational Risk:

9.1 Qualitative Disclosures:

9.1.1 Strategies and processes:

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- महाप्रबंधक, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग, प्र.का (मुख्य जोखिम कार्यपालक)
- परिचालन जोखिम प्रबंधन कक्ष (आईआरएमडी) प्रका

9.1.3 जोखिम रिपोर्टिंग का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति एवं/या माप प्रणाली

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखाओं/कार्यालयों में लोगों, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी एवं बाह्य ईवेंट के संबंध में होने वाली परिचालन जोखिम हानि की घटनाएँ निहित हैं। हानि ईवेंट के आधार पर एमआईएस की तैयारी के लिए विभिन्न स्रोतों से डाटा प्राप्त किया जाता है।

9.1.4 हेजिंग के लिए एवं/या जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजेस/ प्रशामकों के प्रभावीपन को जारी रखने हेतु मानीटर करने की प्रक्रियाएँ एवं रणनीति बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के संबंध में निम्न नीतियाँ बनायी गयी हैं।

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति: नीति में परिचालन जोखिम, जोखिम प्रबंधन संरचना, पहचान, निर्धारण, परिचालक जोखिम की माप एवं मानीटरिंग की जाती हैं।
- अनुपालन नीति: बैंक में समग्र अनुपालन नीति है। बैंक द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुसार आंचलिक कार्यालय, प्रधान कार्यालय के विभिन्न परिचालक विभाग एवं शाखाओं में विभिन्न विभागों में अनुपालन अधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये हैं ताकि गुपवार एवं बहुविध क्षेत्राधिकार अनुपालन जोखिम पर कार्य कर सके।
- बिजिनेस लाइन मापन नीति : भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक की सभी गतिविधियों को आठ बिजिनेस लाइनों में माप करने के लिए बैंक में "बिजिनेस लाइन मापन नीति" विद्यमान है और सकल आय बिजिनेस लाइन-वार प्राप्त की जाती है।

परिचालक जोखिम पूंजी निर्धारण

- बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार परिचालन जोखिम पर पूंजी प्रभार परिकलन करने के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच अपनायी है।

सारणी डीएफ - 10 : बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम

10.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर के विनियमन से, विनियम दर प्रणाली के उदारीकरण, बांड के लिए द्वितीयक बाजार का विकास एवं वित्तीय प्रणाली की व्यापकता बढ़ने के कारण बैंक ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विनियम दर जोखिम इत्यादि को एक्सपोज हो सकते हैं। आस्ति देयता प्रबंधन में विभिन्न जोखिमों की मानीटरिंग एवं प्रबंधन के माप करने के लिए व्यापक एवं गतिशील फ्रेमवर्क निहित हैं। बैंक के समग्र जोखिम को सहने की क्षमता के अंतर्गत निवल ब्याज आय को बढ़ाना एएलएम का प्रधान उद्देश्य है।

समुत्थान शक्ति एवं/या इसके प्रभाव का अनुमान लगाने चलनिधि एवं ब्याज दर संरचनाओं के द्वारा विभिन्न स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं। विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं में ब्याज दरों में पैरलल शिफ्ट के जरिए जोखिम पर अर्जन को मूल्यांकित करता है एवं बेसिस जोखिम भी।

स्ट्रेस की स्थिति भांपकर स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं, ऋण के पूर्वभुगतान, जमा के परिपक्वतापूर्व लेजर जैसों द्वारा व्यवहारात्मक अध्ययन के लिए जहाँ एम्बेडेड ऑप्शन हैं स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं।

अर्जन परिप्रेक्ष्य से आईआरआर के परिकलन के लिए भारिबैंक द्वारा बनाये गये परंपरागत गैप विश्लेषण का पालन किया जाता है।

प्रतिशत शर्तों में ईविटी के बाजार मूल्य के ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का निर्धारण करने ड्राट मार्गदर्शी सिद्धांतों में भारिबैंक द्वारा बताये अनुसार संशोधित ड्यूरेषन गैप पद्धति का पालन किया जाता है।

ऑल्को वैश्विक स्तर पर, घरेलू स्तर पर बृहत् आर्थिक परिदृश्य और लागत-लाभ, स्पिन ऑफ, वित्तीय समावेशन एवं अन्य कई पहलुओं पर विचार करने के बाद आस्ति एवं देयताओं का ब्याज दर निर्धारण करने का निर्णय करता है।

10.1.1 रणनीति एवं प्रक्रियाएँ: विभिन्न परिदृश्य को सिमुलेट करते हुए पहले ही स्ट्रेस टेस्ट करने के द्वारा जोखिम निवारण की नीति अपनायी जाती है ताकि संभावी घटना से तैयार रह सकें और आवश्यक हो तो इसको दूर कर सकें। आस्ति एवं देयता के संमिश्रण के परिवर्तन द्वारा, यूनिटी के नजदीक ड्यूरेषन गैप को लाने के द्वारा, ब्याज दरों में परिवर्तन के द्वारा जोखिम को दूर करने की प्रक्रिया की पहल की जाती है।



9.1.2 The structure and organisation of the relevant risk management function:

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- General Manager - Integrated Risk Management Department, HO (Chief Risk Executive)
- Operational Risk Management Cell (IRMD),HO

9.1.3 Scope and nature of risk reporting and measurement systems:

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents / events occurred in branches / offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for preparation of MIS on loss event types.

9.1.4 Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

Bank has put in place the following policies pertaining to Operational Risk Management:

- Operational Risk Management Policy: The policy covers the terms of operational risk, risk management structure, identification, assessment, measurement and monitoring of operational risk.
- Compliance Policy: The Bank has in place a Comprehensive Compliance Policy. As per the Policy adopted by the Bank, suitable organizational structure has been laid down defining the roles and responsibilities for Compliance Officers of various Departments, Zonal Offices, other operating departments at HO and branches, so as to address group wide and multi jurisdictional compliance risk. Suitable reporting system is also put in place to ensure effective implementation of Compliance Policy Bank wide.
- Business Line Mapping Policy: The Bank has in place 'Business Line Mapping Policy' to map all activities of the Bank into Eight business lines as stipulated by Reserve Bank of India and arrive at the Gross Income business-line wise.

Operational risk capital assessment:

- The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk, as stipulated by the Reserve Bank of India.

Table DF-10: Interest Rate Risk in Banking Book

10.1 Qualitative Disclosures:

With the deregulation of interest rates, liberalization of exchange rate system, development of secondary markets for bonds and deepening and widening of financial system, Banks are exposed to interest rates risk, liquidity risk, exchange rate risk etc., Asset Liability Management outlays a comprehensive and dynamic framework for measuring monitoring and managing various risks. Primary objective of ALM is to maximize the Net Interest Income within the overall risk bearing capacity of the Bank.

Various stress tests are conducted by varying the liquidity and interest rate structure to estimate the resilience and/or the impact. It evaluates the Earnings at Risk by means of parallel shift in the interest rates across assets and liabilities as also basis risk.

The stress tests are carried out by assuming stress conditions wherein embedded options are exercised like prepayment of loans and premature closure of deposits much above the revelations of the behavioral studies to test the stress levels.

Traditional Gap Analysis method suggested by RBI is followed for calculation of IRR from – Earnings perspective

Modified Duration Gap method is followed, as per RBI guidelines, to assess the effect of interest rate changes on the Market Value of Equity in percentage terms

The ALCO decides on the fixation of interest rates on both assets and liabilities after considering the macro economic outlook – both global and domestic, as also the micro aspects like cost-benefit, spin offs, financial inclusion and a host of other factors.

10.1.1 Strategies and process: The strategy adopted for mitigating the risk is conducting stress tests before hand by simulating various scenarios so as to be in preparedness for the plausible event and if possible in mitigating it. The process for mitigating the risk is initiated by altering the mix of asset and liability composition, bringing the duration gap closer to zero, change in interest rates etc

10.1.2 संबद्ध जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन: एएलएम अनुभाग महाप्रबंधक आईआरएमडी को रिपोर्ट करता है तथा संरचनात्मक चलनिधि समेत विभिन्न विषयों पर एएलएम रिपोर्टों, ब्याज दर की संवेदनशीलता एवं अल्पावधि गतिशील चलनिधि विवरण पाक्षिक तौर पर ऑल्लो को और मासिक तौर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत किये जाते हैं। ऑल्लो की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है और कार्यपालक निदेशक एवं कामकाजी विभागों के महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं।

10.1.3 जोखिम रियेर्टिंग एवं /या माप प्रणाली का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

चलनिधि एवं ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण चलनिधि स्थिति एवं बैंक के ब्याज दर जोखिम को विवरित करते हैं। बोर्ड के अनुमोदन से सह्य समीएँ तय की जाती है। जिसके अंतर्गत बैंक को काम करना होता है। किसी प्रकार के उल्लंघन होने पर ऑल्लो को रिपोर्ट किया जाता है जिससे उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

10.1.4 हेजिंग के लिए एवं /या जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजेस / प्रशामकों के प्रभावीपन को जारी रखने हेतु मानीटर करने की प्रक्रियाएँ एवं रणनीति

चलनिधि जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए ऑल्लो द्वारा निवारणात्मक उपाय किये जाते हैं। रेसिडुअल मेचुरिटी के आधार पर ऑल्लो को चलनिधि एवं ब्याज दर संरचना की जानकारी के लिए पाक्षिक विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न समय बकेट के अंतर्गत चलनिधिज जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम बतलाते हैं। विस्तृत रूप में गैप की स्थिति पर अध्ययन के बाद ऑल्लो मिसमैच को कम करने के लिए विस्तृत रूप में रणीनीतियाँ बनाता है ताकि चलनिधि एवं ब्याज दर जोखिम कम किया जा सके।

10.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

जोखिम पर अर्जन

(₹ करोड़ों में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष तक पुनर्मूल्यन
0.25%	10.20
0.50%	21.41
0.75%	31.61
1.00%	40.81

इक्विटी का आर्थिक मूल्य

इक्विटी मूल्य में 200 बीपीएस दर उतार के लिए (प्रारक्षिती समेत)	₹ 715.46 करोड
--	---------------



10.1.2 The structure and organization of the relevant risk management functions: The ALM cell reports to the General Manager IRMD and the ALM reports on various subjects/ topics along with the structural liquidity, the interest rate sensitivity and short term dynamic liquidity statements are presented to the ALCO on fortnightly basis, and to the Risk Management Committee of the Board on monthly basis. The ALCO is chaired by the Chairman & Managing Director of the Bank and has the Executive Directors and GMs of functional Departments as its members.

10.1.3 The scope and nature of risk reporting and measurement systems: The liquidity and interest rate sensitivity statements reveal the liquidity position and the Interest rate risk of the Bank. With the approval by the Board, tolerance level is stipulated, within which the Bank is to operate. Any breach in the limits is reported to the ALCO which in turn directs remedial measures to be initiated.

10.1.4 Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants: Mitigating measures are initiated in the ALCO on how to contain the liquidity risk and interest rate risk. The fortnightly statements presented to the ALCO reveal the liquidity and interest rate structure based on residual maturity. The gap position under various time buckets denotes the liquidity risk and interest rate risk. The ALCO on studying the gap position in detail evolves the strategies to reduce the mismatches in order to minimise the liquidity and interest rate risks.

10.2 Quantitative Disclosures:

EARNINGS AT RISK

(₹ in crore)	
Change in interest rate	Repricing upto 1 year
0.25%	10.20
0.50%	21.41
0.75%	31.61
1.00%	40.81

ECONOMIC VALUE OF EQUITY

For a 200 bps rate shock the drop in equity value (including reserves)	₹ 715.46 crore
--	----------------

1. कार्पोरेट गवर्नेंस - दर्शन

आन्ध्रा बैंक का दर्शन ग्राहकों की निरंतर बदलती आवश्यकताओं के प्रति अपनी गतिशीलता जारी रखना है। बैंक का विश्वास है कि उपयुक्त कार्पोरेट गवर्नेंस से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण में मदद मिलती है। इससे बैंक अपने व्यावसायिक नीति परक के स्तर को बनाये रखता है और अपने सभी पणधारियों के लिए मूल्य में वृद्धि करता है। कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत हेतु उच्चस्तरीय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पणधारियों में मूल्यों के निर्माण के साथ वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता आवश्यक है। संक्षेप में उद्देश्य निम्न प्रकार है।

- नैतिक सिद्धांतों एवं देश के कानूनी ढांचे के अंदर पणधारियों के मूल्य को कायम रखना
- ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज समेत शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हित की रक्षा करना
- संप्रेषण में पारदर्शिता और एकीकरण को सुनिश्चित करना और सभी संबंधितों को पूर्ण, सही और स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।

2. निदेशक मंडल

- 2.1 आन्ध्रा बैंक का गठन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के तहत तदनु रूप नया बैंक किया गया।
- 2.2 बोर्ड का गठन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के अनुसार किया गया।
- 2.3 बोर्ड का प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं जिसकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीयकृत (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1), खंड 5, खंड 6, खंड 7 और खंड 8 के उपखंड (1) के संदर्भ में की जाती है।
- 2.4 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त बैंक के दो पूर्णकालिक निदेशकों (कार्यपालक निदेशक) की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है जो बोर्ड के भी सदस्य हैं, बैंक के कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1) तथा खंड 8 के उपखंड (1) के तहत की जाती है।
- 2.5 31 मार्च 2011 को 10 अन्य निदेशक (गैर कार्यपालक) हैं जिनमें से बोर्ड के सदस्यों के रूप में 7 स्वतंत्र निदेशक हैं जो विभिन्न व्यवसाय के अनुभवी व्यक्ति हैं।
- 2.6 बोर्ड ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है जो बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों के गवर्नेंस और बैंक के मामलों के नियंत्रण पर विशेष ध्यान देती हैं।
 - बोर्ड की प्रबंधन समिति
 - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
 - शेयरधारकों और निवेशकों के लिए शिकायत निवारण समिति
 - उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों पर निगरानी हेतु विशेष समिति
 - बोर्ड की डीपीसी
 - बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
 - बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
 - बोर्ड की शेयर अंतरण समिति
 - बोर्ड की पारितोषक समिति
 - बोर्ड की नामांकन समिति
- 2.7 बोर्ड की समितियों के विवरण निम्न पृष्ठों पर दिये गये हैं।
- 2.8 बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों का आयोजन आवर्ती अंतराल में किया जाता है और उच्च स्तरीय ग्राहक सेवा, नीतिपरक कार्य और बैंक के व्यावसायिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बैंक को दिशानिर्देश देती हैं।
- 2.9 नीति निर्धारण, कार्यनिष्पादन की समीक्षा और विश्लेषण जैसे कार्य बोर्ड द्वारा किये जाते हैं। बोर्ड ने बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप कार्यपालकों और बैंक के कार्यपालकों की समितियों को विभिन्न अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है। बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित अधिकारों की समीक्षा की जाती है और बैंक के प्रभावी कार्यचालन के लिए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।



CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. CORPORATE GOVERNANCE - PHILOSOPHY

The Philosophy of Andhra Bank is to continue to remain dynamic to the ever changing needs of the customers. The Bank believes that proper Corporate Governance facilitates effective management and control of business. This, in turn, enables the Bank to maintain a level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders. The principles of Corporate Governance require the commitment of the Bank to attain high standard of transparency, accountability, responsibility and financial stability with the ultimate objective of building up values to the stakeholders. The objectives can be summed up as under:

- Upholding the shareholders value within the principles of ethics and legal framework of the country;
- to protect interest of shareholders and other stakeholders including customers, employees and society at large;
- to ensure transparency and integration in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.

2. BOARD OF DIRECTORS

- 2.1 Andhra Bank has been constituted as corresponding new Bank under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980.
- 2.2 The Board is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.
- 2.3 The Board is headed by the Chairman & Managing Director who is appointed by the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India. The Chairman & Managing Director is appointed in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3, clause 5, clause 6, clause 7 and sub-clause (1) of clause 8 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.
- 2.4 In addition to the Chairman and Managing Director, two Whole-time Directors (Executive Directors) of the Bank are appointed by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India, who are also members of the Board. The Executive Directors of the Bank are appointed in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.
- 2.5 As on 31st March, 2011 there are 10 other Directors (non-executive) out of which 7 are Independent Directors as the members of the Board represented by persons with diversified professional experience.
- 2.6 The Board has constituted various committees as under, which provides specific and focused governance in the important functional areas and control the affairs of the Bank:
 - Management Committee of the Board
 - Audit Committee of the Board
 - Shareholders' and Investors' Grievances Committee
 - Special Committee for monitoring large value frauds
 - D.P.C. of the Board
 - Risk Management Committee of the Board
 - Customer Service Committee of the Board
 - Share Transfer Committee of the Board
 - Remuneration Committee of the Board
 - Nomination Committee of the Board
- 2.7 The details of the committees of the Board are provided in the following pages.
- 2.8 The Board and its Committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner to ensure high standards of customer services, ethical practices and professional Management of the Bank.
- 2.9 The responsibilities such as policy formulations, performance review and analysis are discharged by the Board. The Board has delegated various powers to the Executives and Committees of Executives of the Bank in tune with the policies laid down by the Bank. The delegated powers are periodically reviewed by the Board and necessary revision is made for effective functioning of the Bank.

- 2.10 वार्षिक आधार पर बैंक की नीतियों की समीक्षा की जाती है और बदलते परिदृश्य तथा बाजार की मांगों के अनुरूप आवश्यक आशोधन किये जाते हैं।
- 2.11 बोर्ड के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक हैं अतः बोर्ड में कम से कम 1/2 स्वतंत्र निदेशक हैं। तदनुसार 31 मार्च 2011 को बोर्ड का संघटन निम्न प्रकार रहा।

निदेशकों के प्रकार	निदेशकों की संख्या
कार्यपालक	3
गैर- कार्यपालक	10(जिनमें से 7 स्वतंत्र निदेशक हैं)
कुल	13

2.12 वर्ष 2010-2011 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को निदेशक मंडल की 15 बैठकें हुईं

29.04.2010	31.08.2010	30.01.2011
17.05.2010	24.09.2010	31.01.2011
16.06.2010	28.10.2010	18.02.2011
29.07.2010	25.11.2010	05.03.2011
09.08.2010	22.12.2010	23.03.2011

अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या सहित बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है।

निदेशक का नाम	अवधि	अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या	16.06.2010 को हुई दसवीं एजीएम में उपस्थिति	अनुभव का क्षेत्र
श्री आर रामचन्द्रन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.09.2010 से 31.03.2011	9	9	लागू नहीं	विज्ञान में स्नातकोत्तर और वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा. एक बैंकर के रूप में बहुविध कार्यों में 38 वर्ष का अनुभव. हमारे बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आप सिंडिकेट बैंक के कार्यपालक निदेशक थे. आपको विदेश में व्यापक अनुभव है और आपने कोलम्बो तथा सिंगापुर में महा प्रबंधक तथा सिंगापुर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य किया है.
श्री आर एस रेड्डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2010 से 31.08.2010	6	6	उपस्थित	एम.एससी, (कृषि) एक बैंकर के रूप में बहुविध कार्यों में 34 वर्ष का अनुभव. आपने बैंक ऑफ इंडिया के अमरीकी परिचालन में मुख्य कार्यपालक के रूप में 3 1/2 वर्ष काम किया है. हमारे बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक थे.
श्री अनिल गिरोत्रा, कार्यपालक निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	15	15	उपस्थित	एम.एससी, एल.एल.बी., सीएआईआईबी, कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा, कार्पोरेट विधि में डिप्लोमा. आपको बैंकिंग परिचालन एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में 36 वर्ष का अनुभव है
श्री अ अ ताज, कार्यपालक निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	15	14		उपस्थित एक बैंकर के रूप में विविध कार्यों में 33 वर्ष के अनुभव के साथ सनदी लेखाकार. हमारे बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक थे.



- 2.10 The policies of the Bank are reviewed on an annual basis and necessary modifications are effected in tune with the changing scenario and the market demands.
- 2.11 The Chairman of the Board is an Executive Director and therefore at least 1/2 of the Board consists of Independent Directors. Accordingly the composition of the Board as on 31st March, 2011 is as under:

Type of Directors	No. of Directors
Executive	3
Non-executive	10 (out of which 7 are Independent Directors)
Total	13

- 2.12 During the year 2010-11, the Board of Directors met on 15 occasions on the following dates:

29.04.2010	31.08.2010	30.01.2011
17.05.2010	24.09.2010	31.01.2011
16.06.2010	28.10.2010	18.02.2011
29.07.2010	25.11.2010	05.03.2011
09.08.2010	22.12.2010	23.03.2011

The details of attendance of each Director at the Board Meetings along with the number of meetings held during the period are as under:

Name of the Director	Period	No. of Board meetings held during the period	Board Meetings attended	Attendance at the Tenth AGM held on 16.06.2010	Area of Experience
Sri R.Ramachandran Chairman & Managing Director	01.09.2010 to 31.03.2011	9	9	Not applicable	Post Graduate in Science with Post Graduate Diploma in Financial Management. 38 years of experience as a Banker in multifarious assignments. Prior to joining in our bank, he was Executive Director of Syndicate Bank. He has wide overseas experience with a stint in Colombo and in Singapore as General Manager and Chief Executive Officer of Singapore Operations of Indian Bank.
Sri R S Reddy Chairman & Managing Director	01.04.2010 to 31.08.2010	6	6	Attended	M.Sc., (Agriculture) 34 years of experience as a Banker in multifarious assignments. He worked for 3 ½ years in New York as the Chief Executive of Bank of India's American Operations. Prior to joining our Bank, he was Executive Director of Union Bank of India.
Sri Anil Girotra Executive Director	01.04.2010 to 31.03.2011	15	15	Attended	M.Sc., LLB, CAIIB, Diploma In Personnel Management, Dip. In Corporate Laws. He has 36 years of varied experience in Banking Operations and Administration.
Sri. A.A.Taj Executive Director	01.04.2010 to 31.03.2011	15	14	Attended	Chartered Accountant with 33 years of experience as a Banker in multifarious assignments. Prior to Joining our Bank, he was General Manager in Union Bank of India.

श्रीमती मधुलिका पी सुकुल, भारत सरकार नामिती निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	15	12	अनुपस्थित	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव (कार्मिक)
श्री के आर आनंदा भारिबैंक नामिती निदेशक	30.07.2010 से 31.03.2011	11	11	लागू नहीं	केंद्रीय बैंकिंग
श्री बी.महेश्वरन, भारिबैंक नामिती निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	4	4	उपस्थित	केंद्रीय बैंकिंग
श्री शैबाल गुप्ता, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	15	11	अनुपस्थित	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर एवं पी एच डी
श्री राजीव शेखर साहु, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	15	14	अनुपस्थित	वाणिज्य में स्नातक एवं व्यवसायी सनदी लेखाकार
श्री प्रेम प्रकाश पारीक, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक.	01.04.2010 से 31.03.2011	15	11	उपस्थित	व्यवसायिक सनदी लेखाकार
श्री वी एच रामकृष्णन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक.	01.04.2010 से 31.03.2011	15	14	उपस्थित	सनदी एवं लागत लेखाकार एवं एक अनुभवी बैंकर
श्री के.रघुरामन, केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों से चुना गया निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	15	11	उपस्थित	सनदी लेखाकार एवं बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में 35 वर्ष में बैंकिंग अनुभव
श्री मनोरंजन दास कर्मकार कर्मचारी के प्रतिनिधि निदेशक	11.05.2010 से 31.03.2011	14	14	अनुपस्थित	बैंकिंग
श्री एन वेंकट रमणा रेड्डी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	29.07.2010 से 31.03.2011	12	11	लागू नहीं	कृषि में स्नातक
श्री एन राज गोपाल रेड्डी, अधिकारी कर्मचारी के प्रतिनिधि निदेशक	04.08.2010 से 31.03.2011	11	11	लागू नहीं	बैंकिंग

2010-2011 के दौरान निदेशक के रूप में अवधि समाप्त व्यक्तियों के नाम

निदेशक का नाम

अवधि

श्री आर.एस.रेड्डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31.08.2010

श्री बी महेश्वरन, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक

29.07.2010

2010-11 के दौरान निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम

निदेशक का नाम

अवधि

श्री आर. रामचन्द्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

01.09.2010

श्री के.आर.आनंदा, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक

30.07.2010

श्री मनोरंजन दास, कर्मकार कर्मचारी निदेशक

11.05.2010

श्री एन.वेंकट रमणा रेड्डी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

29.07.2010

श्री एन.राज गोपाल रेड्डी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक

04.08.2010



Smt Madhulika P Sukul Govt. of India Nominee Director	01.04.2010 to 31.03.2011	15	12	Not attended	Joint Secretary (Personnel), Department of Expenditure, Ministry of Finance
Sri K.R. Ananda RBI Nominee Director	30.07.2010 to 31.03.2011	11	11	Not applicable	Central Banking
Sri B. Maheshwaran RBI Nominee Director	01.04.2010 to 29.07.2010	4	4	Attended	Central Banking
Sri Shaibal Gupta Part-time Non-Official Director	01.04.2010 to 31.03.2011	15	11	Not attended	Post Graduate in Economics and Doctorate in Philosophy.
Sri Rajib Sekhar Sahoo Part-time Non-Official Director	01.04.2010 to 31.03.2011	15	14	Not attended	Graduate in Commerce and a Practicing Chartered Accountant
Sri Prem Prakash Pareek Director elected from amongst shareholders other than Central Government	01.04.2010 to 31.03.2011	15	11	Attended	Practicing Chartered Accountant
Sri V.H. Ramakrishnan Director elected from amongst Shareholders other than Central Government	01.04.2010 to 31.03.2011	15	14	Attended	Chartered & Cost Accountant and an experienced banker
Sri K Raghuraman Director elected from amongst Shareholders other than Central Government	01.04.2010 to 31.03.2011	15	11	Attended	Chartered Accountant with 35 years of Banking experience in various facets of Banking.
Sri Manoranjan Das Workmen Employee Director	11.05.2010 to 31.03.2011	14	14	Not attended	Banking
Sri N. Venkata Ramana Reddy Part-time Non-Official Director	29.07.2010 to 31.03.2011	12	11	Not applicable	Graduate in Agriculture.
Sri N. Raja Gopal Reddy Officer Employee Director	04.08.2010 to 31.03.2011	11	11	Not applicable	Banking

Names of persons who ceased to be Directors during 2010-2011

Name of the Director	Date
Sri. R.S. Reddy, Chairman & Managing Director	31.08.2010
Sri B. Maheshwaran, RBI Nominee Director	29.07.2010

Names of persons who were appointed as Directors during 2010-2011

Name of the Director	Period
Sri R. Ramachandran, Chairman & Managing Director	01.09.2010
Sri K.R. Ananda, RBI Nominee Director	30.07.2010
Sri Manoranjan Das, Workmen Employee Director	11.05.2010
Sri N. Venkata Ramana Reddy, Part-time Non-Official Director	29.07.2010
Sri N. Raja Gopal Reddy, Officer Employee Director	04.08.2010

2.13 निदेशकों के विवरण

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक-पद /सदस्यता	समितियों में सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष	निदेशक-पद अवधिसे तक
श्री आर.रामचन्द्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की डी पी सी 3. ग्राहक सेवा समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5.जोखिम प्रबंधन समिति	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की डी पी सी 3. ग्राहक सेवा समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5.जोखिम प्रबंधन समिति	01.09.2010 से 31.03.2011
श्री आर.एस.रेड्डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	1.बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. विभागीय पदोन्नति समिति 3. शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति 4. ग्राहक सेवा समिति 5.उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 6.शेयर अंतरण समिति 7.जोखिम प्रबंधन समिति	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. विभागीय पदोन्नति समिति 3. शेयर अंतरण समिति 4.उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5.ग्राहक सेवा समिति 6.जोखिम प्रबंधन समिति	01.04.2010 से 31.08.2010
श्री अनिल गिरोत्रा, कार्यपालक निदेशक	1.आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड - बोर्ड के अध्यक्ष 2.इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्शुरेन्स लिमिटेड- निदेशक	1.बोर्ड की प्रबंधन समिति 2.विभागीय पदोन्नति समिति 3.बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 4.शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति 5.जोखिम प्रबंधन समिति 6.शेयर अंतरण समिति	1.शेयर अंतरण समिति (25.11.2010 से अध्यक्ष)	01.04.2010 से 31.03.2011
श्री अ अ ताज, कार्यपालक निदेशक	शून्य	1.बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की डी पी सी 3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 4. शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति 5. जोखिम प्रबंधन समिति 6. शेयर अंतरण समिति	शून्य	01.04.2010 से 31.03.2011
श्रीमती मधुलिका पी सुकुल, भारत सरकार नामिती निदेशक	शून्य	1.बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 2.बोर्ड की डी पी सी 3.जोखिम प्रबंधन समिति 4. बोर्ड की पारितोषिक समिति 5.उच्च मूल्य की धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति	1.बोर्ड की पारितोषिक समिति	01.04.2010 से 31.03.2011
श्री के आर आनंदा भारिबैंक नामिती निदेशक	शून्य	1.बोर्ड की प्रबंधन समिति 2.बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 3.बोर्ड की डीपीसी 4.बोर्ड की पारितोषिक समिति	शून्य	30.07.2010 से 31.03.2011
श्री बी.महेश्वरन, भारिबैंक नामिती निदेशक	शून्य	1.बोर्ड की प्रबंधन समिति 2.बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 3.बोर्ड की डी पी सी 4.बोर्ड की पारितोषिक समिति 5.बोर्ड की नामांकन समिति 6.ग्राहक सेवा समिति 7.उच्च मूल्य की धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति	शून्य	01.04.2010 से 29.07.2010



2.13 Particulars of Directors

Name of the Director	Directorship/Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees	Chairman / Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
Sri R. Ramachandran Chairman & Managing Director	None	1. Management Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Customer Service Committee 4. Special Committee for monitoring large value frauds 5. Risk Management Committee	1. Management Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Customer Service Committee 4. Special Committee for monitoring large value frauds 5. Risk Management Committee	01.09.2010 to 31.03.2011
Sri R S Reddy Chairman & Managing Director	None	1. Management Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Shareholders' and Investors' Grievances Committee 4. Customer Service Committee 5. Special Committee for monitoring large value frauds 6. Share Transfer Committee 7. Risk Management Committee	1. Management Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Share Transfer Committee 4. Special Committee for monitoring large value frauds 5. Customer Service Committee 6. Risk Management Committee	01.04.2010 to 31.08.2010
Sri Anil Girotra Executive Director	1. Andhra Bank Financial Services Ltd- Chairman of the Board. 2. India First Life Insurance Limited – Director.	1. Management Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Audit Committee of the Board 4. Shareholders' and Investors' Grievances Committee 5. Risk Management Committee 6. Share Transfer Committee	1. Share Transfer Committee – (Chairman w.e.f. 25.11.2010)	01.04.2010 to 31.03.2011
Sri A.A.Taj Executive Director	None	1. Management Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Audit Committee of the Board 4. Shareholders' and Investors' Grievances Committee 5. Risk Management Committee 6. Share Transfer Committee	None	01.04.2010 to 31.03.2011
Smt Madhulika P Sukul Govt. of India Nominee Director	None	1. Audit Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Risk Management Committee 4. Remuneration Committee of Board 5. Special Committee for Monitoring Large value Frauds	1. Remuneration Committee of Board	01.04.2010 to 31.03.2011
Sri K.R. Ananda RBI Nominee Director	None	1. Management Committee of the Board. 2. Audit Committee of the Board. 3. D.P.C. of the Board. 4. Remuneration Committee of Board	None	30.07.2010 to 31.03.2011
Sri B Maheshwaran RBI Nominee Director	None	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of the Board 3. D.P.C. of the Board 4. Remuneration Committee of Board 5. Nomination Committee of Board 6. Customer Service Committee 7. Special Committee for monitoring large value frauds	None	01.04.2010 to 29.07.2010

श्री शैबाल गुप्ता, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	शून्य	1. शेयरधारक और निवेशक शिकायत समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. बोर्ड की नामांकन समिति	बोर्ड की नामांकन समिति	01.04.2010 से 31.03.2011
श्री राजीव शेखर साहु, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	शून्य	1. प्रबंधन समिति (06.03.2011 से) 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. बोर्ड की नामांकन समिति 4. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 5. ग्राहक सेवा समिति 6. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (24.03.2010 से)	01.04.2010 से 31.03.2011
श्री प्रेम प्रकाश पारीक, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक.	1. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	1. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 2. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 3. शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति	शून्य	01.04.2010 से 31.03.2011
श्री वी एच रामकृष्णन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक.	1. केनरा रेबिको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड.	1. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. शेयर अंतरण समिति	शून्य	01.04.2010 से 31.03.2011
श्री के. रघुरामन, केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों से चुना गया निदेशक	1. आईएफसीआई लिमिटेड 2. बिरला एरिक्सन ऑप्टिकल्स लिमिटेड 3. नागार्जुना एग्रिकेम लिमिटेड 4. सुविधा पार्क लिफ्ट्स लिमिटेड 5. लैंको बुधिल हैड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड 6. कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड 7. लैडरअप फाइनेन्स लिमिटेड 8. लैडरअप कॉर्पोरेट एडवाइसरी प्राइवेट लिमिटेड 9. ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड	1. शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. उच्च मूल्य की धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 4. शेयर अंतरण समिति	1. शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति	01.04.2010 से 31.03.2011
श्री मनोरंजन दास कर्मकार कर्मचारी के प्रतिनिधि निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 3. ग्राहक सेवा समिति	शून्य	11.05.2010 से 31.03.2011
श्री एन वेकट रमणा रेड्डी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. बोर्ड की नामांकन समिति	शून्य	29.07.2010 से 31.03.2011
श्री एन राज गोपाल रेड्डी, अधिकारी कर्मचारी के प्रतिनिधि निदेशक	शून्य	1. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति	शून्य	04.08.2010 से 31.03.2011



Sri Shaibal Gupta Part-time Non-Official Director	None	1.Shareholders' and Investors' Grievances Committee 2. Customer Service Committee 3. Nomination Committee of Board	1. Nomination Committee of Board	01.04.2010 to 31.03.2011
Sri Rajib Sekhar Sahoo Part-time Non-Official Director	None	1. Management Committee (w.e.f. 06.03.2011) 2.Risk Management Committee 3. Nomination Committee of Board 4. Audit Committee of Board 5. Customer Service Committee 6. Special Committee for Monitoring Large Value Frauds	1.Audit Committee of Board (w.e.f.24.03.10)	01.04.2010 to 31.03.2011
Sri Prem Prakash Pareek Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1.PNB Gilts Ltd	1.Special Committee for monitoring large value frauds 2.Remuneration Committee of Board 3. Shareholders' and Investors' Grievances Committee	None	01.04.2010 to 31.03.2011
Sri V.H. Ramakrishnan Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1.Canara Robeco Asset Management Company Ltd, 2. The KCP Limited, Chennai	1.Remuneration Committee of the Board 2. Risk Management Committee 3. Customer Service Committee 4. Share Transfer Committee	None	01.04.2010 to 31.03.2011
Sri K Raghuraman Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1. IFCI Limited 2.Birla Ericsson Opticals Ltd. 3.Nagarjuna Agrichem Ltd. 4. Suvidha Park Lifts Limited 5.Lanco Budhil Hydro Power Pvt. Ltd. 6. Canbank Factors Ltd 7.Laderup Finance Ltd 8.Laderup Corporate Advisory Pvt. Ltd 9.Oriental Carbon & Chemicals Ltd	1.Shareholders' and Investors' Grievances Committee 2. Risk Management Committee 3. Special Committee for monitoring large value frauds 4.Share Transfer Committee	1.Shareholders' and Investors' Grievances Committee	01.04.2010 to 31.03.2011
Sri Manoranjan Das Workmen Employee Director	None	1. Management Committee of the Board 2. Shareholders' and Investors' Grievances Committee. 3. Customer Service Committee	None	11.05.2010 to 31.03.2011
Sri N. Venkata Ramana Reddy Part-time Non-Official Director	None	1. Management Committee of the Board. 2. Customer Service Committee. 3. Nomination Committee of the Board	None	29.07.2010 to 31.03.2011
Sri N. Raja Gopal Reddy Officer Employee Director	None	1. Shareholders' and Investors' Grievances Committee. 2. Risk Management Committee	None	04.08.2010 to 31.03.2011

वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड में सम्मिलित निदेशकों के विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि
श्री आर.रामचन्द्रन भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.09.2010 से 31.12.2011
श्री के.आर. आनंदा भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	30.07.2010 से
श्री मनोरंजन दास कर्मकार कर्मचारी निदेशक	11.05.2010 से 10.05.2013
श्री एन वेंकट रमणा रेड्डी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	29.07.2010 से 28.07.2013
श्री एन राज गोपाल रेड्डी अधिकारी कर्मचारी निदेशक	04.08.2010 से 03.08.2013

2.14 31.03.2011 को बोर्ड के निदेशकों का प्रोफाइल.

1. श्री आर.रामचन्द्रन

01.09.2010 से आन्ध्रा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं. आप विज्ञान में स्नातकोत्तर और वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी हैं. आपने 1973 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में इंडियन बैंक में अपनी सेवारंभ की. आपको बैंकिंग में व्यापक विदेशी अनुभव है और आपने कोलम्बो तथा सिंगापुर में महा प्रबंधक तथा सिंगापुर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य किया है. आपको कॉर्पोरेट ऋण, राजकोष/राजकोष तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है. हमारे बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आप सिंडिकेट बैंक के कार्यपालक निदेशक थे.

2. श्री अनिल गिरोत्रा

17.05.2008 से आन्ध्रा बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं. आपको विज्ञान में स्नातकोत्तर और विधि में स्नातक डिग्री प्राप्त है. आन्ध्रा बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व आप लंदन में केनरा बैंक के मुख्य कार्यपालक के रूप में यू.के. परिचालन के प्रमुख थे. सितंबर 1975 में आपने केनरा बैंक में एक अधिकारी प्रशिक्षार्थी के रूप में सेवारंभ की. आपने केनरा बैंक में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं. आपको बैंकिंग परिचालन एवं प्रशासन में 33 वर्ष का वैविध्यपूर्ण अनुभव है.

3. श्री अ अ ताज,

07.12.2009 से आन्ध्रा बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं. आप 33 वर्ष के बैंकिंग अनुभव के साथ एक सनदी लेखाकार हैं. आपने बैंक ऑफ इंडिया में शाखा स्तर, आंचलिक स्तर एवं कॉर्पोरेट स्तर पर सौंपे गये बहुविध कार्य किए यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया में आप निवेश समिति, ऋण ग्रिड एवं कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य थे. हमारे बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आप यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक थे.

4. श्रीमती मधुलिका पी सुकुल

13.01.2009 से बोर्ड में भारत सरकार के नामिती निदेशक हैं. आप 2008 से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कार्मिक) हैं. आपने छठे केंद्रीय वेतन आयोग में संयुक्त सचिव के रूप में, वायु मुख्यालय में एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में, बारहवें वित्त आयोग में निदेशक एवं व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक (वेतन) के रूप में भी कार्य किया है.

5. श्री के.आर.आनंदा

30.07.2010 से बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक हैं. आपने 1977 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में यूको बैंक में सेवारंभ की. तत्पश्चात् आप नवंबर 1981 में भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड बी (डीआर) में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए. आपने बेंगलूरु, मुम्बई, त्रिवेंद्रम और चेन्नै में कार्य किया है. आपने भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न विभाग और बैंकिंग लोकपाल, कर्नाटक में कार्य किया है और अब चेन्नै में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रांतीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं.

6. श्री शैवाल गुप्ता

अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर तथा विद्या वाचस्पति हैं. एशियन डेवेलोपमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पटना में संस्थापक सदस्य सचिव हैं. आपका अनुसंधान रुचि क्षेत्र अधिकांशतः बिहार के विकास की समस्याओं से जुड़ा है. फिलहाल, आप आन्ध्रा बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं.

7. श्री राजीव शेखर साहू

कॉमर्स में स्नातक एवं व्यवसायी लेखा परीक्षक हैं. व्यवसायी लेखा परीक्षक होने के अलावा आप जेवियर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (एक्सआईएम), भुवनेश्वर इत्यादि समेत विभिन्न सरकारी एवं प्रबंधन संस्थानों में अतिथि संकाय सदस्य हैं. फिलहाल, आप आन्ध्रा बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं. आपने राष्ट्रीयकृत बैंकों की केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षा, निजी क्षेत्र उपक्रमों जैसे, नाल्को इत्यादि की लेखापरीक्षा की है.



The details of the Directors, who joined the Board during 2010-11 are furnished hereunder:

Name of the Director	Period
Sri R. Ramachandran Chairman & Managing Director appointed by Government of India.	01.09.2010 to 31.12.2011
Sri K.R. Ananda RBI Nominee Director	w.e.f. 30.07.2010
Sri Manoranjan Das Workmen Employee Director	11.05.2010 to 10.05.2013
Sri N. Venkata Ramana Reddy Part-time Non-Official Director	29.07.2010 to 28.07.2013
Sri N. Raja Gopal Reddy Officer Employee Director	04.08.2010 to 03.08.2013

2.14 Profile of Directors on the Board as on 31.03.2011

1. Sri R. Ramachandran

Is the Chairman and Managing Director of Andhra Bank since 01.09.2010. He is a Post Graduate in Science with Post Graduate Diploma in Financial Management. He started his banking career with Indian Bank in 1973 as a Probationary Officer. He has wide overseas experience with a stint in Colombo and in Singapore as General Manager and Chief Executive Officer of Singapore Operations of Indian Bank. He has wide exposure to areas of Corporate Credit, Forex / Treasury and International Banking. Prior to joining our bank, he was Executive Director of Syndicate Bank from 19.12.2008 to 31.07.2010.

2. Sri Anil Girotra

Is the Executive Director of Andhra Bank since 17.05.2008. He is a Post Graduate in Science and holds a Degree in Law. Prior to joining Andhra Bank, he was heading the UK Operations of Canara Bank in London as Chief Executive. He joined Canara Bank as Officer Trainee in September 1975. He held many important positions in Canara Bank. He has 36 years of varied experience in Banking Operations and Administration.

3. Sri A.A.Taj

Is the Executive Director of Andhra Bank since 07.12.2009. He is a Chartered Accountant with 33 years of Banking experience. He handled multifarious assignments in Union Bank of India at Branch level, Zonal level and Corporate level. In Union Bank of India he was a member of Investments Committee, Credit Grid and Audit Committee of Executives. He was a General Manager in Union Bank of India prior to joining our bank.

4. Smt. Madhulika P Sukul

Is the Government of India Nominee Director on the Board since 13.01.2009. She is a Joint Secretary (Personnel), Department of Expenditure, Ministry of Finance since 2008. She also worked as Joint Secretary, Sixth Central Pay Commission, as Integrated Financial Advisor in Air Head quarters, Director, Twelfth Finance Commission and Director (Pay), Department of Expenditure, Ministry of Finance.

5. Sri K.R. Ananda

Is a Reserve Bank of India Nominee Director on the Board since 30.07.2010. He joined as a Probationary Officer in UCO Bank in 1977. Subsequently, he joined RBI as Officer in Grade B (DR) in November 1981. He has worked at Bangalore, Mumbai, Trivandrum and Chennai. He worked in various Departments of RBI and in Banking Ombudsman, Karnataka and presently working as Regional Director of RBI at Chennai.

6. Sri Shaibal Gupta

Is a Post Graduate in Economics and Doctorate in Philosophy. He is a Founder Member Secretary, Asian Development Research Institute, Patna. His areas of research interest have been guided more by the development problems of Bihar. Presently, he is a Part-time Non-Official Director of Andhra Bank.

7. Sri Rajib Sekhar Sahoo

Is a Graduate in Commerce and a Practicing Chartered Accountant. Apart from being a Practicing Chartered Accountant, he has been a visiting faculty to various Govt. and Management Institutes including Xavier Institute of Management (XIM), Bhubaneswar, etc.,. Presently he is a Part-time Non-Official Director of Andhra Bank. He carried out Central Statutory audit of Nationalised Banks, audit of Public Sector Undertakings like NALCO etc.

8. श्री प्रेम प्रकाश पारीक

विधि में स्नातक डिग्री के साथ सनदी लेखा परीक्षक हैं। पहले आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में थे। आपको लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अपार अनुभव है एवं बृहत लिमिटेड कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में व्यावसायिक कार्य किया है। आप राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय भारत क्षेत्र के सात राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेंट्रल काउंसिल ऑफ द इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के सदस्य भी हैं। फिलहाल, आप आंध्र बैंक में, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गये निदेशक हैं।

9. श्री वी.एच.रामकृष्णन

सनदी एवं लागत लेखाकार हैं, जिन्हें बैंक ऑफ इंडिया में देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में 35 वर्ष से अधिक अनुभव है। आप बैंक ऑफ इंडिया से महा प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। आप केनरा रेबिको म्यूचुअल फंड एवं केसीपी लिमिटेड, चेन्नै के बोर्ड में भी हैं। आप चेन्नै के श्रीराम समूह के भी सलाहकार हैं। फिलहाल, आप आंध्र बैंक में केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गये निदेशक हैं।

10. श्री के रघुरामन

सनदी लेखाकार हैं और पंजाब नेशनल बैंक से कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। पहले आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न विभागों में 7 वर्ष महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। आप इंडिया कोआपरेशन कमिटी ऑफ मास्टर कार्ड इंटरनेशनल के अध्यक्ष पद पर रहे एवं भारतीय बैंक संघ की विभिन्न औद्योगिक स्तर समितियों में सदस्य रहे। फिलहाल आप आंध्र बैंक में केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गये निदेशक हैं। आप भारतीय औद्योगिक वित्त कॉर्पोरेशन, देश में औद्योगिक वित्त के लिए एक प्रीमियर सार्वजनिक वित्तीय संस्था, के भी निदेशक हैं।

11. श्री मनोरंजन दास

मानवीकी में स्नातक और विधि में स्नातक है। फिलहाल कोर्टपेटा शाखा, ब्रह्मपुर में विशेष सहायक के रूप में कार्यरत हैं। आप फिलहाल, एआईबीईए के अध्यक्ष, ओडीशा राज्य महा सचिव, एआईएबीएड्यू, महा परिषद सदस्य, ओएसएबीईयू और आईआरसी सदस्य हैं।

12. श्री एन. वेंकट रमणा रेड्डी

कृषि में स्नातक हैं तथा कृषि नवीन एग्रो फार्मिंग संभालते हैं। साथ ही परामर्शदाता हैं। आपको उपाध्यक्ष, स्पाइस बोर्ड (भारत सरकार), सदस्य न्यासी, तिरुमल तिरुपति देवस्थानम, सदस्य न्यासी, विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, निदेशक, वन विकास निगम और सदस्य, सेन्सर बोर्ड के रूप में वैविध्यपूर्ण अनुभव है।

13. श्री एन.राजगोपाल रेड्डी

व्यवहारगत अध्ययन में स्नातकोत्तर हैं। आपने 17.06.1977 में आंध्र बैंक में सेवारंभ की और आपको एक दशक वर्ष से अधिक अवधि का प्रबंधकीय अनुभव है। फिलहाल आप उप प्रबंधक के रूप में केंद्रीकृत चेक संसाधन केंद्र, हैदराबाद में कार्यरत हैं।

3. निदेशक/कार्यपालक बोर्ड पर समिति

भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों/निदेशों के अनुसार निदेशकों की कई समितियाँ गठित की गयीं ताकि वे अपने अधिकार तहत आने वाले विविध क्रियाकलापों के मामले में शीघ्र निर्णय ले सकें और उपयुक्त निगरानी एवं अनुवर्तन कर सकें।

बोर्ड की महत्वपूर्ण समितियाँ निम्न प्रकार है:-

3.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसरण में विभिन्न व्यावसायिक मामलों, यथा ऋण प्रस्ताव, ऋण समझौता/ अपलेखन प्रस्ताव की मंजूरी, पूंजीगत और राजस्व व्यय का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, निवेश, दान आदि पर विचार करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की प्रबंध समिति गठित की गयी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक एवं तीन स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशक समिति के सदस्य हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को कुल 19 बैठकें आयोजित की गईं।

13.04.2010	09.08.2010	22.12.2010
28.04.2010	23.08.2010	03.01.2011
17.05.2010	14.09.2010	30.01.2011
02.06.2010	24.09.2010	05.03.2011
17.06.2010	15.10.2010	24.03.2011
05.07.2010	27.10.2010	
22.07.2010	25.11.2010	



8. Shri. Prem Prakash Pareek

Is a Chartered Accountant with a Degree in Law. Earlier he was on the Board of Bank of Baroda. He has vast experience in the field of auditing and handled professional assignments of large limited companies, financial institutions, Banks and Public Sector Undertakings. He was also a Member of the Central Council of the Institute of Chartered Accountants of India representing seven States of Central India Region at the National Level. Presently he is a Director elected from amongst the shareholders of Andhra Bank, other than Central Government.

9. Shri. V.H. Ramakrishnan

Is a Chartered and Cost Accountant, having extensive experience of more than 35 years in both Domestic and International banking with Bank of India. He retired as a General Manager from Bank of India. He is also on the Board of Canara Robeco Mutual Fund and The KCP Ltd, Chennai. He is also an advisor to Shriram Group of Chennai. Presently he is a Director elected from amongst the shareholders of Andhra Bank, other than Central Government.

10. Shri. K Raghuraman

Is a Chartered Accountant and retired as Executive Director in Punjab National Bank. Earlier he worked as General Manager for 7 years in various Departments of Central Bank of India. He held the position of Chairman of 'India Cooperation committee of Master Card International' as well as the Member of various industry level Committees of IBA. Presently he is a Director elected from amongst the shareholders of Andhra Bank, other than Central Government. He is also a Director of Industrial Finance Corporation of India, a premier Public Financial Institution for Industrial Finance in the Country.

11. Sri Manoranjan Das

Is a Graduate in Arts and a Graduate in Law. Presently, he is working as Special Assistant at Courtpetta Branch, Berhampur. He is presently President, AIABAEU, General Secretary, OSABEU, General Council Member, AIBEA and IRC Member.

12. Sri N. Venkata Ramana Reddy

Is a Graduate in Agriculture and looking after Agriculture Modern Agro Farming and a consultant. He has varied experience and held important position such as Vice Chairman, Spices Board (GOI), Member Trustee, Tirumala Tirupati Devasthanams, Member Trustee, Vizag Port Trust, Director, Forest Development Corporation and Member, Censor Board.

13. Sri N. Raja Gopal Reddy

Is a Post Graduate in Behavioral Studies. Joined the Bank on 17.06.1977 and has managerial experience of over a decade. Presently he is working as Deputy Manager, Centralised Cheque Processing Centre, Hyderabad.

3. COMMITTEE ON THE BOARD OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Various committees of Directors have been constituted in terms of Reserve Bank of India, Government of India guidelines / directives in order to expedite the decision making and proper monitoring and follow up of the various activities falling within their terms of reference.

The important committees of the Board are as under:-

3.1 Management Committee of the Board

Pursuant to the directive of the Government of India, Ministry of Finance, the Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters, namely, sanctioning of credit proposals, loan compromise / write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations etc.

The committee consists of Chairman & Managing Director, Executive Directors, Nominee Director of Reserve Bank of India and three independent Non Official Directors. In all, 19 Meetings of the Committee were held during the year, on the following dates:

13.04.2010	09.08.2010	22.12.2010
28.04.2010	23.08.2010	03.01.2011
17.05.2010	14.09.2010	30.01.2011
02.06.2010	24.09.2010	05.03.2011
17.06.2010	15.10.2010	24.03.2011
05.07.2010	27.10.2010	
22.07.2010	25.11.2010	

अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या के साथ प्रबंध समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है :

निदेशक का नाम एवं प्रबंध निदेशक	अवधि	अवधि के दौरान उपस्थित प्रबंधन समिति बैठकों की संख्या	आयोजित प्रबंधन समिति बैठकों बैठकों की संख्या
श्री आर रामचन्द्रन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.09.2010 से 31.03.2011	10	10
श्री आर एस रेड्डी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2010 से 31.08.2010	9	9
श्री अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	19	19
श्री अ.अ.ताज कार्यपालक निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	19	19
श्री के आर आनंद भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	30.07.2010 से 31.03.2011	12	10
श्री बी महेश्वरन भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	01.04.2010 से 29.07.2010	7	7
श्री शैबल गुप्ता अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	30.07.2010 से 29.01.2011	9	7
श्री राजीव शेखर साहू अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2010 से 29.07.2010 06.03.2011 से 31.03.2011	8	7
श्री प्रेम प्रकाश पारीक, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	01.04.2010 से 24.04.2010 06.09.2010 से 05.03.2011	10	8
श्री वी एच रामकृष्णन केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक.	06.03.2010 से 05.09.2010	9	9
श्री के रघुरामन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक.	25.04.2010 से 24.10.2010	11	11
श्री मनोरंजन दास कर्मकार कर्मचारी निदेशक	25.10.2010 से 31.03.2011	7	7
श्री एन वेंकट रमणा रेड्डी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	30.01.2011 से 31.03.2011	3	3

3.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में 5 निदेशक यथा कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक और दो स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशक, के साथ निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया. स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशकों में से एक लेखा परीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न तारीखों में समिति की 9 बैठकें हुईं.

28.04.2010	28.10.2010
29.04.2010	03.01.2011
05.07.2010	31.01.2011
29.07.2010	23.03.2011
14.09.2010	



The attendance of the Members at the Management Committee meetings along with the number of meetings held during the period is furnished below:

Name of the Director	Period	No. of M.C. meetings held during the period	No. of M.C. Meetings attended
Sri R Ramachandran Chairman & Managing Director	01.09.2010 to 31.03.2011	10	10
Sri R S Reddy Chairman & Managing Director	01.04.2010 to 31.08.2010	9	9
Sri Anil Girotra Executive Director	01.04.2010 to 31.03.2011	19	19
Sri A. A. Taj Executive Director	01.04.2010 to 31.03.2011	19	19
Sri K.R. Ananda RBI Nominee Director	30.07.2010 to 31.03.2011	12	10
Sri B Maheshwaran RBI Nominee Director	01.04.2010 to 29.07.2010	7	7
Sri Shaibal Gupta Part-time Non-Official Director	30.07.2010 to 29.01.2011	9	7
Sri Rajib Sekhar Sahoo Part-time Non-Official Director	01.04.2010 to 29.07.2010 06.03.2011 to 31.03.2011	8	7
Sri Prem Prakash Pareek Director elected from amongst shareholders other than Central Government (Re-elected)	01.04.2010 to 24.04.2010 06.09.2010 to 05.03.2011	10	8
Sri V.H. Ramakrishnan Director elected from amongst shareholders other than Central Government	06.03.2010 to 05.09.2010	9	9
Sri. K. Raghuraman Director elected from amongst shareholders other than Central Government	25.04.2010 to 24.10.2010	11	11
Sri Manoranjan Das Workmen Employee Director	25.10.2010 to 31.03.2011	7	7
Sri N. Venkata Ramana Reddy Part-time Non-Official Director	30.01.2011 to 31.03.2011	3	3

3.2 Audit Committee of the Board

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, the Audit Committee of the Board of Directors was constituted with five directors viz. Executive Director, Nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India and Two Independent Non Official Directors. One of the Independent Non-Official Directors chairs the meeting of the Audit Committee.

The Committee met 9 times during the year under review, on the following dates:

28.04.2010	28.10.2010
29.04.2010	03.01.2011
05.07.2010	31.01.2011
29.07.2010	23.03.2011
14.09.2010	

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति दिशा निर्देश देती है और बैंक के सकल लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन का निरीक्षण करती है जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण प्रणाली का गठन, परिचालन और गुणवत्ता और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा समिति और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण का अनुवर्तन नियंत्रण शामिल है।

समिति आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की समीक्षा, लॉग फार्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाये गये सभी मामलों का अनुवर्तन और लॉग फार्म ऑडिट रिपोर्ट के मामले में बाह्य लेखा परीक्षकों के साथ परस्पर विचार-विमर्श करती है। समिति रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में लेखा मानकों के अनुपालन की भी समीक्षा करती है।

यह समिति विशेषीकृत एवं बहुत बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंग की सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है। यह समिति आंतरिक लेखा कार्य की स्थिति के अलावा अंतर शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत अधिक समय से बकाए असमायोजित प्रविष्टियों की भी समीक्षा करती है।

अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या के साथ लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	उनकी कार्य-अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री राजीव शेखर साहू अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	अध्यक्ष / गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक (01.04.2010 से 31.03.2011)	9	9
श्री अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक	सदस्य	9	9
श्री अ अ ताज कार्यपालक निदेशक	सदस्य	9	9
श्रीमती मधुलिका पी सुकुल सरकार नामिती निदेशक	सदस्य	9	6
श्री के आर आनंदा भारिबैंक नामिती निदेशक	सदस्य/ गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक (30.07.2010 से 31.03.2011)	5	5
श्री बी महेश्वरन भारिबैंक नामिती निदेशक	सदस्य/ गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक (01.04.2010 से 29.07.2010)	4	4

3.3 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

बैंक द्वारा सामना किये जा रहे समग्र जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए एवं जोखिम स्तर निर्धारण का दायित्व एक समूह को सौंपने के उद्देश्य से, जो बैंक के बेहतर हित में है, बैंक ने 28.06.2001 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार नामिती निदेशक एवं तीन अन्य निदेशक हैं। वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं और बैंक के परिचालन, बाजार एवं ऋण जोखिम जैसे विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई।

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति ने निम्नलिखित तारीखों को बैठकें की हैं:

17.05.2010	22.12.2010
24.09.2010	05.03.2011



The Audit Committee of the Board provides directions and also oversees the operations of the total Audit Functions of the Bank which include organisation, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection system and follow up of the Statutory / External Audit of the Bank and Annual Financial Inspection by Reserve Bank of India.

The Committee reviews internal inspection / audit functions, follow up on all issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacts with the external auditors in respect of LFAR. The committee also reviews the compliance of the Accounting Standards in terms of reporting process, disclosure of financial information and compliance in terms of other statutory requirements.

It reviews inspection reports of the specialised and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also reviews inter branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in inter bank accounts besides reviewing the position of house keeping.

The attendance of members at the Audit Committee meetings along with the number of meetings held during the period is given below:

Name of the Director	Type of Director	Number of Audit Committee meetings held during the period	Number of meetings attended
Sri Rajib Sekhar Sahoo Part time Non-Official Director	Chairman / Non Executive Independent Director (From 01.04.2010 to 31.03.2011)	9	9
Sri Anil Girotra Executive Director	Member	9	9
Sri A.A.Taj Executive Director	Member	9	9
Smt Madhulika P Sukul Govt. of India Nominee Director	Member	9	6
Sri K.R. Ananda RBI Nominee Director	Member / Non Executive / Independent Director (From 30.07.2010 to 31.03.2011)	5	5
Sri B Maheshwaran RBI Nominee Director	Member/ Non Executive/ Independent Director (From 01.04.2010 to 29.07.2010)	4	4

3.3 Risk Management Committee (RMC)

Bank has constituted a Risk Management Committee of the Board on 28.06.2001 with an objective to empower one group with full responsibility of evaluating overall risks faced by the Bank and determining the level of risks, which will be in the best interest of the Bank. The Committee is constituted with the Chairman & Managing Director, Executive Director, Govt. of India Nominee Director and three other Directors. The Committee met four times during the year and discussed various matters relating to operational, market and credit risks of the Bank.

The Risk Management Committee met 4 times during the year on the following dates:

17.05.2010	22.12.2010
24.09.2010	05.03.2011

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की सेवावधि के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या निम्न सारणी में दी गयी है.

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	उनकी सेवावधि के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री आर रामचन्द्रन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 01.09.2010 से 31.03.2011 तक	03	03
श्री आर एस रेड्डी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 01.04.2010 से 31.08.2010 तक	01	01
श्री अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 31.03.2011 तक	04	04
श्री अ अ ताज कार्यपालक निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 31.03.2011 तक	04	04
श्रीमती मधुलिका पी सुकुल सरकार नामिती निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 31.03.2011 तक	04	02
श्री के.आर.आनंदा भारिबैंक नामिती निदेशक	सदस्य 30.07.2010 से 25.11.2010 तक	01	01
श्री राजीव शेखर साहू अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य 1.04.2010 से 31.03.2011 तक	04	03
श्री वी एच रामकृष्णन केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 31.03.2011 तक	04	04
श्री के रघुरामन केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 31.03.2011 तक	04	03

3.4 बोर्ड की विभागीय पदोन्नति समिति

बोर्ड की विभागीय पदोन्नति समिति का गठन विशेष रूप से बैंक में विभागीय जाँच तथा सतर्कता अनुशासनिक मामलों के निपटान की समीक्षा हेतु भारत सरकार के अनुदेशों के अनुरूप हुआ है.

फिलहाल, समिति के 5 निदेशक हैं

1. श्री आर. रामचंद्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.09.2010 से 31.03.2011)
2. श्री अनिल गिरोत्रा, कार्यपालक निदेशक (01.04.2010 से 31.03.2011)
3. श्री अ अ ताज, कार्यपालक निदेशक (01.04.2010 से 31.03.2011)
4. श्रीमती मधुलिका पी सुकुल, भारत सरकार नामिती निदेशक (01.04.2010 से 31.03.2011)
5. श्री के आर आनंदा, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक (30.07.2010 से 31.03.2011)

समिति की निम्नानुसार 3 बैठकें हुई :-

16.06.2010 22.12.2010 23.03.2011



The attendance of the members at the Risk Management Committee meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below in the table:

Name of the Director	Type of Director	Number of Risk Management Committee meetings held during the period	Number of meetings attended
Shri R. Ramachandran Chairman & Managing Director	Chairman from 01.09.2010 to 31.03.2011	03	03
Sri R S Reddy Chairman & Managing Director	Chairman from 01.04.2010 to 31.08.2010	01	01
Sri Anil Girotra Executive Director	Member from 01.04.2010 to 31.03.2011	04	04
Sri A.A.Taj Executive Director	Member from 01.04.2010 to 31.03.2011	04	04
Smt Madhulika P Sukul Govt. of India Nominee Director	Member from 01.04.2010 to 31.03.2011	04	02
Sri K.R.Ananda RBI Nominee Director	Member from 30.07.2010 to 25.11.2010	01	01
Sri Rajib Sekhar Sahoo Part-time Non-Official Director	Member from 01.04.2010 to 31.03.2011	04	03
Sri V H Ramakrishnan Director elected from amongst shareholders other than Central Government	Member from 01.04.2010 to 31.03.2011	04	04
Sri K Raghuraman Director elected from amongst shareholders other than Central Government	Member from 01.04.2010 to 31.03.2011	04	03

3.4 D.P.C. of the Board

D.P.C. of the Board is constituted in terms of Govt. of India directions to specifically look into the Review of disposal of vigilance disciplinary cases and Departmental Enquiries in the Bank.

Presently, the Committee consists of 5 Directors:

1. Sri R. Ramachandran, Chairman & Managing Director (From 01.09.2010 to 31.03.2011)
2. Sri Anil Girotra, Executive Director (From 01.04.2010 to 31.03.2011)
3. Sri A.A. Taj, Executive Director (From 01.04.2010 to 31.03.2011)
4. Smt Madhulika P. Sukul, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2010 to 31.03.2011)
5. Sri K.R. Ananda, RBI Nominee Director (From 30.07.2010 to 31.03.2011)

The Committee met three times on

16.06.2010

22.12.2010

23.03.2011

विभागीय पदोन्नति समिति बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति उनकी अवधि के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या सहित नीचे सारणी में दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	उनकी सेवावधि के दौरान आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री आर रामचन्द्रन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 01.09.2010 से 31.03.2011 तक	02	02
श्री आर एस रेड्डी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 01.04.2010 से 31.08.2010 तक	01	01
श्री अनलि गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 31.03.2011 तक	03	03
श्री अ अ ताज कार्यपालक निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 31.03.2011 तक	03	03
श्रीमती मधुलिका पी सुकुल भारत सरकार नामिती निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 31.03.2011 तक	03	03
श्री के आर आनंदा भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 31.03.2011 तक	02	02
श्री बी महेश्वरन, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 29.07.2011 तक	01	01

3.5 उच्च मूल्य धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

उच्च मूल्य धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति- केवल ₹ 1.00 करोड़ तथा अधिक की राशि वाली धोखाधड़ी वाले मामलों पर निगरानी कार्यवाई तथा उनके विशेष रूप से निगरानी हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप एक मंडल स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

फिलहाल समिति के 5 निदेशक हैं याने

1. श्री आर. रामचंद्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.09.2010 से 31.03.2011)
2. श्रीमती मधुलिका पी सुकुल, भारत सरकार नामिती निदेशक (01.04.2010 से 31.03.2011)
3. श्री राजीव शेखर साहू, निदेशक (25.11.2010 से 31.03.2011)
4. श्री प्रेम प्रकाश पारीक, निदेशक (01.04.2010 से 31.03.2011)
5. श्री के रघुरामन, निदेशक (01.04.2010 से 31.03.2011)

समिति की निम्नानुसार 3 बैठकें हुई :-

16.06.2010 31.08.2010 23.03.2011

उच्च मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति में सदस्यों की उपस्थिति उनकी अवधि के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या सहित, नीचे सारणी में दी गई है:-

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	उनकी सेवावधि के दौरान आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री आर रामचन्द्रन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 01.09.2010 से 31.03.2011 तक	01	01
श्री आर एस रेड्डी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 01.04.2010 से 31.08.2010 तक	02	02
श्रीमती मधुलिका पी सुकुल भारत सरकार नामिती निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 31.03.2011 तक	03	03
श्री राजीव शेखर साहू निदेशक	सदस्य 25.11.2010 से 31.03.2011 तक	01	01
श्री बी महेश्वरन भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 29.07.2010	01	01
श्री के आर आनंदा, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	सदस्य 30.07.2010 से 31.03.2011	02	02
श्री प्रेम प्रकाश पारीक, निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 31.03.2011 तक	03	02
श्री के रघुरामन निदेशक	सदस्य 01.04.2010 से 31.03.2011 तक	03	03



The attendance of the members at the D.P.C. meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below in the table:

Name of the Director	Type of Director	Number of D.P.C. meetings held during the period	Number of meetings attended
Sri R. Ramachandran Chairman & Managing Director	Chairman from 01.09.2010 to 31.03.2011	02	02
Sri R S Reddy Chairman & Managing Director	Chairman from 01.04.2010 to 31.08.2010	01	01
Sri Anil Girotra Executive Director	Member from 01.04.2010 to 31.03.2011	03	03
Sri A.A.Taj Executive Director	Member from 01.04.2010 to 31.03.2011	03	03
Smt Madhulika P Sukul Govt. of India Nominee Director	Member from 01.04.2010 to 31.03.2011	03	03
Sri K.R. Ananda RBI Nominee Director	Member from 30.07.2010 to 31.03.2011	02	02
Sri B. Maheshwaran RBI Nominee Director	Member from 01.04.2010 to 29.07.2010	01	01

3.5 Special Committee for Monitoring Large Value Frauds

Special Committee for Monitoring Large Value Frauds, a Board level Committee is constituted as per the directions of Reserve Bank of India to specifically look into monitoring and following up the cases of frauds involving an amount of ₹ 1.00 crore & above exclusively.

Presently, the Committee consists of 5 Directors:-

1. Sri R. Ramachandran, Chairman & Managing Director (From 01.09.2010 to 31.03.2011)
2. Smt Madhulika P. Sukul, Govt. of India Nominee Director
(From 01.04.2010 to 31.03.2011)
3. Sri Rajib Sekhar Sahoo, Director (From 25.11.2010 to 31.03.2011)
4. Sri Prem Prakash Pareek, Director (From 01.04.2010 to 31.03.2011)
5. Sri K. Raghuraman, Director (From 01.04.2010 to 31.03.2011)

The Committee met three times on..

16.06.2010	31.08.2010	23.03.2011
------------	------------	------------

The attendance of the members at the Special Committee for Monitoring Large Value Frauds meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below in the table:

Name of the Director	Type of Director	Number of Special Committee for Monitoring Large Value Frauds meetings held during the period	Number of meetings attended
Shri R. Ramachandran Chairman & Managing Director	Chairman from 01.09.2010 to 31.03.2011	01	01
Sri R S Reddy Chairman & Managing Director	Chairman from 01.04.2010 to 31.08.2010	02	02
Smt Madhulika P Sukul Govt. of India Nominee Director	Member from 01.04.2010 to 31.03.2011	03	03
Sri Rajib Sekhar Sahoo Director	Member from 25.11.2010 to 31.03.2011	01	01
Sri B. Maheshwaran RBI Nominee Director	Member from 01.04.2010 to 29.07.2010	01	01
Sri K.R. Ananda RBI Nominee Director	Member from 30.07.2010 to 31.03.2011	02	02
Sri Prem Prakash Pareek Director	Member from 01.04.2010 to 31.03.2011	03	02
Sri K. Raghuraman Director	Member from 01.04.2010 to 31.03.2011	03	03

3.6 शेयरधारक एवं निवेश शिकायत समिति -

3.6.1 बैंक ने विशेषकर शेयरधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए बोर्ड की समिति - शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति का गठन किया है। फिलहाल समिति में 7 निदेशक हैं। यथा -

1. श्री के रघुरामन, समिति के अध्यक्ष, 14.03.2009 से (केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक)
2. श्री अनिल गिरोत्रा, कार्यपालक निदेशक
3. श्री अ अ ताज, कार्यपालक निदेशक
4. श्री शैबाल गुप्ता, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक.
5. श्री प्रेम प्रकाश पारीक, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (06.03.2010 से समिति के सदस्य)
6. श्री मनोरंजन दास, कर्मकार कर्मचारी निदेशक (16.06.2010 से)
7. श्री एन. राज गोपाल रेड्डी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक (25.11.2010 से)

चालू वर्ष के दौरान शेयरधारक एवं निवेश शिकायत समिति की 4 बैठकें हुई, (यानी 28.04.2010, 09.08.2010, 25.11.2010 और 23.03.2011) एवं बैठकों में शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई.

निदेशक का प्रकार	शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति की बैठकों की संख्या	
	सेवावधि के दौरान आयोजित	उपस्थित
श्री के रघुरामन अध्यक्ष / केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक 01.04.2010 से 31.03.2011	4	4
श्री अनिल गिरोत्रा सदस्य / कार्यपालक निदेशक 01.04.2010 से 31.03.2011	4	4
श्री अ अ ताज सदस्य / कार्यपालक निदेशक 01.04.2010 से 31.03.2011	4	4
श्री प्रेम प्रकाश पारीक, सदस्य / केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक 01.04.2010 से 31.03.2011	4	2
श्री शैबाल गुप्ता सदस्य / अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक 01.04.2010 से 31.03.2011	4	4
श्री मनोरंजन दास 16.06.2010 से 31.03.2011 तक कर्मकार कर्मचारी निदेशक	3	3
श्री एन राज गोपाल रेड्डी सदस्य / अधिकारी कर्मचारी निदेशक 25.11.2010 से 31.03.2011 तक	2	2

3.6.2 शेयर बाजार के सूचीकरण करार, खंड 47 के अनुरूप, सेबी द्वारा जारी शेयर बाजार सूचीकरण करार की विभिन्न शर्तों एवं निदेशों के अनुपालन के प्रयोजन हेतु श्री टी.आर रामभद्रन, उप महा प्रबंधक एवं कम्पनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

3.6.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 31.03.2011 की स्थिति में बैंक एवं शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स एमसीएस लिमिटेड, मुम्बई द्वारा प्राप्त अनुरोध/शिकायतों की कुल संख्या क्रमशः 8192 / 14 है.

शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप नहीं निपटायी गयी शिकायतों की संख्या शून्य है.

लंबित शिकायतों की संख्या शून्य है.



3.6 Shareholders' and Investors' Grievances Committee

3.6.1 The Bank has constituted a Committee of the Board - "Shareholders' and Investors' Grievances Committee" – to specifically look into the redressal of the shareholders' grievances. Presently the Committee consists of 7 Directors:

1. Sri K Raghuraman, Chairman of the Committee, (Director elected from amongst shareholders other than Central Government) since 14.03.2009.
2. Sri Anil Girotra, Executive Director
3. Sri A.A. Taj, Executive Director
4. Sri Shaibal Gupta, Part-time Non-Official Director
5. Sri Prem Prakash Pareek, Director elected by Shareholders other than Central Government (Member of the Committee w.e.f 06.03.2010)
6. Sri Manoranjan Das, Workmen Employee Director (w.e.f. 16.06.2010)
7. Sri N. Raja Gopal Reddy, Officer Employee Director (w.e.f. 25.11.2010)

The Shareholders' and Investors' Grievances Committee met 4 times during the current year (i.e., on 28.04.2010, 09.08.2010, 25.11.2010 and 23.03.2011) and reviewed the position of the complaints.

Type of Director	No. of Meetings of shareholders 'and Investors' Grievances Committee	
	Held during the period	Attended
Sri K Raghuraman Chairman / Director elected from amongst shareholders other than Central Government From 01.04.2010 to 31.03.2011	4	4
Sri Anil Girotra Member / Executive Director From 01.04.2010 to 31.03.2011	4	4
Sri A.A.Taj Member / Executive Director From 01.04.2010 to 31.03.2011	4	4
Sri. Prem Prakash Pareek Member / Director elected from amongst shareholders other than Central Government From 01.04.2010 to 31.03.2011	4	2
Sri Shaibal Gupta, Member / Part-time Non-Official Director From 01.04.2010 to 31.03.2011	4	4
Sri Manoranjan Das Workmen Employee Director From 16.06.2010 to 31.03.2011	3	3
Sri N. Raja Gopal Reddy Member / Officer Employee Director From 25.11.2010 to 31.03.2011	2	2

3.6.2 In terms of Clause 47 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges, Mr. T.R. Ramabhadran, Deputy General Manager & Company Secretary is designated as the Compliance Officer for the purpose of complying with the various terms of the Listing Agreement with Stock Exchanges and Directives issued by SEBI.

3.6.3 The total number of requests / complaints received by the Bank and the Share Transfer Agents, M/s. MCS Limited, Mumbai, during the year under review was 8192 / 14, respectively as on 31.03.2011.

Number of requests / complaints not resolved to the satisfaction of the Shareholders is 'NIL'

Number of pending complaints 'NIL'

3.7 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति का गठन समय-समय पर किया जाता है एवं निम्नलिखित सदस्यों के साथ 25.11.2010 को शेयर अंतरण समिति पुनर्गठित की गयी।

श्री अनिल गिरोत्रा, कार्यपालक निदेशक (समिति के अध्यक्ष) (25.11.2010 से)

श्री अ अ ताज, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (25.11.2010 से)

श्री वी एच रामकृष्णन, निदेशक

श्री के रघुरामन, निदेशक

वर्ष 2010-11 के दौरान समिति ने 3993 शेयर अंतरणों का अनुमोदन किया है जो कुल 19,42,200 शेयर हैं। समिति शेयरों के अंतरण की पुष्टि करती है। वर्ष के दौरान शेयर अंतरण समिति की पाँच बैठकें हुईं। अंतरणों का संपूर्ण विवरण वार्षिक आधार पर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों की जमा तिथि से एक महीने के अंदर सभी अंतरण विधिवत् प्रभावित किये जाते हैं। साथ ही बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि शिकायतें निर्धारित समय में निपटा ली गयी हैं और शिकायतों के अंतिम निपटान हेतु जहाँ जाँच की आवश्यकता है वहाँ शेयरधारकों को तुरंत अंतरिम उत्तर/सूचना देकर निपटान किया जाता है।

कोई शेयर अंतरण अनुरोध एक पक्ष से अधिक अवधि हेतु लंबित नहीं है और 31.03.2011 को अंतरण के लिए कोई शेयर लंबित नहीं है।

3.8 ग्राहक सेवा समिति:

बैंक ने ग्राहक सेवा की गुणवत्ता एवं उसमें सुधार इत्यादि के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है। 16.06.2010, 09.08.2010, 27.10.2010 और 05.03.2011 को समिति की चार बार बैठकें आयोजित हुईं। समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं (31.03.2011) यथा:

1. श्री आर.रामचन्द्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री शैबाल गुप्ता, अंश कालिक गैर-सरकारी निदेशक
3. श्री राजीव शेखर साहू, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
4. श्री वी.एच.रामकृष्णन, केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों से चुना गया निदेशक
5. श्री मनोरंजन दास, कर्मकार कर्मचारी निदेशक (16.06.2010 से)
6. श्री एन. वेंकट रमणा रेड्डी, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (25.11.2010 से)

साथ ही ग्राहक सेवा पर बोर्ड की विशेष बैठक भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांक 13.08.2010 में निहित निदेशों के अनुरूप दिनांक 28.10.2010 को आयोजित की गई। केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक श्री के रघुरामन को छोड़कर बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया।

3.9 पारितोषिक समिति

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) पत्र संख्या एफ 20/1/2005-बीओआई, दिनांक 09.03.2007 के अनुसार बैंक ने बोर्ड की पारितोषिक समिति का गठन 24.03.2007 को किया है। वित्त मंत्रालय के पत्र के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पूर्णकालिक निदेशक कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए पात्र हैं जो तथ्यों के आशय के विवरण के आधार पर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स के लिए निर्धारित स्थूल परिमाणात्मक मानक एवं पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों के आधार पर बेंच मार्क की प्राप्ति के अधीन है। परिमाणात्मक एवं गुणवत्ता मानकों के मूल्यांकन का आधार संबंधित वर्ष के 31 मार्च को बैंक का लेखा परीक्षित वित्तीय डाटा होगा।

पूर्णकालिक निदेशकों यानी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक, को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पुरस्कार का निर्णय लेने के लिए बैंक/पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन पारितोषिक समिति करेगी।

समिति की बैठक 29.04.2010 को आयोजित की गयी। श्रीमती मधुलिका पी सुकुल, भारत सरकार नामिती निदेशक सहित तीन सदस्य यथा श्री बी.महेश्वरन, श्री वीएच रामकृष्णन और श्री प्रेम प्रकाश पारीक बैठक में उपस्थित हुए।

फिलहाल समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं (31.03.2011 को)

1. श्रीमती मधुलिका पी सुकुल, भारत सरकार नामिती निदेशक (समिति के अध्यक्ष)
2. श्री के.आर.आनंदा, भारि बैंक नामिती निदेशक
3. श्री वी.एच. रामकृष्णन, निदेशक
4. श्री प्रेम प्रकाश पारीक, निदेशक



3.7 Share Transfer Committee

Share Transfer committee is being reconstituted from time to time and the last reconstitution was done on 25.11.2010 with the following members:

Sri Anil Girotra, Executive Director (Chairman of the Committee) (w.e.f. 25.11.2010)

Sri A.A. Taj, Executive Director, Member (w.e.f. 25.11.2010)

Sri V H Ramakrishnan, Director

Sri K.Raghuraman, Director

The committee approved 3993 share transfers aggregating to 19,42,200 shares during the year 2010-11. The committee confirms the transfer of shares. Five Meetings of the Share Transfer Committee were held during the year. The details of the transfers are being placed to the Board annually. The Bank ensures that all the transfers are duly affected within a period of 1 month from the date of their lodgment. The Bank further ensures that complaints are disposed off in a time bound manner and the complaints which needs enquiry for final disposal are attended with immediate interim reply / information to the shareholders.

There was no share transfer request which has been pending for more than a fortnight and no shares are pending for transfer as on 31.03.2011.

3.8 Customer Service Committee

The Bank had constituted a Committee of the Board – “Customer Service Committee” to monitor the quality of customer service, improvement thereof, etc. The Committee met **four times on 16.06.2010, 09.08.2010, 27.10.2010 and 05.03.2011**. The Committee consists of the following Directors, (as on 31.03.2011)

1. Sri R. Ramachandran, Chairman & Managing Director
2. Sri Shaibal Gupta, Part-time Non-Official Director
3. Sri Rajib Sekhar Sahoo, Part-time Non-Official Director
4. Sri V H Ramakrishnan, Director elected from amongst shareholders other than Central Government
5. Sri Manoranjan Das, Workmen Employee Director (w.e.f. 16.06.2010)
6. Sri N. Venkata Ramana Reddy, Part-time Non-Official Director (w.e.f. 25.11.2010)

Further, a Special Meeting of the Board on Customer Service was held on 28.10.2010 as per the directions of Reserve Bank of India vide their letter dated 13.08.2010. This meeting was attended by all Members of the Board except Mr.K.Raghuraman, Director elected from amongst shareholders other than Central Government.

3.9 Remuneration Committee

The Bank has in terms of Ministry of Finance (MOF) letter no. F-20/1/2005-BOI, dated 09.03.2007, constituted a Remuneration Committee of the Board on 24.03.2007. In terms of MOF letter, the Whole Time Directors of Public Sector Banks would be entitled to performance linked incentives subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix based on the “Statement of Intent of Goals” and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports during the last financial year. The basis of evaluation of the quantitative and qualitative parameters would be the Bank’s audited financial data as on March 31st of the relevant year.

The Remuneration Committee shall evaluate the performance of the Bank / full time Directors for deciding the performance linked incentives to be paid to the whole time Directors i.e., Chairman & Managing Director and Executive Directors of the Bank.

The committee met on 29.04.2010 and Smt Madhulika P.Sukul, GOI Nominee Director along with three members namely Sri B.Maheswaran, Sri VH Ramakrishnan and Sri Prem Prakash Pareek attended the meeting.

Presently, the Committee consists of the following members (as on 31.03.2011):

1. Smt Madhulika P Sukul, GOI Nominee Director (Chairman of the Committee)
2. Sri K.R. Ananda, RBI Nominee Director
3. Sri V H Ramakrishnan, Director
4. Sri Prem Prakash Pareek, Director

3.10 बोर्ड की नामांकन समिति

30.11.2007 को बोर्ड की नामांकन समिति का गठन किया गया एवं निम्न निदेशकों के साथ 25.11.2010 को पुनर्गठित किया गया.

1. श्री शैबाल गुप्ता (समिति के अध्यक्ष) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
2. श्री राजीव शेखर साहू, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
3. श्री एन वेंकट रमणा रेड्डी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

3.11 अन्य समितियाँ:

कई अन्य कार्यकारी समितियाँ हैं जिनके सदस्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, महा प्रबंधक एवं विभागीय कार्यपालक हैं. ये समितियाँ व्यापार के विभिन्न पहलुओं के दैनंदिन कार्य, समीक्षा और निगरानी करती हैं. कुछ महत्वपूर्ण कार्यकारी समितियाँ निम्नानुसार हैं.

1. आस्ति देयता समिति (ऑलको)
2. परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
3. निवेश समिति (आईसी)
4. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण समिति (आरबीएससी)
5. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

इन समितियों के विवरण और उनके कार्य संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार हैं.:

3.11.1 आस्ति देयता प्रबंधन (ऑलको)

ऑलको निर्णय लेने वाला निकाय है जो जोखिम आय के परिप्रेक्ष्य में तुलनपत्र आयोजना के लिए उत्तरदायी है. ऑलको बैंक की चलनिधि एवं तुलनपत्र में ब्याज दर जोखिम की निगरानी करने के लिए प्रमुख प्राधिकरण है. यह पाक्षिक आधार पर बैंक की संरचनात्मक चलनिधि, गतिशील चलनिधि और ब्याज दर की अस्थिर स्थिति की समीक्षा करता है और बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं/मानदंडों के अंतर्गत निगरानी करता है. ऑलको वर्तमान ब्याज दर पर बैंक के विचार और भविष्य व्यवसाय रणनीति के लिए निधिकरण का स्वरूप और उत्पादन मूल्य (जमा और अग्रिमों पर ब्याज दर का निर्धारण) जैसे विषयों पर निर्णय लेता है.

आस्ति देयता समिति (ऑलको) निम्न सदस्यों के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में काम करती है.

मुख्य महाप्रबंधक

महा प्रबंधक (एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग/ऋण निगरानी एवं समीक्षा विभाग)

महा प्रबंधक (कार्पोरेट आयोजना)

महा प्रबंधक (राजकोष, मुम्बई)

सहायक महा प्रबंधक/ मुख्य प्रबंधक (एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग)- संयोजक

इस अवधि के दौरान समिति की 28 बैठकें हुईं जिसमें प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न टिप्पणियों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए. साथ ही, समिति ने दैनिक आधार पर थोक जमाराशियों पर अधिमानी ब्याज दरें देने के संबंध में भी चर्चा की और अनुमोदन प्रदान किया.

3.11.2 परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम नीतियों एवं सीमाओं के कार्यान्वयन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति उत्तरदायी है. सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के सृजन एवं रखरखाव द्वारा संस्था के अंदर परिचालन जोखिम कम करना इस समिति का प्रमुख उद्देश्य होगा.

समिति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक अध्यक्षता में कार्य करेगी और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

क. मुख्य महा प्रबंधक

ख. महाप्रबंधक (आईआरएमडी/ सीएमआरडी)

ग. महाप्रबंधक (निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा)

घ. महाप्रबंधक (परिचालन)

ङ. महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)

च. महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी

छ. सहायक महाप्रबंधक / मुख्य प्रबंधक (आईआरएमडी)- संयोजक

समीक्षा वर्ष के दौरान 14.05.2010, 07.06.2010, 15.06.2010, 24.06.2010, 16.07.2010, 17.08.2010, 25.08.2010, 08.09.2010, 11.10.2010, 23.11.2010, 24.11.2010, 06.12.2010, 21.12.2010, 28.01.2011 और 12.02.2011 को समिति की 15 बैठकें हुईं.



3.10 Nomination Committee of the Board

Nomination Committee of the Board was constituted on 30.11.2007 and reconstituted last on 25.11.2010 with the following Directors:

1. Sri Shaibal Gupta, (Chairman of the Committee), Part-time Non-Official Director
2. Sri Rajib Sekhar Sahoo, Part-time Non-Official Director
3. Sri N. Venkata Ramana Reddy, Part-time Non-Official Director

3.11 Other Committees

There are various other functional committees, consisting of Chairman & Managing Director, Executive Directors, General Managers and Departmental Executives, which have been constituted for day to day functioning, review and monitoring of various aspects of business. Some of the important functional committees are as under:

1. Asset Liability Committee (ALCO)
2. Operational Risk Management Committee(ORMC)
3. Investment Committee(IC)
4. Risk Based Supervision Committee(RBSC)
5. Credit Risk Management Committee: (CRMC)

The details of these Committees and their functions in brief are furnished hereunder:

3.11.1 Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO is a decision making body responsible for Balance Sheet Planning from Risk Returns perspective. ALCO is a primary authority for monitoring liquidity and interest rate risks in the Balance Sheet of the Bank. It reviews the structural Liquidity, dynamic liquidity and interest rate sensitivity position of the Bank on fortnightly intervals and monitors the same to be within the Prudential Risk limits / parameters set by the Board. ALCO also articulates the current interest rate view of the Bank and base its decisions such as funding pattern and product pricing (fixing of interest rates on deposits and advances) for future business strategy.

The Asset Liability Committee (ALCO) is headed by Chairman & Managing Director/Executive Director with the following members:

- Chief General Manager
- General Manager (IRMD/CMRD)
- General Manager (Corporate Planning)
- General Manager (Treasury, Mumbai)
- AGM/CM (IRMD)- Convener

The Committee met 28 times during the period to discuss and decide on various notes submitted by different Departments of Head Office. Further, the Committee also deliberated and accorded approvals to offer preferential rates of interest on Bulk Deposits on day to day basis.

3.11.2 Operational Risk Management Committee

Operational Risk Management Committee shall be responsible for implementation of the Operational Risk policies and limits approved by the Board / RMC. It shall have as its principal objective the mitigation of operational risk within the institution by the creation and maintenance of an explicit operational risk management process.

The Committee shall be headed by the Chairman & Managing Director / Executive Director and shall consist of the following members:

- a. Chief General Manager
- b. General Manager (IRMD / CMRD)
- c. General Manager (I & A)
- d. General Manager (Operations)
- e. General Manager (DIT)
- f. General Manager & C V O
- g. AGM/CM (IRMD) - Convener

The committee met 15 times during the year under review on 14.05.2010, 07.06.2010, 15.06.2010, 24.06.2010, 16.07.2010, 17.08.2010, 25.08.2010, 08.09.2010, 11.10.2010, 23.11.2010, 24.11.2010, 06.12.2010, 21.12.2010, 28.01.2011 and 12.02.2011.

3.11.3 निवेश समिति

निवेश का अनुमोदन, निवेश लेनदेन की समीक्षा, विभिन्न मुद्रा बाजार खिलाड़ियों को विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा तय करने, गैर एसएलआर निवेश इत्यादि हेतु निवेश समिति का गठन किया गया।

समिति निम्न सदस्यों के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करती है।

क. कार्यपालक निदेशक

ख. मुख्य महाप्रबंधक

ग. महाप्रबंधक (आई आई बी)

घ. महाप्रबंधक (आईआरएमडी/सीएमआरडी)

निवेश समिति का कोरम 4 सदस्य हैं जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक, महा प्रबंधक (राजकोष) एवं उपर्युक्त में से कम से कम दो अन्य महा प्रबंधक होंगे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम महा प्रबंधक बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

समिति की बैठक प्रतिदिन होती है।

3.11.4 जोखिम आधारित पर्यवेक्षण समिति

बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन एवं जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के उपायों के पर्यवेक्षण के लिए एवं तिमाही आधार पर बैंक का जोखिम प्रोफाइल समीक्षा करने के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया।

समिति निम्न सदस्यों के साथ कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करती है।

क. मुख्य महाप्रबंधक

ख. महाप्रबंधक (आईआरएमडी/सीएमआरडी)

ग. महाप्रबंधक (निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा)

घ. महाप्रबंधक (परिचालन)

ङ. महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)

च. महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी

समीक्षागत वर्ष के दौरान समिति की 07.06.2010, 25.08.2010, 22.11.2010 और 16.03.2011 को चार बार बैठकें हुईं।

3.11.5 ऋण जोखिम प्रबंधन समिति : (सीआरएमसी)

बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीति / रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए सीआरएमसी उत्तरदायी है। समिति बैंक की ऋण जोखिम नीति, ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए नीतियाँ / मानक, वित्तीय प्रसंविदा, श्रेणी निर्धारण मानदंड एवं बेंचमार्क तैयार करेगी एवं बोर्ड / आरएमसी को अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगी। समिति ऋण अनुमोदन अधिकारों का प्रत्यायोजन, ऋण एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमाएँ ऋण संपादितियों के लिए मानदंड, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा मेकनिज्म, जोखिम केंद्रीकरण, जोखिम निगरानी एवं मूल्यांकन, ऋणों का प्राइसिंग, प्रावधानीकरण, विनियामक / कानूनी अनुपालन इत्यादि पर निर्णय लेगी।

संरचना : समिति निम्न सदस्यों के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करेगी।

क. मुख्य महाप्रबंधक

ख. महा प्रबंधक (आईआरएमडी/सीएमआरडी)

ग. महा प्रबंधक (प्राथमिकता प्राप्त नीति)

घ. महा प्रबंधक (एमएसएमई)

ङ. महाप्रबंधक (खुदरा ऋण)

च. उप महा प्रबंधक / सहायक महा प्रबंधक/ मुख्य प्रबंधक(एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग) -संयोजक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दोनों कार्यपालक निदेशकों की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम महा प्रबंधक बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

समीक्षा वर्ष के दौरान निम्न तारीखों को समिति की 10 बैठकें हुईं।

21.04.2010, 10.05.2010, 07.06.2010, 16.07.2010, 25.08.2010, 05.10.2010, 23.11.2010, 21.12.2010, 28.01.2011 and 22.02.2011



3.11.3 Investment Committee

Investment Committee was constituted to approve investments, review investment transactions, fix prudential exposure limits to various money market players, investments in Non-SLR investments etc.

The committee is headed by Chairman & Managing Director and consists of the following members.

- a. Executive Directors
- b. Chief General Manager
- c. General Manager (IIB)
- d. General Manager (IRMD / CMRD)

The quorum of the IC will be 4 members which shall include CMD/ED, GM(Treasury) and at least two other General Managers as above. In the absence of CMD/ED, the senior most GM will preside over the meeting.

The committee meets on a daily basis.

3.11.4 Risk Based Supervision Committee

The Risk Based Supervision Committee was constituted for the supervision of the measures on the implementation of the Risk Based Supervision and risk based internal audit of the bank and review of the risk profile of the bank on a quarterly basis.

The Committee is headed by the Chairman & Managing Director / Executive Director and shall consist of the following members:

- a. Chief General Manager
- b. General Manager (IRMD / CMRD)
- c. General Manager (I & A)
- d. General Manager (Operations)
- e. General Manager (DIT)
- f. General Manager & C V O

The committee met Four times during the year under review on 07.06.2010, 25.08.2010, 22.11.2010 and 16.03.2011.

3.11.5 Credit Risk Management Committee (CRMC)

CRMC is responsible for implementation of the Credit risk policy / strategies approved by the Board / RMC. The Committee shall prepare the Credit Risk Policy of the bank, policies / standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks and recommend to Board / RMC for approval. The Committee shall also decide on the delegation of Credit approving powers, prudential limits on credit exposures, standards for loan collaterals, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory / legal compliance etc.

Composition: The Committee is headed by the Chairman & Managing Director / Executive Directors and shall consist of the following members –

- a. Chief General Manager
- b. General Manager (IRMD/CMRD)
- c. General Manager (Priority Sector Policy)
- d. General Manager (MSME)
- e. General Manager (Retail Credit)
- f. Dy.GM / AGM / CM(IRMD) ... Convener

In the absence of both Chairman & Managing Director and Executive Director, the senior most General Manager shall preside over the Committee meeting.

The committee met ten times during the year under review on the following dates:

21.04.2010, 10.05.2010, 07.06.2010, 16.07.2010, 25.08.2010, 05.10.2010, 23.11.2010, 21.12.2010, 28.01.2011 and 22.02.2011.

4. सामान्य बैठकें

4.1 वार्षिक सामान्य बैठक

पिछली तीन शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है.

साधारण बैठक	तारीख	समय	स्थान
आठवीं एजीएम	23.06.2008	पूर्वाह्न 10.00	बजे शिल्पकला वेदिका, शिल्पा रामम, क्राफ़्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद -500 081
नवीं एजीएम	25.06.2009	पूर्वाह्न 10.00	बजे शिल्पकला वेदिका, शिल्पा रामम, क्राफ़्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद -500 081
दसवीं एजीएम	16.06.2010	पूर्वाह्न 10.00	बजे शिल्पकला वेदिका, शिल्पा रामम, क्राफ़्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद -500 081

उपर्युक्त पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया.

पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक मतदान के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया.

4.2 असाधारण सामान्य बैठक

पिछले तीन वर्ष के दौरान आयोजित शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है.

तारीख	समय	स्थान	उद्देश्य
06.03.2009	पूर्वाह्न 10.00 बजे	शिल्पकला वेदिका, शिल्पा रामम, क्राफ़्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद-500 081	केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक निदेशकों का चुनाव
23.03.2011	पूर्वाह्न 10.30 बजे	शिल्पकला वेदिका, शिल्पा रामम, क्राफ़्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद-500 081	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर 7,45,80,364 ईक्विटी शेयरों का निर्गम और आर्बिटिन

5.1 महत्वपूर्ण प्रकटन

बैंक ने पूंजी बाजार संबंधी मामलों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया एवं शेयर बाजार या सेबी या अन्य कोई सांविधिक प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के कानून, मार्गदर्शी सिद्धांत एवं निदेशों के गैर अनुपालन के लिए पिछले तीन वर्ष के दौरान न तो किसी प्रकार का दंड लगाया गया और न ही आलोचना की गयी. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार 31.03.2011 के तुलनपत्र के लेखों में टिप्पणियों में बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटन किया गया. निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने बैंक द्वारा बनाए गए आदर्श आचरण संहिता की पुष्टि की है तथा उसे वेबसाइट में रखा गया है.

गैर कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या नीचे प्रस्तुत है.

1. श्री प्रेम प्रकाश पारीक - 430 शेयर
2. श्री वी एच रामकृष्णन - 100 शेयर
3. श्री के रघुरामन - 225 शेयर

अन्य सभी गैर कार्यपालक निदेशकों के पास हमारे बैंक के ईक्विटी शेयर नहीं हैं.

5.2 वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए निदेशकों को दिये गये पारिश्रमिक* का विवरण

निदेशक	वेतन	भ.नि. को बैंक का अंशदान	परिलब्धियाँ राशि	बैठक शुल्क	कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन	
					वि.व.अवधि	राशि
@ श्री आर एस रेड्डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	559200	40000	72813	—	2009-10	800000
@ श्री आर रामचन्द्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	766325	52850	12738	—	2009-10	—
@ श्री अनिल गिरोत्रा, कार्यपालक निदेशक	1187144	82149	175623	—	2009-10	650000
@ श्री अ अ ताज, कार्यपालक निदेशक	1211048	79755	49606	—	2009-10	204795
# श्री एन.राजगोपाल रेड्डी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक	746067**	नया पेंशन विकल्पदाता	13304	70000	—	
+ श्री मनोरंजन दास, कर्मकार कर्मचारी निदेशक	477147**	पेंशन विकल्पदाता		—	107500	—

* पारिश्रमिक में वेतन, लाभ, परिलब्धियाँ आदि सम्मिलित हैं.

@ सरकारी विनियमनों के अनुसार सेवा संविदा.

आन्ध्र बैंक अधिकारी सेवा विनियमनों के अनुसार.

+ द्विपक्षीय समझौते के अनुसार.

नोट : (1) ** वेतन में 01.11.2007 से 31.03.2010 के दौरान श्री एन राज गोपाल रेड्डी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक के संबंध में वेतन संशोधन के संबंध में 1,56,490.12 राशि बकाया शामिल है.

(2) ** वेतन में 01.11.2007 से 31.03.2010 के दौरान श्री मनोरंजन दास, कर्मकार कर्मचारी निदेशक के संबंध में वेतन संशोधन के संबंध में 1,06,419.02 राशि बकाया शामिल है.



4. General Body Meetings

4.1 Annual General Meeting

The details of previous three Annual General Meetings (AGM) of shareholders are as follows:

General Body Meeting	Date	Time	Venue
Eighth AGM	23.06.2008	10.00 AM	Shilpakala Vedika, Shilpa Ramam, Crafts Village, Near HiTech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081
Ninth AGM	25.06.2009	10.00 AM	Shilpakala Vedika, Shilpa Ramam, Crafts Village, Near HiTech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081
Tenth AGM	16.06.2010	10.00 AM	Shilpakala Vedika, Shilpa Ramam, Crafts Village, Near HiTech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081

No Special Resolution was passed in the previous three Annual General Meetings stated above.

No Special Resolution was passed through postal ballot during the previous three years.

4.2 Extraordinary General Meeting

The details of Extraordinary General Meeting of the shareholders held during the last 3 years are as follows:

Date	Time	Venue	Purpose
06.03.2009	10.00 AM	Shilpakala Vedika, Shilpa Ramam, Crafts Village, Near HiTech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081.	Election of Shareholder Directors from amongst share holders other than Central Government
23.03.2011	10.30 AM	Shilpakala Vedika, Shilpa Ramam, Crafts Village, Near HiTech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081.	To issue and allot 7,45,80,366 equity shares to Government of India on preferential basis

5.1. Material Disclosures

The Bank had complied with all the requirements regarding Capital Market related matters and has not been imposed any penalty or strictures by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority for non compliance of any law, guidelines and directives during the last three years. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts Schedule of the Balance Sheet as on 31.03.2011 as per Accounting Standards-18 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

The Directors and Senior Management personnel affirm by the Model Code of Conduct framed by the Bank and the same is posted on the website.

The Certificate of CEO & CFO under Clause 49(v) of the Listing Agreement is attached to the Corporate Governance Report.

The number of shares held by Non Executive Directors is furnished below:

1. Sri Prem Prakash Pareek — 430 shares
2. Sri V H Ramakrishnan — 100 shares
3. Sri K Raghuraman — 225 shares

All other Non Executive Directors do not hold equity shares of our Bank.

5.2 Details of remuneration* paid to Directors for the Financial year 2010-11

(Amount in Rupees)						
Director	Salary	Banks' Contribution to PF	Perquisites	Sitting Fees	Performance based Incentive	
					Period FY	Amount
@ Sri R S Reddy Chairman & Managing Director	559200	40000	72813	—	2009-10	800000
@ Sri R. Ramachandran Chairman & Managing Director	766325	52850	12738	—	2009-10	—
@ Sri Anil Girotra, Executive Director	1187144	82149	175623	—	2009-10	650000
@ Sri A.A. Taj, Executive Director	1211048	79755	49606	—	2009-10	204795
#Sri N. Raja Gopal Reddy Officer Employee Director	746067**	NEWPENSION OPTTEE	13304	70000	—	—
+Sri Manoranjan Das Workmen Employee Director	477147**	PENSION OPTTEE	—	107500	—	—

* The remuneration includes Salary, benefits, perquisites etc.

@ Service contract as per Government Regulations

As per Andhra Bank Officers Service Regulations

+ As per Bipartite Settlement

Note: (1) ** Salary includes arrears amounting to ₹ 1,56,490.12p. during the period 01.11.2007 to 31.03.2010 on account of wage revision in respect of Sri N.Raja Gopal Reddy, Officer Employee Director.
(2) ** Salary includes arrears amounting to ₹ 1,06,419.02p. during the period 01.11.2007 to 31.03.2010 on account of wage revision in respect of Sri Manoranjan Das, Workmen Employee Director.

6. सूचना के साधन

शेयर बाजार, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध किये गये हैं। को तिमाही वित्तीय परिणाम विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं। बैंक का मानना है कि सभी पणधारियों को विभिन्न गतिविधियों, कार्यनिष्पादन एवं उत्पाद पहल के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वर्ष 2010-11 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्धवार्षिक एवं तिमाही परिणाम प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित किये गये हैं। बैंक के वेबसाइट www.andhrabank.in पर भी परिणाम उपलब्ध कराये गये हैं। बैंक के सभी शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाती है। प्रति वर्ष वार्षिक, अर्धवार्षिक एवं त्रैमासिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन प्रेस मीट बुलायी जाती है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मीडिया के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं उच्च कार्यपालक अपने दौरों के समय भारत के अन्य स्थानों पर और विदेश के दौरों के समय निधि प्रबंधकों के साथ आपसी बैठक एवं प्रेस के साथ व्यक्तिगत रूप से बैंक के निष्पादन के बारे में जानकारी देते हैं। साधारणतः निम्न समाचार पत्रों में वित्तीय परिणाम, कॉर्पोरेट विज्ञापन एवं नोटिस दिये जाते हैं :

अंग्रेजी:	तेलुगु:	हिन्दी:	उर्दू:
बिसिनेस लाइन, डेक्कन क्रानिकल, बिसिनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, एकोनामिक टाइम्स	ईनाडु, साक्षी, आन्ध्र प्रभा, प्रजा शक्ति, वार्ता	जनसत्ता, नवभारत टाइम्स	सियासत

7. शेयरधारक जानकारी

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है। 31.03.2011 को बैंक की 1632 शाखाएँ एवं 23 आंचलिक कार्यालय हैं।

निम्नलिखित शेयर बाजारों में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं

क. मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
25 वाँ तल, फिरोज जीजीभय टावर
दलाल स्ट्रीट, मुंबई -400 001, फेक्स सं.022-22723121

सिंबल : 532418

स्टॉक कूट/सिस्टम : एएनडीबीकेडीएम

ख. दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,
एक्सचेंज प्लाजा,

बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई - 400 051.

वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान 31.03.2011 तक कर दिया गया है।

8.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तिकरण

बैंकों की शेयर सेबी के अनिवार्य अमूर्त सूची के अंतर्गत हैं एवं बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए एक निर्गमी कम्पनी के रूप में बैंक नैशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ निक्षेपागार सेवाओं के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। शेयरधारक अपने शेयरों को एनएसडीएल या सीडीएसएल में अमूर्तिकरण कर सकते हैं। निक्षेपागार सेवाओं ने बैंक को निम्न आईएसआईएन संख्याएँ आवंटित की हैं।

एनएसडीएल - आईएनई 434A01013

सीडीएसएल - आईएनई 434A01013

मार्च 31, 2011 को बैंक के 1,88,123 शेयरधारकों में से 38,443 शेयरधारकों के शेयर मूर्त रूप में हैं और 1,49,681 शेयरधारक के शेयर अमूर्त रूप में हैं। बैंक के कुल 55,95,80,364 शेयरों में से 32,55,80,364 भारत सरकार के पास हैं एवं शेष 23,50,00,000 आम जनता को निर्गमित किये गये हैं। 31 मार्च 2011 को कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (शेयर के सरकारी होल्डिंग को मिलाकर) का 83.45% इलेक्ट्रॉनिक रूप में और 16.55% मूर्त रूप में हैं..

8.2 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस):

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा लाभांश भुगतान की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लाभांश की अदायगी हेतु निवेशक को देय राशि उसके खाते में सीधे जमा की जाती है। बैंक ने निम्न केंद्रों में स्थित शेयरधारकों के खातों हेतु ये सेवाएँ प्रदान की है।

आगरा	इंदौर	पाणाजी
अहमदाबाद	जयपुर	पटना
इलाहाबाद	जोधपुर/उदयपुर	पुदुचेरी
अमृतसर	कानपुर	पुणे
बेंगलूर	कोलकाता	राजकोट
बडौदा	कोल्लिकोड	रांची
भोपाल	लखनऊ	सेलम
चंडीगढ़	लुधियाना	सुरत
चेन्नै	मदुरै	तिरुचिरापल्ली
कोयंबटूर/तिरुपूर	मंगलूर	तिरुपति/चित्तूर
एर्णाकुलम	मैसूर	तिरुवनंतपुरम
ईरोड	नागपुर	त्रिशूर
गुवाहाटी	नासिक	वाराणसी
हलदिया	नेल्लूर/दर्गामिट्टा	विजयवाड़ा
हैदराबाद	नई दिल्ली	विशाखपट्टणम



6. Means of Communication

Quarterly financial results are submitted to the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed within the stipulated time frame.

The Bank strongly believes that all stakeholders should have access to complete information on different activities, performance and product initiatives. Annual, half yearly and quarterly results of the Bank for the year 2010-11 were published in the leading newspapers. The results were also made available on the Bank's website www.andhrabank.in. The Annual Report is sent to all the shareholders of the Bank. Every year, after the annual, half yearly and quarterly results are declared, a Press Meet is held on the same day in which the Chairman & Managing Director answers to the queries of the Media. The Chairman & Managing Director, Executive Directors and other top functionaries, in the course of their visits to other centers in India as well as abroad, undertake one to one meeting with the Fund Managers as well as Press personally and appraise them about the performance of the Bank. The following news papers mainly cover the Financial Results, Corporate Advertisements and Notices:

English:	Telugu:	Hindi:	Urdu:
Business Line, Deccan Chronicle	Eanadu, Saakshi	Janasatta	Siasat
Business Standard, Times of India	Andhra Prabha	Nava Bharat Times	
The Financial Express	Praja Sakthi		
Economic Times	Vaaritha		

7. Shareholders Information

The Bank is a Scheduled Commercial Bank with the Head Office situated at Hyderabad. The Bank has its presence in 1632 branches and has 23 Zonal Offices as on 31.03.2011.

The Bank's shares are listed on the following Stock Exchanges

- | | |
|--|--|
| a. Bombay Stock Exchange Limited
25 th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001. | Symbol: 532418
Stock Code/System: ANDBKDM |
| b. The National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai – 400 051 | Stock Code/ Symbol: ANDHRABANK |

The annual listing fee has been paid till 31.03.2011.

8.1 Dematerialisation of Securities

The shares of the bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank is a member of the Depository Services with National Security Depository Ltd (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) as an issuer company for dematerialisation of Bank shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The Depository services have allotted the following ISIN numbers to the bank.

NSDL — INE434A01013
CDSL — INE434A01013

As on March 31, 2011, out of 1,88,123 shareholders of the Bank 38,443 shareholders hold the shares of the Bank under physical mode and 1,49,681 shareholders hold the shares in demat form. Out of the total equity shares of 55,95,80,364 of the Bank, 32,45,80,364 equity shares are held by the Government of India and the remaining 23,50,00,000 are held by the public. As on 31st March, 2011, the public shareholding (incl. Govt. of India) in Electronic Form is 83.45% and 16.55% is in physical form.

8.2 Electronic Clearing Services (ECS)

Electronic Clearing Services is a method by which payment of dividend etc. where the amount due to the investor can directly be credited to his/her account. The bank has offered the services to the shareholders having account at the following Centres:

Agra	Indore	Panaji
Ahmedabad	Jaipur	Patna
Allahabad	Jodhpur / Udaipur	Pondicherry
Amritsar	Kanpur	Pune
Bangalore	Kolkata	Rajkot
Baroda	Kozhikode	Ranchi
Bhopal	Lucknow	Salem
Chandigarh	Ludhiana	Surat
Chennai	Madurai	Tiruchirapalli
Coimbatore / Tirupur	Mangalore	Tirupati / Chittoor
Ernakulam	Mysore	Tiruvananthapuram
Erode	Nagpur	Trissur
Guwahati	Nasik	Varanasi
Haldia	Nellore / Dargamitta	Vijayawada
Hyderabad	New Delhi	Visakhapatnam

8.3 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) द्वारा लाभांश भुगतान

इस प्रणाली का उद्देश्य लाभांश के भुगतान का केंद्रीयकृत संसाधन की सुविधा प्रदान करना है। एनईसीएस (जमा) से कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत कवर किए गए हिताधिकारी खातों में बहुविध जमा करने में जारीकर्ता को सहायता मिलती है। इस प्रयोजन के लिए शेयरधारकों को सीबीएस खाता नंबर, एमआईसीआर नंबर आदि अपने अमूर्त धारण हेतु निक्षेपागार प्रतिभागियों को तथा मूर्त धारण के मामले में रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों को प्रदान करते हुए बैंक खाता विवरण अद्यतन करना होगा। एनईसीएस से शेयरधारक को भुगतान तारीख को ही अपने खाते में लाभांश प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

8.4 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी अंतरण उनके प्रस्तुत किये जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के अंदर प्रभावी हो। बोर्ड ने अंतरणों के अनुमोदन के लिए एक अंतरण समिति बनायी है जिसकी नियमित अंतरालों पर बैठकें होती हैं। रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट निर्धारित सांविधिक अवधि के दौरान अंतरण प्रक्रिया का कार्य करते हैं जिसका पुष्टिकरण शेयर अंतरण समिति द्वारा किया जाता है।

शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित सभी क्रियाकलापों पर कार्रवाई रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता, मेसर्स एमसीएस लिमिटेड, मुम्बई के कार्यालय में की जाती है। शेयरधारक अंतरण विलेख एवं अन्य कोई दस्तावेज, शिकायत एवं फरियाद रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता के निम्न पते पर भेज सकते हैं।

मेसर्स एमसीएस लिमिटेड

काशीराम जमनादास भवन

कार्यालय संख्या 21/22 भूतल,

5, पी.डी.मेलो रोड, (चडियाल गोडी)

मुम्बई 400 009

फोन नं.022-23726253 से 56

संपर्क व्यक्ति : सुश्री वलसा सजन

बैंक प्रधान कार्यालय के व्यापारी बैंकिंग प्रभाग में निवेशकों की सेवा का उत्तरदायित्व लेता है एवं संसूचना/पत्राचार/फरियाद/शिकायतों को निवारणार्थ निम्न पते पर भेजा जा सकता है।

कंपनी सचिव

निवेशक सेवाएँ अनुभाग

आन्ध्र बैंक,

डा. पट्टाभि भवन, प्रधान कार्यालय

5-9-11, सैफाबाद,

हैदराबाद 500004.

टेलीफोन फैक्स सं. 040 - 23230883, टेलीफोन : 040 - 23252371/2388

ई मेल एड: mbd@andhrabank.co.in

8.5 एस्क्रो खाता खोलना

बैंक ने आन्ध्र बैंक केंद्रीयकृत डीपी शाखा, सोमाजिगुडा, हैदराबाद में एस्क्रो खाता खोला है और 25.03.2010 को हमारे फालो ऑन पब्लिक ऑफर में भाग लेने वाले शेयरधारकों के अदावी शेयरों को अंतरित किया।

183 शेयरधारकों से संबंधित 27,279 अदावी शेयरों को उपर्युक्त एस्क्रो खाते में अंतरित किया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान, 4065 ईक्विटी शेयरों को शेयरधारकों के अनुरोध पर उनके डीमैट खातों में अंतरित किया गया। उचंत खाते में बकाया बेदावा शेयरों की संख्या 23,214 शेयर हैं।

इन अदावी शेयरों पर मतदान अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक कि ऐसे शेयरों के असली हकदार शेयरों का दावा नहीं करते।

9. वित्तीय कैलेंडर

9.1 बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक:

बैंक के शेयर धारकों की ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक के विवरण निम्नानुसार हैं।

तारीख, समय एवं वार्षिक सामान्य बैठक का स्थान

22 जून 2011 को सुबह 10.00 बजे शिल्पकला वेदिका, शिल्पा रामम, क्राफ्टस विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद - 500 081



8.3 Dividend payment by way of National Electronic Clearing Service (NECS)

The objective of the system is to facilitate centralized processing of payment of dividend. The NECS (credit) facilitate the Issuer, multiple credits to beneficiary accounts which have been covered under Core-Banking Solution. For the purpose, the shareholders have to update their bank account details by furnishing their CBS account number, MICR No., etc. to their respective Depository Participants in case of dematerialized holdings and to the Registrars & Transfer Agents in case of physical holdings. The NECS facilitates the shareholder to receive dividend in his account on the pay-out date itself.

8.4 Share Transfer System and Redressal of Investor's Grievances

The Bank ensures that all transfers are duly affected within the period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted a Share Transfer Committee for confirmation of the Transfers, which meets at regular intervals. The Registrars & Share Transfer Agents undertake the process of transfers within the stipulated statutory period which is confirmed by the Share Transfer Committee.

Share Transfers, Dividend Payments and all other investor related activities are attended to and processed at the Office of the Registrars and Share Transfer Agents, M/S.MCS Limited, Mumbai. The Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the following address of the Registrars and Share Transfer Agents:

M/s. MCS LIMITED
KASHIRAM JAMNADAS BLDG.,
OFFICE NO.21/22 GROUND FLOOR
5, P.D'MELLO ROAD, (GHADIYAL GODI)
MUMBAI - 400 009.
Ph. No. 022-23726253 to 56
Contact Person: Ms. Valsa Sajan

The Bank also undertakes the investor services in Merchant Banking Division at Head Office of the Bank. Any communication / correspondence /grievances/ complaints can be sent to the following address for redressal:

The Company Secretary
Investor Services Section
Andhra Bank
Dr.Pattabhi Bhavan, Head Office
5-9-11, Saifabad
Hyderabad – 500 004.
Tel / Fax. 040-23230883; Tel:040-23252371/2388
E-mail add: mbd@andhrabank.co.in

8.5 Opening of an ESCROW Account

The Bank has opened an ESCROW Account with Andhra Bank Centralised DP Branch, Somajiguda, Hyderabad and on 25.03.2010 transferred the unclaimed shares of the shareholders who have participated in our Follow-on Public Offer.

27,279 unclaimed shares pertaining to 183 shareholders were transferred to the above Escrow Account. During the year 2010-11, 4065 equity shares were transferred from the account to the shareholders' demat accounts on their request. The number of unclaimed shares outstanding in the Suspense account are 23,214 shares.

The voting rights on these unclaimed shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

9. Financial Calendar

9.1 Annual General Meeting of the shareholders

Particulars of the Eleventh Annual General Meeting of the shareholders of the Bank

Date, Time & Venue of the AGM	22 nd June, 2011 at 10.00 A.M. Shilpakala Vedika, Shilparamam,Crafts Village, Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad-500 081.
-------------------------------	--

9.2 वित्तीय कैलेंडर (अस्थायी)

अवधि की समाप्ति के लिए त्रैमासिक परिणामों का अनुमोदन :

30 जून 2011	— जुलाई 2011 के अंत में
30 सितंबर 2011	— अक्टूबर 2011 के अंत में
31 दिसंबर 2011	— जनवरी 2012 के अंत में
31 मार्च 2012	— लेखापरीक्षित वार्षिक खाते - अप्रैल 2012

9.3 वही संवरण की तारीख (लाभांश)

17-06-2011 से 21-06-2011 (दोनों दिन मिलाकर)

9.4 लाभांश भुगतान तारीख :

2010-11 के लिए लाभांश भुगतान तारीख : 29-06-2011

(नोट : 2010-11 वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने 05.05.2011 को 55% दर से ₹ 5.50 पैसे प्रति शेयर लाभांश घोषित किया एवं इसे 29-06-2011 को अदा किया जाएगा)

10.1 31.03.2011 को शेयरधारिता पैटर्न

क्रम संख्या	श्रेणी	धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर का %
01	भारत सरकार	1	324580364	58.0042
02	आम जनता	183754	59127220	10.5663
03	एनआरआई /ओसीबी	2555	1995291	0.3566
04	प्राइवेट कॉर्पोरेट निकाय	1571	9535163	1.7041
05	म्यूच्युअल निधि एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट	46	4971786	0.8885
06	बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनी	37	77337596	13.8206
07	विदेशी संस्थागत निवेशक	125	80982680	14.4720
08	अन्य	34	1050264	0.1877
	कुल	188123	559580364	100.0000

31 मार्च 2011 को कुल विदेशी शेयरहोल्डिंग 14.4720% रहा (31 मार्च 2010 को 12.88%) जो बैंक की प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है:

क्र सं	श्रेणी	31.03.2009 को		31.03.2011 को	
		शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	100	6,24,86,245	125	8,09,82,680
2.	एनआरआई / ओसीबी	1180	9,19,438	2555	19,95,291
	कुल	1280	6,34,05,683	2680	8,29,77,971

10.2 बैंक ने कोई जीडीआर/ एडीआर/वारंट या परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किये हैं.

10.3 31.03.2011 को बैंक के शीर्ष पांच शेयरधारक :

क्र.सं.	निवेशक का नाम	कुल होल्डिंग का प्रतिशत	शेयरों की कुल संख्या
01	भारत सरकार	58.0042	324580364
02	भारतीय जीवन बीमा निगम	9.9255	55541010
03	जेनेसिस इंडियन इन्वेस्टमेंट कं. लि.	6.0482	33844560
04	बाजाज एलिपंज जीवन बीमा कंपनी लि.	2.7194	15217364
05	ओपेनहैमर इंटरनेशनल स्माल कंपनी फंड	0.7148	4000000



9.2 Financial Calendar (Tentative)

Approval of quarterly results for the period ending:

June 30, 2011 — End of July, 2011

September 30, 2011 — End of October, 2011

December 31, 2011 — End of January, 2012

March 31, 2012 — Audited Annual Accounts – April, 2012

9.3 Date of Book Closure (Dividend)

17-06-2011 to 21-06-2011 (both days inclusive)

9.4 Dividend payment date

Dividend payment date for 2010-11: 29-06-2011

(Note: The Board of Directors of the Bank declared Dividend on 05.05.2011 @ 55% being ₹ 5.50 ps per share for the financial year 2010-11 and the same will be paid on 29-06-2011).

10.1 SHARE HOLDING PATTERN AS ON 31.03.2011

Sl.No.	Category	No. of Holders	No. of Shares	% to Shares
01	Government of India	1	324580364	58.0042
02	General Public	183754	59127220	10.5663
03	NRIs / OCBs	2555	1995291	0.3566
04	Private Corporate Bodies	1571	9535163	1.7041
05	Mutual Funds & UTI	46	4971786	0.8885
06	Banks / Financial Institutions / Insurance Cos.	37	77337596	13.8206
07	Foreign Institutional Investors	125	80982680	14.4720
08	Others	34	1050264	0.1877
	TOTAL	188123	559580364	100.0000

The total foreign shareholding as on 31st March, 2011 was 14.4720% (12.88% as on 31st March, 2010) as under which is within the stipulated level of 20% of the paid up capital of the bank:

Sl. No	Category	As on 31.03.2010		As on 31.03.2011	
		No. of shareholders	No. of shares	No. of shareholders	No. of shares
1.	Foreign Institutional Investors	100	6,24,86,245	125	8,09,82,680
2.	NRIs / OCBs	1180	9,19,438	2555	19,95,291
	Total	1280	6,34,05,683	2680	8,29,77,971

10.2 Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments

10.3 Top 5 shareholders of the Bank as on 31.03.2011

Sl.No	Name of the Investor	Percentage of total holding	Total number of shares
01	Government of India	58.0042	324580364
02	Life Insurance Corporation of India	9.9255	55541010
03	Genesis Indian Investment Co. Ltd	6.0482	33844560
04	Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd	2.7194	15217364
05	Oppenheimer International Small Company Fund	0.7148	4000000

11. 31.03.2011 को श्रेणीवार शेयरधारक का वितरण

ईक्विटी शेयरों का अभिहित मूल्य	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	187306	99.5657	54843782	9.8009
5001 से 10000	339	0.1802	2460526	0.4397
10001 से 20000	175	0.0930	2428133	0.4339
20001 से 30000	68	0.0362	1701394	0.3041
30001 से 40000	34	0.0181	1179801	0.2108
40001 से 50000	17	0.0090	766109	0.1369
50001 से 100000	48	0.0255	3541415	0.6329
100001 से 99999999	135	0.0718	168078840	30.0366
और अधिक	1	0.0005	324580364	58.0042
कुल	188123	100.0000	559580364	100.0000

12. राज्यवार शेयर होल्डिंग वितरण

राज्य	धारकों की संख्या	कुल धारण	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	1	324580364	58.0042
आन्ध्र प्रदेश	81197	31044020	5.5477
अरुणाचल प्रदेश	7	866	0.0002
असम	427	89590	0.0160
बिहार एवं झारखण्ड	1678	342412	0.0612
चंडीगढ़	464	178120	0.0318
दिल्ली	7633	3565743	0.6372
गुजरात	9113	1989791	0.3556
हरियाणा	1908	470268	0.0840
हिमाचल प्रदेश	119	15646	0.0028
जम्मू कश्मीर	177	48586	0.0087
कर्नाटक	11942	3172772	0.5670
केरल	3172	691058	0.1235
मध्य प्रदेश	2617	679198	0.1214
महाराष्ट्र*	24210	173456877	30.9977
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	21	3140	0.0006
मिजोराम	0	0	0
नागालैंड	6	554	0.0001
ओड़ीशा	4888	1430377	0.2556
पंजाब	1018	338440	0.0605
राजस्थान	2758	514796	0.0920
तमिलनाडु	15190	4591991	0.8206
त्रिपुरा	46	7566	0.0014
उत्तर प्रदेश	5097	1144602	0.2045
पश्चिम बंगाल	7039	7000877	1.2511
कुल	180728	555357654	99.2454
अन्य	7395	4222710	0.7546
सकल कुल	188123	559580364	100.0000

● मुंबई (महाराष्ट्र) में प्रतिनिधि कार्यालय वाले विदेशी संस्थागत निवेशक / अनिवासी भारतीय शेयरधारक सम्मिलित हैं.



11 DISTRIBUTION OF SHAREHOLDERS CATEGORY WISE AS ON 31.03.2011

Nominal Value of Equity shares	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Upto 5000	187306	99.5657	54843782	9.8009
5001 to 10000	339	0.1802	2460526	0.4397
10001 to 20000	175	0.0930	2428133	0.4339
20001 to 30000	68	0.0362	1701394	0.3041
30001 to 40000	34	0.0181	1179801	0.2108
40001 to 50000	17	0.0090	766109	0.1369
50001 to 100000	48	0.0255	3541415	0.6329
100001 to 99999999	135	0.0718	168078840	30.0366
and above	1	0.0005	324580364	58.0042
TOTAL	188123	100.0000	559580364	100.0000

12 STATE-WISE SHAREHOLDING DISTRIBUTION


STATE	NO OF HOLDERS	TOTAL HOLDING	%
PRESIDENT OF INDIA	1	324580364	58.0042
ANDHRA PRADESH	81197	31044020	5.5477
ARUNACHAL PRADESH	7	866	0.0002
ASSAM	427	89590	0.0160
BIHAR & JHARKAND	1678	342412	0.0612
CHANDIGARH	464	178120	0.0318
DELHI	7633	3565743	0.6372
GUJARAT	9113	1989791	0.3556
HARYANA	1908	470268	0.0840
HIMACHAL PRADESH	119	15646	0.0028
JAMMU & KASHMIR	177	48586	0.0087
KARNATAKA	11942	3172772	0.5670
KERALA	3172	691058	0.1235
MADHYA PRADESH	2617	679198	0.1214
MAHARASHTRA*	24210	173456877	30.9977
MANIPUR	0	0	0
MEGHALAYA	21	3140	0.0006
MIZORAM	0	0	0
NAGALAND	6	554	0.0001
ORISSA	4888	1430377	0.2556
PUNJAB	1018	338440	0.0605
RAJASTHAN	2758	514796	0.0920
TAMIL NADU	15190	4591991	0.8206
TRIPURA	46	7566	0.0014
UTTAR PRADESH	5097	1144602	0.2045
WEST BENGAL	7039	7000877	1.2511
TOTAL:	180728	555357654	99.2454
OTHERS:	7395	4222710	0.7546
GRAND TOTAL	188123	559580364	100.0000

*Includes FII / NRI shareholders, having correspondent offices in Mumbai (Maharashtra).

13. शेयरों का मूल्य, शेयर बाजार में व्यापार किये गये शेयरों की मात्रा

अवधि	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज			स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई		
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा
अप्रैल 2010	133.70	107.50	52139025	133.50	107.5	10679488
मई 2010	138.30	123.30	37687006	138.50	113.00	4976720
जून 2010	145.00	128.65	24002623	144.80	128.60	3886226
जुलाई 2010	151.90	127.50	30577638	151.25	126.70	4919744
अगस्त 2010	166.80	141.10	40101908	166.80	141.05	6124896
सितम्बर 2010	169.90	134.35	31969402	169.50	152.50	4132099
अक्टूबर 2010	189.90	160.45	44449037	190.15	160.55	4421875
नवम्बर 2010	185.00	152.00	31685196	184.50	152.05	3225423
दिसम्बर 2010	169.25	137.95	22140013	169.25	137.75	2853864
जनवरी 2011	152.25	124.00	25404266	152.50	124.35	3691841
फरवरी 2011	155.20	132.50	21755148	155.35	132.50	3229868
मार्च 2011	154.25	131.15	21205201	154.00	130.00	2376134

एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी और बैंकेक्स के संचालन की तुलना में एनएसई पर बैंक के शेयर कीमत का निष्पादन (प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को) नीचे दर्शाया गया है:-






13 SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES

Period	National Stock Exchange			Stock Exchange, Mumbai		
	High	Low	Volume	High	Low	Volume
April 2010	133.70	107.50	52139025	133.50	107.5	10679488
May 2010	138.30	123.30	37687006	138.50	113.00	4976720
June 2010	145.00	128.65	24002623	144.80	128.60	3886226
July 2010	151.90	127.50	30577638	151.25	126.70	4919744
August 2010	166.80	141.10	40101908	166.80	141.05	6124896
September 2010	169.90	134.35	31969402	169.50	152.50	4132099
October 2010	189.90	160.45	44449037	190.15	160.55	4421875
November 2010	185.00	152.00	31685196	184.50	152.05	3225423
December 2010	169.25	137.95	22140013	169.25	137.75	2853864
January 2011	152.25	124.00	25404266	152.50	124.35	3691841
February 2011	155.20	132.50	21755148	155.35	132.50	3229868
March 2011	154.25	131.15	21205201	154.00	130.00	2376134

Performance of Bank's share price on NSE in comparison with the movement of S&P CNX Nifty and Bankex (as on the last day of every month) is shown here below:



31 मार्च 2011 को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में बैंक के शेयर की कीमत 150.65 पैसे एवं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. में 150.95 पैसे पर बंद हुई.

14.1 प्रति शेयर डाटा

	2008-09	2009-10	2010-11
अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-	10/-
31 मार्च को बाजार भाव - एनएसई (₹)	45.20	108.20	150.65
अर्जन (₹)	13.46	21.56	26.05
लाभांश (₹)	4.50	5.00	5.50
बही मूल्य (₹)	75.20	90.93	116.02
लाभांश व्यय (निवल लाभ का %)	33.42%	23.19%	24.29%

15. चलनिधि:

आंध्र बैंक के शेयर बीएसई के विशिष्ट ग्रुप एवं एनएसई के निफ्टी चैनल इंडेक्स में शामिल किये जाते हैं. व्यापार की अच्छी मात्रा शेयरधारकों को प्रवेश/निकासी के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है.

16. बैंक को कार्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग

इकरा लिमिटेड ने बैंक में कार्पोरेट गवर्नेंस प्रथा के लिए सीजीआर 2 की रेटिंग दी है. इस रेटिंग के यह मायने हैं कि बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस की गुणवत्ता के लिए आवश्यक प्रथा, परम्परा, कोड एवं वित्तीय पणधारियों को उच्चस्तर का आश्वासन प्रदान करता है.

17. गैर अनिवार्य आवश्यकताएँ:

बैंक के कार्यपालक अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त हैं. अतः गैर कार्यपालक अध्यक्ष के कार्यालय की आवश्यकता नहीं है. शेयरधारक निदेशकों की कार्य अवधि, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 एवं आंध्र बैंक (शेयर एवं बैठक) संशोधन विनियमन 2009 के प्रावधानों के अनुसार तय की जाती है, के अलावा स्वतंत्र निदेशकों की कार्यावधि सरकार द्वारा तय की जाती है.

कार्यपालक निदेशक के लिए पारिश्रमिक सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तय किया जाता है. 09.03.2007 के सरकारी निदेशों के अनुसार एक पारिश्रमिक समिति गठित की गयी है.

बैंक ने शेयरधारकों को वित्तीय निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा नहीं भेजी.

शेयरधारक निदेशकों, जिन्हें शेयरधारकों द्वारा नामित/चुना जाता है, के अलावा स्वतंत्र निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01.11.2007 एवं 22.01.2008 द्वारा जारी निदेशों के अनुसार एक नामांकन समिति का गठन किया गया है.

बैंक में *डिसल ब्लोयर पॉलिसी* है एवं स्वतंत्र निदेशक प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं.



The Bank's share price as on 31st March, 2011 closed at ₹ 150.65p. on the National Stock Exchange, Mumbai and at ₹ 150.95p., on the Bombay Stock Exchange Limited.

14. Per Share Data:

	2008-09	2009-10	2010-11
Face Value (₹)	10/-	10/-	10/-
Market Quotation as on 31st March – NSE (₹)	45.20	108.20	150.65
Earnings (₹)	13.46	21.56	26.05
Dividend (₹)	4.50	5.00	5.50
Book Value (₹)	75.20	90.93	116.02
Dividend payout (% of Net Profit)	33.42%	23.19%	24.29%

15. Liquidity:

Andhra Bank Shares are included in the specified group in BSE and CNX Nifty of NSE. The fair volume of trading provides enough entry/exit opportunities to the shareholders.

16. Corporate Governance Rating of the Bank:

ICRA Limited has assigned "CGR 2" Rating to the Corporate Governance practices of the Bank. This rating implies that the rated bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stake holders a high level of assurance on the quality of corporate governance.

17. Non Mandatory Requirements:

The Bank has an Executive Chairman appointed by the Government. Hence, maintaining of an Office of a Non Executive Chairman does not arise. The tenure of the independent Directors is determined by the Government, excepting the tenure of the Shareholder Directors which is determined in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act, 1980 read with the Andhra Bank (Shares and Meetings) General Regulations, 2003.

The remuneration of the Executive Directors is determined in terms of the Government guidelines. There is a Remuneration Committee constituted in terms of Government directive dated 09.03.2007.

The Bank has not sent half yearly declaration of financial performance to the shareholders.

The Independent Directors are appointed by the Government excepting the Shareholder Directors, who are elected by the shareholders. There is a Nomination Committee constituted in terms of directives issued by Reserve Bank of India dated 01.11.2007 and 22.01.2008.

The Bank has in place a Whistle Blower Policy and the Independent Directors are sent for training.

प्रमाण पत्र

(शेयर बाजार के सूचीकरण करार के खंड 49(V) के अनुसरण में)

निदेशक मंडल
आन्ध्रा बैंक
प्रधान कार्यालय
हैदराबाद.

यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

- (क) 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की गई है और हमारी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार,
- (i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण अवास्तविक कथन नहीं है और कहीं कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन नहीं है;
- (ii) ये विवरण संयुक्त रूप से बैंक की गतिविधियों के सही एवं उचित चित्र दर्शाते हैं और वर्तमान लेखापद्धति मानक, लागू कानून और विनियम के अनुरूप हैं;
- (ख) हमारी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचरण संहिता के उल्लंघन में कोई लेनदेन नहीं किया गया है.
- (ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित और बनाए रखने और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभविष्णुता का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी लेते हैं और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को, ऐसे आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प या परिचालन में कमियां, यदि कोई हो, जिनकी सूचना हमें हो और इन कमियों को सुधारने हेतु हमारे द्वारा किए गए या प्रस्तावित कदमों का प्रकटन किया है.
- (घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित सूचित किया है:
- (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (ii) वर्ष के दौरान लेखापद्धति नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और यह कि इनका प्रकटन वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में किया गया है और
- (iii) धोखाधड़ी के उल्लेखनीय मामले, जिनके संबंध में हमें सूचना है और इसमें प्रबंधन या बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि हो;

हस्ता/-
(डी. जोगिराजु)
महाप्रबंधक (लेखा) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/-
(आर.रामचन्द्रन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 28.04.2011



CERTIFICATE

(Pursuant to Clause 49(V) of the Listing Agreement with the Stock Exchanges)

The Board of Directors
ANDHRA BANK
Head Office
Hyderabad.

This is to certify that...

- (a) The financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2011 have been reviewed and that to the best of our knowledge and belief;
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations;
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - (i) significant changes in internal control over Financial reporting during the year;
 - (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

sd/-
(D. Jogiraju)
General Manager (Accounts)
& C.F.O.

sd/-
(R. Ramachandran)
Chairman & Managing Director

Place: Hyderabad
Date: 28.04.2011



प्रमाणपत्र

आन्ध्रा बैंक के सदस्य

हमने 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु शेयर बाजार यानी मुम्बई एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ आन्ध्रा बैंक सूचीकरण करार के खंड 49 में यथा विनिर्दिष्ट, जहाँ तक राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू है, कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच बैंक द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित है। यह बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा - परीक्षा या इन पर राय का प्रकटन नहीं है।

हमारी राय एवं उत्तम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:

हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथा विनिर्दिष्ट, जहाँ तक राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू है, कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम उल्लेख करते हैं कि बैंक द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी निवेशक की शिकायत एक माह से अधिक अवधि हेतु लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही बैंक के कार्यकलापों के निर्वहण सक्षमता या प्रभावोत्पादकता का आश्वासन है।

कृते बी एन केडिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001652 एन
(एस के केडिया)
साझेदार (स.संख्या.052579)

कृते के एस रामकृष्ण एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 02888 एस
(सीएच अमर सुधीर)
साझेदार (स.संख्या.201320)

कृते राजु एण्ड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 003475 एस
(एम शिव राम प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.018943)

कृते के के घई एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001342एन
(सुमीत घई)
साझेदार (स.संख्या.097893)

कृते रामन एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 02910एस
(जी वासुदेवन)
साझेदार (स.संख्या.020739)

कृते नटराज अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 002413एस
(जी प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.019617)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 05.05.2011



CERTIFICATE

The Members of Andhra Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Andhra Bank, for the year ended 31st March, 2011, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges i.e., Mumbai and National Stock Exchange as far as applicable to Nationalised Banks.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, subject to what is stated above:

We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Agreement, to the extent applicable to the Nationalised Banks.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month, against the Bank as per the record, maintained by the Bank

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For B N Kedia & Co
Chartered Accountants
FRN-001652N
(S.K.Kedia)
Partner (M.No.052579)

For K K Ghei & Co
Chartered Accountants
FRN-001342N
(Sumit Ghei)
Partner (M.No. 097893)

For K S Ramakrishna & Co
Chartered Accountants
FRN-02888S
(Ch.Amar Sudheer)
Partner (M.No.201320)

For Raman Associate
Chartered Accountants
FRN-02910S
(G.Vasudevan)
Partner (M.No. 020739)

For Raju & Prasad
Chartered Accountants
FRN-003475S
(M.Siva Ram Prasad)
Partner (M.No.018943)

For Nataraja Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN-002413S
(G. Prasad)
Partner (M.No. 019617)

PLACE: HYDERABAD
DATE: 05.05.2011

31.03.2011 को तुलन पत्र BALANCE SHEET AS ON 31.03.2011

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
निधियों का स्रोत SOURCE OF FUNDS			
पूंजी CAPITAL	1	5,595,804	4,850,000
प्रारक्षितियाँ और अधिशेष RESERVES & SURPLUS	2	59,328,358	39,250,435
जमाशियाँ DEPOSITS	3	921,562,816	776,882,076
उधार BORROWINGS	4	76,397,408	58,524,426
अन्य देयताएँ और प्रावधान OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	5	26,122,809	23,917,086
कुल TOTAL		1,089,007,195	903,424,023
निधियों का विनियोजन APPLICATION OF FUNDS			
नकद एवं भारतीय रिजर्व बैंक में शेष CASH AND BALANCES WITH RBI	6	71,844,052	66,986,980
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	32,745,455	44,689,587
निवेश INVESTMENTS	8	242,039,993	208,809,986
अग्रिम ADVANCES	9	714,353,582	561,135,072
अचल आस्तियाँ FIXED ASSETS	10	3,175,002	3,556,567
अन्य आस्तियाँ OTHER ASSETS	11	24,849,111	18,245,831
कुल TOTAL		1,089,007,195	903,424,023
आकस्मिक देयताएँ CONTINGENT LIABILITIES	12	361,059,030	415,740,673
वसूली के लिए बिल BILLS FOR COLLECTION		30,620,760	23,118,333
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ NOTES ON ACCOUNTS	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

(आर. रामचन्द्रन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक			अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक		ए ए ताज कार्यपालक निदेशक	
मधुलिका पी. सुकुल	निदेशक	राजीव शेखर साहू	डी जोगिराजु		महा प्रबंधक	
प्रेम प्रकाश पारीक	के आर आनंदा	मनोरंजन दास	टी वी एस चंद्रशेखर		वी सत्यनारायण	
एन वी आर रेड्डी	के रघुरामन		उप महा प्रबंधक		मुख्य प्रबंधक	
	एन राजगोपाल रेड्डी					

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी एन केडिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001652 एन
(एस के केडिया)
साझेदार (स.संख्या.052579)

कृते रामन एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 02910एस
(जी वासुदेवन)
साझेदार (स.संख्या.020739)

कृते के के घई एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001342एन
(सुमीत घई)
साझेदार (स.संख्या.097893)

कृते राजु एण्ड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 003475 एस
(एम शिव राम प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.018943)

कृते के एस रामकृष्ण एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 02888 एस
(सीएच अमर सुधीर)
साझेदार (स.संख्या.201320)

कृते नटराज अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 002413एस
(जी प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.019617)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 05.05.2011



31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2011

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010
आय INCOME			
अर्जित ब्याज INTEREST EARNED	13	82,912,769	63,728,657
अन्य आय OTHER INCOME	14	8,969,578	9,646,200
कुल TOTAL		91,882,347	73,374,857
व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज INTEREST EXPENDED	15	50,703,074	41,781,287
परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES	16	17,048,640	13,495,350
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		11,459,908	7,639,738
कुल TOTAL		79,211,622	62,916,375
वर्ष हेतु निवल लाभ NET PROFIT FOR THE YEAR		12,670,725	10,458,482
आगे लाया गया लाभ PROFIT BROUGHT FORWARD		2,006,560	1,529,440
कुल TOTAL		14,677,285	11,987,922
विनियोजन APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		3,169,222	2,620,000
पूंजी प्रारक्षितियों को अंतरण Transfer to Capital Reserve		44,000	933,600
राजस्व व अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण Transfer to Revenue & Other Reserves		4,000,000	3,000,000
विशेष प्रारक्षिती को अंतरण Transfer to Special Reserve		960,000	600,000
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		3,077,692	2,425,000
लाभांश पर कर Tax on Dividend		499,279	402,762
तुलन पत्र को ले जाया गया शेष Balance carried over to Balance Sheet		2,927,092	2,006,560
कुल TOTAL		14,677,285	11,987,922
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर अर्जन Earnings per share (Basic and diluted) ₹		26.05	21.56

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न अंग हैं.

The schedules refer to above form an integral part of Profit & Loss Account.

R. Ramachandran Chairman & Managing Director			Anil Girotra Executive Director		A.A. Taj Executive Director	
Directors			D. Jogiraju General Manager			
Madhulika P. Sukul	K.R. Ananda	Rajib Sekhar Sahoo	T.V.S. Chandrasekhar Deputy General Manager		V. Satyanarayana Chief Manager	
Prem Prakash Pareek	K. Raghuraman	Manoranjan Das				
N.V.R. Reddy	N. Raja Gopal Reddy					

As per our report of even date

For B.N. KEDIA & CO
Chartered Accountants
FRN-001652N
(S.K. Kedia)
Partner (M. No. 052579)

For RAMAN ASSOCIATE
Chartered Accountants
FRN-02910S
(G. Vasudevan)
Partner (M. No.020739)

For K.K.GHEI & CO
Chartered Accountants
FRN-001342N
(Sumit Ghei)
Partner (M.No. 097893)

For RAJU & PRASAD
Chartered Accountants
FRN-003475S
(M. Siva Ram Prasad)
Partner (M. No.018943)

For K.S.RAMAKRISHNA & CO
Chartered Accountants
FRN-02888S
(Ch. Amar Sudheer)
Partner (M No. 201320)

For NATARAJA IYER & CO
Chartered Accountants
FRN-002413S
(G. Prasad)
Partner (M. No.019617)

Place : Hyderabad

Date : 05.05.2011

अनुसूचियाँ, जो तुलन पत्र का भाग हैं SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE-1:: पूँजी CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी AUTHORISED CAPITAL		
300,00,00,000 ₹ 10 का प्रत्येक ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	30,00,000	30,00,000
II. निर्गमित, अभिवृत्त, बुलाई गयी और प्रवृत्त पूँजी ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED UP AND PAID UP		
₹ 10/- प्रत्येक के 55,95,80,364 पूँजी शेयर (गत वर्ष 48,50,00,000 पूँजी शेयर) (केन्द्र सरकार के स्वामित्व में 32,45,80,364 पूँजी शेयर गत वर्ष 25,00,00,000 पूँजी शेयर) 55,95,80,364 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 48,50,00,000 Equity Shares) [Including 32,45,80,364 Equity Shares (Previous year 25,00,00,000 Equity Shares) held by Central Government]	5,595,804	4,850,000
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 1	5,595,804	4,850,000
अनुसूची SCHEDULE- 2 : प्रारक्षितियाँ और अधिशेष RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक प्रारक्षितियाँ STATUTORY RESERVE		
प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE	13,730,778	11,110,778
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITION DURING THE YEAR	3,169,222	2,620,000
कुल TOTAL - I	16,900,000	13,730,778
II. पूँजी प्रारक्षितियाँ CAPITAL RESERVE		
प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE	3,391,571	2,457,971
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITION DURING THE YEAR	44,000	933,600
कुल TOTAL - II	3,435,571	3,391,571
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM		
प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE	6,800,000	6,800,000
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	10,984,196	-
कुल TOTAL - III	17,784,196	6,800,000
IV. राजस्व प्रारक्षितियाँ REVENUE RESERVE		
प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE	11,281,526	8,281,745
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITION DURING THE YEAR	4,000,000	3,000,000
घटाइये : समायोजन Less: Adjustments	27	219
कुल TOTAL - IV	15,281,499	11,281,526
V. आय कर की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित SPECIAL RESERVE U/S 36(1)(viii) OF IT ACT		
प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE	2,040,000	1,440,000
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITION DURING THE YEAR	960,000	600,000
घटाइये : कटौतियाँ Less: Deductions	-	-
कुल TOTAL - V	3,000,000	2,040,000
VI. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT	2,927,092	2,006,560
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 2	59,328,358	39,250,435



अनुसूचियाँ, जो तुलन पत्र का भाग हैं SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE- 3 :: जमाएँ DEPOSITS		
I-A माँग जमाएँ DEMAND DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	850,552	1,030,693
ii) अन्यो से FROM OTHERS	70,750,419	66,431,836
कुल TOTAL	71,600,971	67,462,529
I-B बचत बैंक जमा राशियाँ SAVING BANK DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	-	-
ii) अन्यो से FROM OTHERS	196,192,780	161,180,814
कुल TOTAL	196,192,780	161,180,814
I-C सावधि जमा राशियाँ TERM DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	1,095,812	2,293,610
ii) अन्य से FROM OTHERS	652,673,253	545,945,123
कुल TOTAL	653,769,065	548,238,733
कुल TOTAL-I	921,562,816	776,882,076
II-A भारत में शाखाओं की जमाएँ DEPOSITS OF BRANCHES IN INDIA	921,562,816	776,882,076
II-B भारत से बाहर की शाखाओं में जमाएँ DEPOSITS OF BRANCHES OUTSIDE INDIA	-	-
कुल TOTAL-II	921,562,816	776,882,076
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 3	921,562,816	776,882,076
अनुसूची SCHEDULE - 4 :: उधार BORROWINGS		
I. भारत में उधार BORROWINGS IN INDIA		
i) भारतीय रिजर्व बैंकों से FROM RESERVE BANK OF INDIA	-	-
ii) अन्य बैंक से FROM OTHER BANKS	-	57
iii) अन्य संस्था और एजेंसियाँ OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	27,759,547	17,528,056
iv) गौण ऋण SUBORDINATED DEBTS		
a) 7.25% 111 महीनों के बाण्ड 7.25% 111 Months Bonds	2,000,000	2,000,000
b) 9.15% 124 महीनों के बाण्ड 9.15% 124 Months Bonds	7,000,000	7,000,000
c) 11.00% 120 महीनों के बाण्ड 11.00% 120 Months Bonds	6,000,000	6,000,000
d) 8.55% 120 महीनों के बाण्ड 8.55% 120 Months Bonds	3,200,000	3,200,000
v) नवोन्मेषी बेसीयारी बांड Innovative Perpetual Debt Bonds	2,000,000	2,000,000
vi) अप्पर टियर II बांड Upper Tier II Bonds	10,000,000	10,000,000
उप जोड SUB-TOTAL (i, ii, iii, iv,v,vi)	57,959,547	47,728,113
II. भारत के बाहर उधार BORROWINGS OUTSIDE INDIA	18,437,861	10,796,313
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 4	76,397,408	58,524,426

अनुसूचियों, जो तुलन पत्र का भाग हैं SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE - 5 :: अन्य देयता और प्रावधान		
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल BILLS PAYABLE	6,363,682	9,086,660
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) INTER OFFICE ADJUSTMENTS (NET)	-	-
III. उपचित ब्याज INTEREST ACCRUED	4,299,833	1,821,233
IV. मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान CONTINGENT PROVISIONS AGAINST STANDARD ASSETS	4,375,900	2,725,341
V. आस्थगित कर देयता DEFERRED TAX LIABILITY	710,000	-
VI. अन्य OTHERS (प्रावधान के साथ Including Provisions)	10,373,394	10,283,852
कुल TOTAL SCHEDULE - 5	26,122,809	23,917,086
अनुसूची SCHEDULE - 6 :: नकद एवं भारतीय रिजर्व बैंक में शेष		
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. नकद CASH IN HAND (विदेशी करेंसी नोट सहित Including Foreign Currency Notes)	4,579,162	4,299,906
II. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष BALANCE WITH RESERVE BANK OF INDIA		
i) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	67,264,890	62,687,074
ii) अन्य खातों में IN OTHER ACCOUNTS	-	-
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 6	71,844,052	66,986,980
अनुसूची SCHEDULE - 7 :: बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में IN INDIA		
i) बैंकों में शेष BALANCES WITH BANKS		
ए a) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	1,080,777	1,261,585
बी b) अन्य खातों में IN OTHER ACCOUNTS	5,076,064	2,076,064
कुल TOTAL	6,156,841	3,337,649
ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
ए a) बैंकों के पास WITH BANKS	22,976,528	39,975,864
बी b) अन्य संस्थाओं के पास WITH OTHER INSTITUTIONS	-	-
कुल TOTAL	22,976,528	39,975,864
कुल TOTAL - I	29,133,369	43,313,513
II. भारत के बाहर OUTSIDE INDIA		
i) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	1,657,689	797,117
ii) अन्य जमा खातों में IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	1,954,397	578,957
iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	-	-
कुल TOTAL - II	3,612,086	1,376,074
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 7	32,745,455	44,689,587



अनुसूचियाँ, जो तुलन पत्र का भाग हैं SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE - 8 :: निवेश INVESTMENTS		
I भारत में निवेश INVESTMENTS IN INDIA		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	227,195,506	197,435,330
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	235,919	374,641
iii) शेयर SHARES	1,963,827	1,064,565
iv) डिबेंचर और बंधपत्र DEBENTURES AND BONDS	5,859,745	5,816,122
v) अनुषंगी और /अथवा संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	1,353,600	977,082
vi) अन्य (आईडीबीआई जमा, आवीपी, यूनिट म्यूचुअल फंड आदि) OTHERS (IDBI Deposits, IVPs, Units Mutual Funds etc.)	5,431,396	3,142,246
कुल TOTAL - I	242,039,993	208,809,986
II भारत से बाहर निवेश INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	-	-
कुल TOTAL - II	-	-
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I and II)	242,039,993	208,809,986
सकल निवेश GROSS INVESTMENTS	242,098,858	209,061,023
घटाएँ LESS: मूल्यहास DEPRECIATION	58,865	251,037
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 8	242,039,993	208,809,986

अनुसूचियाँ, जो तुलन पत्र का भाग हैं SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE - 9 :: अग्रिम ADVANCES		
I-A. क्रय किये गये और भुनाये गये बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	16,786,690	14,764,440
I-B नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिदेय ऋण CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	385,505,110	295,833,298
I-C. सावधि ऋण TERM LOANS	312,061,782	250,537,334
कुल TOTAL - I	714,353,582	561,135,072
II-A. गोचर आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही खातों के अग्रिमों के प्रति ऋण सहित) SECURED BY TANGIBLE ASSETS (Includes Advances against Book Debts)	570,987,850	453,128,112
II-B. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित COVERED BY BANK/GOVERNMENT GUARANTEES	29,652,441	26,880,834
II-C. अप्रतिभूत अग्रिम UNSECURED ADVANCES	113,713,291	81,126,126
कुल TOTAL - II	714,353,582	561,135,072
III-A. भारत में अग्रिम ADVANCES IN INDIA		
i) प्राथमिकता क्षेत्र PRIORITY SECTOR	235,741,470	199,301,140
ii) सार्वजनिक क्षेत्र PUBLIC SECTOR	58,344,298	48,088,177
iii) बैंक BANKS	0	0
iv) अन्य OTHERS	420,267,814	313,745,755
कुल TOTAL	714,353,582	561,135,072
III-B. भारत के बाहर अग्रिम ADVANCES OUTSIDE INDIA	-	-
कुल TOTAL - III	714,353,582	561,135,072
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 9	714,353,582	561,135,072
अनुसूची SCHEDULE - 10 :: अचल आस्तियाँ FIXED ASSETS		
A. गोचर आस्तियाँ TANGIBLE ASSETS		
I. परिसर PREMISES		
लागत पर प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE AT COST	787,895	705,433
वर्ष के दौरान जोड़ ADDITION DURING THE YEAR	71,739	82,462
वर्ष के दौरान कमी DEDUCTION DURING THE YEAR	-	-
अब तक मूल्यहास DEPRECIATION TO DATE	274,394	248,070
वर्षांत तक डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR	585,240	539,825
II. अन्य अचल आस्तियाँ OTHER FIXED ASSETS		
लागत पर प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE AT COST	7,160,634	6,365,431
वर्ष के दौरान जोड़ ADDITION DURING THE YEAR	565,473	946,823
वर्ष के दौरान कमी DEDUCTION DURING THE YEAR	301,053	151,621
अब तक मूल्यहास DEPRECIATION TO DATE	5,534,784	5,005,239
वर्षांत तक डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR	1,890,270	2,155,394
III. प्रक्रियागत पूंजी कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS		
लागत पर प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE AT COST	180,456	127,064
वर्ष के दौरान जोड़ ADDITION DURING THE YEAR	112,081	198,816
वर्ष के दौरान कमी DEDUCTION DURING THE YEAR	75,818	145,424
वर्षांत पर मूल्य VALUE AT THE END OF THE YEAR	216,719	180,456
B. अगोचर आस्तियाँ INTANGIBLE ASSETS		
I. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE		
लागत पर प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE AT COST	1,080,526	890,453
वर्ष के दौरान जोड़ ADDITION DURING THE YEAR	34,799	190,073
वर्ष के दौरान कमी DEDUCTION DURING THE YEAR	2,576	-
अवतक मूल्य हास / शोषण DEPRECIATION / AMORTIZATION TO DATE	629,976	399,634
वर्षांत तक डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR	482,773	680,892
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 10	3,175,002	3,556,567



अनुसूचियाँ, जो तुलन पत्र का भाग हैं SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE - 11 :: अन्य आस्तियाँ OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) INTER OFFICE ADJUSTMENTS (NET)	1,876,065	1,773,278
II. उपचित ब्याज INTEREST ACCRUED	5,447,115	4,692,446
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर TAX PAID IN ADVANCE		
स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल) TAX DEDUCTED AT SOURCE (Net of Provision)	9,207,380	6,593,884
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प STATIONERY AND STAMPS	74,346	64,905
V. आस्थगित कर आस्ति (निवल) DEFERRED TAX ASSET (NET)	-	1,133,100
VI. अन्य OTHERS	8,244,205	3,988,218
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 11	24,849,111	18,245,831
अनुसूची SCHEDULE - 12 :: आकस्मिक देयताएँ CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया CLAIMS AGAINST BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	1,358,460	1,463,784
II. पूँजी प्रतिबद्धता CAPITAL COMMITMENTS	1,405,041	62,672
III. विकल्प एवं डेरिवेटिव OPTIONS & DERIVATIVES	4,346,301	5,387,291
IV. बकाया विनिमय सविदाएँ OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	196,929,298	285,420,123
V. ग्राहकों की ओर से गारंटियाँ (बैंक गारंटियाँ) GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS (BGs)		
क a) भारत में IN INDIA	86,846,153	71,357,269
ख b) भारत के बाहर OUTSIDE INDIA	1,890,733	1,550,842
VI. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएँ ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	50,055,557	43,403,231
VII. कंफर्टपत्र LETTER OF COMFORT	15,289,327	3,838,328
VIII. ब्याज दर स्वैप INTEREST RATE SWAPS	-	-
IX. विवादित कर देयताएँ DISPUTED TAX LIABILITY	2,787,600	3,126,500
X. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देय है OTHER ITEMS FOR WHICH BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	150,560	130,633
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 12	361,059,030	415,740,673

अनुसूचियाँ, जो लाभ व हानि खाते का भाग हैं SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT & LOSS ACCOUNT

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को Year Ended 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE - 13 :: अर्जित व्याज INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों / बिलों पर व्याज / रियायत INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS	66,891,686	51,612,765
II. निवेशों पर आय INCOME ON INVESTMENTS	15,395,925	11,883,189
III. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर व्याज INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS	308,420	158,293
IV. अन्य आय OTHER INCOME	316,738	74,410
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 13	82,912,769	63,728,657
अनुसूची SCHEDULE - 14 :: अन्य आय OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	2,376,688	2,063,299
II. निवेश के विक्रय पर लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	1,407,793	3,245,015
III. निवेशों के प्रतिदान पर लाभ PROFIT ON REDEMPTION OF INVESTMENTS	(83)	2,277
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ PROFIT ON SALE OF LAND, BUILDINGS AND OTHER ASSETS	8,562	5,471
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS	943,849	579,576
VI. भारत में अनुषंगियों / कंपनियों / संयुक्त उद्यम से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय INCOME BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES / JOINT VENTURES IN INDIA	19,781	21,389
VII. विविध आय MISCELLANEOUS INCOME	4,212,988	3,729,173
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 14	8,969,578	9,646,200



अनुसूचियाँ, जो लाभ व हानि खाते का भाग हैं SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT & LOSS ACCOUNT

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को Year Ended 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE - 15 :: व्यय किया गया ब्याज INTEREST EXPENDED		
I. जमा राशियों पर ब्याज INTEREST ON DEPOSITS	45,655,730	38,014,093
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RBI/INTER-BANK BORROWINGS	2,255,187	1,340,469
III. अन्य OTHERS	2,792,157	2,426,725
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 15	50,703,074	41,781,287
अनुसूची SCHEDULE - 16 :: परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	11,042,190	8,240,821
II. किराया, कर और रोशनी RENT, TAXES AND LIGHTING	1,120,743	1,010,255
III. मुद्रण और लेखन सामग्री PRINTING AND STATIONARY	171,806	154,853
IV. विज्ञापन और प्रचार ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	98,232	67,393
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	1,074,350	1,019,965
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	7,335	7,801
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षक सहित) AUDITORS' FEES AND EXPENSES (Including Branch Auditors)	178,857	147,911
VIII. विधि प्रभार LAW CHARGES	120,682	89,379
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	274,137	252,311
X. मरम्मत और अनुरक्षण REPAIRS AND MAINTENANCE	634,974	569,997
XI. बीमा INSURANCE	724,601	649,537
XII. अन्य व्यय OTHER EXPENDITURE	1,600,733	1,285,127
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 16	17,048,640	13,495,350

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य :

वित्तीय विवरण, अन्यथा उल्लिखित न होने पर, विद्यमान दृष्टिकोण अपनाते हुए पारंपरिक लागत एवं संचित आधार पर एवं सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानकों/मार्गदर्शी नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार तैयार किये गये हैं।

2. राजस्व की पहचान :

- क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है।
- ख. अतिदेय बिलों पर ब्याज, कमीशन, विनिमय, ब्रोकरेज एवं लॉकरों पर किराया उगाही पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- ग. वाद दाखिल खातों के मामले में, लाभ एवं हानि लेखा में विधिक व्यय प्रभारित किया गया है। उसी तरह, वाद दाखिल खातों के संबंध में विधिक व्यय की वसूली के समय वसूल की गयी राशि, आय के रूप में परिकलित है।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन :

- क. आय एवं व्यय की मंदा लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज की जाती हैं।
 - ख. मौद्रिक मदों को साप्ताहिक औसत दर पर रिकार्ड किया जाता है। तुलनपत्र की तिथि को क्लोजिंग दरों पर ऐसी मौद्रिक मदों को रिपोर्ट किया जाता है। वर्ष के अन्त में प्रचलित ऐसी मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर आनेवाले विनिमय अन्तर को आय या व्यय, यथा मामला हो, या प्रारंभ में जो रिकार्ड किये गये हैं से अलग मौद्रिक मदों के निपटान पर निर्धारित किया जाता है।
 - ग. वायदा विनिमय करार प्रारंभ में बुकिंग के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किये जाते हैं और तुलनपत्र तिथि को भी मौलिक बुकिंग दर रिपोर्ट की जाती है। इस प्रकार के वायदा करार भारतीय मुद्रा विनिमय डीलर संघ (फेडाई) के पुनर्मूल्यांकन दर के आधार पर प्रत्येक महीने के अंत में फिर से मूल्यांकित किये जाते हैं। वायदा विनिमय करार के रद्दीकरण पर प्राप्त किसी लाभ या हानि को आय या व्यय, जैसा भी मामला हो, के रूप में मान्यता दिया जाता है।
 - घ. विदेशी साख पत्रों तथा गारंटी पत्रों का, ऐसी प्रतिबद्धता की तारीख पर प्रचलित दरों के अनुसार रिकार्ड किया जाता है। फिर भी, तुलन पत्र की तारीख पर समाप्ति दर के अनुसार बकाया मदों का दुबारा वर्णन किया जाता है।
 - ड. बैंक टू बैंक आधार पर लिये गये डेरिवेटिव-संविदा, संविदा की तिथि को प्रचलित दरों पर किये जाते हैं एवं तुलनपत्र की तारीख को, क्लोजिंग डेट पर रिपोर्ट किये जाते हैं। इन लेनदेन के संबंध में राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति पर किया जाता है या संविदा के समय-पूर्व समाप्ति पर समानुपातिक अवधि के लिए। बैंक टू बैंक आधार पर संविदा के संबंध में संविदा की अवधि पूर्व समाप्ति पर आय, समाप्ति समय पर निर्धारित किया जाता है।
 - च. इस प्रयोजन के लिए उपयोग की गयी विनिमय दरें फेडाई द्वारा नोटिफाइड हैं।
- ### 4. निवेश :
- क. बैंक के निवेश संविभाग निम्न प्रकार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

i) परिपक्वता तक रखे गये (एचटीएम)

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

iii) व्यापारार्थ रखे गये (एचएफटी)

परिपक्वता तक रखे गये निवेश के अंतर्गत परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त की गयी प्रतिभूतियाँ आती हैं। व्यापार के लिए रखे गये के अंतर्गत व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त प्रतिभूतियाँ आती हैं। बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियाँ वे हैं जो उपर्युक्त दोनों वर्गों में वर्गीकृत नहीं हैं।

ख. तुलनपत्र में प्रकट करने के लिए निवेश निम्नलिखित छः भागों में वर्गीकृत किये गये हैं।

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

iii) शेयर

iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड

v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम

vi) अन्य

ग. मूल्यांकन :

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूतियों का मूल्यन निम्न के आधार पर किया जाता है।

i) परिपक्वता तिथि तक रखी गयी :

क. इस वर्ग में रखे गये निवेश, परिशोधन की अर्जन लागत को कम कर लिये जाते हैं। यदि अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक हो तो शेष, परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाता है।

ख. अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों के निवेश मूल्यों में हुए ह्रास को निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक निवेश के लिए अलग से प्रावधानीकृत किया जाता है।

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध :

क. इस वर्ग के अंतर्गत रखे गये निवेश बाजार में तत्कालीन अंतराल में बाजार मूल्य पर बेचे जाते हैं और शेयर बाजार, एसजीएल खाता लेनदेन, भारतीय रिजर्व बैंक की मूल्य सूची, प्रायमरी डीलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्य और फिक्सड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) से संयुक्त रूप में, तुलनपत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है। अनकोटेड प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

ख. छः समूहों में से (उपर्युक्त पैरा ख) प्रत्येक के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का पूर्णतया प्रावधान किया जाता है जबकि उपर्युक्त किसी भी समूह के अन्तर्गत शुद्ध मूल्य वृद्धि की उपेक्षा की जाती है। अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य मार्किंग टू मार्केट करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।

iii) व्यापारार्थ रखे गये :

क. इस वर्ग के निवेश का मूल्यन प्रत्येक महीने के अंत में एफआईएमडीए द्वारा कीमत/प्रतिफल घोषित करने के बाद बाजार भावों के आधार पर बाजार दर पर किया जाता है।



SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR 2010-11

1. GENERAL:

The financial statements are prepared on historical cost convention and accrual basis, unless otherwise stated, by following going concern concept and conform to the statutory provisions, accounting standards/guidance notes issued by Institute of Chartered Accountants of India and practices prevailing in the banking industry in India.

2. REVENUE RECOGNITION:

a. Interest on non-performing advances and investments is recognized as per the norms laid down by Reserve Bank of India.

b. Interest on overdue bills, commission, exchange, brokerage and rent on lockers are accounted on realization.

c. In case of suit filed accounts, legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and at the time of recovery of such expenses the same is accounted as income.

3. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS:

a. Income and Expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

b. Monetary items are reported at weekly average rate. Such monetary items are reported at closing rates as at balance sheet date. Exchange differences arising on the reporting of such monetary items at rates prevailing at the year end or on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded, are recognized as income or expense, as the case may be.

c. Forward exchange contracts are initially recorded at exchange rate prevailing at the time of booking of the contract and reported on the Balance Sheet date also at original booked rate only. Such forward contracts are revalued on the basis of FEDAI revaluation rate at the end of each month and profit or loss on such revaluation is recognized as income or expense as the case may be. Any profit or loss arising on cancellation of a forward exchange contract is recognized as income or expenditure as the case may be.

d. Foreign Letters of Credit and Letters of Guarantee are recorded at the rates prevailing on the date of entering into such commitment. Outstanding items are restated at the rate prevailing at the Balance Sheet date.

e. Derivative contracts undertaken on back-to-back basis or for hedging our own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of the contract and are reported at the closing rates at the Balance Sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till expiry of the contract. In respect of contracts done on back to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.

f. The exchange rates used for this purpose are those notified by FEDAI.

4. INVESTMENTS:

a. The Investment portfolio of the Bank is classified into the following three categories:

- Held to Maturity (HTM)
- Available for Sale (AFS)
- Held for Trading (HFT)

"Held to Maturity" category comprises of securities acquired with the intention to hold them up to maturity. "Held for Trading" category comprises securities acquired with the intention of trading. "Available for Sale" securities are those which are not classified in either of the above two categories.

b. Investments are classified and shown in Balance Sheet under the following six heads:

- Government Securities
- Other Approved Securities
- Shares
- Debentures and Bonds
- Subsidiaries / Joint Ventures and
- Others.

c. Valuation:

The securities in each classification are valued in accordance with Reserve Bank of India guidelines on the following basis:-

i) Held to Maturity:

a. Investments classified under this category are stated at acquisition cost net of amortization. The excess of acquisition cost over the face value, if any, is amortized over the remaining period of maturity.

b. Any diminution, other than temporary in nature, in the value of investments is determined and provided for each investment individually.

ii) Available for Sale:

a. Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the Balance Sheet date from trades/quotes on the Stock Exchanges, prices/yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

b. The net depreciation under each of the six heads (Para 4b above) is fully provided for whereas the net appreciation, if any, under any of the aforesaid heads is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

iii) Held for Trading:

a. Investments classified under this category are valued at market price based on market quotations, prices/yields declared by FIMMDA at the end of every month.

ख. मूल्यह्रास, श्रेणी वार निर्धारित किया जाता है (उक्त पेरा 4 ख देखे) और यदि मूल्य वृद्धि हो तो उसकी उपेक्षा की जाती है।

ग. अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य मार्किंग टू मार्केट करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।

घ. विवेकपूर्ण मानदंड :

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनर्जक निवेशों की पहचान की गयी है और उन पर प्रावधान किये जाते हैं। अनर्जक निवेशों के संबंध में अपेक्षित प्रावधान को अन्य अर्जक निवेशों के प्रति समायोजित नहीं किया जाता है।

ङ. निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि :

i. निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण भारत औसत लागत के आधार पर किया जाता है। डिबेंचर/बाँडों के मोचन पर प्रीमियम की पहचान, मोचन की तारीख पर की गयी है।

ii. **बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापारार्थ रखे गये** श्रेणियों के निवेशों की बिक्री पर लाभ, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है।

iii. **परिपक्वता तक रखे गये** श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ, पहले लाभ एवं हानि लेखा में रखा गया है और लाभ की समान राशि पूँजी आरक्षित निधि में विनियोजित की गयी है।

iv. इन तीन श्रेणियों में से किसी एक में निवेशों की बिक्री पर हुई हानि, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है।

च. सामान्य:

i. बैंक 1 जनवरी, 2011 से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन की खरीद एवं बिक्री रिकार्ड करने हेतु **निपटान तिथि** लेखा का अनुपालन कर रहा है।

ii. (क) एफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण: अंतरण बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है। अंतरण के समय जहाँ बाजार-मूल्य बही मूल्य से कम है, इस प्रतिभूति (अंतरण की तिथि को किए गए मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त प्रावधान, यदि हो, सहित) के विरुद्ध मूल्य-ह्रास का समायोजन बही मूल्य को कम करके बाजार मूल्य किया जाता है तथा प्रतिभूति का अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाता है।

(ख) एचटीएम से एफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में यदि प्रतिभूति मूल रूप से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई थी:-

- बट्टे पर, उसका अंतरण एफएस/एचएफटी श्रेणी में वही मूल/अभिग्रहण-मूल्य पर किया जाता है।

- प्रीमियम पर, उसका अंतरण एफएस/एचएफटी श्रेणी में परिशोधन-मूल्य पर किया जाता है।

उक्त दोनों मामलों में अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामतः मूल्य-ह्रास, यदि हो, का प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रतिभूतियों के एफएस से एचएफटी श्रेणी अथवा इसके विपरीत अंतरण के मामले में प्रतिभूतियों का पुनः मूल्यांकन अंतरण की तिथि को नहीं किया जाता तथा उपचित मूल्य-ह्रास, यदि हो, हेतु प्रावधान एचएफटी प्रतिभूतियों को विरुद्ध मूल्य-ह्रास तथा इसके विपरीत हेतु प्रावधानों को अंतरित किया जाता है।

iii. एचटीएम/एफएस/एचएफटी कोटि में प्रतिभूतियों के अंशदान पर प्रारंभिक शुल्क/ प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया जाएगा। प्रतिभूति की बिक्री के बाद प्राप्त प्रोत्साहन को लाभ एवं हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv. प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में दी गयी दलाली/कमीशन तथा स्टाम्प शुल्क को राजस्व व्यय माना गया है।

5. क. ब्याज दर का स्वाप : (हेजिंग)

क. सतत स्वाप लेनदेनों पर आय उस स्वाप को छोड़कर, जो आस्ति या देयता के साथ संबंधित है तथा वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य या कम लागत या बाजार मूल्य पर किया गया है, का निर्धारण प्रोद्भूत आधार पर परिकलन किया गया है। उस मामले में स्वाप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिणामरूपी लाभ या हानि, बाजार मूल्य या संबंधित आस्ति या देयता के समायोजन के रूप में दर्ज किए गये हैं।

ख. जब समायोजित लाभ या हानि संबंधित आस्ति या देयता में निर्धारित किये जाते हैं, तब समाप्त किये गये स्वाप लेनदेनों पर लाभ/हानि का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार, समाप्त किये गये स्वाप पर लाभ या हानि, स्वाप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/देयता का शेष समय, जो भी कम हो, तक आस्थगित कर निर्धारित किये जाते हैं।

ख. ब्याज दर स्वाप (व्यापार)

क) व्यापार स्वाप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिवर्तनों को लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया गया है।

ख) ऐसे स्वापों से संबंधित आय एवं व्यय को निपटान तारीख में निर्धारित किया गया है।

ग) शुल्क का निर्धारण आय या व्यय के रूप में किया गया है।

घ) स्वाप की समाप्ति पर लाभ या हानि, ऐसी समाप्ति के तुरन्त बाद आय या व्यय के रूप में दर्ज किए गये हैं।

6. अग्रिम

क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का उल्लेख किया गया है।

i. अग्रिमों के वर्गीकरण मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियाँ ऋणी वार किया गया है

ii. अनर्जक आस्तियों के लिए किये गये प्रावधान एवं

iii. मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान

ख. तुलनपत्र में उल्लिखित अग्रिम निम्नलिखित के लिए किये गये प्रावधान को कम कर हैं

i. अनर्जक आस्तियाँ

ii. अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

ग. अनर्जक आस्तियों में आंशिक वसूली को पहले प्रभार एवं ब्याज को विभाजित किया गया है बाद में मूल धन के प्रति

7. अचल आस्तियाँ :

क. परिसर तथा अन्य स्थिर आस्तियों का वर्णन परंपरागत लागत में मूल्यह्रास के निवल पर किया गया है।



b. Depreciation is recognized classification wise (see para 4b above) and appreciation, if any, is ignored.

c. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) Prudential Norms:

The identification of non performing investments and provision made thereon is as per Reserve Bank of India guidelines. Provision requirement in respect of non-performing investments is not set off against the appreciation of other performing investments.

e) Profit / Loss on Sale of Investments:

i. Profit or loss on sale of investments is recognized on the value dates on the basis of weighted average cost. Premium on redemption of Debentures/ Bonds is recognized on the date of redemption.

ii. Profit on sale of investments held in "Available for Sale" and "Held for Trading" categories is recognized in the Profit and Loss Account.

iii. Profit on sale of investments in "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and an equivalent amount of profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

iv. Loss on sale of investments in any of the three categories is recognized in Profit and Loss Account.

f) General

i. Bank is following 'Settlement Date' accounting for recording purchase and sale of transactions in Government Securities from January 1, 2011.

ii. a) Transfer of scrips from AFS/HFT category to HTM category : Transfer is made at the lower of book value or market value. In case where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored and the security is transferred at book value. In case where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

b) In case of transfer of securities from HTM to AFS/ HFT category:

If the security was originally placed under HTM category
- at a discount, it is transferred to AFS/HFT category at the acquisition price/ book value.

- at a premium, it is transferred to AFS/HFT category at the amortized cost.

After transfer in both of the above cases, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

c) In case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the

accumulated depreciation, if any, is transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

iii. Upfront fee / Incentives on subscription of securities in HTM / AFS / HFT categories are reduced from the cost of securities. The incentives received after sale of securities is credited to Profit and Loss account.

iv. Brokerage, Commission and Stamp Duty paid in connection with the acquisition of securities are treated as revenue expenditure.

5. a). INTEREST RATE SWAPS: (Hedging)

i. Income on continuing swap transactions is recognized on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. In that case, the swap is marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value or designated asset or liability.

ii. Gains/ losses on terminated swap transactions are recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Thus, the gain or loss on the terminated swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

b). INTEREST RATE SWAPS (Trading)

i. Trading swaps are marked to market with changes recorded in the Profit and Loss account;

ii. Income and expenses relating to these swaps are recognized on the settlement date;

iii. Fee is recognized as income or expenses as the case may be;

iv. Gains or losses on the termination of the swaps are recorded immediately as income or expenses on such termination.

6. ADVANCES

a) Advances are stated in accordance with the Prudential Norms issued by Reserve Bank of India.

i. Advances are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets borrower-wise.

ii. Provisions are made for non performing assets and

iii. General provision is made for standard assets.

b) Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for:

I. Non performing assets

II. Additional Provision made for Non-performing Assets

c) Partial recoveries in Non Performing Assets are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal.

7. FIXED ASSETS

a) Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost net of depreciation.

ख. मूल्यह्रास

- कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर कंप्यूटर एवं एटीएम को छोड़कर परिसर एवं अन्य आस्तियों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया गया है।
- कंप्यूटरों तथा अन्य कलपुजों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर 33.33% की दर पर लगाया गया है।
- एटीएम पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के अनुसार एटीएम के उपयोगी जीवनकाल, जिसके संबंध में बैंक ने 7 वर्ष का अनुमान लगाया है, के आधार पर किया गया है।

ग. परिशोधन

- 60 वर्ष से कम अवधिवाली पट्टागत भूमि के अधिग्रहण लिए प्रदत्त प्रीमियम एवं उस पर निर्मित भवनों की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया गया है।
- अधिग्रहित साफ्टवेयर को अधिग्रहण के वर्ष में बट्टे खाते में डाला गया है।

8. कर्मचारी लाभ

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में गैर बट्टे के आधार पर व्यय के रूप में पहचानी गयी हैं जिसमें संबंधित सेवाएँ दी गयी हैं।

ख. परवर्ती रोजगार लाभ

- परिभाषित अंशदान योजनाएँ परिभाषित अंशदान योजनाएँ जैसे, भविष्य निधि व्यय के रूप में पहचानी गयी हैं एवं लाभ एवं हानि लेखों में चार्ज किया गया है

II. परिभाषित लाभ योजनाएँ

- ग्रेचुइटी कर्मचारी ग्रेचुइटी योजना को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग न्यास के जरिए जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित है। ग्रेचुइटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य, शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है
- पेंशन कर्मचारी पेंशन निधि को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधित है। पेंशन के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है।

परिशोधन

वर्ष के दौरान बैंक के कर्मचारियों को पुनः पेंशन विकल्प देने के पश्चात अतिरिक्त देयता/व्यय तथा ग्रेचुइटी अधिनियम, 1972 के भुगतान में

सुधार के अनुसरण में वर्ष के दौरान ग्रेचुइटी सीमा में वृद्धि में प्रत्येक वर्ष लाभ एवं हानि खाते में कुल राशि का 1/5 देते हुए चालू वित्त वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होकर 5 वर्ष की अवधि तक परिशोधन हो रहा है।

- अन्य दीर्घावधि लाभ: अन्य दीर्घावधि लाभ जैसे, छुट्टी नकदीकरण, बीमारी छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी लेना/नकदीकरण, कर्मचारी प्रोत्साहन योजना, सेवा निवृत्तों के लिए अनुग्रह राशि एवं निकासी पर व्यय का पुनः स्थापन के रूप में पहचाने गये हैं।

9. कराधान हेतु प्रावधान

- कराधान के लिए प्रावधान अनुमानित कर देयता पर किया गया है।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी आय पर करों के लिए लेखानीति एएस-22 का पालन करते हुए, कर दर एवं कानून पर विचार करने के बाद जो विधिकरण किये गये हैं या तुलनपत्र तिथि को वास्तविक रूप से विधिकरण किये गये हैं, आस्थगित आयकर लेखाबद्ध किया गया है।

10. आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को यह निर्धारण किया जाता है कि क्या किसी प्रकार की आस्ति की हानि हुई है, यदि इस प्रकार का संकेत रहता है तो वसूल की जाने वाली राशि और आस्ति हानिकरण के लिए किसी प्रकार का प्रावधान किया गया है।

11. प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रावधान

संभवतया या वर्तमान बाध्यता के विगत की घटनाएँ प्रासंगिक देयताओं के रूप में ट्रीट की जाती हैं। वर्तमान देयता के संबंध में प्रावधान निर्धारित किया गया है, जहाँ कहीं विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है, जहाँ कहीं देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों के आउटफ्लो छोड़ने की संभावना है।

12. निवल लाभ

लाभ एवं हानि लेखा में प्रकट किया गया निवल लाभ निम्न लिखित के बाद किया गया है।

- निवेशों पर मूल्यह्रास का प्रावधान
- कराधान हेतु प्रावधान
- विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार अनर्जक निवेशों पर प्रावधान
- अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान।

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 05.05.2011



b) DEPRECIATION

- i. Depreciation on Premises and on other Fixed Assets except Computers and ATMs is provided on written down value method at the rates specified in Schedule XIV of the Companies Act 1956.
- ii. The depreciation on Computers and other Peripherals is provided @ of 33.33 % on straight line method.
- iii. Depreciation on ATMs is provided on straight line method based on the estimated useful life of seven years.

c) AMORTIZATION

- i. Premium paid for acquisition of leasehold land for a period less than 60 years and cost of the buildings constructed thereon is amortized over the period of lease.
- ii. The cost of Software is treated as intangible asset and the same is amortized over its estimated useful life.

8. EMPLOYEES BENEFITS

a) Short Term Employee Benefits

Short Term Employee Benefits such as short-term compensated absences are recognized as an expense on an undiscounted basis in the Profit & Loss Account of the year in which the related service is rendered.

b) Post Employment Benefits

i) Defined Contribution Plans: Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to the Profit & Loss Account.

ii) Defined Benefit Plans

(a) Gratuity:

The employees Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by LIC /Bank through a separate scheme. The present value of the Bank's obligations under Gratuity is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

(b) Pension:

The employees Pension Fund is funded by the Bank and is managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis

Amortization

The additional liability/expenditure arising consequent upon the reopening of Pension Option to the employees

of the bank during the year and enhancement in gratuity limit during the year pursuant to amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 is being amortized over a period of five years beginning with the current financial year 2010-11, with 1/5th of total amount being charged off to the Profit and Loss Account every year.

(a) Other Long Term Benefits:

Other Long Term Benefits such as Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC availment/encashment, Employee Incentive Scheme, Ex-gratia to retirees and Relocation of expenses on exit are recognized on the basis of actuarial valuation made as at the end of the year.

9. PROVISION FOR TAXATION:

a) Provision for taxes is made on the basis of estimated tax liability.

b) In compliance with AS-22 Accounting for Taxes on Income, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, accounting for deferred income tax is made after considering tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of balance sheet date.

10. IMPAIRMENT OF ASSETS

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any is provided for.

11. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Past events leading to possible or present obligation is treated as contingent liabilities. Provision is recognized in the case of present obligation where the reliable estimate can be made and where there are probable out flow of resources embodying forgoing of economic benefits to settle the obligation.

12. NET PROFIT

The Net Profit disclosed in the Profit and Loss Account is after:-

(a) Provision for depreciation on Investments.

(b) Provision for Taxation.

(c) Provision on loan losses as per prudential guidelines issued by Reserve Bank of India

(d) Provision for non-performing investments as per prudential guidelines issued by Reserve Bank of India.

(e) Other usual and necessary provisions.

Place: Hyderabad

Date : 05.05.2011

अनुसूची 18 - लेखों पर टिप्पणियाँ

1. वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रचलित लेखा नीति एवं व्यवहार के अनुरूप 31.03.2010 तक के वर्षांत के लिए वित्तीय परिणाम तैयार किये गये हैं। इसमें अनुसूची 17 में 4 (च) (ii) ग के अनुसार नीति के अनुरूप एएएस से एचएटी को अंतरित प्रतिभूतियों पर मूल्य-हास सम्मिलित नहीं है।
2. ₹ 0.06 करोड़ मूल्य की एक संपत्ति के मामले में बैंक के पक्ष में संपत्तियों के पंजीकरण की विधिक औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं।
3. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने 1173.00 करोड़ की कुल राशि हेतु 147.28 प्रति शेयर प्रीमियम पर भारत सरकार को ₹ 10.00 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7,45,80,364 ईविटी शेयर का अधिमन्य आबंटन किया है।
4. वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प पुनः रखा है, जिन्होंने पहले योजना का लाभ नहीं उठाया था। सेवा निवृत्ति/पृथक हुए तथा वर्तमान कर्मचारियों द्वारा दिए गए विकल्प के परिणामस्वरूप, बैंक ने 6072 वर्तमान कर्मचारियों द्वारा व्यक्त विकल्प के प्रति 468.31 करोड़ सहित ₹ 521.51 करोड़ की अतिरित देयता भी है। साथ ही, ग्रेच्युटी के संबंध में, बैंक ने ₹ 3.50 लाख से ₹ 10.00 लाख उच्चतम सीमा बढ़ाकर ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान में सुधार के पश्चात् ₹ 165.00 करोड़ की अतिरित देयता भी है।
लेखा मानक (एएस) 15, कर्मचारी लाभ की अपेक्षाओं के अनुरूप, ₹ 686.51 करोड़ की संपूर्ण राशि लाभ एवं हानि खाते में डालनी अपेक्षित है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 द्वारा बैंकों को वर्तमान कर्मचारियों तथा द्वितीय पेंशन विकल्प तथा 5 वर्ष में देय ग्रेच्युटी के संबंध में अतिरित देयताओं के परिशोधन की अनुमति दी है। बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, ग्रेच्युटी हेतु अतिरित देयता के 1/5 के रूप में ₹ 33.00 करोड़ तथा वर्तमान कर्मचारियों की अतिरित पेंशन देयता की कुल राशि के 1/5 के रूप में ₹ 93.66 करोड़ परिशोधित किए हैं।
सेवानिवृत्ति / पृथक हुए कर्मचारियों की अतिरित पेंशन देयता, जो ₹ 53.20 करोड़ है, पूर्ण रूप से लाभ एवं हानि खाते में डाली गई है। यदि ऐसा आस्थगन नहीं होता, तो बैंक का लाभ एएस-15 की अपेक्षाओं को लागू करने पर ₹ 506.65 करोड़ कम (सेवारत कर्मचारियों कसे संबंधित कुल देयता को आगे लाकर) हो गया होता।
5. क) (i) छोटे एवं सीमांत कृषकों को छूट हेतु पात्र राशि के संबंध में भारत सरकार द्वारा बनायी गयी कृषि ऋण छूट एवं ऋण राहत योजना 2008, जो आगे से योजना कहलाएगी, के संबंध में बैंक ने केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित पहचान की है और ₹

746.96 करोड़ की राशि की पहचान की है, जिसमें से 31 मार्च, 2010 तक प्राप्य ₹ 262.88 करोड़ चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुके हैं।

ii) उक्त योजना के अधीन अन्य कृषकों को देय ऋण राहत की राशि के संबंध में ₹ 157.68 करोड़ की राशि भारत सरकार से प्राप्य दावे के रूप में पहचान की गयी। तथापि केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा ₹ 151.80 करोड़ अंतिम दावे के रूप में प्रमाणित किए गए हैं जिसमें से ₹ 130.59 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

ख) भारिबैंक परिपत्र सं डीबीओडी नं बीपी.बीसी 78/21.04.048/2008-2009 दिनांक 11 नवम्बर 2008 के अनुसार, योजना के अंतर्गत ₹ 8.77 करोड़ ब्याज की राशि को भारत सरकार से प्राप्य दावों के संबंध में मान्यता दी गयी है।

6. क) इस संबंध में लागू कानून एवं विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के आधार पर आयकर के लिए प्रावधान किया गया है। इस तरह के मामलों में न्यायिक घोषणाओं के दृष्टिगत निर्धारण वर्ष 2008-09 तक, जिसके लिए निर्धारण पूरा/अपील किया गया है, ₹ 2.48 करोड़ (₹ 312.65 करोड़) के सेवा कर सहित ₹ 278.76 करोड़ के विवादित कर मांग के लिए किसी भी प्रकार का अतिरित प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

ख) आस्थगित आय कर

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मान 22 के अनुसरण में आय पर करों के लिए लेखा के संबंध में जारी लेखा मानक के अनुसरण में आवश्यक आस्थगित कर देयताओं एवं आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की गयी हैं। 31.03.2011 को प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं।

(राशि ₹ करोड़ों में)

समय का अंतर	31.03.2011		31.03.2010	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
(1) बहियों में प्रावधान किया गया परंतु आय कर में दावा नहीं किया गया।	76.92		70.12	—
(2) आय कर अधिनियम के अनुसार दावा किया गया अधिक/कम मूल्यहास		11.58	—	19.07
(3) आय कर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व पर डीटीएल		99.65	—	69.34
(4) एएस-15 (आर) के अनुसार ट्रांजिशनल प्रावधान पर डीटीए	131.60		131.60	—
(5) ग्रेच्युटी की सीमा में संशोधन तथा पेंशन विकल्प के कारण अतिरित देयता के परिशोधन पर डीटीएल		168.29		
कुल	208.52	279.52	201.72	88.41



Schedule 18 - Notes on Accounts

1. The statements of financial results for the year have been prepared on historical cost convention and following the same set of accounting policies and practices as for the year ended 31st March 2010 except treatment of depreciation on securities transferred from AFS to HFT category and vice versa in term of policy as per 4 f (ii) c in Schedule-17.
2. Legal formalities with regard to the registration of property in favour of Bank which are yet to be completed in respect of one property valued at ₹ 0.06 crore.
3. During the financial year ended 31st March 2011, the bank has made a preferential allotment of 7, 45, 80,364 Equity Shares of the face value of ₹ 10.00 each to Government of India at a premium of ₹ 147.28 per share for an aggregate amount of ₹ 1173.00 crore.
4. During the year, the Bank has reopened the pension option for its employees who had not opted for the scheme earlier. As a result of exercise of the given option by existing and retired/separated employees, the bank has incurred an additional liability of ₹ 521.51 crore including ₹ 468.31 crore on account of exercise by 6072 existing employees.

Further, with regard to gratuity, the bank has incurred an additional liability of ₹ 165.00 crore during the year consequent to the amendment in the Payment of Gratuity Act-1972 increasing the ceiling limit from ₹ 3.50 lacs to ₹ 10.00 lacs.

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, the entire amount of ₹ 686.51 crore is required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the Reserve Bank of India vide circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09th of February, 2011, has allowed the banks to amortize the additional liabilities on account of second pension option in respect of existing employees and gratuity payable over a period of five years.

The bank, as allowed by RBI, has amortized ₹ 93.66 crore being 1/5th of the total amount of the additional pension liability of the existing employees and ₹ 33.00 crore, being the 1/5th of the additional liability on account of gratuity.

The additional pension liability of the retired/separated employees amounting to ₹ 53.20 crore has been fully charged to the profit and loss account.

Had such deferment not been there, the profit of the Bank would have been lower by ₹ 506.65 crore (being the net liability relating to serving employees carried forward) pursuant to application of the requirements of AS-15.

5. (a) (i) In terms of Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2008, hereinafter referred as the 'Scheme', framed by the Government of India, with regard to the

amount eligible for waiver in respect of small and marginal farmers, the Bank identified a sum of ₹ 746.96 crore, as certified by Central Statutory Auditors, out of which ₹ 262.88 crore was receivable as on 31st March 2010 has fully been received during the current financial year.

(ii) In terms of the above scheme with regard to the amount of relief to other farmers an amount of ₹ 157.68 crore was initially identified as claim receivable from Government of India. However an amount of ₹ 151.80 crore has been certified by the Central Statutory Auditors as final claim, out of which an amount of ₹ 130.59 crore has been received.

(b) In terms of RBI circular no. DBOD no. BP.BC 78/21.04.048 /2008-09 dated 11th November 2008; interest amounting to ₹ 8.77 crore for the year is recognized in respect of claims receivable from Government of India under the scheme.

6. a) Provision for Income Tax has been made on the basis of the applicable laws and various judicial pronouncements available. In view of judicial pronouncements in similar cases, no additional provision is considered necessary towards disputed tax demands of ₹ 278.76 crore inclusive of service tax of ₹ 2.48 crore (₹ 312.65 crore) upto assessment year 2008-09 for which assessments are completed/appealed.

b) Deferred Income Tax: Pursuant to Accounting Standard-22 issued by The Institute of Chartered Accountants of India in respect of "Accounting for taxes on Income", necessary deferred tax liability and deferred tax assets have been recognized. The major components as on 31.03.2011 are as follows:-

(₹ in crores)

Timing Difference	31st March-2011		31st March-2010	
	DTA	DTL	DTA	DTL
(1) Provision created in books but not claimed in Income Tax	76.92	---	70.12	---
(2) Excess/Less Depreciation claimed as per I.T. Act	---	11.58	---	19.07
(3) DTL on Special Reserve created u/s 36(1) (viii) of I.T. Act	---	99.65	---	69.34
(4) DTA on transitional provision as per AS-15(R)	131.60	---	131.60	---
(5) DTL on amortization of additional liability on a/c of re-opening of pension option and revision in ceiling of gratuity	---	168.29	---	---
Total	208.52	279.52	201.72	88.41

7. निवेश में भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसरण में शेयर पूंजी निक्षेप के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश किये गये ₹ 8.26 करोड़ (8.26 करोड़) भी शामिल है।

8. क) 31 मार्च 2011 को बैंक की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने की दृष्टि से भारिबैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, सकल गैर-निष्पादन अग्रिमों के संबंध में न्यूनतम निर्धारण से अधिक ₹ 38.06 करोड़ (₹ 38.06 करोड़) का फ्लोटिंग प्रावधान रखा गया है।

ख) भारिबैंक परिपत्र सं डीबीओडी.बीपी.बीसी 118/21.04.048/2008-09 दिनांक मार्च 25, 2009 के दृष्टिगत, बैंक ने ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधानों की विवेकपूर्ण मान्यता के लिए बैंक ने नीति का आशोधन किया है। बैंक की राय के अनुसार, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अतिरिक्त प्रावधान रखे गए हैं, प्रतिभूति के मूल्य का ह्रास हुआ है या ह्रास होने की संभावना है। इस प्रकार 31 मार्च, 2011 तक ₹ 272.88 करोड़ (₹ 238.88 करोड़) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

ग) उक्त फ्लोटिंग एवं अतिरिक्त प्रावधान अग्रिम से कम किया गया है।

9. वर्ष 2003-04 में, बैंक ने ₹ 50.36 करोड़ की राशि के 1437 निजी आवास ऋणों के पूल को प्रतिभूत किया है और राष्ट्रीय आवास बैंक एवं बैंक के बीच निष्पादन समनुदेशन विलेख के अनुसरण में उसे स्पेशल परपज वेहिकल (एसपीवी) को अंतरित किया गया है। एनएचबी ने उक्त राशि के लिए पास थ्रू सर्टिफिकेट पारित किया है। इसमें से बैंक/ वित्तीय संस्थानों द्वारा पास थ्रू सर्टिफिकेट श्रेणी ए निवेश के रूप में अभिदत्त किया गया है एवं शेष पीटीसी क्लास बी के रूप में अभिदत्त किया गया है। वर्ष के अंत में इस प्रकार के पीटीसी श्रेणी बी के निवेश को ₹ 3.44 करोड़ (₹ 6.53 करोड़) के बही मूल्य के रूप में निवेश के भाग के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही ₹ 2.70 करोड़ के बही-मूल्य सहित पीटीसी श्रेणी बी निवेश को 31.03.2011 को बैंक द्वारा निवेश के रूप में दर्शाया गया है (₹ 3.20 करोड़)।

31.03.2011 को पूल का वर्तमान बकाया शेष ₹ 7.46 करोड़ है (₹ 11.08 करोड़)। बैंक एसपीवी न्यास के लिए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य कर रहा है। ऋण संवर्धन के रूप में पीटीसी बी में निवेश के अतिरिक्त नकद संपादिक के रूप में बैंक द्वारा ₹ 0.68 करोड़ (0.68 करोड़) की राशि का प्रावधान किया है। जमानती आवास ऋण की गैर-वसूली के कारण हुई हानि की पूर्ति हेतु ₹ 1.17 करोड़ की राशि विशेष प्रावधान के रूप में रखी गई है।

10. बैंक ने बैकेश्यूरेंस से ₹ 13.03 करोड़ (12.55 करोड़) शुल्क के रूप में एवं बैकेश्यूरेंस - जीवनेतर से ₹ 13.23 करोड़ (12.42 करोड़) शुल्क के रूप में प्राप्त किए हैं।

11. बैंक ने वर्ष 2008-09 के दौरान कोर बैंकिंग कार्यान्वयन की प्रक्रिया को पूरा किया है। ₹ 89.04 करोड़ की हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की संबंधित लागत को 5 वर्ष के अनुमानित उपयोग अवधि में परिशोधित किया गया है जिसमें से 31.03.2011 को 35.62 करोड़ (53.43 करोड़) की राशि बकाया है।

12.1. पूंजी

क.	31.03.2011		31.03.2010	
	बेसल -I	बेसल -II	बेसल -I	बेसल -II
i. सीआरएआर (%)	13.48	14.38	13.30	13.93
ii. सीआरएआर - टीयर- I पूंजी (%)	9.07	9.68	7.81	8.18
iii. सीआरएआर- टीयर II पूंजी (%)	4.41	4.70	5.49	5.75
iv. भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	58.00		51.55	
v. आईपीडीआई की जारी द्वारा प्राप्त राशि (घ. करोड़ों में)	-		-	
vi. पूंजी के रूप में लिये गये अप्पर टीयर II लिखत गौण ऋण की राशि (घ. करोड़ों में)	-		1120.00	

10.2 निवेश

(₹ करोड़ों में)

मद	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
(1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
भारत में	24,209.88	20,906.10
भारत के बाहर,	*0.00	*0.00
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
भारत में	5.88	25.10
भारत के बाहर,	0.00	0.00
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
भारत में	24,204.00	20,881.00
भारत के बाहर,	*0.00	*0.00



7. Investments include ₹ 8.26 crore (₹ 8.26 crore) invested in Regional Rural Banks as Share Capital Deposit pursuant to a letter by Government of India.
8. a) Floating Provision of ₹ 38.06 crore (₹ 38.06 crore), is held as at 31.03.2011 in respect of gross non performing advances over and above the minimum prescribed as per RBI guidelines with a view to strengthen the financial position of the Bank.
- b) Consequent to RBI Circular DBOD.No.BP.BC. 118 / 21.04.048/2008-09 dated March 25, 2009, the bank has modified the policy of prudential treatment of different types of provisions in respect of loan portfolio. Additional provisions are made wherever, in the opinion of the Bank, the value of security has deteriorated or likely to deteriorate. Such additional provision aggregating to ₹ 272.88 crore (₹ 238.88 crore) is held as on 31st March, 2011.
- c) The above floating and additional provisions are netted off from advances.
9. 1437 individual housing loan accounts securitized during the year 2003-04 amounting to ₹ 50.36 crore and were transferred to a Special Purpose Vehicle (SPV) Trust pursuant to the Deed of Assignment executed with National Housing Bank (NHB). The NHB has issued Pass Through Certificates (PTCs) of said amount, out of which part was subscribed by various Banks/Financial Institutions as PTC Class-A investments and the balance was subscribed by the bank as PTC Class-B. The value of PTC-A series stood at ₹ 3.44 crore as on 31.03.2011 (₹ 6.53 crore). Further, PTC class-B investment with a book value of ₹ 2.70 crore has been shown as a part of investments by the bank as on 31.03.2011 (₹ 3.20 crore). The present outstanding balance of the pool as on 31.03.2011 is ₹ 7.46 crore (₹ 11.08 crore). The bank is

acting as service provider to the SPV Trust. An amount of ₹ 0.68 crore (₹ 0.68 crore) has been provided by the bank as cash collateral in addition to Investment in PTC- B as credit enhancement. An amount of ₹ 1.17 crore is held as special provision to meet any loss due to non recovery of securitized housing loans.

10. The Bank has received ₹ 13.03 crore (₹ 12.55 crore) as fee from Bancassurance - Life and ₹ 13.23 crore (₹ 12.42 crore) as fee from Bancassurance - Non Life.

11. Bank has completed the process of implementation of Core Banking Solution during the year 2008-09. The related cost of software aggregating to ₹ 89.04 crore is being amortized over the estimated useful life of 5 years out of which an amount of ₹ 35.62 (₹ 53.43 crore) is outstanding as on 31.03.2011.

12.1. Capital

(₹ in crore)

Items	31st March 2011		31st March 2010	
Particulars	BASEL-I	BASEL-II	BASEL-I	BASEL-II
i) CRAR (%)	13.48	14.38	13.30	13.93
ii) CRAR - Tier I capital (%)	9.07	9.68	7.81	8.18
iii) CRAR - Tier II Capital (%)	4.41	4.70	5.49	5.75
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	58.00		51.55	
v) Amount raised by issue of IPDI (₹ in crore)	--		--	
vi) Amount raised by issue of Upper Tier II Instruments/Subordinated Debt (₹ in crore)	--		1120.00	

12.2 Investments

(₹ in crore)

Items	31st March- 2011	31st March-2010
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	24,209.88	20,906.10
(b) Outside India	*0.00	*0.00
(ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India	5.88	25.10
(b) Outside India	0.00	0.00
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	24,204.00	20,881.00
(b) Outside India	*0.00	*0.00

(2) निवेश के मूल्यहास के प्रति रखे गये प्रावधान में उतार-चढ़ाव

i) प्रारंभिक शेष	25.10	191.66
ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	0.15	—
iii) घटाएँ: वर्ष के दौरान बटूटे खाते में डाले गये /अधिक प्रावधान	19.37	166.56
iv) अंतिम शेष	5.88	25.10

* में निम्नांकित शामिल हैं :

क) ₹ 1 (₹ 1) के वीसा इंक के निवेश में 10571(21141) शेयर (क्लास सी सीरीज- I)

ख) ₹ 1 (₹ 1) के मास्टर कार्ड इंक के निवेश में 162 (162) शेयर (क्लास बी)

ग) ₹ 1 (शून्य) के स्विफ्ट मूल्य के 8 (8) शेयर में निवेश

इन संस्थाओं के साथ विगत व्यवसाय संबंध के दृष्टिगत विसा इंक एवं मास्टर कार्ड इंक के शेयर स्थूल रूप में, प्रोत्साहन के रूप निःशुल्क आबंटित किये गये हैं.

प्रारंभिक सदस्यता में आबंटित शेयरों में स्विफ्ट का शेयर शामिल है और पुनराबंटन में शेयर संचित है. शेयरों का पुनराबंटन स्विफ्ट नेटवर्क आधारित वित्तीय सेवाओं का बैंक की उपयोगिता के आधार पर है.

12.2.1. रिपो लेनदेन

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2011 को शेष
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूति				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	150.00	1400.00	97.37	0.00
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	(150.00)	(2400.00)	(328.14)	(0.00)
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	150.00	5000.00	96.92	0.00
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

12.2.2. गैर एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्ता संरचना

(₹ करोड़ों में)

क्रमांक	निर्गमकर्ता (इश्यूअर)	राशि	प्राइवेट प्लेसमेंट की मात्रा	निवेश श्रेणी से कम प्रतिभूतियों की मात्रा	अनरेटेड प्रतिभूतियों की मात्रा	अनलिस्टेड प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	36.72	7.72	—	—	—
2	वित्तीय संस्थान	217.59	127.17	—	—	—
3	बैंक	327.13	277.69	—	—	—
4	प्राइवेट कॉर्पोरेट	744.69	524.06	18.76	18.76	18.76
5	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	140.36	140.36	—	—	—
6	अन्य	—	—	—	—	—
	कुल	1466.49	1077.00	18.76	18.76	18.76
7	कम करें: मूल्यहास के प्रति प्रावधान	5. 63	—	—	—	—
8	शेष	1460.86	1077.00	18.76	18.76	18.76



(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments.

i) Opening balance	25.10	191.66
ii) Add: Provisions made during the year	0.15	--
iii) Less: Write-off/(write-back) of excess provisions during the year	19.37	166.56
iv) Closing balance	5.88	25.10

* Includes the following

- a) investments in 10571(21141) shares (Class C Series - I) of Visa Inc valued at ₹ 1(₹ 1)
- b) Investments in 162 (162) shares (class B) of Master card Inc valued at ₹ 1(₹ 1)
- c) Investments in 8 (8) shares of SWIFT valued at ₹ 1 (₹ 1)

Shares of Visa Inc and Master Card Inc are allotted in kind, free of cost, as an incentive in view of the past business relation with these entities.

Shares of SWIFT include shares allotted in initial membership and shares accrued on re-allocation. The reallocation of share is based on bank's utilization of SWIFT's network based financial services.

12.2.1. Repo Transactions

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Balance As on 31st March 2011
Securities sold under Repo				
(i) Government Securities	150.00 (150.00)	1400.00 (2400.00)	97.37 (328.14)	0.00 (0.00)
(ii) Corporate Debt Securities	--	--	--	--
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Government Securities	150.00 (0.00)	5000.00 (0.00)	96.92 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii) Corporate Debt Securities	--	--	--	--

12.2.2. Non S.L.R. Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR Investments

(₹ in crore)

Sr. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'belowInvestment GradeSecurities'	Extent of 'unrated' securities	Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	36.72	7.72	--	--	--
2	FIs	217.59	127.17	--	--	--
3	Banks	327.13	277.69	--	--	--
4	Private Corporates	744.69	524.06	18.76	18.76	18.76
5	Subsidiaries/Joint Ventures	140.36	140.36	--	--	--
6	Others	--	--	--	--	--
	Total	1466.49	1077.00	18.76	18.76	18.76
7	Less: Provision held towards depreciation	5.63	--	--	--	--
8	Balance	1460.86	1077.00	18.76	18.76	18.76

कॉलम 3 के अंतर्गत कुल तहत तुलनपत्र की अनुसूची 8 में निवेश की निम्नलिखित श्रेणी शामिल हैं।

विवरण	(₹ करोड़ों में)	
	निवल मूल्य	
	31.03.2011	31.03.2010
शेयर	196.38	106.46
डिबेंचर एवं बांड	585.97	581.61
अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	135.36	97.71
अन्य	543.15	314.23
कुल	1460.86	1100.01

ii) अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

विवरण	(₹ करोड़ों में)	
	2010-11	2009-10
प्रारंभिक शेष	0.43	0.53
वर्ष के दौरान जोड़	—	—
अवधि के दौरान कमी	—	0.10
अंतिम शेष	0.43	0.43
रखा गया कुल प्रावधान	0.43	0.43

12.2.3. क) वर्ष के दौरान, बैंक ने 748.32 (1251.48) करोड़ को प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएएस) श्रेणी से परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में धारित ₹ 9.04 करोड़ (शून्य) (उद्यम पूंजी निधि में निवेश) को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से निम्नतर पर अंतरित किया है। बिक्री के लिए उपलब्ध (एएएस) श्रेणी से परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु उपलब्ध ₹ 19.37 करोड़ मूल्य-हास राशि का उपयोग किया गया। उद्यम पूंजी निधि में निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में अंतरण हेतु ₹ 0.18 करोड़ हानि दर्ज किया गया। वर्ष के दौरान एचएटी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का कोई अंतरण नहीं किया गया (₹ 136.85 करोड़)

ख) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूति की बिक्री के कारण हुई हानि शून्य (शून्य) है।

ग) एचएटी से एएएस श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण पर मूल्यहास के संबंध में लेखाप"ति में परिवर्तन के कारण (कृपया अनुसूची-17 का मद सं.4(ए)(ii)ग देखें), लाभ व हानि खाते को प्रभार में ₹ 0.06 करोड़ की कमी आई। इसके परिणामस्वरूप वर्षांत में निवेशों के मूल्यांकन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

12.2.4 बैंक ने एचटीएम श्रेणी के प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ के रूप में ₹ 8.77 करोड़ (₹141.42 करोड़) की सकल राशि का अर्जन किया जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कर के पश्चात् ₹ 4.40 करोड़ (93.35 करोड़) और सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण हेतु अपेक्षित राशि पूंजी प्रारक्षिती खाते को समायोजित की गई है।

12.3 डेरिवेटिव

12.3.1 वायदा दर करार/ निवेश पोर्टफोलियो का ब्याज दर स्वाप

(₹ करोड़ों में)

मद	2010-11	2009-10
स्वाप अग्रीमेंट का नोशनल प्रिंसिपल	शून्य	शून्य
यदि करार के अनुसार काउंटर पार्टी अपनी बाध्यता को पूरा करने विल होते हैं, तो उसकी जो हानि होगी	शून्य	शून्य
स्वाप के एंटर करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	शून्य	शून्य
स्वाप से होने वाली ऋण जोखिम का केंद्रीकरण	शून्य	शून्य
स्वाप बही का ँयर मूल्य	शून्य	शून्य

12.3.2 विदेशी मुद्रा व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव

(₹ करोड़ों में)

मद	2010-11	2009-10
वर्ष के दौरान (लिखतवार) विदेशी मुद्रा व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि	शून्य	शून्य
31.03.2011 को (लिखतवार) विदेशी मुद्रा व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव (लिखतवार) की बकाया काल्पनिक मूल राशि, जो अधिक प्रभावी नहीं है	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव (लिखतवार) की बकाया बाजार मूल्य को बही में अंकित राशि, जो अधिक प्रभावी नहीं है	शून्य	शून्य

12.3.3. डेरिवेटिव में जोखिम एसपोजर का प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क. डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना एवं संगठन:

i) ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं फारवर्ड रेट अग्रीमेंट (एफआरए) के अनुसरण में बैंक ने ब्याज दर स्वाप के लिए नीति एवं प्रक्रिया, काउंटर पार्टी एक्सपोजर सीमा, अधिकारों का प्रत्यायोजन, लेखा नीति, मूल्यांकन के लिए नीति, आईएसडीए प्रलेखन, कट लॉस, रिपोर्टिंग इत्यादि का अनुमोदन किया है एवं ₹ 1500 करोड़ का कैप निर्धारित किया है (ट्रेडिंग बही के लिए ₹ 500 करोड़ की उप सीमा)। बैंक ने इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के समग्र फ्रेमवर्क के अंतर्गत डेरिवेटिव आपरेशन का संचालन किया है।



Total under column 3 include the following categories of investments specified in Schedule 8 to the Balance Sheet:

(₹ in crore)

Particulars	Net Value	
	31 st March-2011	31 st March-2010
Shares	196.38	106.46
Debentures & Bonds	585.97	581.61
Subsidiaries / Joint Ventures	135.36	97.71
Others	543.15	314.23
Total	1460.86	1100.01

ii) Non Performing Non SLR Investments

(₹ in crore)

Particulars	2010-11	2009-10
Opening Balance	0.43	0.53
Additions during the year	—	—
Reduction during the year	—	0.10
Closing Balance	0.43	0.43
Total provisions held	0.43	0.43

12.2.3 a) During the year, the Bank has shifted securities aggregating ₹ 748.32 crore (₹ 1251.48 crore) from 'Available for Sale' (AFS) category to Held to Maturity (HTM) Category and ₹ 9.04 crore (Nil) (Investment in Venture Capital funds) from Held to Maturity (HTM) category to Available for Sale (AFS) category at lower of acquisition cost/book value / market value. The available depreciation of ₹ 19.37 crore for transfer of securities from Available for Sale (AFS) Category to Held to Maturity (HTM) category was utilised. A loss of ₹ 0.18 crore was booked on transfer of Investment in Venture Capital funds from Held to Maturity (HTM) category to Available for Sale (AFS) category. There is no shifting of securities from HFT to HTM category during the year (₹ 136.85 crore).

(b) Loss incurred during the year on account of sale of security under HTM category is Nil (Nil)

(c) Due to change in accounting policy regarding depreciation on transfer of securities from HFT to AFS category (please refer to point no.4 (f) (ii) c of schedule-17), the charge to Profit & Loss account is lower to the extent of ₹ 0.06 crore. There is no consequent impact on valuation of investments at the year end.

12.2.4 The Bank has earned gross amount of ₹ 8.77 crore (₹ 141.42 crore) as profit on sale of securities in HTM category out of which an amount of ₹ 4.40 crore (₹93.35 crore), net of tax and amount required to be transferred to Statutory Reserve, has been appropriated to capital reserve account as per RBI guidelines.

12.3 Derivatives

12.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swaps of Investment portfolio

(₹ in crore)

Items	2010-11	2009-10
The notional principal of swap agreements	Nil	Nil
Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
The fair value of the swap book	Nil	Nil

12.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in crore)

S.No.	Particulars	Amount	
		2010-11	2009-10
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	Nil	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2011 (instrument-wise)	Nil	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

12.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

A) Qualitative Disclosures:

a) Structure and Organization for Management of risk in derivatives trading:

i) In terms of Reserve Bank of India guidelines on Interest Rate Swaps (IRS) and Forward Rate Agreements (FRA) the Bank has approved policies and procedures, counter party exposure limits, delegation of powers, accounting policy, policy for valuation, ISDA documentation, cut loss, reporting etc., for Interest Rate Swaps and fixed a cap of ₹1500 crore for interest rate swaps (sub-limit of ₹ 500 crore for Trading Book). Bank has conducted the derivative operations within the overall framework of these guidelines.

ii) बैंक ने विभिन्न प्रकार के करेंसी स्वाप में 100 डेरिवेटिव पर कार्य करने के लिए पॉलिसी एवं प्रक्रियाओं, काउंटर पार्टी एसपोजर सीमा, अधिकारों का प्रत्यायोजन, लेखा नीति, आईएसडीए, प्रलेखन, रिपोर्टों इत्यादि का अनुमोदन दिया एवं विभिन्न प्रकार के ब्याज दर स्वाप जो कॉर्पोरेट ऋणी ग्राहकों अन्य बैंक ऋणी गैर ग्राहक के साथ बैंक टू बैंक आधार पर कंवर्ट करने के लिए भारिबैंक द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं है बैंक की नीति बैंक टू बैंक आधार पर अपने 100 एसपोजर हेजिंग/प्राइसिंग के लिए बैंक ग्राहकों को जैन वनिला यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन को एंटर करने के लिए बैंक को परमिट करती है.

iii) मासिक आधार पर मार्क टू मार्केट मूल्यन पर ग्राहकों को भेजे जाते हैं और चालू एसपोजर मेथड पर पूंजी प्रभाव प्रावधान किया जाता है.

iv) बैंक टू बैंक आधार पर या हमारे अपने विदेशी मुद्रा एसपोजर की हेजिंग के लिए लिये गये डेरिवेटिव कार्यों को संविदा की तारीख को विद्यमान दर पर रेकार्ड किया गया है और तुलनपत्र तारीख की लेजिंग दर पर रिपोर्ट किया गया है. इन लेनदेनों से संबंधित राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति तक आनुपातिक अवधि के लिए किया गया है. बैंक टू बैंक बेसिस पर किये गये संविदाओं के संबंध में राजस्व का निर्धारण संविदा पहले समाप्त किये जाने पर समाप्ति पर किया गया है.

ख. जोखिम माप की गुंजाइश एवं प्रकृति, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम मानीटरिंग सिस्टम :

बैंक डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में एक परामर्शदाता की सेवाओं का लाभ उठा रहा है. परामर्शदाता फर्म सभी बकाये स्वाप के लिए बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति मुहैया करा रहे हैं एवं बैंक उसकी आवधिक अंतरालों पर समीक्षा कर रहा है. सभी बकाये स्वाप, नये स्वाप की प्रविष्ट की निर्गमित स्वाप, स्वाप के बाजार मूल्य को बही में अंकित करने, एंटेड कैप्स/फ्लोर्स (यदि कोई हो) इत्यादि की समीक्षा बैंक की निवेश समिति एवं बोर्ड द्वारा मासिक अंतरालों पर की जाती है. आईआरएस में किये गये

लेनदेन के विवरण की रिपोर्ट भी पाक्षिक आधार पर भारिबैंक को भेजी जा रही है.

ग. हेजिंग एवं/ या मिटिगेटिंग के लिए नीति एवं हेजेस/मिटिगेट्स के प्रभाव को जारी रखने के लिए मानीटरिंग हेतु रणनीति एवं प्रक्रिया :

बाजार अवसर के आधार पर एवं परामर्शदाता के परामर्श से ब्याज दर के संचलन को ध्यान में रखकर उस पर कार्य किया जाता है. स्वाप की शर्तों के अनुसार, नियत तिथि /तिथि को यद्यपि स्वापों का निपटान होता है, बाजार में परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए दैनिक आधार पर स्वाप बुक की मानीटरिंग की जाती है. जब नकारात्मक बाजार मूवमेंट एकदिशीय है, कटिंग लॉस के लिए स्वाप को एक्जिट किया जाता है. कट लॉस सीमा, एक्जिट अधिकार, समीक्षा प्राधिकारी इत्यादि निर्धारित हैं.

घ. हेज एवं नान हेज लेनदेन के लिए लेखा नीति, आय, प्रीमियम एवं डिस्काउंट की पहचान, बकाये संविदा का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, संपाश्विक एवं ऋण जोखिम मिटिगेशन:

विस्तृत लेखा नीति एवं मूल्यांकन नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है. हेजिंग प्रयोजन के लिए लेनदेन को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है, इसके सिवाय जहाँ पूर्वाधिकार/नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता को बाजार के लिए मार्क किया गया है और बाजार मूल्य पर (या लागत से कम या बाजार मूल्य) बैंक की बहियों में लेनदेन किये जाते हैं. उस मामले में नामोद्दिष्ट आस्ति या देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में परिणामी लाभ या हानि के साथ स्वाप को बाजार मार्क किया जाता है. स्वाप की समाप्ति पर लाभ या हानि निर्धारित की जाती है जब नामोद्दिष्ट आय एवं देयता पर ऑफसेटिंग लाभ एवं हानि निर्धारित की जाती है.

आय विवरण में परिवर्तन रिकार्ड करने के साथ ट्रेडिंग स्वाप को बाजार से मार्क किये जाते हैं. आय, व्यय, स्वाप की समाप्ति पर शुल्क लाभ या हानि को तुरंत ही आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किये गये हैं.

ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं विवरण	करेंसी डेरिवेटिव	
	31.03.2011	31.03.2010
1 डेरिवेटिव (काल्पनिक मूल राशि)	434.63	538.74
क) हेजिंग के लिए	434.63	538.74
ख) ट्रेडिंग के लिए	0.00	0
2 प्रतिभूतियों का दैनिक बाजार मूल्य स्थिति		
क. हेजिंग	111.64	56.43
क) आस्ति (+)	111.64	71.06
ख) देयता (-)	0.00	-14.63
ख. ट्रेडिंग	0.00	0
क) आस्ति (+)	0.00	0
ख) देयता (-)	0.00	0
3 ऋण जोखिम	119.67	109.32
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)	0.00	0
क) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	0.00	0
ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	0.00	0
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 पर देखे गये अधिकतम व न्यूनतम	0.00	0
क) हेजिंग पर	0.00	0
ख) ट्रेडिंग पर	0.00	0

विदेशी मुद्रा एसपोजरो को हेजिंग करने के लिए बैंक की ₹ 111.64 'रोड की मार्क टू मार्केट की स्थिति है. इस लेनदेन हेतु निवल मार्क टू मार्केट प्रभाव बैंक हेतु शून्य है..



- ii) The Bank has approved policies and procedures, counter party exposures limits delegation of powers, accounting policy, ISDA documentation, reporting etc., for undertaking forex derivatives in various forms of currency swaps & various types of interest rates swaps not specifically prohibited by RBI with the corporate borrower customers, other banks and non-borrower customers to be covered on back to back basis. Bank's policy also permits entering into Plain Vanilla European Style Option to Bank's customers for hedging / pricing their forward exposures on back to back basis, or for hedging foreign currency exposures.
- iii) Mark to Market valuation is sent to customers on monthly basis and capital charge is provided as per current exposure method.
- iv) Derivative contracts undertaken on back-to-back basis or for hedging own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of the contract and are reported at the closing rates at the Balance Sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till the expiry of the contract. In respect of contracts done on back to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.
- b) Scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:** Bank availed the services of a consultant in respect of the derivative transactions undertaken. The consultant firm was providing daily mark to market position of all the outstanding swaps and the bank reviewed the same at periodical intervals. The position of all outstanding swaps, new swaps entered, swaps existed, Mark to Market value of swaps etc., is being reviewed by the Bank's Investments Committee and the Board at monthly intervals. Details of transactions undertaken in IRS are also reported to RBI on a fortnightly basis.
- c) Policies for hedging and / or mitigating and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:** Depending on the market opportunities and as per the advice of the Consultant, a view on interest rate movement is taken and acted upon. Though the settlement of swaps takes place on due date/dates as per the terms of the swaps, the value monitoring is carried out daily to know the impact of market changes on Swap Book. When unfavorable market movements are unidirectional, swaps are exited cutting loss. Cut loss limits, exit powers, reviewing authority etc., are prescribed.
- d) Accounting policy for recording the hedge and non-hedge transactions, recognition of income, premiums and discounts, valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation:** Detailed accounting policy and valuation policy are approved by Board. Transactions for hedging purposes are accounted for on accrual basis except the swap designated with an asset / liability that is carried at lower of cost or market value. In that case, the swap is marked to market, with the resultant gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability. On termination of swap, gain or loss is recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Any gain or loss on the terminated swap was deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset / liability.
- Trading transactions have to be marked to market with charges recorded in the income statement. Income, expenditure, fee, gains or losses on termination of swaps are all recorded as immediate income or expenses.

B) Quantitative Disclosure

(₹ in crore)

Sr No.	Particulars	Currency Derivatives	
		31.03.2011	31.03.2010
i	Derivatives (Notional principal Amount)	434.63	538.74
	a) For Hedging	434.63	538.74
	b) For Trading	0.00	0.00
ii	Marked to Market Positions		
	A. Hedging	111.64	56.43
	a) Asset (+)	111.64	71.06
	b) Liability(-)	0.00	-14.63
	B. Trading	0.00	0.00
	a) Asset(+)	0.00	0.00
	b) Liability(-)	0.00	0.00
iii	Credit Exposure	119.67	109.32
iv	Likely Impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)	0.00	0.00
	a) On hedging derivatives	0.00	0.00
	b) On trading derivatives	0.00	0.00
v	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	0.00	0.00
	a) On hedging	0.00	0.00
	b) On trading	0.00	0.00

Bank is having Mark to Market Position of ₹ 111.64 Crore for a Derivative deal entered for hedging its foreign currency exposure. Net mark to market effect for this transaction is NIL for the bank.

12.4. आस्ति गुणवत्ता :

12.4.1. अनर्जक आस्ति

(₹ करोड़ों में)

	मद	2010-11	2009-10
(i)	निवल अग्रिम को निवल एनपीए (%)	0.38%	0.17%
(ii)	एनपीए का उतार चढ़ाव (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	487.87	368.14
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़	794.68	399.90
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	286.91	280.17
	(घ) अंतिम शेष	995.64	487.87
(iii)	एनपीए का उतार चढ़ाव		
	(क) प्रारंभिक शेष	95.72	79.22
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़	177.96	16.50
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
	(घ) अंतिम शेष	273.68	95.72
(iv)	एनपीए के प्रावधान के लिए प्रावधान का उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) प्रारंभिक शेष	391.86	288.34
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़	472.37	305.21
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	145.14	201.69
	(घ) अंतिम शेष	719.09	391.86

12.4. 2 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) :

(₹ करोड़ों में)

1	2	3	4	5
		31.03.2011 तक सकल एनपीए प्लस तकनीकी/विवेकपूर्ण/अपलेखन *	एनपीए के रूप में श्रेणीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य के डिमिन्यूशन के लिए प्रावधान मिलाकर रखे गये विशिष्ट प्रावधान एवं तकनीकी रूप/विवेकपूर्ण रूप में बढ़ते खातों में डाले गये @	(3) के (4) का अनुपात %
1.	अवमानक अग्रिम	561.49	268.26	47.78
2.	संदिग्ध अग्रिम (ए+बी+सी)	425.18	404.43	94.98
	ए 1 वर्ष से कम	306.07	287.01	93.77
	बी 1-3 वर्ष / Years	99.88	97.56	97.68
	सी 3 वर्ष से अधिक	19.86	19.86	100.00
3.	हानि आस्ति के रूप में श्रेणीकृत अग्रिम (8.34) + तकनीकी रूप से बट्टाकृत (708.08)	716.42	716.42	100.00
4.	कुल	1703.72	1389.11	81.53
5	अग्रिम के लिए फ्लोटिंग प्रावधान (टीयर II पूंजी के रूप में जिनका प्रयोग नहीं किया गया है)	0.00	38.06	0.00
6	प्राप्त डीआइसीजीसी/ईसीजीसी दावे एवं समायोजन हेतु लंबित रखे गये	0.00	2.87	0.00
7	प्राप्त आंशिक भुगतान एवं उचित लेखा में रखे गये या किसी अन्य खाते में	0.00	0.00	0.00
8	कुल	1703.72	1430.04	83.94
9	प्रावधान कवरेज अनुपात			83.94

* तकनीकी अथवा विवेकपूर्ण बढ़ते खाते डाली गई वह राशि है जो गैर-निष्पादक ऋण शाखा की बहियों में बकाया है परंतु प्रधान कार्यालय स्तर पर बढ़ते खाते डाले गए हैं (पूर्ण अथवा आंशिक रूप से)

@ एनपीए के रूप में वर्गीकृत पुनर्संचित खातों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधानों सहित रखे गए विशिष्ट प्रावधान.



12.4 Asset Quality

12.4.1 Non-Performing Asset

		(₹ in crore)	
	Items	2010-11	2009-10
(i)	Net NPA to Net Advances (%)	0.38%	0.17%
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	(a) Opening Balance	487.87	368.14
	(b) Additions during the year	794.68	399.90
	(c) Reductions during the year	286.91	280.17
	(d) Closing Balance	995.64	487.87
(iii)	Movement of Net NPAs		
	(a) Opening Balance	95.72	79.22
	(b) Additions during the year (Net)	177.96	16.50
	(c) Reductions during the year	0.00	0.00
	(d) Closing Balance	273.68	95.72
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	(a) Opening Balance	391.86	288.34
	(b) Additions during the year	472.37	305.21
	(c) Reductions during the year	145.14	201.69
	(d) Closing Balance	719.09	391.86

12.4.2 Provision Coverage Ratio (PCR):

		(₹ in crore)		
1	2	3	4	5
		Gross NPA@plus technical / prudential write-off* as on 31.03.2011 *	Specific Provisions held including provisions for diminution in fair value of the restructured accounts classified as NPAs plus technical / prudential write-off@	Ratio of (4) to (3)%
1.	Sub-Standard Advances	561.49	268.26	47.78
2.	Doubtful Advances (a+b+c)	425.18	404.43	94.98
A	< 1 year	306.07	287.01	93.77
B	1-3 Years	99.88	97.56	97.68
C	>3 years	19.86	19.86	100.00
3.	Advances classified as Loss Assets (8.34) + Technically Written-off (708.08)	716.42	716.42	100.00
4.	Total	1703.72	1389.11	81.53
5	Floating Provisions for Advances (only to the extent they are not used as Tier II Capital)	0.00	38.06	0.00
6	DICGC / ECGC claims received and held pending adjustment	0.00	2.87	0.00
7	Part payment received and kept in Suspense Account or any other similar account	0.00	0.00	0.00
8	Total	1703.72	1430.04	83.94
9	Provision Coverage Ratio			83.94

*Technical or prudential write off is the amount of non performing loans which are outstanding in the books of the branches but have been written off (fully or partially) at Head Office level.

@ Specific provisions held including provisions for diminution in fair value of the restructured accounts classified as NPAs plus technical/prudential write off.

12.4.3

ए) एनपीए का केन्द्रकरण

(₹ करोड़ों में)

शीर्ष वार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	115.37
---------------------------------------	--------

क्षेत्रवार एनपीए

क्रम सं	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम के एनपीए का प्रतिशत
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियाँ	1.12
2	उद्योग (माइक्रो एवं छोटे, मध्यम एवं बृहत्)	1.17
3	सेवा	1.74
4	वैयक्तिक ऋण	2.00

ग) एन पी ए का उतार-चढ़ाव

विवरण	राशि ₹ करोड़ों में
1 अप्रैल 2010 को सकल एनपीए	487.87
वर्ष के दौरान जोड़ (नये जोड़)	794.68
उप जोड़ (ए)	1282.55
कम करें:-	
(i) अपग्रेडेशन	47.17
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से वसूली को छोड़)	89.94
(iii) बट्टा खाता	149.80
उपजोड़ (बी)	286.91
परवर्ती वर्ष के 31 मार्च, 2011 को सकल एनपीए (ए-बी)	995.64

डी) समुद्रपार आस्तियाँ, एनपीए एवं राजस्व

राशि	(₹ करोड़ों में)
कुल आस्तियाँ	शून्य
कुल एनपीए	
कुल राजस्व	

12.4.4 पुनर्गठित खातों के विवरण

(₹ करोड़ों में)

आस्ति की प्रकृति	विवरण	सीडीआर मेकानिज्म	एमएसएमई ऋण पुनर्गठन	अन्य	कुल
पुनर्गठित	ऋणियों की संख्या	6	7451	33473	40930
मानक	बकाया राशि	158.55	152.81	1827.91	2139.27
अग्रिम	त्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	43.38	6.78	75.00	125.16
पुनर्गठित	ऋणियों की संख्या	0	8642	2421	11063
अवमानक	बकाया राशि	0	54.75	175.89	230.64
अग्रिम	त्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	0	1.47	2.55	4.02
पुनर्गठित	ऋणियों की संख्या	1	1801	2163	3965
संदिग्ध	बकाया राशि	21.73	12.08	99.07	132.88
अग्रिम	त्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	0	0.43	1.47	1.90
कुल	ऋणियों की संख्या	7	17894	38057	55958
	बकाया राशि	180.28	219.64	2102.87	2502.79
	त्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	43.38	8.68	79.02	131.08

त्याग/प्रावधान सहित उक्त प्रकटीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा प्रबंध द्वारा संग्रहित तथा प्रमाणित हैं।



12.4.3

A) Concentration of NPAs

(₹ in crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	115.37
---	--------

B) Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	1.12
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	1.17
3	Services	1.74
4	Personal Loans	2.00

C) Movement of NPAs

Particulars	(₹ in crore)
Gross NPAs as on 1st April, 2010	487.87
Additions (Fresh NPAs) during the year	794.68
Sub-total (A)	1282.55
Less:-	
(i) Up gradations	47.17
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	89.94
(iii) Write-offs	149.80
Sub-total (B)	286.91
Gross NPAs as on 31st March, 2011 (A-B)	995.64

D) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Total Assets	NIL
Total NPAs	
Total Revenue	

12.4.4 Particulars of Accounts Restructured

(₹ in crore)

Assets type	Particulars	CDR Mechanism	MSME Debt Restructuring	Others	Total
Standard advances restructured	No. of Borrowers	6	7451	33473	40930
	Amount outstanding	158.55	152.81	1827.91	2139.27
	Sacrifice (diminution in the fair value)	43.38	6.78	75.00	125.16
Sub standard advances restructured	No. of Borrowers	0	8642	2421	11063
	Amount outstanding	0	54.75	175.89	230.64
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0	1.47	2.55	4.02
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	1	1801	2163	3965
	Amount outstanding	21.73	12.08	99.07	132.88
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0	0.43	1.47	1.90
TOTAL	No. of Borrowers	7	17894	38057	55958
	Amount outstanding	180.28	219.64	2102.87	2502.79
	Sacrifice (diminution in the fair value)	43.38	8.68	79.02	131.08

The above disclosures including sacrifice/provisions is as per the guidelines issued by RBI and is compiled & certified by the management

12.4.5(क) वित्त वर्ष के दौरान आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के विवरण (₹ करोड़ों में)

मद	2010-11	2009-10
खातों की संख्या	शून्य	शून्य
एससी/आरसी को बेचे गये खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	शून्य	शून्य
सकल प्रतिफल	शून्य	शून्य
पूर्व वर्ष में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
निवल बही मूल्य पर सकल लाभ	शून्य	शून्य

(ख) अन्य बैंकों को/से बेची/खरीदी गये अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण
i) अन्य बैंकों को बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण (₹ करोड़ों में)

क्रम सं	विवरण	2010-11	2009-10
1	बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3	प्राप्त सकल प्रतिफल	शून्य	शून्य

ii) अन्य बैंकों से खरीदी गये अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण (₹ करोड़ों में)

क्रम सं	विवरण	2010-11	2009-10
1	क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख) बकाया कुल	शून्य	शून्य
2	क) जिसमें से खातों की संख्या वर्ष के दौरान पुनर्गठित	शून्य	शून्य
	ख) बकाया कुल	शून्य	शून्य
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

12.4.6 मानक आस्ति पर प्रावधान (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
मानक आस्ति पर प्रावधान	306.50	213.00
पुनर्गठित मानक आस्ति पर प्रावधान	131.09	59.53

12.5.1 व्यापार अनुपात

	2010-11	2009-10
(i) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.93	8.49
(ii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.97	1.29
(iii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	2.60	2.41
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल	1.36	1.39
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशि प्लस अग्रिम) (₹ करोड़ों में)	11.65	9.39
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ों में)	0.09	0.07

12.5.2 जमाओं का केन्द्रीकरण (₹ करोड़ों में)

20 बड़े जमा कर्ताओं की कुल जमा राशि	12297.67
बैंक की कुल जमा राशि के 20 बड़े जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	13.34

12.5.3 अग्रिमों का केन्द्रीकरण (₹ करोड़ों में)

20 बड़े ऋणियों का कुल अग्रिम	15513.28
बैंक की कुल जमा राशि के 20 बड़े ऋणकर्ताओं के ऋण का प्रतिशत	21.50%



12.4.5 (a) Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction during the financial year

(₹ in crore)

Item	2010-11	2009-10
(i) No. of accounts	Nil	Nil
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	Nil	Nil
(iii) Aggregate consideration	Nil	Nil
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v) Aggregate gain over net book value	Nil	Nil

(b) Details of non performing financial assets sold / purchased:

i) Details of non performing financial assets sold to other Banks

(₹ in crore)

Sl.No.	Particulars	2010-11	2009-10
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

ii) Details of non performing financial assets purchased from other Banks

(₹ in crore)

Sl.No.	Particulars	2010-11	2009-10
1	a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a) of these, no. of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

12.4.6 Provisions on Standard Assets

(₹ in crore)

Particulars	31st March-2011	31st March-2010
Provisions for Standard Assets	306.50	213.00
Provisions for Restructured Standard Assets	131.09	59.53

12.5.1 Business Ratios

Particulars	2010-11	2009-10
(i) Interest income as percentage to working funds	8.93	8.49
(ii) Non-interest income as percentage to working funds	0.97	1.29
(iii) Operating profit as percentage to working funds	2.60	2.41
(iv) Return on assets (%)	1.36	1.39
(v) Business* (deposits plus advances) per employee (₹ in crore)	11.65	9.39
(vi) Profit* per employee (₹ in crore)	0.09	0.07

*Based on the number of employees as on 31.03.2011.

12.5.2 Concentration of Deposits:

(₹ in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	12297.67
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	13.34

12.5.3 Concentration of Advances

(₹ in crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	15513.28
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	21.50%

12.5.4 एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ों में)

20 बड़े ऋणियों / ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	15523.29
ऋणियों/ग्राहकों के बैंक के कुल एक्सपोजर के 20 बड़े ऋणी/ग्राहक के एक्सपोजर का प्रतिशत	14.15%

12.5.5 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति एवं देयताओं की कुछ मर्दों का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ों में)

31.03.2011 को आस्ति एवं देयताओं की कुछ मर्दों का परिपक्वता पैटर्न

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15 to 28 दिन	29 दिन से 3 महीने तक	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	363.62	1930.29	1427.79	1276.87	15764.01	10279.37	15500.08	42977.38	1991.92	644.95	92156.29
ऋण एवं अग्रिम	349.65	1207.61	2118.88	2899.98	6501.55	5324.78	7990.74	27783.57	8342.02	8916.58	71435.36
निवेश	37.87	66.22	55.77	148.62	900.05	18.31	100.46	1717.19	3859.89	17305.50	24209.88
उधार	0.00	22.30	66.89	156.08	1225.10	1271.62	588.24	892.51	597.00	2820.00	7639.74
विदेशी मुद्रा आस्ति	502.76	30.40	44.33	75.95	261.10	535.42	94.59	0.00	0.00	0.00	1544.53
विदेशी मुद्रा देयता	75.38	23.07	69.36	159.24	638.11	1012.59	134.26	22.13	30.39	0.00	2164.51

प्रबंधन द्वारा संकलित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास में लिया गया

12.6.0 संवेदनशील क्षेत्र को ऋण

12.6.1. अचल संपदा श्रेणी को एक्सपोजर

(₹ करोड़ों में)

श्रेणी	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
i) आवासीय बंधक		
आवासीय संपत्ति पर बंधकों द्वारा ऋण रूप से प्रतिभूत जिसमें ऋणी है या रहेगा एवं किराये पर दिया गया है.		
- ₹ 20 लाख तक	3518.22	2721.18
- ₹ 20 लाख से अधिक	959.91	760.85
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित उधार		
कार्यालय भवन, रिटेल जगह, बहु उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, मल्टी टेनेंटेड वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस जगह, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण इत्यादि) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित सीमाएँ भी शामिल हैं.	3631.22	1635.88
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर		
क. आवासीय		
ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	2.70	3.27
ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनी (एचएसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर	1043.27	166.29
अचल संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	9155.32	5287.47



12.5.4 Concentration of Exposures

(₹ in crore)

Total exposure to twenty largest borrowers/customers	15523.29
Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the bank on borrowers/customers	14.15%

12.5.5 Asset Liability Management: Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ in crore)

Maturity pattern of certain items of Assets & Liabilities as on 31.03.2011

	Day 1	2-7 days	8-14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & upto 6 months	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 year & upto 3 years	Over 3 years & upto 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	363.62	1930.29	1427.79	1276.87	15764.01	10279.37	15500.08	42977.38	1991.92	644.95	92156.29
Loans/Advances	349.65	1207.61	2118.88	2899.98	6501.55	5324.78	7990.74	27783.57	8342.02	8916.58	71435.36
Investments	37.87	66.22	55.77	148.62	900.05	18.31	100.46	1717.19	3859.89	17305.50	24209.88
Borrowings	0.00	22.30	66.89	156.08	1225.10	1271.62	588.24	892.51	597.00	2820.00	7639.74
Foreign Currency Assets	502.76	30.40	44.33	75.95	261.10	535.42	94.59	0.00	0.00	0.00	1544.53
Foreign Currency Liabilities	75.38	23.07	69.36	159.24	638.11	1012.59	134.26	22.13	30.39	0.00	2164.51

As compiled by the management and relied upon by the Auditors

12.6 Lending to Sensitive Sector:

12.6.1. Exposure to Real Estate Sector Category

(₹ in crore)

Category	As on 31st March-2011	As on 31st March 2010
a) Direct exposure		
i) Residential Mortgages –		
Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;		
- Upto 20 Lakhs	3518.22	2721.18
- Above 20 Lakhs	959.91	760.85
(ii) Commercial Real Estate - Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.). Exposure would also include non- fund based (NFB) limits.	3631.22	1635.88
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		
a. Residential,	2.70	3.27
b. Commercial Real Estate.	—	—
b) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures to National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	1043.27	166.29
Total Exposure to Real Estate Sector	9155.32	5287.47

12.6.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर
(₹ करोड़ों में)

विवरण	2010-11	2009-10
(I) ईक्विटी शेयर परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड एवं ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड जिसका कार्पस कार्पोरेट ऋण में प्रत्येक रूप से निवेश नहीं किया जाता है, में प्रत्यक्ष निवेश.	147.04	140.87
II) ईक्विटी शेयर/आईपीओ (ईएओपीस) परिवर्तनीय बांड परिवर्तनीय डिबेंचर एवं ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के लिए व्यक्तियों को शेयर बांड/डिबेंचर अन्य प्रतिभूतियों पर या निर्बंध आधार पर अग्रिम	5.99	0.10
III) किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बांड परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के लिए व्यक्तियों को शेयर बांड/डिबेंचर या प्रारंभिक प्रतिभूतियों के रूप में लिया जाता है	0.77	0.56
IV) शेयरों के संपादित प्रतिभूति या जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बांड परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड द्वारा प्रतिभूत किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानी जहाँ प्रारंभिक प्रतिभूति परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों का अग्रिमों द्वारा संपूर्ण रूप से कवर नहीं किया जाता है, को छोड़कर	8.00	30.00
V) स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियाँ	122.10	3.35
VI) शेयर/बांड /डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर या संसाधन को जुटाने की आशा से नई कंपनियों की ईक्विटी को निर्बंध आधार पर प्रवर्तकों का अनुदान पूरा करने के लिए कार्पोरेटों को मंजूर ऋणा	0.00	0.00
VII) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह /निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	0.00	0.00
VIII) शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बांड परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड के संबंध में बैंकों द्वारा की गयी निम्न प्रतिबद्धताएँ	0.00	0.00
IX) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	0.10	0.00
X) वेंचर पूंजी निधियों को सभी एक्सपोजर (पंजीकृत एवं अपंजीकृत)	126.11	112.52
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर	410.11	287.40

12.6.3 जोखिम श्रेणी वार देशी एक्सपोजर
(₹ करोड़ों में)

जोखिम श्रेणी*	मार्च 31, 2011 को		मार्च 31, 2010 को	
	एक्सपोजर (निवल)	रखा गया प्रावधान	एक्सपोजर निवल	रखा गया प्रावधान
नगण्य (ए1)	953.41	शून्य	517.70	शून्य
कम (ए 2)	582.42	शून्य	479.11	शून्य
सामान्य से बहुत कम (बी 1)	101.13	शून्य	43.84	शून्य
सामान्य (बी 2)	शून्य	शून्य	1.35	शून्य
सामान्य से बहुत अधिक (सी 1)	4.36	शून्य	3.98	शून्य
उच्च (सी 2)	शून्य	शून्य	0.05	शून्य
अति उच्च (डी)	शून्य	शून्य	5.73	शून्य

12.6.4. बैंक द्वारा अतिक्रमित सिगल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) ग्रुप उधारकर्ता सीमा (जीबीएल)
(₹ करोड़ों में)

उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर सीलिंग	मंजूर सीमा	अवधि जिसके दौरान सीमा का अतिक्रमण हुआ	अवधि के दौरान बकाया राशि
-	-	-	-	-

बैंक ने किसी भी ग्रुप खातों में ग्रुप वार एक्सपोजर पर सीलिंग को पार नहीं किया है.

12.6.5 अनुसूची 9 में आरक्षित अग्रिमों में ऐसे अग्रिम सम्मिलित नहीं है जिन हेतु अमूर्त प्रतिभूतियों / आस्तियों को संपादित के रूप में लिया गया है.

12.6.6 बैंक द्वारा जारी चुकौती का आश्वासन पत्र (एल ओ सी): 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा ₹ 1874.40 करोड़ (₹ 1114.90 करोड़) के 726 चुकौती का आश्वासन पत्र जारी किए गए हैं. 31.03.2011 तक बकाया चुकौती आश्वासन पत्र ₹ 1528.93 करोड़ (₹ 383.83 करोड़) हैं.



12.6.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Particulars	As on 31st March-2011	As on 31st March 2010
(i) Direct investments in equity shares convertible debentures / bonds and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	147.04	140.87
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in equity shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	5.99	0.10
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	0.77	0.56
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds, i.e., where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures or units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	8.00	30.00
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	122.10	3.35
(vi) Loans sanctioned to corporate against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters' contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows /issues;	0.00	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	0.00	0.00
(ix) Financing to stock brokers for margin trading.	0.10	0.00
(x) All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered).	126.11	112.52
Total Exposure to Capital Market	410.11	287.40

12.6.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	As on March 31, 2011		As on March 31, 2010	
	Exposure (net)	Provision held	Exposure (net)	Provision held
Insignificant (A1)	953.41	NIL	517.70	NIL
Low (A2)	582.42	NIL	479.11	NIL
Moderately Low (B1)	101.13	NIL	43.84	NIL
Moderate (B2)	0.00	NIL	1.35	NIL
Moderate High (C1)	4.36	NIL	3.98	NIL
High (C2)	0.00	NIL	0.05	NIL
Very High (D)	0.00	NIL	5.73	NIL

12.6.4. Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank

(₹ in crore)

Name of the borrower	Exposure ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Maximum Amount outstanding during the period
--	--	--	--	--

The bank has not exceeded the ceiling for Single Borrower or Group Borrower wise exposures in any of the Group accounts.

12.6.5 Unsecured advances in schedule 9 do not include any advance for which intangible securities/assets has been taken as collaterals.

12.6.6 Disclosure of Letters of Comfort (LoC) issued by bank: During the year ended 31.03.2011, 726 Letters of Comfort have been issued by the bank amounting to ₹ 1,874.40 crore (₹ 1114.90 crore). The Letters of Comfort outstanding as on 31.03.2011 are amounting to ₹ 1528.93 crore (₹ 383.83 crore).

12.7. वर्ष के के लिए आय कर के लिए प्रावधान की राशि
(₹ करोड़ों में)

	2010-11	2009-10
आयकर के लिए प्रावधान	315.54	383.85
आस्थगित कर	184.31	6.00
धन कर	0.15	0.15

12.8 भारिबैंक द्वारा लगाये गये दंड

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान भारिबैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया .

13. सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस 17)
भाग ए: व्यवसाय सेगमेंट
(₹ करोड़ों में)

सेगमेंट वार परिणाम			
भाग ए	व्यापार सेगमेंट	2010-11	2009-10
1	सेगमेंट राजस्व		
	(क) राजकोष	1788.79	1603.45
	(ख) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	3824.47	2478.47
	(ग) रिटेल बैंकिंग	2887.18	2827.05
	(घ)अन्य बैंकिंग परिचालन	687.83	428.52
	कुल	9188.24	7337.49
	कम: इंटर सेगमेंट राजस्व		
	परिचालन से आय	9188.24	7337.49
2	सेगमेंट परिणाम		
	(क) राजकोष	469.75	437.74
	(ख) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	1004.34	597.20
	(ग) रिटेल बैंकिंग	758.20	669.34
	(घ)अन्य बैंकिंग परिचालन	180.77	105.54
	कुल	2413.06	1809.82
	कम: अन्य अनाबंटित व्यय	645.99	373.97
	कर पूर्व कुल लाभ	1767.07	1435.85
	आयकर एवं अन्य प्रदत्त कर	500.00	390.00
	निवल लाभ	1267.07	1045.85
3	सेगमेंट आस्तियाँ		
	(क) राजकोष	24204.00	20881.00
	(ख) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	42353.94	30063.81
	(ग) रिटेल बैंकिंग	25580.95	24956.04
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	3500.47	1093.66
	(ड.) कुल अनाबंटित आस्तियाँ	13261.36	13347.89
	कुल आस्तियाँ	108900.72	90342.40
4	सेगमेंट देयताएँ		
	(क) राजकोष	1843.79	1079.63
	(ख) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	24487.33	21349.12
	(ग) रिटेल बैंकिंग	47176.64	49290.79
	(घ)अन्य बैंकिंग परिचालन	20492.31	7048.30
	ड.) अनाबंटित देयताएं	8408.23	7164.52
	कुल	102408.30	85932.36
	पूँजी एवं प्रारक्षितियाँ	6492.42	4410.04
	कुल देयताएँ	108900.72	90342.40

(प्रबंधन द्वारा सकलित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास में लिया गया)

भाग वी: भौगोलिक सेगमेंट.

एक ही सेगमेंट, यानी घरेलू सेगमेंट है.



12.7. Amount of Provisions for Income-tax for the year

(₹ in crore)

Particulars	2010-11	2009-10
Provision for Income Tax	315.54	383.85
Deferred Tax	184.31	6.00
Wealth Tax	0.15	0.15

12.8. Penalties imposed by RBI

During the year ended 31st March, 2011, no penalty has been levied by RBI.

13. SEGMENT REPORTING (AS 17)

Part A: Business segments

(₹ in crore)

Segmentwise Results			
Part A	Business Segments	2010-11	2009-10
1	Segment Revenue		
	(a) Treasury	1788.79	1603.45
	(b) Corporate/Wholesale Banking	3824.47	2478.47
	(c) Retail Banking	2887.18	2827.05
	(d) Other Banking Operations	687.83	428.52
	Total	9188.24	7337.49
	Less: Inter Segment Revenue		
	Income from Operations	9188.24	7337.49
2	Segment Results		
	(a) Treasury	469.75	437.74
	(b) Corporate/Wholesale Banking	1004.34	597.20
	(c) Retail Banking	758.20	669.34
	(d) Other Banking Operations	180.77	105.54
	Total	2413.06	1809.82
	Less : Other Un-allocable Expenditure	645.99	373.97
	Total Profit Before Tax	1767.07	1435.85
	Income Tax and other taxes paid	500.00	390.00
	Net Profit	1267.07	1045.85
3	Segment Assets		
	(a) Treasury	24204.00	20881.00
	(b) Corporate/Wholesale Banking	42353.94	30063.81
	(c) Retail Banking	25580.95	24956.04
	(d) Other Banking Business	3500.47	1093.66
	(e) Un-allocable Assets	13261.36	13347.89
	Total Assets	108900.72	90342.40
4	Segment Liabilities		
	(a) Treasury	1843.79	1079.63
	(b) Corporate/Wholesale Banking	24487.33	21349.12
	(c) Retail Banking	47176.64	49290.79
	(d) Other Banking Operations	20492.31	7048.30
	(e) Un-allocable Liabilities	8408.23	7164.52
	Total	102408.30	85932.36
	Capital & Reserves	6492.42	4410.04
	Total Liabilities	108900.72	90342.40

Part B: Geographic segments. There is only one segment i.e. Domestic Segment

(Compiled by Management and relied upon by the Auditors)

14. संबंधित पार्टी प्रकटन (एएस 18)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारीकृत लेखामान 18 के संबंध में, जारीकृत परिपत्र सं. डीबीओडी नं बीपी.बीसी.72/21.04.018/2002-03 दिनांक 25.02.2003 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक सिद्धांतों के अनुपालन में संबंधित पार्टी प्रकटन के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं	नाम	संबंध	लेनदेन की प्रकृति	2010-11	2009-10
1	श्री आर. रामचन्द्रन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.09.2010 से)	पारिश्रमिक	831913	—
2	श्री आर.एस.रेड्डी	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.08.2010 तक)	पारिश्रमिक	1472013	1684778
3	श्री अनिल गिरोत्रा	कार्यपालक निदेशक	पारिश्रमिक	2094916	1322627
4	श्री ए.ए.ताज	कार्यपालक निदेशक	पारिश्रमिक	1545204	442062

बैंक की अनुषंगी आन्ध्र बैंक फइर्नैशियल सर्विसेस लिमिटेड एवं प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा : चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, ऋषिकुल्या ग्राम्य बैंक से संबंधित पार्टी प्रकटन के विवरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी छूट के कारण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

15. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ों में)

लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के शीर्ष के अंतर्गत दर्शाये गये प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप	2010-11	2009-10
(i) निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास	0.49	-41.34
(ii) अनर्जक आस्तियाँ	468.22	305.21
(iii) मानक आस्तियाँ	93.50	50.00
(iv) कर	315.69	384.00
(v) आस्थगित कर	184.31	6.00
(vi) अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ:		
क) पुनर्गठित अग्रिम	71.56	29.19
ख) अन्य प्रावधान	12.23	30.91
कुल	1146.00	763.97

16. फ्लोटिंग प्रावधान :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2010-11	2009-10
प्रारंभिक शेष	38.06	49.85
वर्ष के दौरान जोड	-	-
वर्ष के दौरान कमी (प्रयोजन एवं ड्राडाउन की गयी राशि)	-	*11.79
अंतिम शेष	38.06	38.06

*कृषि ऋण राहत एवं ऋण राहत योजना 2008 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उपयोग किया गया

17. प्रति शेयर उपार्जन (₹ 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)

विवरण	2010-11	2009-10
मूल ईपीएस (₹)	26.05	21.56
डाइल्यूटेड ईपीएस (₹)	26.05	21.56
मूल ईपीएस का परिकलन		
निवल लाभ (₹ करोड़ों में) असाधारण मदों व कुल करों को छोड़कर)	1267.07	1045.85
शेयरों की अधिभारिता औसत (करोड़ों में)	48.64	48.50
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	26.05	21.56



14. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

In compliance of Reserve Bank of India guidelines issued vide their circular No.DBOD.No.BP.BC.72/21.04.018/2002-03 dt.25.02.2003 in respect of Accounting Standard - 18 issued by the Institute of Chartered Accountants of India the details pertaining to Related Parties are as under :-

(Amount in ₹)

Sl. No	Name	Relationship	Nature of transaction	2010-11	2009-10
1	Sri R. Ramachandran	Chairman & Managing Director (From 01.09.2010)	Remuneration	831913	—
2	Sri R.S. Reddy	Ex-Chairman & Managing Director (Upto 31.08.2010)	Remuneration	1472013	1684778
3	Sri Anil Girotra	Executive Director	Remuneration	2094916	1322627
4	Sri A. A. Taj	Executive Director	Remuneration	1545204	442062

The details of related party disclosures of the bank's subsidiary viz Andhra Bank Financial Services Limited and the sponsored Regional Rural Banks viz., Chaitanya Godavari Grameena Bank and Rushikulya Gramya Bank are not furnished in view of the exemption given by the Reserve Bank of India.

15. PROVISIONS AND CONTINGENCIES

(₹ in crore)

Breakup of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account		2010-11	2009-10
(i)	Depreciation in value of Investments	0.49	-41.34
(ii)	Non Performing Assets	468.22	305.21
(iii)	Standard Assets	93.50	50.00
(iv)	Taxes	315.69	384.00
(v)	Deferred Tax	184.31	6.00
(vi)	Other provisions and contingencies:		
a)	Restructured advances	71.56	29.19
b)	Other provisions	12.23	30.91
TOTAL		1146.00	763.97

16. FLOATING PROVISIONS

(₹ in crore)

Particulars	2010-11	2009-10
Opening balance	38.06	49.85
Additions during the year	—	—
Reduction during the year (Purpose and amount of drawdown made)	—	*11.79
Closing balance	38.06	38.06

*Utilized as per RBI guidelines on Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme - 2008

17. EARNINGS PER SHARE (Face Value ₹ 10/- each)

Particulars	2010-11	2009-10
Basic EPS (₹)	26.05	21.56
Diluted EPS (₹)	26.05	21.56
Calculation of Basic E P S		
Net Profit (₹ In crore) (excluding extra ordinary items, net of taxes)	1267.07	1045.85
Weighted Average No. of Shares (in crore)	48.64	48.50
Basic Earnings per Share (₹)	26.05	21.56

18. कर्मचारी लाभ

i) रोजगारोपरांत लाभ एवं दीर्घावधि कर्मचारी लाभ की सारांशित स्थिति भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामान-15 (संशोधित) के अनुसार लाभ एवं हानि लेखा एवं तुलनपत्र में दी गयी मान्यता निम्नानुसार है।

ii) (क) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन: (₹ करोड़ों में)

कर्मचारी लाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेचुइटी (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	906.82	360.36	200.31
ब्याज लागत	94.82	28.83	16.03
नए विकल्पों हेतु पिछली सेवा लागत	74.14	13.42	7.00
प्रदत्त लाभ	865.35	—	—
बाध्यताओं पर बीमांकिक हानि (लाभ)	-106.95	-48.67	-30.79
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	249.88	161.44	37.76
	2084.06	515.38	230.31

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन: (₹ करोड़ों में)

कर्मचारी लाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेचुइटी (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष के प्रारंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	906.82	363.22	204.70
अभिग्रहण समायोजन	475.29	—	—
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	94.82	36.04	19.59
नियोक्ता का योगदान	716.57	164.79	40.00
प्रदत्त लाभ	-106.95	-48.67	-30.78
बाध्यताओं पर बीमांकिक हानि (लाभ)	0.69	—	—
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	2087.24	515.38	233.51

(ग) तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त राशि: (₹ करोड़ों में)

कर्मचारी लाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेचुइटी (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष की समाप्ति को बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	2084.06	515.38	230.31
वर्ष की समाप्ति को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	2087.24	515.38	233.51
तुलनपत्र में निवल देयता	—	—	—

(घ) लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त व्यय (₹ करोड़ों में)

कर्मचारी लाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेचुइटी (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्तमान सेवा लागत	74.14	13.42	7.00
नए विकल्पों हेतु पिछली सेवा लागत	865.35	—	—
ब्याज लागत	75.27	28.83	16.02
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	-94.82	-36.05	-19.59
वर्ष में मान्यता दी गयी बीमांकिक (लाभ/हानि)	272.09	161.44	37.76
लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता दी गयी कुल व्यय राशि	*1192.03	*167.64	41.19

* उक्त टिप्पणी सं.4 में वर्णित अनुसार च 506.65 करोड़ की अपरिशोधित राशि सहित



18. EMPLOYEE'S BENEFITS

i) The summarized position of post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard - 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India are as under :

(a) Changes in the present value of the obligations:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Present value of obligation as at the beginning of the year	906.82	360.36	200.31
Interest Cost	94.82	28.83	16.03
Current Service Cost	74.14	13.42	7.00
Past Service Cost for New Optees	865.35	--	--
Benefits Paid	-106.95	-48.67	-30.79
Actuarial loss/ (gain) on obligations	249.88	161.44	37.76
Present value of obligation at year end	2084.06	515.38	230.31

(b) Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	906.82	363.22	204.70
Acquisition Adjustments	475.29	--	--
Expected Return on Plan Assets	94.82	36.04	19.59
Employer's contribution	716.57	164.79	40.00
Benefits Paid	-106.95	-48.67	-30.78
Actuarial Loss/ (gain) on Obligations	0.69	--	--
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2087.24	515.38	233.51

(c) Amount recognized in Balance Sheet:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Estimated Present Value of Obligations as at the end of the year	2084.06	515.38	230.31
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	2087.24	515.38	233.51
Net Liability recognized in Balance Sheet	--	--	--

(d) Expenses recognized in Profit & Loss Account:

(₹ in crore)

	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Current Service Cost	74.14	13.42	7.00
Past Service Cost for New Optees	865.35	--	--
Interest Cost	75.27	28.83	16.02
Expected return on Plan Asset	-94.82	-36.05	-19.59
Net Actuarial (Gain)/ Loss recognized in the year	272.09	161.44	37.76
Total Expenses recognized in Profit & Loss Account/contributed to funds	*1192.03	*167.64	41.19

*Including unamortized amount of ₹ 506.65 crore as explained in note no. 4 above.

(ड) पेंशन निधि न्यास के निवेश विवरण
(₹ करोड़ों में)

केंद्र सरकार की प्रतिभूति	278.12
राज्य सरकार की प्रतिभूति	149.00
सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निवेश	1009.51
अन्य निवेश	66.60
बैंक शेष	584.01
कुल	2087.24

(च) तुलनपत्र की तारीख को मूल वीर्मांकिक अनुमान (अधिभारित औसत के रूप में उल्लिखित)

कर्मचारी लाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेचुइटी (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
बट्टा दर	8.41	8.00	8.00
योजना आस्ति पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.50	9.55	9.55
वेतनवृद्धि की प्रत्याशित दर	3.00	3.00	3.00
प्रयोग की गयी पद्धति	अनुमानित यूनिट ऋण	अनुमानित यूनिट ऋण	अनुमानित यूनिट ऋण

भविष्य में वेतनवृद्धि का अनुमान वास्तविक मूल्यांकन, मुद्रास्फीति पर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित घटक जैसे कर्मचारी बाजार में होने वाली आपूर्ति एवं मांग पर विचार किया गया है।

च) परिकलन के लिए निम्न प्रकार वित्तीय अनुमान पर विचार किया जाता है।

बट्टा दर:- बट्टा दर मूल्यांकन की तारीख को सरकारी बांडों पर बाजार आय को देखकर चुनी गयी है।

आय की प्रत्याशित दर : पेंशन एवं छुट्टी नकदीकरण के मामले में, आय की प्रत्याशित दर सरकारी बांडों पर आय के आधार पर ली गयी है।
उपदान और छुट्टी नकदीकरण के मामले में, प्रतिफल लिया गया है।

वेतनवृद्धि : बैंक द्वारा दिये गये विगत डाटा के आधार पर

(ज) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधि) सारणी
(₹ करोड़ों में)

	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण	रजत जयंती अवार्ड	रुग्ण छुट्टी	अनुग्रह राशि	रिलोकेशन व्यय
01.04.2010 को देयता	12.84	0.77	18.71	0.71	0.71
31.03.2011 को देयता	15.54	0.59	23.99	0.80	0.63
ट्रांजिशनल देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि को नामे की गयी राशि	2.70	-0.18	5.28	0.09	-0.08

(झ) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति:

31.03.2010 को देयता : ₹ 1.04 करोड

(ज) भविष्य निधि को अंशदान ₹ 11.67 करोड

19. आस्तियों का हानिकरण (ए एस28)

लेखामान 28 - आस्तियों के हानिकरण का परीक्षण (आईसीएआई द्वारा जारी) के पैराग्राफ 8 से 10 तक सूचीबद्ध के अनुसार किया गया है और इस प्रकार के परीक्षण पर यह पाया गया है कि बैंक के संबंध में इस प्रकार के कोई संकेत नहीं हैं। चूंकि संभाव्य हानिकरण के संकेत नहीं होने के कारण वसूल की जाने वाली राशि का औपचारिक अनुमान नहीं लगाया गया है।



(e) Investment details of Pension Fund Trust:

(₹ in crore)

Central Government Securities	278.12
State Government Securities	149.00
Investments in PSU	1009.51
Other Investments	66.60
Bank Balance	584.01
Total	2087.24

(f) Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):

Actuarial Assumptions	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Discount Rate	8.41	8.00	8.00
Expected Rate of Return on Plan Assets	8.50	9.55	9.55
Expected Rate of Salary Increase	3.00	3.00	3.00
Method Used	Projected unit credit	Projected unit credit	Projected unit credit

The estimate of future salary increase, considered in actuarial valuation, takes into account the inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

(g) The financial assumptions considered for the calculations are as under:-

Discount Rate: - The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of reporting.

Expected Rate of Return: In case of pension, the expected rate of return is taken on the basis of yield on government bonds. In case of gratuity and leave encashment the actual return has been taken.

Salary Increase: On the basis of past data.

(h) Other long term employees' benefits (Un-Funded)

(₹ in crore)

	LTC/LFC Encashment	Silver Jubilee Award	Sick Leaves	Ex-Gratia	Relocation Expenses
Liability as on 01.04.2010	12.84	0.77	18.71	0.71	0.71
Liability as on 31.03.2011	15.54	0.59	23.99	0.80	0.63
Transitional Liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount debited to Profit & Loss Account	2.70	-0.18	5.28	0.09	-0.08

(i) Short term employees' benefits:

Short term Compensated Absences: ₹ 1.04 crore

(j) Contribution to Provident Fund : ₹ 11.67 crore

19. IMPAIRMENT OF ASSETS (AS 28)

The indications listed in paragraphs 8 to 10 of Accounting Standard 28-'Impairment of Assets' (issued by the ICAI) have been examined and on such examination, it has been found that none of the indications are present in the case of the bank. A formal estimate of the recoverable amount has not been made, as there is no indication of a potential impairment loss.

20. प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रासंगिक आस्तियाँ (ए एस 29)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 29 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार नोट के समुचित स्थानों में महत्वपूर्ण प्रावधानों के संचलन के विवरण प्रकट किये गये हैं जो लेखों के भाग हैं।

21. लाभ एवं हानि लेखा में कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि मद शामिल नहीं है जिसे भारिबैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 5 के अनुसार प्रकट करने की आवश्यकता है।

22. भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में बैंक ने परिपक्व जमा पर ब्याज के संबंध में वर्ष के दौरान ₹ 0.45 करोड़ (₹ 31.48 करोड़) का प्रावधान किया है। ऐसी परिपक्व जमा हेतु प्रावधान की कुल राशि 31.03.2011 तक ₹ 31.93 करोड़ (₹ 31.48 करोड़) है।

23. अंतर बैंक तथा अंतर शाखा समायोजन 31 मार्च, 2011 तक किया है।

24. एस पी वी प्रायोजित ऑफ तुलन पत्र जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता है।

प्रायोजित एसापीवी का नाम	
घरेलू	समुद्रपार
शून्य	शून्य

25. अब तक बैंक निम्न विनियामक पूंजी प्रलेखों को वर्गीकृत कर रहा है :

अनुसूची 5- अन्य देयताएं

1. नवोन्मेषी परपेचुअल ऋण लिखत (आइपीडीआई)

2. गौण ऋण

फिर भी, भारिबैंक/2009-10/368 डीबीओडी.बीपी.बीसी. नं 81/21.01.002/2009.10 दिनांक 30.03.2010 के अनुसार अब ये अनुसूची -4 उधार के अंतर्गत श्रेणीकृत किये जा रहे हैं।

26. शिकायतों का प्रकटन एवं अकार्यान्वित बैंकिंग लोकपाल अवार्ड

क) ग्राहक शिकायत (नंबरों में)		ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड	
क) वर्ष के प्रारंभ में लंबित:	237	क) वर्ष के दौरान अकार्यान्वित	शून्य
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त	93943	ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित	10
ग) वर्ष के दौरान निवारण किया गया:	93244	ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित	09
घ) वर्ष अंत में लंबित:	936	घ) वर्ष अंत में अकार्यान्वित	01

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों में 78199 एटीएम संबंधी, 153 क्रेडिट कार्ड संबंधी, आरटीजीएस/नेफ्ट हेतु 1853, 8299 पेंशन संबंधी एवं 5439 सामान्य प्रकृति की शिकायतें शामिल हैं।

27. पिछले वर्ष के आकड़े, चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि के लिए, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः वर्गीकृत/पुनः श्रेणीकृत किया गया है। कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

(आर. रामचन्द्रन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक		ए ए ताज कार्यपालक निदेशक	
मधुलिका पी. सुकुल प्रेम प्रकाश पारीक एन वी आर रेड्डी	निदेशक के आर आनंदा के रघुरामन एन राजगोपाल रेड्डी	राजीव शेखर साहू मनोरंजन दास	डी जोगिराजु महा प्रबंधक	टी वी एस चंद्रशेखर उप महा प्रबंधक	वी सत्यनारायण मुख्य प्रबंधक

कृते वी एन केडिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001652 एन
(एस के केडिया)
साझेदार (स.संख्या.052579)

कृते रामन एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 02910एस
(जी वासुदेवन)
साझेदार (स.संख्या.020739)

कृते के के घई एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001342एन
(सुमीत घई)
साझेदार (स.संख्या.097893)

कृते राजु एण्ड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 003475 एस
(एम शिव राम प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.018943)

कृते के एस रामकृष्ण एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 02888 एस
(सीएच अमर सुधीर)
साझेदार (स.संख्या.201320)

कृते नटराज अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 002413एस
(जी प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.019617)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 05.05.2011



20. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS (AS 29)

As per the guidelines of AS-29 issued by ICAI, details of movement in significant provisions have been disclosed at the appropriate places in the notes forming part of the accounts.

- 21 There is no material prior period item included in Profit and Loss account which is required to be disclosed as per AS-5 issued by the Institute of Chartered Accountants of India read with RBI guidelines.
22. Pursuant to RBI guidelines, the bank has made a provision of ₹ 0.45 crore (₹ 31.48 crore) during the year in respect of interest on matured deposits. The total amount of provision kept for such matured deposits stands at ₹ 31.93 crore (₹ 31.48 crore) as on 31st March 2011.
23. Reconciliation of Inter Branch and Inter Bank transactions have been done up to 31st March 2011.
24. Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

25. Hitherto the Bank is classifying the following regulatory capital instruments under

Schedule 5- Other Liabilities:

- Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)
- Subordinated Debt.

However, pursuant to RBI guidelines vide RBI/2009-10/368 DBOD.BP.BC.No.81/21.01.002/2009-10 dated 30.03.2010, now the same are being classified under Schedule 4 - Borrowings.

26. Disclosure of complaints and unimplemented awards of Banking Ombudsman

a) Customer complaints (in numbers)		b) Awards passed by the Banking Ombudsman (in numbers)	
a) Pending at the beginning of the year:	237	a) Unimplemented at the beginning of the year:	0
b) Received during the year:	93943	b) Passed by the Banking Ombudsman during the year:	10
c) Redressed during the year:	93244	c) Implemented during the year:	09
d) pending at the end of the year:	936	d) Unimplemented at the end of the year:	1

The total complaints received during the year include 78199 number of complaints for ATM, 153 for Credit Card, 1853 for RTGS/NEFT, 8299 for Pension and 5439 of general nature.

27. Previous year figures have been regrouped / reclassified /rearranged wherever necessary to conform to current year's figures. Figures in the brackets indicate figures of previous year.

R. Ramachandran Chairman & Managing Director			Anil Girotra Executive Director		A.A. Taj Executive Director	
<u>Directors</u>			D. Jogiraju General Manager			
Madhulika P. Sukul	K.R. Ananda	Rajib Sekhar Sahoo	T.V.S. Chandrasekhar Deputy General Manager		V. Satyanarayana Chief Manager	
Prem Prakash Pareek	K. Raghuraman	Manoranjan Das				
N.V.R. Reddy	N. Raja Gopal Reddy					

For B.N. KEDIA & CO
Chartered Accountants
FRN-001652N
(S.K. Kedia)
Partner (M. No. 052579)

For RAMAN ASSOCIATE
Chartered Accountants
FRN-02910S
(G. Vasudevan)
Partner (M. No.020739)

For K.K.GHEI & CO
Chartered Accountants
FRN-001342N
(Sumit Ghei)
Partner (M.No. 097893)

For RAJU & PRASAD
Chartered Accountants
FRN-003475S
(M. Siva Ram Prasad)
Partner (M. No.018943)

For K.S.RAMAKRISHNA & CO
Chartered Accountants
FRN-02888S
(Ch. Amar Sudheer)
Partner (M No. 201320)

For NATARAJA IYER & CO
Chartered Accountants
FRN-002413S
(G. Prasad)
Partner (M. No.019617)

Place : Hyderabad
Date : 05.05.2011

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति महोदय,

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने आन्ध्रा बैंक के दिनांक 31 मार्च 2011 के संलग्न वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है। इन विवरणियों में 31.03.2011 को तुलनपत्र तथा लाभ हानि लेखा और उस अवधि के नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त सार तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणियों में प्रस्तुत हैं, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं तथा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1416 शाखाओं की विवरणियाँ हैं। हमने तथा अन्य लेखा परीक्षकों ने जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की, उनका चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया गया। साथ में 196 शाखाएँ और 18 सेवा केंद्र जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गयी, में विवरणियों को तुलनपत्र एवं लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया गया है। इन गैर लेखा परीक्षित शाखाओं में अग्रिम का 0.35 प्रतिशत, जमाराशि का 3.42 प्रतिशत, ब्याज आय का 0.24 प्रतिशत एवं ब्याज व्यय का 2.79 प्रतिशत है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है। इस उत्तर दायित्व में, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए संबद्ध आंतरिक नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो धोखाधड़ी या त्रुटियों की वजह से वस्तु स्थिति से अलग नहीं है, शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संबंध में राय देना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी किये गये लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन स्तरों के अनुसार हमसे यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनायें और लेखा परीक्षा करें कि ये वित्तीय विवरणियाँ

वस्तु स्थिति से अलग नहीं हैं।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में किये गये प्रकटनों तथा राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों के संबंध में जांच आधार पर किया गया परीक्षण सम्मिलित है। लेखा परीक्षा के लिए चयन की गयी प्रक्रिया का स्वरूप लेखा परीक्षक के विवेकाधीन पर निर्भर करता है। वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वस्तु स्थिति विसंगतियों के जोखिम का निर्धारण भी इसमें शामिल है। ऐसे जोखिम निर्धारण करते समय, लेखा परीक्षक परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार करने हेतु बैंक के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणियों का उचित रूप से प्रस्तुतीकरण पर भी विचार करेगा। प्रयोग की गयी लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किये गये लेखानुमानों की उपयुक्तता तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित हैं।

5. हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा प्रमाण प्राप्त किये हैं, लेखा परीक्षा के बारे में अपनी राय हेतु पर्याप्त और समुचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

राय

6. हमारी राय में, जैसा कि बैंक की बहियों में दिखाया गया है, हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार

अ) तुलन पत्र, उसके अनुसूचियों समेत संपूर्ण एवं सही तुलन पत्र है एवं उचित रूप से बनाया गया है और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा स्तरों के अनुसार है ताकि 31 मार्च, 2011 को बैंक के कार्यकलापों का सही चित्र दर्शाया जा सके।

ख) भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुरूप खातों द्वारा कवर किये गये वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ के साथ पढ़ते हुए लाभ एवं हानि लेखा लाभ का सही शेष प्रकट करता है ; और

ग) उक्त दिन को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण सही और समुचित चित्र दर्शाता है।

महत्वपूर्ण विषय

7. हम अपनी राय बताये बिना निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं -



AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of the Andhra Bank as at 31st March 2011 which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2011 and the Profit and Loss account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are returns of 20 branches audited by us, 1416 branches audited by other auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss account are the returns from 196 branches and 18 service centers which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.35 % of advances , 3.42% of deposits, 0.24% of interest income and 2.79% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of

the risks of material misstatements of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us.

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2011, in conformity with accounting principles generally accepted in India.

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. **Without qualifying our opinion, we draw attention to:-**

(i) Note no. 4 of Schedule 18 regarding deferment of pension and gratuity liability to the extent of ₹ 506.65 crores pursuant to exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standards (AS) 15, "Employee Benefits" vide its circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits - Prudential Regulatory Treatment.

(ii) Note no 5(a)(i) of Schedule 18 regarding the claim lodged by the bank with Government of India under



- 1) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पुनः पेंशन विकल्प तथा ग्रेजुइटी सीमा में वृद्धि पर अपने परिपत्र संख्या डी.बी.ओ.डी./बी.पी./बी.सी/80/21.04.018/2010-11 द्वारा लेखा मानकों (ए.एस)15, *कर्मचारी सुविधाएं* के प्रवधानों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू करने की छूट के अनुपालन में रु.506.65 करोड़ की सीमा तक पेंशन और उपदान देयता से संबंधित आस्थगन के संबंध में अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 4 - विवेक पूर्ण विनियामक व्यवहार.
 - 2) कृषि ऋण छूट तथा ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत बैंक द्वारा भारत सरकार से दावे के संबंध में अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 6(क)(i)
 - 3) एच एफ टी से ए एफ एस श्रेणी तथा इसके विपरीत अंतरण वाली प्रतिभूतियों पर मल्यहास हेतु लेखा नीति में परिवर्तन के संबंध में टिप्पणी संख्या 12.2.3(ग).
- अन्य विधि तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट
8. तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म क एवं ख में दिए हैं.
 9. बैंकिंग कंपनी (उपक्रम के अंतरण एवं अभिग्रहण) अधिनियम, 1980 द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा उक्त पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा की सीमा तक तथा उसमें निहित प्रकटन की सीमा तक भी, हम निम्नलिखित सूचित करते हैं :
 - 1) हमने सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है जोकि लेखा के उद्देश्य हेतु हमारी उत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक था तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया.
 - 2) हमारे ध्यान में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंदर हैं.
 - 3) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणों हमारे लेखा के उद्देश्य हेतु सामान्यतया पर्याप्त पाई गयी हैं तथा जहाँ प्राप्त विवरणों में विवरण अपूर्ण/अपर्याप्त है, हमने प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण तथा सूचना पर विश्वास किया है.
 10. हमारी राय में तुलन पत्र लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप है.

कृते बी एन केडिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001652 एन
(एस के केडिया)
साझेदार (स.संख्या.052579)

कृते रामन एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 02910एस
(जी वासुदेवन)
साझेदार (स.संख्या.020739)

कृते के के घई एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001342एन
(सुमीत घई)
साझेदार (स.संख्या.097893)

कृते राजु एण्ड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 003475 एस
(एम शिव राम प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.018943)

कृते के एस रामकृष्ण एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 02888 एस
(सीएच अमर सुधीर)
साझेदार (स.संख्या.201320)

कृते नटराज अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 002413एस
(जी प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.019617)



Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008.

(iii) Note No. 12.2.3.(c) regarding change in Accounting Policy for depreciation on transferring securities from H.F.T. to A.F.S. category and vice versa.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitation of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and subject also to the limitation of disclosure required therein, we report that: -

(i) we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit and have found them to be satisfactory.

(ii) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

(iii) the returns received from the offices and branches of the Bank have been generally found adequate for the purposes of our audit and where the particulars in the returns received were incomplete/inadequate, we have relied upon the information and explanations furnished by the Management.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For B.N. KEDIA & CO
Chartered Accountants
FRN-001652N
(S.K. Kedia)
Partner (M. No. 052579)

For RAMAN ASSOCIATE
Chartered Accountants
FRN-02910S
(G. Vasudevan)
Partner (M. No.020739)

For K.K.GHEI & CO
Chartered Accountants
FRN-001342N
(Sumit Ghei)
Partner (M.No. 097893)

For RAJU & PRASAD
Chartered Accountants
FRN-003475S
(M. Siva Ram Prasad)
Partner (M. No.018943)

For K.S.RAMAKRISHNA & CO
Chartered Accountants
FRN-02888S
(Ch. Amar Sudheer)
Partner (M No. 201320)

For NATARAJA IYER & CO
Chartered Accountants
FRN-002413S
(G. Prasad)
Partner (M. No.019617)

Place : Hyderabad
Date : 05.05.2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी

(₹ 000. में)

विवरण	31/03/2011	31/03/2010
नकदी और नकदी तुल्य का अथ शेष	111676566	52875014
नकदी और नकदी तुल्य का इति शेष	104589507	111676566
अवधि के दौरान नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि / कमी	-7087059	58801552
परिचालनगत कार्यों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	17670697	14358483
जोड़ : संपत्ति पर मूल्यह्रास	1074350	1019965
जोड़ : गौण ऋण पर ब्याज	2792157	2426725
घटावें : आस्तियों की बिक्री पर लाभ	8562	5471
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	21528642	17799702
परिचालक आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन		
जमा में वृद्धि / (कमी)	144680740	182981880
उधारों में वृद्धि / (कमी)	17872982	15212079
निवेश में (वृद्धि) / कमी	-33230007	-39698866
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	-153218510	-119742475
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	-2675983	451603
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	1456515	2833142
परिचालन से जनरेटेड नकदी	-3585621	59837065
प्रदत्त कर	-8927296	-4637042
परिचालनगत कार्यों से नकदी प्रवाह (ए)	-12512917	55200023
निवेशी कार्यों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की (खरीदी) / बिक्री	-684223	-1218110
निवेशी कार्यों से नकदी प्रवाह (बी)	-684223	-1218110
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्रीमियम सहित ईक्विटी पुंजी	11730000	0
गौण ऋण पर पदत्त ब्याज	-2792157	-2426725
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर मिलाकर)	-2827762	-2553416
गौण ऋण की जारी / शोधन (निवल)	0	9800000
वित्तीय कार्यों से नकदी प्रवाह (सी)	6110081	4819639
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में निवल वृद्धि / कमी (ए)+(बी)+(सी)	-7087059	58801552

आर. रामचन्द्रन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृते बी एन केडिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001652 एन
(एस के केडिया)
साझेदार (स.संख्या.052579)

कृते के के घई एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001342एन
(सुमीत घई)
साझेदार (स.संख्या.097893)

कृते के एस रामकृष्ण एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 02888 एस
(सीएच अमर सुधीर)
साझेदार (स.संख्या.201320)

कृते रामन एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 02910एस
(जी वासुदेवन)
साझेदार (स.संख्या.020739)

कृते राजु एण्ड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 003475 एस
(एम शिव राम प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.018943)

कृते नटराज अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 002413एस
(जी प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.019617)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 05.05.2011



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

(₹ in '000s)

Particulars	Year Ended 31-03-2011	Year Ended 31-03-2010
Opening balance of Cash and Cash equivalents	111676566	52875014
Closing balance of Cash and Cash equivalents	104589507	111676566
Net Increase(+) / Decrease (-) of Cash and Cash equivalents during the period	-7087059	58801552
Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit before tax	17670697	14358483
Add: Depreciation on Assets	1074350	1019965
Add: Interest on Subordinated Debt	2792157	2426725
Less: Profit on Sale of Assets	8562	5471
Operating Profit before changes in Operating Assets and Liabilities	21528642	17799702
Adjustment for Changes in Operating Assets and Liabilities		
Increase / (Decrease) in Deposits	144680740	182981880
Increase / (Decrease) in Borrowings	17872982	15212079
(Increase) / Decrease in Investments	-33230007	-39698866
(Increase) / Decrease in Advances	-153218510	-119742475
(Increase) / Decrease in Other Assets	-2675983	451603
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	1456515	2833142
Cash Generated from Operations	-3585621	59837065
Taxes Paid	-8927296	-4637042
Cash Flow from Operating Activities (A)	-12512917	55200023
Cash Flow from Investing Activities		
(Purchase) / Sale of Fixed assets	-684223	-1218110
Cash Flow from Investing Activities (B)	-684223	-1218110
Cash Flow from Financing Activities		
Equity Capital including Premium	11730000	0
Interest paid on Subordinated debts	-2792157	-2426725
Dividend paid (including tax on dividend)	-2827762	-2553416
Issue / Redemption of Subordinated Debts (net)	0	9800000
Cash Flow from Financing Activities (C)	6110081	4819639
Net Increase (+) / Decrease (-) in Cash flow during the period (A)+(B)+(C)	-7087059	58801552

R. Ramachandran
Chairman & Managing Director

For B.N. KEDIA & CO
Chartered Accountants
FRN-001652N
(S.K. Kedia)
Partner (M. No. 052579)

For K.K.GHEI & CO
Chartered Accountants
FRN-001342N
(Sumit Ghei)
Partner (M.No. 097893)

For K.S.RAMAKRISHNA & CO
Chartered Accountants
FRN-02888S
(Ch. Amar Sudheer)
Partner (M No. 201320)

For RAMAN ASSOCIATE
Chartered Accountants
FRN-02910S
(G. Vasudevan)
Partner (M. No.020739)

For RAJU & PRASAD
Chartered Accountants
FRN-003475S
(M. Siva Ram Prasad)
Partner (M. No.018943)

For NATARAJA IYER & CO
Chartered Accountants
FRN-002413S
(G. Prasad)
Partner (M. No.019617)

Place : Hyderabad
Date : 05.05.2011

हमारे विकास का विहंगावलोकन

(₹ करोड में)

वर्ष / पैरामीटर	1969*	1980*	मार्च-08	मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11
शाखाओं की संख्या	155	627	1366	1432	1557	1632
बिजनेस डेलिवरी चैनल की संख्या	155	754	2128	2248	2502	2676
कर्मचारी की संख्या	2163	7585	13387	14255	14292	14098
निवल लाभ	0.06	1	576	653	1046	1267
कुल जमा राशियाँ	52	666	49437	59390	77688	92156
निवल अग्रिम #	35	356	34238	44139	56114	71435
निवेश \$	16	170	14988	17103	20906	24210
पूंजी	0.5	1	485	485	485	560
प्रारक्षित एवं अधिशेष	0.4	4.9	2764	3162	3925	5933
कार्यकारी निधि	58	708	56592	68469	90342	108901
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	-	128	13298	14955	19012	23082

प्रावधानों का निवल

\$ पूर्व मूल्य ह्रास

* बैंकों के राष्ट्रीयकरण के वर्ष

** आन्ध्रा बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष



OUR PROGRESS AT A GLANCE

(Amount ₹ in crore)

Year / Parameters	1969*	1980**	Mar-08	Mar-09	Mar-10	Mar-11
No. of Branches	155	627	1366	1432	1557	1632
No. of Business Delivery Channels	155	754	2128	2248	2502	2676
Staff Strength	2163	7585	13387	14255	14292	14098
Net Profit	0.06	1	576	653	1046	1267
Total Deposits	52	666	49437	59390	77688	92156
Net Advances #	35	356	34238	44139	56114	71435
Investments \$	16	170	14988	17103	20906	24210
Capital	0.5	1	485	485	485	560
Reserves & Surplus	0.4	4.9	2764	3162	3925	5933
Working Funds	58	708	56592	68469	90342	108901
Priority Sector Advances	-	128	13298	14955	19012	23082

Net of Provisions

\$ Pre-Depreciation

* Year of nationalisation of Banks

**Year of nationalisation of Andhra Bank

मुख्य निष्पादन अनुपात

	मार्च 2011 (प्रतिशत में)	मार्च 2010 (प्रतिशत में)
पूंजी पर्याप्तता		
1. जोखिम आस्ति अनुपात को पूंजी (सीआरएआर) (भारिबैंक द्वारा निर्धारित मानदंड 9%)	14.38	13.93
2. कवरेज अनुपात	5.71	4.78
3. निवल संपत्ति में निवल एनपीए	4.22	2.17
आस्ति की गुणवत्ता		
1. कुल निवेशों में सरकारी प्रतिभूतियाँ	93.87	94.55
2. निवल अग्रिमों का निवल एनपीए	0.38	0.17
3. कुल आस्तियों में तुलनपत्र की बाह्य मदें	33.15	43.75
4. कुल अग्रिमों में मानक आस्तियाँ	98.62	99.14
5. कुल आस्तियों में निवल एनपीए	0.25	0.11
प्रबंधन की गुणवत्ता		
1. सकल बैंक ऋण - कुल जमा अनुपात	78.46	73.05
2. कुल आस्तियों में वृद्धि	20.54	32.00
3. उत्पादकता (₹ लाखों में)	959.45	769.32
4. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाखों में)	8.99	7.32
अर्जन		
1. कुल आय में गैर ब्याज आय	9.76	13.15
2. आस्तियों पर प्रतिफल	1.36	1.39
3. निवल ब्याज मार्जिन	3.80	3.21
4. आय में लागत का अनुपात	41.40	42.72
5. कुल ब्याज आय में स्टाफ लागत का अनुपात + अन्य आय	26.81	26.08
6. अग्रिमों पर औसत प्रतिफल	11.16	10.92
7. कूपन आधारित निवेशों पर औसत प्रतिफल	6.87	7.38
8. औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ	2.60	2.41
चलनिधि		
1. कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियाँ	20.86	21.84
2. कुल आस्तियों में नकद	0.42	0.48
3. कुल आस्तियों में कुल निवेश	22.23	23.10



KEY PERFORMANCE RATIOS

	March, 2011 (in percentage)	March 2010 (in percentage)
Capital Adequacy		
1. Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) (prescribed norm by RBI 9%)	14.38	13.93
2. Coverage Ratio	5.71	4.78
3. Net NPAs to Net Worth	4.22	2.17
Asset Quality		
1. Govt. Securities to Total Investments	93.87	94.55
2. Net NPAs to Net Advances	0.38	0.17
3. Off Balance Sheet Items to Total Assets	33.15	43.75
4. Standard Advances to Total Advances	98.62	99.14
5. Net NPAs to Total Assets	0.25	0.11
Management Quality		
1. Gross Bank Credit to Aggregate Deposit	78.46	73.05
2. Growth in Total Assets	20.54	32.00
3. Productivity (₹ in Lakhs)	959.45	769.32
4. Profit per employee (₹ in Lakhs)	8.99	7.32
Earnings		
1. Non interest Income to Total Income	9.76	13.15
2. Return on Assets	1.36	1.39
3. Net interest Margin	3.80	3.21
4. Ratio of Cost to Income	41.40	42.72
5. Staff cost to Net Interest income + other income	26.81	26.08
6. Average Yield on Advances	11.16	10.92
7. Average yield on Coupon based Investments	7.38	6.87
8. Operating Profit to Average Working Funds	2.60	2.41
Liquidity		
1. Govt. Securities to Total Assets	20.86	21.84
2. Cash to Total Assets	0.42	0.48
3. Total investments to Total Assets	22.23	23.10

आन्ध्र बैंक का संक्षिप्त वित्तीय विवरण - विदेशी मुद्रा में

31 मार्च 2011 का तुलन-पत्र

(दोनों मुद्राओं के मामले में तुलन पत्र के दिन को लागू भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित दर के अनुसार अमेरिकी डालर में परिवर्तित भारतीय रुपये, यानी, 1 अमेरिकी डालर = ₹ 44.65)

पूंजी व देयताएँ	(भारतीय रुपये, करोड़ में)	(यूएस \$ मिलियन में)
पूंजी	559.58	125.33
प्रारक्षितियाँ एवं अधिशेष	5932.84	1328.74
जमाराशियाँ	92156.28	20639.70
उधार	7639.74	1711.03
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	2612.28	585.06
कुल	108900.72	24389.86
आस्तियाँ		
भारिबैंक में नकद एवं शेष	7184.41	1609.05
बैंकों में शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर मुद्रा	3274.55	733.38
निवेश	24204.00	5420.83
अग्रिम	71435.36	15998.96
अचल आस्तियाँ	317.50	71.11
अन्य आस्तियाँ	2484.91	556.53
कुल	108900.72	24389.86
प्रासंगिक देयताएँ	36105.90	8086.43
वसूली के लिए बिल	3062.08	685.80
31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा		
आय		
अर्जित ब्याज	8291.28	1856.95
अन्य आय	896.96	200.89
कुल	9188.23	2057.84
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	5070.31	1135.57
परिचालनगत ब्याज	1704.86	381.83
प्रावधान व प्रासंगिकताएँ	1145.99	256.66
कुल	7921.16	1774.06
विनियोजन		
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण	316.92	70.98
पूंजी प्रारक्षितियों को अंतरण	4.40	0.99
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण	400.00	89.59
विशेष प्रारक्षितियों को अंतरण	96.00	21.50
प्रस्तावित लाभांश	307.77	68.93
लाभांश पर कर	49.93	11.18
तुलन पत्र को ले जाया गया	292.71	65.56



ABRIDGED FINANCIAL STATEMENT OF ANDHRA BANK IN FOREIGN CURRENCY

BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2011

(Amount in Indian Rupee converted into US dollar at RBI Reference rate for two currencies applicable as on the date of balance sheet i.e. US \$ 1 = Indian ₹ 44.65)

CAPITAL AND LIABILITIES	(Indian Rupees in crore)	(US \$ in million)
Capital	559.58	125.33
Reserves & Surplus	5932.84	1328.74
Deposits	92156.28	20639.70
Borrowings	7639.74	1711.03
Other Liabilities & Provisions	2612.28	585.06
Total	108900.72	24389.86
Assets		
Cash & Balances with RBI	7184.41	1609.05
Balances with banks and Money at call and short notice	3274.55	733.38
Investments	24204.00	5420.83
Advances	71435.36	15998.96
Fixed Assets	317.50	71.11
Other Assets	2484.91	556.53
Total	108900.72	24389.86
Contingent Liabilities	36105.90	8086.43
Bills for collection	3062.08	685.80
Profit and Loss account for the year ended 31.03.2011		
Income		
Interest earned	8291.28	1856.95
Other Income	896.96	200.89
Total	9188.23	2057.84
Expenditure		
Interest Expended	5070.31	1135.57
Operating Expenses	1704.86	381.83
Provisions & Contingencies	1145.99	256.66
Total	7921.16	1774.06
Appropriations		
Transfer to Statutory Reserve	316.92	70.98
Transfer to Capital Reserve	4.40	0.99
Transfer to Revenue & Other Reserves	400.00	89.59
Transfer to Special Reserve	96.00	21.50
Proposed Dividend	307.77	68.93
Tax on Dividend	49.93	11.18
Balance carried over to Balance Sheet	292.71	65.56

सांख्यिकीय रूपरेखा STATISTICAL PROFILE
शाखाओं का वर्गीकरण - जनसंख्या समूहवार CLASSIFICATION OF BRANCHES - POPULATION GROUP WISE

क्षेत्र/राज्य/सं.शा. Region/State/U.T.	मार्च 2010 के अंत तक शाखाएँ Branches as at the end of March 2010	2010-2011 के दौरान खोली गयी शाखाएँ Branches Opened during 2010-2011	ग्रामीण Rural	अर्धशहरी Semi Urban	शहरी Urban	महानगरीय Metro	मार्च 2011 की समाप्ति को शाखाएँ Branches as at the end of March 2011
उत्तर क्षेत्र Northern Region	82(1)	6		8	34	46	88
हरियाणा Haryana	19	3		4	18		22
पंजाब Punjab	10	1		3	5	3	11
राजस्थान Rajasthan	8(1)	2			7	3	10
चंडीगढ़ (सं.शा.) Chandigarh (UT)	4			1	3		4
नई दिल्ली New Delhi	40					40	40
जम्मू एंड कश्मीर Jammu & Kashmir	1				1		1
उत्तर पूर्व क्षेत्र North Eastern Region	5			1	4		5
असम Assam	4			1	3		4
मेघालय Meghalaya	1				1		1
पूर्वी क्षेत्र Eastern Region	150(6)	8	40(1)	51	53(1)	14(2)	158(4)
बिहार Bihar	9(1)	1		1	8(1)	1	10(1)
झारखंड Jharkhand	9	1		4	6		10
ओड़ीशा Odisha	106(3)	6	39(1)	44	29		112(1)
सिक्किम Sikkim	1			1			1
पश्चिम बंगाल West Bengal	25(2)		1	1	10	13(2)	25(2)
मध्य क्षेत्र Central Region	57	3		6	42	12	60
छत्तीसगढ़ Chattisgarh	7	1		1	7		8
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	14				8	6	14
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	30	2		2	24	6	32
उत्तराखंड Uttarakhand	6			3	3		6
पश्चिम क्षेत्र Western Region	84(2)	7	2	8	40	41(1)	91(1)
गोवा Goa	4			4			4
गुजरात Gujarat	17	3		1	12	7	20
महाराष्ट्र Maharashtra	62(2)	4	1	3	28	34(1)	66(1)
दादर नगर हवेली Dadra Nagar Haveli (UT)	1		1				1
दक्षिण क्षेत्र Southern Region	1179(39)	51	390(2)	382(3)	305(14)	153(1)	1230(20)
आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	1025(32)	40	382(2)	345(3)	252(13)	86(1)	1065(19)
कर्नाटक Karnataka	59(4)	4	1	6	19	37	63
केरल Kerala	23(1)			13	10(1)		23(1)
तमिलनाडु Tamilnadu	69(2)	7	7	16	23	30	76
पांडिच्चेरी (सं.शा.) Puducherry (UT)	3			2	1		3
कुल Total	1557(48)	75	432(3)	456(3)	478(15)	266(4)	1632(25)

टिप्पणी: कोष्ठकों में आंकड़े विस्तार काउंटर सूचित करते हैं। वर्ष 2010-2011 के दौरान 23 विस्तार काउंटर पूर्णांग शाखा के रूप में परिवर्तित किये गये हैं।

Note: Figures in brackets indicate Extension Counters. 23 Extension Counters converted as full fledged branches during 2010-11



अनुषंगी का वित्तीय विवरण

अनुषंगी के संलग्न लेखे भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अधीन हैं.

FINANCIAL STATEMENTS OF SUBSIDIARY

आन्ध्रा बैंक फाइनैशियल सर्विसेस लिमिटेड

Andhra Bank Financial Services Ltd.



आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK

आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

31.03.2011 को तुलन पत्र BALANCE SHEET AS ON 31.03.2011

(Amount in ₹)

विवरण Particulars	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
निधि का स्रोत Source of Funds :			
शेयर पूँजी Share Capital	1	50,000,000	50,000,000
प्रारक्षितियाँ और अधिशेष Reserves & Surplus	2	-	-
प्रतिभूत ऋण Secured Loans		-	-
		50,000,000	50,000,000
निधि का विनियोजन Application of funds:			
अचल आस्तियाँ Fixed Assets	3		
सकल ब्लॉक Gross Block		3,181,953	3,181,953
घटाएँ : संचित मूल्यह्रास Less: Accumulated Depreciation		3,180,453	3,179,735
निवल ब्लॉक Net Block		1,500	2,218
चालू आस्तियाँ Current Assets :			
व्यापार में स्टॉक Stock in Trade	4	311,857	382,720
विविध देनदार Sundry Debtors	5	—	—
नकद एवं बैंक शेष Cash & Bank balances	6	131,746,735	120,800,397
अन्य चालू आस्तियाँ Other Current Assets	7	31,000	1,008,327
ऋण और अग्रिम Loans & Advances	8	111,700,881	113,914,429
कुल चालू आस्तियाँ Total Current Assets (A)		243,790,473	236,105,873
चालू देयताएँ एवं प्रावधान Current Liabilities & Provisions			
चालू देयताएँ Current Liabilities	9	924,532	924,532
प्रावधान Provisions	10	368,897,621	368,310,677
कुल चालू देयताएँ Total Current Liabilities (B)		369,822,153	369,235,209
निवल चालू आस्तियाँ Net Current Assets (A - B)		(126,031,680)	(133,129,336)
लाभ एवं हानि लेखा - हानि Profit & Loss Account - Loss		176,030,180	183,127,118
		50,000,000	50,000,000
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes to Accounts	15		
लेखा नीतियाँ: Accounting policies	16		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों के अभिन्न अंग हैं Schedules referred above form integral part of Accounts

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

कृते किशोर एंड वेंकट एसोसियेट्स

FOR KISHORE & VENKAT ASSOCIATES

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

K.S.R.ANJANEYULU
PARTNER
M.NO.216283

ANIL GIOTRA
CHAIRMAN

R.J. VAIDYANATHAN
DIRECTOR

S. SURYANARAYANA
DIRECTOR

K.S. RAMAKRISHNAN
DIRECTOR

Y. PRAMEELA
RANI
DIRECTOR

B. NARENDRANATHA
REDDY
DIRECTOR

T. UMAMAHESWARA RAO
MANAGING DIRECTOR

K .RAYAR
COMPANY SECRETARY

स्थान Place : हैदराबाद Hyderabad

दिनांक Date: 25-04-2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2011

(Amount in ₹)

विवरण Particulars	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2011	31.03.2010
आय INCOME:			
निवेश व्यापार Investment Business	11	(70,863)	165,984
जमा पर व्याज Interest on Deposits	12	9,703,497	10,329,026
अन्य आय Other Income	13	3,762,001	290,397
		13,394,635	10,785,407
व्यय EXPENSES:			
परिचालन एवं प्रशासन व्यय Operating & Administrative Expenses	14	5,687,184	1,560,948
मूल्यहास Depreciation		718	718
		5,687,902	1,561,666
कर से पहले निवल लाभ/(हानि) Profit/(loss) Before Taxation		7,706,733	9,223,741
घटाये : कर हेतु प्रावधान - चालू वर्ष Less: Provision for Taxation - current year		1,428,832	1,425,059
कर के पश्चात लाभ Profit after tax		6,277,901	7,798,682
जोड़ें : कर हेतु प्रतिलेखित किये गये अनावश्यक प्रावधान Add: Provision for taxation no longer required written back.		-	60
घटाएँ: पूर्व निर्धारण वर्ष के आयकर Add/(Less): Income Tax for earlier Asst. Yrs		819,037	(66,565)
कर के बाद लाभ (हानि) Profit / (loss) after Taxation		7,096,938	7,732,177
पिछले वर्ष से लाया गया हानि: (Loss) b/f from previous year		(183,127,118)	(190,859,295)
तुलन पत्र को ले जायी गयी हानि (Loss) carried to Balance Sheet		(176,030,180)	(183,127,118)
प्रत्येक ₹10/- के पूँजी शेयर का अर्जन मूल/अवमिश्रित किया गया Earnings per equity share of ₹10 each basic / diluted (in ₹)		1.42	1.55

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखे के अभिन्न अंग हैं Schedules referred above form integral part of Accounts

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

कृते किशोर एंड वेंकट एसोसियेट्स

FOR KISHORE & VENKAT ASSOCIATES

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

K.S.R.ANJANEYULU
PARTNER
M.NO.216283

ANIL GIROTRA
CHAIRMAN

R.J. VAIDYANATHAN
DIRECTOR

S. SURYANARAYANA
DIRECTOR

K.S. RAMAKRISHNAN
DIRECTOR

Y. PRAMEELA
RANI
DIRECTOR

B. NARENDRANATHA
REDDY
DIRECTOR

T. UMAMAHESWARA RAO
MANAGING DIRECTOR

K .RAYAR
COMPANY SECRETARY

स्थान Place : हैदराबाद Hyderabad

दिनांक Date: 25-04-2011



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

(Amount in ₹)

विवरण Particulars	31.03.2011	31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE 1 : अंश पूंजी SHARE CAPITAL :		
रु. प्राधिकृत पूंजी Authorized Capital		
(₹10/- प्रत्येक के 1,00,00,000 शेयर 1,00,00,000 shares of ₹10/- each)	100,000,000	100,000,000
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी ₹ 10/- के पूर्ण प्रदत्त 50,00,000 इक्विटी शेयर Issued, Subscribed & Paid up Capital 50,00,000 equity shares of ₹10/- each fully paid up.	50,000,000	50,000,000
अनुसूची SCHEDULE 2 : प्रारक्षितियाँ और अविशेष RESERVES & SURPLUS :		
लाभ और हानि लेखा Profit & Loss Account		
आगे ले जाया गया शेष. Balance b/f	(183,127,118)	(190,859,295)
जोड़/ (घटाएँ) लाभ/ (हानि) Add/(Less): Profit/(Loss)	7,096,938	7,732,177
	(176,030,180)	(183,127,118)
अनुसूची SCHEDULE 3 : अचल आस्तियाँ FIXED ASSETS :		
स्वाधिकृत आस्तियाँ Owned Assets :		
कार्यालय उपकरण Office Equipment	7,270	7,270
फर्नीचर एवं फिटिंग Furniture & Fittings	35,791	35,791
कम्प्यूटर Computers	12,500	12,500
पट्टे पर दी गयी आस्तियाँ Assets given on lease :		
संयंत्र एवं मशीन Plant & Machinery	3,126,392	3,126,392
सकल ब्लॉक Gross Block	3,181,953	3,181,953
घटाएँ: संचित मूल्यह्रास Less : Accumulated Depreciation	3,180,453	3,179,735
निवल ब्लॉक: Net Block	1,500	2,218

मार्च, 31, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु मूल्यह्रास विवरण
DEPRECIATION STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2011
कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV (एसएलएम) के अनुसार
As per Schedule XIV of The Companies Act, 1956 (SLM)

(राशि ₹ में Amt. in ₹)

Assets	Gross Block			Depreciation				Net Block	
	Balance as on 01.04.2010	Additions during the year	Deletions	Total as on 31.03.2011	Total upto 31.3.2010	For the year	Total upto 31.3.2011	As on 31.03.2011	As on 31.3.2010
A. Owned Assets									
Office Equipments	7,270	-	-	7,270	6,142	345	6,487	783	1128
Furniture & Fittings	35,791	-	-	35,791	34,703	373	35,076	715	1088
Computers	12,500	-	-	12,500	12,499	0	12,499	1	1
Total owned Assets	55,561	-	-	55,561	53,344	718	54,062	1499	2217
B. Assets given on lease									
Plant & Machinery	3,126,392	-	-	3,126,392	3,126,391	0	3,126,391	1	1
Total A + B	3,181,953	-	-	3,181,953	3,179,735	718	3,180,453	1500	2218
Previous Year	3,181,953	-	-	3,181,953	3,179,017	718	3,179,735	2,218	2,936

आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

(Amount in ₹)

विवरण Particulars	31.03.2011	31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE 4 : व्यापार में स्टॉक STOCK-IN-TRADE :		
शेयर एवं प्रतिभूतियों का स्टॉक Stock of Shares & Securities:		
- कंपनी द्वारा पहले से धारित Already held by the company	311,857	382,720
(लागत या बाजार मूल्य पर जो भी कम हो) (अनुसूची 15 का नोट 4 देखें)		
(At cost or market value whichever is less) (Refer Note 4 Schedule 15)		
	311,857	382,720
अनुसूची SCHEDULE 5 : विविध देनदार SUNDRY DEBTORS :		
अप्रतिभूत व अच्छे माने गये Unsecured Considered Good	—	—
छ महीने से पुराने नहीं Not over six months old	—	—
व्यापार देनदार Trade Debtors	—	—
छ माह से अधिक पुराने Over Six months old	—	—
अन्य ऋण Other Debts	—	—
अप्रतिभूत, संदिग्ध माना गया Unsecured, Considered Doubtful	—	—
छः मास से पुराने Over Six months old	—	—
पट्टे देनदार Lease Debtors (Incab Industries Ltd)	1,435,014	1,435,014
घटायें: प्रावधान Less Provision made	1,435,014	1,435,014
	-	-
अनुसूची SCHEDULE 6 : नकद और बैंक शेष CASH AND BANK BALANCES :		
क. अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष A. Bank Balances with scheduled Banks		
i) चालू खातों में In Current Accounts	2,246,735	2,300,397
ii) मीयादी जमाओं में In Deposit Accounts	129,500,000	118,500,000
iii) फुटकर नकद Petty Cash		--
	131,746,735	120,800,397
अनुसूची SCHEDULE 7 : अन्य चालू आस्तियाँ OTHER CURRENT ASSETS :		
अनुसूचित बैंकों में जमा पर उपचित ब्याज Interest accrued on deposits with scheduled banks		--
अप्रतिभूत अच्छा माना गया Unsecured, Considered Good	-	-
नकद व माल के रूप में अग्रिम जिसका मूल्य प्राप्त करना है	31,000	1,008,327
Advances in cash or in kind for value to be received.		
	31,000	1,008,327
अनुसूची SCHEDULE 8 : ऋण और अग्रिम LOANS AND ADVANCES :		
अप्रतिभूत अच्छा माना गया Unsecured Considered Good		
प्रदत्त अग्रिम आयकर Advance Income Tax Paid	107,172,033	107,260,783
अग्रिम कर- अनुषंगी लाभ Advance Tax- Fringe benefit	6,800	15,591
प्रतिभूतियों पर टीडीएस TDS on Securities	-	183,280
बैंक जमा पर टीडीएस TDS on Bank Deposits	4,522,048	6,057,224
लाभांश पर टीडीएस TDS on Dividends	-	397,550
	111,700,881	113,914,429
अनुसूची SCHEDULE 9 : चालू देयताएँ CURRENT LIABILITIES :		
विविध लेनदार खाता टीएनपीएल Sundry Creditors A/c TNPL	880,412	880,412
विविध लेनदार खाता टीएनपीएल Sundry Creditors - TDS Payable	4,412	4,412
व्यय के लिए प्रावधान Provision for expenses (Statutory & Tax Audit Fee for 2010-11)	39,708	39,708
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान Provision for Gratuity	-	-
	924,532	924,532



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.
(Amount in ₹)

विवरण Particulars	31.03.2011	31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE 10 : प्रावधानPROVISIONS :		
दावों के लिए प्रावधान Provision for Claims	360,736,930	360,736,930
आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income Tax F.Y 2007-08 (A.Y 2008-09)	5,300,000	5,300,000
आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income Tax F.Y 2008-09 (A.Y 2009-10)	—	833,097
आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income Tax F.Y 2009-10 (A.Y 2010-11)	1,425,059	1,425,059
आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income Tax F.Y 2010-11 (A.Y 2011-12)	1,428,832	—
एफबीटी के लिए प्रावधान Provision for F.B.T. F.Y.2007-08 (A.Y 2008-09)	6,800	6,800
एफबीटी के लिए प्रावधान Provision for F.B.T. F.Y.2008-09 (A.Y 2009-10)	—	8,791
	368,897,621	368,310,677
अनुसूची SCHEDULE 11 : निवेश व्यापारINVESTMENT BUSINESS :		
प्रारंभिक स्टॉक Opening Stock	382,720	216,736
घटाएँ: अंतिम स्टॉक Less Closing Stock	311,857	382,720
	(70,863)	165,984
अर्जन/ व्यापार निवेश का निवल Earnings/Net of Inv. business		
अनुसूची SCHEDULE 12 : जमा पर ब्याज INTEREST ON DEPOSITS :		
बैंक जमा पर ब्याज Interest on Bank Deposits (Gross)	9,703,497	10,329,026
(स्रोत पर काटा गया कर Tax deducted at source ₹ 970,202/- पिछले वर्ष Previous year ₹ 1,032,903/-)	9,703,497	10,329,026
अनुसूची SCHEDULE 13 : अन्य आय OTHER INCOMES :		
लाभांश आय Dividend Income	7,500	—
आय कर वापसी पर ब्याज Interest on Income Tax Refund	3,754,501	290,397
	3,762,001	290,397
अनुसूची SCHEDULE 14 : परिचालन और प्रशासनिक व्यय OPERATING & ADMINISTRATIVE EXPENSES		
वेतन और भत्ते Salaries & Allowances	814,831	479,779
एलटीसी/छुट्टी नकदीकरण LTC / Encashment of Leave	55,066	—
भविष्य/पेशन निधि को अंशदान Contribution to Provident / Pension Fund	74,519	29,868
ग्रेच्युटी Gratuity	36,254	24,956
स्टाफ कल्याण व्यय और चिकित्सा सहायता Staff Welfare Expenses and Medical aid	21,203	16,964
किराया परिसर Rent- Premises	24,000	24,000
किराया परिसर - एम डी बार्टर्स Rent- MD Quarters	75,752	67,452
डाकखर्च, टेलीफोन एवं टेलीग्राम Postage, Telephone & Telegrams	10,987	6,237
यात्रा एवं वाहन Travelling & Conveyance	181,247	147,670
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक Auditor's Remuneration Statutory Audit	27,575/-	
कर लेखा Tax Audit	16,545/-	
	44,120	44,120
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क Legal and Professional fees	3,309,853	614,959
विधिक एवं पेशेवर शुल्क -फुटकर व्यय Legal & Professional - Out of pocket expenses	4,188	1,462
मुद्रण एवं लेखन सामग्री Printing & Stationery	14,393	13,361
शेयर अंतरण व्यय Share Transfer Expenses	—	693
विविध व्यय Miscellaneous Expenses	43,444	89,427
अशोध्य ऋण - अपलिखित Bad Debts - written of	977,327	—
	5,687,184	1,560,948



अनुसूची 15 : लेखों पर टिप्पणियाँ

1. अंतर कार्पोरेट जमा राशियों पर ब्याज - कुद्रेमुख आइरन ओर कं. लिमिटेड का खाता - वर्ष 2003-2004 के दौरान कंपनी (एबीएफएसएल) एवं मेसर्स कुद्रेमुख आइरन ओर कं. लिमिटेड (केआईओसीएल) के बीच विवाद को निपटाया गया. तथापि, सभी देयताओं के भुगतान के बाद, यदि कुछ बचता है तो अन्य पीएसयू के साथ केआईसीओएल भी आईसीडी की परिपक्वता तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज के लिए समानुपातिक आधार पर दावा करने का अधिकार रखता है.

2. क) अगस्त 1999 में तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड (टीएनपीएल) द्वारा कंपनी के विरुद्ध समापन याचिका दायर की गयी. कंपनी ने मद्रास उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की. कंपनी ने मूलधन एवं ब्याज के रूप में संविदा की तारीख तक टीएनपीएल को ₹ 6.21 करोड. अदा किया. कंपनी ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में ₹ 10.50 करोड. की राशि जमा की. दायर की गयी अपील स्वीकार की गयी एवं टीएनपीएल द्वारा दायर समापन याचिका बर्खास्त की गयी एवं आ.प्र के उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्याहृत माना गया है.

कंपनी द्वारा दायर अपील पर 13.7.2004 को मद्रास उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई एवं कंपनी को टीएनपीएल से निपटान के लिए एक सप्ताह के अंदर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया. टीएनपीएल ने सूचित किया कि उनके निदेशक मंडल ने कम्पनी द्वारा दिये गये ऑफर को स्वीकार नहीं किया है. मामले की सुनवाई तय की गयी और पूरे हो गये. निर्णय 20.04.2006 को सुनाया गया. न्यायालय ने डिक्री पूर्व ब्याज, पेंडेंट लाइट ब्याज एवं भविष्य के ब्याज के रूप में जमा की देय तिथि तक संविदा दर पर 12% की अनुमति दी है. डिक्री के अनुसार, टीएनपीएल को लगभग ₹ 429 लाख वापस करनी है.

उच्च न्यायालय के आदेशों से व्यथित होकर टीएनपीएल ने माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका दायर की जिसे स्वीकार किया गया तथा सुनवाई हेतु 15.12.2010 निश्चित हुई जिसमें सर्वोच्च नयायालय ने मामले में मध्यस्थता का आदेश दिया.

भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों के अनुसार दोनों कंपनी में 5 बार मध्यस्थता बैठक हुई. अंततः दोनों कंपनी एकबारगी निपटान हेतु सहमत हुई याने कथित मामले में टीएनपीएल को एबीएफएसएल को 5.4.2011 को पूर्ण एवं अंतिम भुगतान के रूप में ₹ 490 लाख का भुगतान करना है.

तदनुसार टीएनपीएल ने एबीएफएसएल के खाते में 5.4.2011 को ₹ 490 लाख जमा करा दिए. मध्यस्थकर्ता ने मामले के समापन हेतु समझौता-ज्ञापन सहित अपनी रिपोर्ट भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की है. कंपनी (एबीएफएसएल) भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है. कंपनी की लेखा नीति के अनुसार यह राशि प्राप्ति के वर्ष में आय मानी जाएगी.

ख) टीएनपीएल ने आश्वस्तित प्रतिलाभ तथा वास्तविक प्रतिलाभ के बीच ब्याज के अंतर की ₹ 5.50 करोड की राशि तथा वसूली तक वाद पत्र की तिथि से ₹ 1.88 करोड की राशि पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज एवं लागत हेतु 31.7.1995 को मद्रास के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की.

माननीय उच्च न्यायलय ने दि 02 अप्रैल, 2001 को निर्णय दिया तथा डिक्री में निर्णय की तिथि से वसूली की तिथि तथा ₹ 1.88 करोड की राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज एवं लागत सहित ₹ 366.02 लाख की राशि हेतु आदेश पारित किया.

टीएनपीएल ने ब्याज के अनुमत भाग से व्यथित होकर मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की (309/01).

एबीएफएसएल ने वाद की डिक्री से व्यथित होकर अन्य पक्ष अपील (328/01) की है जिसे कंपनी (एबीएफएसएल) द्वारा डिक्री की राशि की एक-तिहाई राशि ₹ 1.42 करोड तथा ₹ 80,351 जमा करवाने पर डिवीजन बेंच मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया.

21 जनवरी, 2010 को, विद्वान न्यायाधीशों ने टीएनपीएल द्वारा दायर ओ एस ए 309/01 को सहर्ष अस्वीकार किया तथा हमारी कंपनी (एबीएफएसएल) द्वारा दायर ओ एस ए 328/01 को आंशिक रूप से अनुमति दी. कंपनी (एबीएफएसएल) टीएनपीएल को वसूली तक 2.4.2001 से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित ₹ 8,80,412/- देने हेतु बाध्य है.

कथित आदेश से व्यथित होकर, टीएनपीएल ने भारत के उच्चतम न्यायालय में 2010 के 11659-11660 एसएलपी (सी) दायर की तथा 1.3.2011 को अवकाश प्रदान किया गया.

तब तक, 5.4.2010 को, एबीएफएसएल ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका 2718 ऑफ 2010 दायर की तथा अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एबीएफएसएल द्वारा टीएनपीएल को दी जाने वाली राशि के समायोजन के पश्चात् लागू ब्याज सहित मद्रास उच्च न्यायालय में पूर्व में जमा राशि लौटाई जाए.

दिनांक 29.9.2010 को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एबीएफएसएल की याचिका पर विचार किया गया तथा उच्च न्यायालय के दिनांक 21.1.2010 निर्णय के अनुसार टीएनपीएल को 8.10.2010 से पूर्व एबीएफएसएल को राशि के भुगतान का आदेश दिया.

मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 29.9.2010 के कथित निर्णय से व्यथित होकर टीएनपीएल मामला भारतीय उच्चतम न्यायालय में ले गए तथा सुनवाई के पश्चात् न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय में एबीएफएसएल को देय राशि जमा कराने की शर्त पर टीएनपीएल को दिनांक 7.10.2010 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया.

मद्रास उच्च न्यायालय में एबीएफएसएल की याचिका 2718 ऑफ 2010 दि 27.10.2010 को बन्द की गयी चूंकि टीएनपीएल ने भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुदेश के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय में ₹ 2.51 करोड की राशि जमा करा दी थी .



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

SCHEDULE 15 : NOTES TO ACCOUNTS:

1. Interest on Inter Corporate Deposits A/c M/s. Kudremukh Iron Ore Co Ltd. The dispute between the Company (ABFSL) and M/s. Kudremukh Iron Ore Co Ltd [KIOCL] was settled during the year 2003-04. However, KIOCL has reserved right to claim on pro-rata basis along with other PSUs in case of surplus arising after meeting all liabilities, for the interest from the date of maturity of Inter Corporate Deposits up to the date of payment.

2. a) A winding up petition against the Company (ABFSL) was filed by Tamilnadu Newsprint and Papers Limited [TNPL] in August 1999. As per the decree, the Company (ABFSL) filed an other side appeal before the Division Bench of Madras High Court. Further, the Company (ABFSL) repaid TNPL ₹ 6.21 crore being principal and interest upto the contracted date. The Company (ABFSL) deposited ₹10.50 crore with the Hon'ble Madras High Court. The appeal filed was admitted and the winding up petition filed by TNPL was dismissed and treated as withdrawn by AP, High Court.

The appeal filed by the Company (ABFSL) came up for hearing on 13.07.2004 before the Division Bench of Madras High Court and the Hon'ble High Court passed the orders to permit the Company (ABFSL) to submit its offer for settlement to TNPL within a week. The Company (ABFSL) submitted its offer. TNPL has informed that their Board of Directors has not accepted the offer given by the Company (ABFSL). The case was posted for hearing arguments and counter arguments were completed. The judgment was announced on 20.04.2006. The court has allowed interest at contract rate up to due date of deposits and at 12% as pre decree interest, pendent lite interest as well as future interest. As per the decree TNPL has to refund around ₹ 429 lacs.

Aggrieved by the said High Court order, TNPL moved the matter in the Supreme Court of India by filing Special Leave Petition, which was admitted and the case listed for hearing on 15.12.2010, where in Supreme court ordered the case for mediation.

As per the directions of Supreme Court of India, both the companies attended for mediation meetings on five occasions. Finally, both Companies agreed to settle the issue by way of one time settlement i.e. TNPL has to pay ₹ 490 lacs to ABFSL on 05.04.2011 as full and final settlement in the said case.

Accordingly, TNPL deposited the amount of ₹ 490 lacs in ABFSL account on 05.04.2011. The Ld. Mediator has sent his report along with Memorandum of Settlement to Supreme Court of India for closure of the case. The Company (ABFSL) is awaiting order from Supreme Court of India. This amount will be treated as income in the

year of receipt as per accounting policy of the Company.

b) TNPL filed a suit in the High Court of Madras on 31.07.1995, for a sum of ₹ 5.50 crore being the difference of interest between the assured return and the actual return and further interest at 24% per annum on amount of ₹ 1.88 crore from date of plaint till realization and for costs.

The Hon'ble High Court passed the judgment on dt. 2nd April 2001 and the suit was decreed for a sum of ₹366.02 lakhs together with interest at 12% p.a. on the sum of ₹ 1.88 crore from the date of judgment till the date of realization and for costs.

TNPL, aggrieved by the disallowed portion of the interest has preferred other side appeal (309/01) before Division Bench of Madras High Court.

ABFSL, aggrieved by the decreeing of the Suit, has preferred other side appeal (328/01), which was admitted by the Division Bench Madras High Court on depositing of ₹ 1.42 crore and ₹ 80,351 being one third of the decretal amount by the Company (ABFSL).

On 21st January 2010, the Learned Judges were pleased to dismiss the OSA 309/01 preferred by TNPL and were pleased to partly allow OSA 328/01 preferred by our Company (ABFSL). As per the Judgment, The Company (ABFSL) is liable to pay ₹ 8,80,412/- along with interest at 12% p.a. from 02.04.2001 to TNPL till realization.

Aggrieved by the said order, TNPL filed SLP(C) 11659-11660 of 2010 before Supreme Court of India and Leave was granted on 01.03.2011.

In the meantime, on 05.04.2010, ABFSL filed a petition 2718 of 2010 in Madras High Court, with a request to refund the money deposited earlier in the Madras High Court (₹ 1.42 cr) along with applicable interest, after adjustment of money to be paid by the ABFSL to TNPL as per High Court order.

The petition of ABFSL was considered by Madras High Court on 29.09.2010 and ordered TNPL to pay the amount to ABFSL before 08.10.2010 as per the High Court Judgment dt. 21st January 2010.

Aggrieved by the said order of Madras High Court dt. 29.09.2010, TNPL moved the matter in Supreme Court of India and after hearings the Court granted interim stay to TNPL on 07.10.2010 subject to depositing the amount payable to ABFSL in Madras High Court.

The petition of ABFSL 2718 of 2010 at Madras High Court was closed on 27.10.2010, since TNPL deposited a sum of ₹ 2.51 crores in Madras High Court as per the direction of Supreme Court of India.



ग. अक्टूबर, 1992 से ₹ 45.29 लाख पट्टा किराए की वसूली हेतु मेसर्स इनकैब इंडस्ट्रीज लि. के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर मुकदमा तृतीय विवाचक की नियुक्ति हेतु बकाया है। तब तक मेसर्स इनकैब इंडस्ट्रीज लि. ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कंपनी (एबीएफएसएल) ने बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष एक याचिका दायर की जिसने कंपनी (एबीएफएसएल) को इनकैब इंडस्ट्रीज लि. के पास पट्टाकृत मशीनरी के अधिग्रहण की अनुमति दी है। किंतु कर्मचारी यूनियन मशीनरी लेने का इसलिए विरोध कर रही है कि कुछ इच्छुक पार्टियाँ इनकैब इंडस्ट्रीज लि. के समामेलन हेतु बातचीत कर रही हैं। बीआईएफआर के समक्ष पुनर्वास प्रक्रिया अभी प्रक्रियारत है। अतएव, मामला कुछ और समय हेतु आस्थगित हो गया है। चूंकि दि 31.3.2011 को मशीनरी की रखाव-लागत 1/- ₹ है तथा मूल्य लागत से कहीं कम है, मशीनरी पर अनर्जक हानि नहीं है।

घ. कंपनी (एबीएफएसएल) ने 1997 में संविदागत तिथि तक ब्याज सहित मेसर्स मिश्रधातु निगम लि (मिधानी) द्वारा 1992 में ₹ 4.00 करोड़ की कुल अंतर कार्पोरेट जमा लौटा दिए हैं। मिधानी ने रसीद को 1997 में पूर्ण एवं अंतिम समझौता माना परंतु बाद में संविदागत तिथि के पश्चात ब्याज हेतु दावा किया है। कंपनी द्वारा (एबीएफएसएल) ब्याज के भुगतान हेतु इंकार करने पर मिधानी ने विवाद पर समिति से संपर्क किया है (सीओडी) जिसने मिधानी को विवाचक की स्थाई मशीनरी (पीएमए) के पास भेजा जिनके पास मामला बकाया है। कंपनी (एबीएफएसएल) के विधि अभिमत के अनुसार मिधानी का दावा मानने योग्य नहीं है तथा इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ड वर्ष 1994 के दौरान कंपनी (एबीएफएसएल) ने दि 28.9.1994 के समझौते के अनुसार ₹ 100 लाख प्रत्येक की मूल सीमा तक दिल्ली वित्तीय निगम को आईसीडी 153 तथा 155 राशि का भुगतान कर दिया है कि देय तिथि तक संविदागत ब्याज का भुगतान अन्य सभी पीएसयू को आईसीडी की मूल एवं ब्याज राशि के भुगतान के बाद किया जाएगा।

संविदागत अवधि हेतु ₹ 7,08,000/- ₹ के ब्याज का दावा था तथा कंपनी (एबीएफएसएल) ने दि 9.8.2004 को इसका भुगतान कर दिया। दिल्ली वित्तीय निगम ने भुगतान की तिथि से आईसीडी की परिपक्वता की तिथि तक ब्याज हेतु सभी देयताओं की पूर्ति के पश्चात अधिशेष की स्थिति में अन्य पीएसयू सहित समानुपातिक आधार पर दावे का अधिकार सुरक्षित रखा है।

च. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष न्यायालय, मुंबई के निर्णय को बरकरार रखने के पश्चात् प्रतिभूतियों को खोजने हेतु कैनेबैंक वित्तीय सेवाएँ लि. द्वारा दायर विविध याचिका सं. 36, कंपनी (एबीएफएसएल) पर कोई देयता नहीं होगी।

छ. आय कर मामले :

i मूल्यांकन वर्ष 1999-2000 : कंपनी (एबीएफएसएल) को विवाद पर समिति द्वारा अनुमति से अस्वीकृति पर मामले को आन्ध्र प्रदेश के उच्च

न्यायालय में रखा जाए। कंपनी (एबीएफएसएल) ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 14-क नियम 8-डी के अनुसार दि 27.02.2007 के अपने अपील आदेश में उपयुक्त संशोधन का अनुरोध करते हुए आईटीएटी, हैदराबाद के समक्ष दि 18.2.2009 को एक विविध याचिका दायर की याने ₹ 1,10,680/- से ₹ 2,77,80,538/- तक धारा 14 क के अंतर्गत अस्वीकृति की राशि का संग्रहण। अपील प्राधिकारी ने गत वित्त वर्ष के दौरान कंपनी (एबीएफएसएल) की अपील की अनुमति प्रदान की। चालू वित्त वर्ष के दौरान आय कर विभाग ने एक आदेश जारी किया तथा कंपनी (एबीएफएसएल) को ₹ 61,52,781/- की धन वापसी हुई जिसमें आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 244 क के अंतर्गत ₹ 35,67,852/- के ब्याज का भाग है। कंपनी (एबीएफएसएल) ने ब्याज की राशि को चालू वित्त वर्ष के दौरान अन्य आय माना है।

ii मूल्यांकन वर्ष 2006-2007 : चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी (एबीएफएसएल) को मूल्यांकन वर्ष 2006-2007 हेतु आय कर विभाग से ₹ 2,97,779/- की बकाया धन वापसी हुई जिसमें आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 244 क के अंतर्गत ₹ 65,128/- की ब्याज राशि सम्मिलित है। कंपनी (एबीएफएसएल) ने ब्याज की राशि को चालू वित्त वर्ष के दौरान अन्य आय माना है।

iii मूल्यांकन वर्ष 2009-2010 : चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी (एबीएफएसएल) को मूल्यांकन वर्ष 2009-2010 हेतु ₹ 10,84,840/- की धन वापसी हुई जिसमें आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 244 क के अंतर्गत ₹ 1,21,521/- की ब्याज राशि सम्मिलित है। कंपनी (एबीएफएसएल) ने ब्याज की राशि को चालू वित्त वर्ष के दौरान अन्य आय माना है। कंपनी (एबीएफएसएल) इस मूल्यांकन वर्ष से संबंधित ₹ 1,06,836/- की बकाया टीडीएस राशि हेतु संबंधित से कार्रवाई कर रही है।

iv मूल्यांकन वर्ष 2000-01 से संबंधित आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद के उच्च न्यायालय में मामला उठाने हेतु विवाद पर समिति द्वारा कंपनी (एबीएफएसएल) को अनुमति की अस्वीकृति के पश्चात् एबीएफएसएल ने 21.6.2010 को मामला छोड़ दिया तथा चालू वर्ष के दौरान बही खातों में ₹ 7,08,750/- की बकाया अग्रिम कर राशि को प्रत्यावर्तित कर दिया।

ज. चूंकि वसूली / धन वापसी की कुछ संभावना है, सी एंड ए जी लेखा परीक्षकों के सुझाव के अनुसार तथा विशेष राय लेने के पश्चात कंपनी (एबीएफएसएल) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान बही खाते में निम्नलिखित मदों को बट्टे खाते / प्रत्यावर्तित कर दिया है :

क अन्य चालू आस्तियाँ : ₹ 9.77 लाख (राशि विशेष न्यायालय के अभिरक्षक से प्राप्त करनी है)

ख ऋण एवं अग्रिम :

लाभांश पर टीडीएस	:	₹ 3.98 लाख
बैंक जमा पर टीडीएस	:	₹ 2.70 लाख
प्रतिभूतियों पर टीडीएस	:	₹ 1.83 लाख



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

- c) The suit filed against M/s. Incab Industries Ltd in Delhi High Court, for realization of lease rentals since October 1992 amounting to ₹45.29 lacs, is pending for appointment of the third arbitrator. In the mean time M/s Incab Industries Ltd., submitted a proposal before the Board for Industrial and Financial Reconstruction [BIFR]. The Company (ABFSL) filed a petition before the Board [BIFR] who has permitted the Company (ABFSL) to take possession of the leased machinery with Incab Industries Ltd. But the workers union is protesting to take the machinery with a plea that some interested parties are negotiating for takeover of Incab Industries Ltd. Rehabilitation process is still under process before BIFR. As such the matter is deferred for some more time. As the carrying cost of the machinery is ₹ 1/- on 31.03.2011 and is much below the valued cost, there is no impairment loss on the machinery.
- d) The Company (ABFSL) repaid in 1997 the total Inter Corporate Deposits of ₹ 4.00 crores placed in 1992 by M/s Mishra Dhatu Nigam Ltd (MIDHANI) with interest up to the contracted date. MIDHANI acknowledged the receipt as full and final settlement in 1997. However, MIDHANI, subsequently, has made a claim for interest after the contracted date. On refusal by the Company (ABFSL) to acknowledge or pay the interest, MIDHANI has approached the Committee On Disputes (COD) who directed MIDHANI to Permanent Machinery of Arbitration (PMA) with whom the matter is pending. The Company (ABFSL) has legal opinion saying that the claim of MIDHANI is not sustainable and hence no provision has been made.
- e) During the year 1994 the Company (ABFSL) has paid the amounts of ICD 153 & 155 to Delhi Financial Corporation to the extent of principal sum of ₹ 100 lacs each, with an agreement dt.28/9/1994 that the contracted interest up to due date shall be paid after paying the Principal and Interest amount of ICD to all other PSUs. There was a claim for interest of ₹ 7,08,000/- for the contracted period and the Company(ABFSL) has paid the same on 9/08/2004. However Delhi Financial Corporation has reserved the right to claim on prorata basis along with other PSUs in case of surplus arising after meeting all liabilities, for the interest from the date of maturity of ICDs to date of payment.
- f) Consequent to the Hon'ble Supreme Court's judgment upholding the judgment of Special Court, Mumbai the Miscellaneous Petition No.36 filed by Canbank Financial Services Ltd., for tracing of Securities, there will be no liability on the Company (ABFSL).
- g) Income Tax Matters:
- i) Assessment Year 1999-2000: Consequent to rejection of permission by Committee on Disputes to the Company (ABFSL), to pursue the matter in the High Court of AP. The Company (ABFSL) filed a Miscellaneous Petition on 18.02.2009 before the ITAT, Hyderabad "Praying for a suitable amendment of its appellate order dated 27.02.2007 as per Sec 14A Rule 8D of IT act 1961" i.e raising the amount of disallowance u/s 14A from ₹ 1,10,680/- to ₹ 2,77,80,538/-. Appellate authority allowed Company's (ABFSL's) appeal during the last Financial Year. During the current Financial Year Income Tax Department passed an order and The Company (ABFSL) received refund amount of ₹ 61,52,781/-, which includes interest portion of ₹ 35,67,852/- u/s 244A of IT Act 1961. The Company (ABFSL) considered the interest amount as other income during the current Financial Year.
- ii) Assessment Year 2006-2007: During the current financial year, The Company (ABFSL) received pending refund amount of ₹ 2,97,779/- from Income Tax Department for the Assessment year 2006-2007, which includes interest amount of ₹ 65,128/- u/s 244A of IT Act 1961. The Company (ABFSL) considered the interest amount as other income during the current Financial Year.
- iii) Assessment Year 2009-2010: During the current financial year, Company (ABFSL) received a refund amount of ₹ 10,84,840/- for the Assessment year 2009-2010 which includes interest amount of ₹ 1,21,521/- u/s 244A of IT Act 1961. The Company (ABFSL) considered the interest amount as other income during the current Financial Year. The Company (ABFSL) is pursuing with the concerned for the pending TDS amount of ₹ 1,06,836/- relating to this Assessment Year.
- iv) Consequent to rejection of permission by Committee on Disputes to the Company (ABFSL) to pursue the matter in the High Court of A P Hyderabad relating to Assessment Year 2000-01, ABFSL dropped the case on 21.06.2010 and reversed the outstanding Advance Tax amount of ₹ 7,08,750/- in the books of accounts during the current year.
- h) Since there is a remote possibility of getting recovery/ refunds, as per the suggestion of C & A G auditors and after taking the expert opinion in to consideration, the Company (ABFSL) has written off/reversed following items in the books of accounts during the current financial year.
- a) Other Current Assets: ₹ 9.77 lacs
(Amount to be received from custodian of Special Court)
- b) Loans & Advances:
TDS on Dividends: ₹ 3.98 lacs; TDS on Bank Deposits: ₹ 2.70 lacs and TDS on Securities: ₹ 1.83 lacs

3. सार्वजनिक क्षेत्र के बांड के स्टॉक
शून्य
अन्य :

	कुल		चालू		लंबी अवधि
	प्रमात्रा	₹	प्रमात्रा	₹	₹
[क] शेयर	2,16,742	3,11,857	2,16,742	3,11,857	—
(गत वर्ष के आंकड़े)	(2,16,742)	(3,82,720)	(2,16,742)	(3,82,720)	—

4. व्यापार में स्टॉक के रूप में रखे गये निर्दिष्ट भाव वाले शेयर एवं प्रतिभूतियों का लागत या बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, मूल्यांकन होता है और अनिर्दिष्ट शेयरों तथा प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ 1/- होता है.

प्रमात्रावार	01.04.10 को प्रारंभिक स्टॉक प्रमात्रा	01.04.2010 को प्रारंभिक स्टॉक ₹	खरीद जमा	खरीद/वापसी/कटौती	बिक्री	31.03.2011 को अंतिम स्टॉक प्रमात्रा	31.03.2011 को अंतिम स्टॉक ₹
पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर	2,16,742	3,82,720	-	-	-	2,16,742	3,11,857
गत वर्ष के आंकड़े	(2,16,742)	(2,16,736)	-	-	-	(2,16,742)	(3,82,720)

निर्दिष्ट तथा अनिर्दिष्ट भाव वाले शेयरों में अंतर 31.03.2011 को किए व्यवसाय हेतु बीएसई/एनएसई बुलेटिन के आधार पर होता है. साथ ही यदि 31.03.2011 के पूर्व 3 माह की अवधि के दौरान ऐसे शेयरों का व्यापार नहीं होता है तो उन्हें अनिर्दिष्ट भाव वाले वर्गीकृत किया जाता है.

31.03.2011 तक वकाया शेयरों की सूची

5. प्रबंध निदेशक का प्रारिष्टमिक अनुसूची 14 में सम्मिलित है.

प्रबंध निदेशक आन्ध्रा बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनका पारिष्टमिक उक्त बैंक के सेवा विनियम के अनुसार समय-समय पर लागू अनुसार हैं.

विवरण	2010-2011 राशि रुपयों में	2009-2010 राशि रुपयों में
वेतन और भत्ते	8,14,831	4,79,779
भविष्य निधि / पेंशन को अंशदान	74,519	29,868
परिलब्धियां	1,51,677	1,16,864
एलटीसी/छुट्टी नकदीकरण	55,066	0
ग्रेच्युटी (उपदान)	36,254	24,956
कुल	11,32,347	6,51,467

6. प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10/-)

विवरण	2010-2011	2009-2010
मूल ईपीएस (₹)	1.42	1.55
अवमिश्रित ईपीएस (₹)	1.42	1.55
मूल ईपीएस का परिकलन		
निवल लाभ (₹ लाखों में)	70.97	77.32
शेयरों की भारत औसत सं (₹ लाखों में)	50.00	50.00
प्रति शेयर मूल आय (₹)	1.42	1.55

7. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण हेतु भारिबैंक द्वारा दि 9.1.1997 को जारी अनुदेशों के अनुसार पंजीकरण हेतु कंपनी (एबीएफएसएल) के आवेदन को भारिबैंक ने अपने पत्र सं. डीएनबीएस (एच) सीएमएस सं. 2238/एचवाईक्यू 0472/2004-05 दिनांक 28.01.2005 द्वारा अस्वीकृत कर दिया था तथा कंपनी (एबीएफएसएल) से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय न करने हेतु विशिष्ट बोर्ड संकल्प पास करने की अपेक्षा की थी.



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

3. Stock of Public Sector Bonds

NIL

Others:	Total		Current		Long term
	Qty	(₹)	Qty	(₹)	(₹)
[a] Shares	2,16,742	3,11,857	2,16,742	3,11,857	—
(Previous Year figures)	(2,16,742)	(3,82,720)	(2,16,742)	(3,82,720)	—

4. The stock of Quoted Shares & Securities held as Stock in Trade are valued at Cost or Market Value whichever is lower and Unquoted Shares & Securities are valued at Rupee one.

Quantity wise	Opening Stock 01.04.10 Qty.	Opening Stock 01.04.2010 ₹	Purchases Additions	Purchases/ Returns/ Deletions	Sales	Closing Stock 31.03.2011 Qty.	Closing Stock 31.03.2011 ₹
Equity Shares fully paid up	2,16,742	3,82,720	-	-	-	2,16,742	3,11,857
(Previous years figures)	(2,16,742)	(2,16,736)	-	-	-	(2,16,742)	(3,82,720)

Segregation between quoted and unquoted shares is made based on BSE/NSE bulletin for the business transacted on 31.03.2011. Further the shares are classified as unquoted, if such shares are not traded during three months period before 31.03.2011.

5. Managing Director Remuneration included in Schedule 14.

The Managing Director is on deputation from Andhra Bank and his remuneration is in accordance with the service regulations of the said Bank as applicable from time to time.

Particulars	2010-11 Amt in ₹	2009-10 Amt in ₹
Salaries and Allowances	8,14,831	4,79,779
Contribution to PF/Pension	74,519	29,868
Perquisites	1,51,677	1,16,864
LTC / Encashment of Leave	55,066	0
Gratuity	36,254	24,956
Total	11,32,347	6,51,467

6. Earning per share (face value of ₹10/- each)

Particulars	2010-11	2009-10
Basic EPS (₹)	1.42	1.55
Diluted EPS (₹)	1.42	1.55
Calculation of Basic EPS:		
Net Profit (₹ in lacs)	70.97	77.32
Weighted Average no of shares (in lacs)	50.00	50.00
Basic Earning per share (₹)	1.42	1.55

7. As per the directions issued by Reserve Bank of India for registration of Non Banking Financial Companies on 9th January 1997, the Company (ABFSL)'s application for registration was rejected by RBI vide their letter No. DNBS (H)CMS No.2238/HYQ 0472/2004-05 dt.28th January 2005 requiring the Company (ABFSL) to pass a specific Board

आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

आगे, भारिबैंक ने कंपनी (एबीएफएसएल) को सूचित किया था कि वह यह सुनिश्चित करें कि अपने कथित पत्र के जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर कंपनी (एबीएफएसएल) की वित्तीय आस्तियों का निपटान हो जाए तथा कंपनी (एबीएफएसएल) का गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय संस्था में परिवर्तन हो जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए. तदनुसार कंपनी (एबीएफएसएल) ने शीघ्र ही प्रबंध निदेशक द्वारा उपयुक्त कार्यवाई की प्रक्रिया का पता लगाने हेतु 3.2.2005 को बोर्ड संकल्प पारित किया. कंपनी (एबीएफएसएल) ने मूर्त रूप में शेयरों को छोड़ वित्तीय आस्तियों का निपटान कर दिया है. कंपनी (एबीएफएसएल) ने वित्तीय आस्तियों के निपटान के बारे में भारिबैंक को 9.1.2008 को सूचित कर दिया है तथा कंपनी (एबीएफएसएल) को गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय संस्था मानने हेतु अनुरोध किया है. भारिबैंक ने 5.12.2008 को उत्तर दिया कि उसने निहित बातों को दर्ज कर लिया है.

8. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची vi के भाग ii के खंड 3,4 (ए), 4 (सी) तथा 4 (डी) में मामलों के संबंध में सूचना शून्य है अथवा कंपनी (एबीएफएसएल) पर लागू को दर्शाया नहीं गया है.

9. गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि हेतु, जहाँ आवश्यक है, पुनः वर्गीकृत / समूहित / व्यवस्थित किया गया है.

10. आकस्मिक देयताएं तथा दावे, जो ऋण नहीं हैं.

क) स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) :

एस सी बी ने कंपनी (एबीएफएसएल) पर कई याचिकाएं दायर की जिन पर कंपनी (एबीएफएसएल) ने विवाद किया.

क्र सं	दावे का विवरण	2010-2011 ₹ करोड़ों में	2009-2010 ₹ करोड़ों में
1	विभिन्न ब्रोकरों के खाते पर कंपनी (एबीएफएसएल) को जारी ₹ 91.85 करोड़ ₹ (गत वर्ष ₹ 91.85 करोड़) हेतु बैंकर्स चेक जिसके विरुद्ध एस सी बी कहता है कि उसने उचित ध्यान नहीं दिया गया.	91.85	91.85
2	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने ₹ 55.26 करोड़ की वसूली हेतु मुंबई, उच्च न्यायालय में आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि. के विरुद्ध मुकदमा दायर किया तथा यह आरोप लगाया कि उन्हें आबंटन का मूल पत्र नहीं बल्कि केवल एक फोटोकॉपी प्राप्त हुई है. बाद में मामला मुंबई के विशेष न्यायालय को अंतरित किया गया. अक्टूबर, 2006 में वादी (एससीबी) ने वाद में विशिष्ट सुधार किया है जिसमें एससीबी ने स्वीकारा है कि उन्हें 27.2.1992 को ट्रांसफर-डीड सहित मूल आबंटन-पत्र प्राप्त हुआ. दि 13.7.2010 को विशेष न्यायालय में निर्णय सुनाया गया तथा लागत के आदेश के साथ मुकदमा खारिज किया गया. एससीबी ने विशेष न्यायालय, मुंबई के आदेश के विरुद्ध 19.11.2010 को सिविल अपील क्षेत्राधिकार (सं 9540-9541 ऑफ 2010) में भारत के उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील दर्ज की तथा मामला उच्चतम न्यायालय में प्रगति पर है. चूंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा एबीएफएसएल के विरुद्ध आर्थिक दावा पहले ही छोड़ दिया गया है तथा न्यायालय ने भी अपने आदेश में इसे दर्ज किया है, ₹ 55.00 करोड़ की आकस्मिक देयताओं को चालू वित्त वर्ष के दौरान काट दिया गया है.	0	55.00
	कुल	91.85	146.85

ख) अन्य दावे :

क्रम सं	दावों के विवरण	2010-2011 ₹ करोड़ों में	2009-2010 ₹ करोड़ों में
i.	आयकर मांग (अपील में) नोट 10 (सी) का संदर्भ लें.	10.72	10.73
ii.	तमिलनाडु न्यूसप्रिंट्स एंड पेपर्स लिमिटेड (कृपया नोट संख्या 10 (ख) का संदर्भ लें)	2.46	2.46
iii	आय कर मांग - मूल्यांकन वर्ष 2008-09 (विवरण अनुसूची 15, प्वाइंट सं. 10 सी पैरा 3 के अनुसार)	0.05	0.05
	कुल	13.23	13.24
	कुल आकस्मिक देयताएं (ए+बी)	105.08	160.09

कंपनी ने, जैसाकि टिप्पणियों में दर्शाया गया है. सभी उक्त दावों का खंडन किया है. निदेशकों ने आकस्मिक देयताओं पर ₹ 36.07 करोड़ के वर्तमान प्रावधान तथा 31.03.2011 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु विवेकपूर्ण आधार पर दावों जो ऋण नहीं हैं, को जारी रखने का निर्णय किया है.



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

Resolution not to carry on the business of an Non-Banking Financial Institution. RBI further informed the Company (ABFSL) to ensure that within a period of 3 years from the date of issue of their said letter, the financial assets of the Company (ABFSL) are disposed of and the Company (ABFSL) is converted into a Non-Banking Non-Financial Institution or is wound up. Accordingly the Company (ABFSL) passed Board Resolution on 3.02.2005 to explore the course of suitable action by the Managing Director at the earliest. The Company (ABFSL) has disposed of the financial assets except the shares in Physical Form. The Company (ABFSL) has informed RBI on 09.01.2008 about disposal of the Financial Assets and requested to treat the Company (ABFSL) as Non-Banking Non-Financial Institution. RBI replied on 05.12.2008 that it has taken the contents mentioned there in on record.

8. Information with regard to the matters in clause 3, 4 (A), 4 (C) and 4 (D) of Part-II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 to the extent they are either NIL or not applicable to the Company (ABFSL) has not been given.
9. The figures of the previous year have been regrouped/reclassified/rearranged wherever necessary to confirm the Current Year's presentation.

10. Contingent liabilities and Claims not acknowledged as debts.

a) Standard Chartered Bank (SCB):

The SCB filed various petitions on the Company (ABFSL), which the Company (ABFSL) disputed.

SNo.	Particulars of claims	2010-2011 ₹ in Crore	2009-2010 ₹ in Crore
1	Bankers Cheques for ₹ 91.85 crore (Previous Year ₹ 91.85 crore) issued to Company(ABFSL) on account of various brokers against which the SCB alleges of not having received due consideration	91.85	91.85
2	Standard Chartered Bank filed suit against Andhra Bank Financial Services Limited in the High Court, Mumbai for recovery of ₹ 55.26 crores alleging that they have not received the original Letter of Allotment but only a Photocopy. Later on case was transferred to Special Court, Mumbai. In October 2006, the Plaintiff (SCB) has made specific amendment in the plaint, in which, SCB has admitted that they received the original Letter of Allotment along with transfer deed on 27.02.1992. Judgment was pronounced in Special Court on 13.07.2010 and the suit was dismissed with ordered to cost. SCB filed a Civil appeal in Supreme Court of India at Civil Appellate Jurisdiction (No's: 9540-9541 of 2010) on 19 th November 2010 against the order of Special Court, Mumbai and the case is in progress at Supreme Court. As the monetary claim is already given up by Standard Chartered Bank against ABFSL and the Court also recorded the same in its order, the item in contingent liabilities of ₹ 55.00 crores is deleted during the current Financial Year.	0	55.00
	Total	91.85	146.85

b) Other claims

SNo.	Particulars of claims	2010-2011 ₹ in Crore	2009-2010 ₹ in Crore
i.	Income Tax demand (in appeal) Refer note 10 (c).	10.72	10.73
ii.	Tamilnadu Newsprints & Papers Ltd refer note No.2 (b)	2.46	2.46
iii.	Income Tax demand - Assessment Year 2008-09: (Details as per Schedule 15, Point No.10 C. Paragraph 2)	0.05	0.05
	Total	13.23	13.24
	Total Contingent Liabilities (a+b)	105.08	160.09

The Company (ABFSL) as explained in the notes has disputed all the above claims. However the Directors decided to continue the existing provision of ₹ 36.07 crores made on contingent liabilities and claims not acknowledged as debts on prudent basis for the Financial Year ending 31.03.2011.

ग. आयकर :

कंपनी ने निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक और 2008-09 के लिए अपील की है जो निर्धारण अधिकारी / आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के माननीय बेंच के समक्ष विचाराधीन है। इन अपीलों के विचाराधीन रहते, टीडीएस, अग्रिम कर एवं प्रदत्त स्वयं मूल्यांकित कर पर विचार करने के पश्चात् निवल मांग के विरुद्ध देयताएँ निम्नानुसार हैं।

मूल्यांकन वर्ष 2008-09 :

कंपनी (एबीएफएसएल) को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अंतर्गत ₹ 5,28,790/- की मांग सहित 12.3.2010 को एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें आय-कर विभाग ने कंपनी (एबीएफएसएल) द्वारा किए आय-कर प्रेषण तथा बैंकरो व एफबीटी द्वारा वसूले सभी टीडीएस प्रेषण पर विचार नहीं किया है। कंपनी (एबीएफएसएल) ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी करने के अनुरोध सहित आय-कर विभाग को एफबीटी प्रेषण पन्ने की प्रतियाँ तथा मूल टीडीएस प्रमाणपत्रों के विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। कंपनी (एबीएफएसएल) संशोधित आदेश की प्रतीक्षा कर रही है।

मूल्यांकन वर्ष 1997-98 : दि 1.4.2008 को कंपनी (एबीएफएसएल) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) के अंतर्गत ₹ 15.70 करोड़ का दंड लगाते हुए 31.3.2008 को एक आदेश प्राप्त हुआ है। फिर भी कंपनी (एबीएफएसएल) ने 21.4.2008 को अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की। विद्वान सीआईटी (अपील-II), हैदराबाद द्वारा धारा 271(1) (सी) के अंतर्गत लगाया गया दंड 26.8.2008 को मेरिट के आधार पर रद्द कर दिया। विभाग ने आईटीएटी, हैदराबाद के समक्ष अपील आदेश का विरोध किया तथा कंपनी (एबीएफएसएल) ने आईटीएटी के समक्ष अन्य पक्ष अपील भी दायर की। दिनांक 16.10.2010 को आईटीटी ने आय कर विभाग की अपील अस्वीकार कर दी तथा हमारी कंपनी की अपील की अनुमति प्रदान की।

अग्रिम कर भुगतान विवरण - आयकर (वर्ष-वार)

निर्धारण वर्ष	वित्तीय वर्ष	रुपयों में राशि
1995-96	1994-95	28,311,822
1996-97	1995-96	43,581,300
1997-98	1996-97	30,257,801
2008-09	2007-08	3,900,000
2010-11	2009-10	501,110
2011-12	2010-11	620,000
	कुल	107,172,033

अग्रिम कर का भुगतान विवरण - अनुषंगी सुविधा कर (वर्ष-वार)

अनुषंगी सुविधा कर		
निर्धारण वर्ष	वित्तीय वर्ष	रुपयों में राशि
2008-09	2007-08	6,800

टीडीएस शेष का ब्रेक-अप (वर्षवार)
(राशि ₹ में)

निर्धारण वर्ष	वित्तीय वर्ष	ब्याज पर टीडीएस शेष	समायोजना	निवल समायोजन राशि
1997-98	1996-97	819,506	-	819,506
1998-99	1997-98	176,618	-	176,618
2000-01	1999-00	1,341,169	1,325,937	15,232
2003-04	2002-03	388,582	330,545	58,037
2008-09	2007-08	1,342,714		1,342,714
2009-10	2008-09	1,996,682	1,889,846	106,836
2010-11	2009-10	1,032,903		1,032,903
2011-12	2010-11	970,202		970,202
			कुल	4,522,048



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

c). INCOME TAX

The Company (ABFSL) had gone on appeals for the Assessment Years 1993-94 to 1997-98 & 2008-09 which are pending before the Assessing Officer/ Hon'ble High Court of Andhra Pradesh. Pending disposal of these appeals the liabilities against the net demand after considering the TDS, Advance Tax and Self Assessment Taxes paid is furnished here under.

Assessment Year 2008-09: The Company (ABFSL) received an order on 12.03.2010 under Section 143(1) of Income Tax Act, 1961 with a demand of ₹ 5,28,790/-, wherein IT Department has not taken into consideration all TDS remittances recovered by Bankers & FBT & Income Tax remittances made by Company(ABFSL). The Company (ABFSL) submitted detailed proofs of original TDS certificates and FBT remittance counterfoil copies to Income Tax Department with a request to issue modified order U/S 154 of IT Act, 1961. The Company (ABFSL) waiting for the modified order.

Assessment Year 1997-98 : On 01.04.2008, the Company (ABFSL) has received an order dated 31.03.08 levying penalty under section 271(1)(c) of Income Tax Act 1961, for ₹ 15.70 crore. However, the Company (ABFSL) filed an appeal against the above order before the Appellate Authority on 21.04.2008. The Penalty levied under section 271(1)(c) was cancelled on merit on 26.08.2008 by the learned CIT(Appeals)-II, Hyderabad. The Department contested the appellate order before the ITAT, Hyderabad, and The Company (ABFSL) also filed other side appeal before ITAT. ITAT on 16.10.2010 dismissed the appeal of IT Department and allowed the appeal of our Company.

Advance Tax Payment Details - (Income Tax) (Year-wise)

AY	Financial Year	Amount in ₹
1995-96	1994-95	28,311,822
1996-97	1995-96	43,581,300
1997-98	1996-97	30,257,801
2008-09	2007-08	3,900,000
2010-11	2009-10	501,110
2011-12	2010-11	620,000
	Total	107,172,033

Advance Tax Payment Details – Fringe Benefit Tax (Year-wise)

Fringe Benefit Tax		
AY	Financial Year	Amount in ₹
2008-09	2007-08	6,800

Break up of TDS Balance (Year-wise)

(Amount in ₹)

A Y	Financial Year	Balance TDS on interest	Adjustments	Net of adjustment
1997-98	1996-97	819,506	-	819,506
1998-99	1997-98	176,618	-	176,618
2000-01	1999-00	1,341,169	1,325,937	15,232
2003-04	2002-03	388,582	330,545	58,037
2008-09	2007-08	1,342,714		1,342,714
2009-10	2008-09	1,996,682	1,889,846	106,836
2010-11	2009-10	1,032,903		1,032,903
2011-12	2010-11	970,202		970,202
			Total	4,522,048



आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK

आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

31.03.2011 को शेयर और प्रतिभूतियों का मूल्य Value of Shares and Securities as on 31.03.2011

स्टॉक एवं शेयर के प्रत्येक स्क्रिप का परिमाणात्मक विश्लेषण Quantitative Analysis of Stock of Shares and Securities per scrip

क : 31.03.2011 को अमूर्त और वोट नहीं किये गये तथा भौतिक रूप में रह गये शेयर

A: Shares, which are in physical form but not dematerialised and unquoted as on 31.03.2011

(राशि ₹ में Amount in ₹)

क्रम सं Sl No	स्क्रिप / ईक्विटी शेयर का नाम Name of the Srip / Equity Shares	मात्रा Quantity 31.03.2011	लागत Cost	लागत मूल्य Cost Value	बाजार दर Mkt. Rate 31.03.2011	बाजार मूल्य Mkt. Value 31.03.2011	लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो Cost or Mkt. Value whichever is less 31.03.2011
1	आधुनिक सिंथेटिक्स लि. Adhunik Synthetics Ltd	3,000	50.00	150,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00
2	अखिल सेरेमिक्स लि. Akhil Ceramics Ltd.	5,000	28.75	143,750.00	1.00	5,000.00	5,000.00
3	आरलैब्स लि. Arlabs Ltd.	5,000	150.00	750,000.00	1.00	5,000.00	5,000.00
4	आर्यन फाइनेब लि. Aryan Finefab Ltd.	11,400	56.25	641,250.00	1.00	11,400.00	11,400.00
5	भीष्मा रियल्टी लि. Bhisma Realty Ltd.	3	-	0	-	0	0
6	केप्रीकॉन रियल्टी लि. Capricon Realty Ltd.	3	-	0	-	0	0
7	सीफाम ऑर्गानिक्स लि. Cepham Organics Ltd.	6,600	40.00	264,000.00	1.00	6,600.00	6,600.00
8	धार सीमेंट लि. Dhar Cement Ltd.	20,300	100.00	2,030,000.00	1.00	20,300.00	20,300.00
9	इलेक्ट्रा (इंडिया) लि. Electra (India) Ltd.	3,300	37.50	123,750.00	1.00	3,300.00	3,300.00
10	गुजरात टेलीफोन केबल्स लि. Gujarat Telephone Cables Ltd. (अमूर्तीकरण के लिए एसएचसीआईएल को भेजे गये sent to SHCIL for Demat)	46,850	28.75	1,352,688.00	1.00	46,850.00	46,850.00
11	एचएमजी इंड लि HMG Industries Ltd.	4,600	87.50	402,500.00	1.00	4,600.00	4,600.00
12	इंडो गल्फ एक्सप्लोसिव्स लि. इंडो गल्फ कॉर्प लि. Indo Gulf Explosives Ltd./ (Indo Gulf Corp Ltd)	4,850	130.00	630,500.00	1.00	4,850.00	4,850.00
13	कुनाल इंजीनियरिंग कं लि. Kunal Engineering Co. Ltd.	450	170.00	76,500.00	1.00	450.00	450.00
14	निरंजन पीरामल टेक्सटाइल मिल्स लि. Niranjan Piramal Textile Mills Ltd.	8,333	1.00	8,333.00	1.00	8,333.00	8,333.00
15	नोवा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स लि Nova Electro Magnetis Ltd.	55,400	51.25	2,839,250.00	1.00	55,400.00	55,400.00
16	प्रेस्टीज फूड्स लि. Prestige Foods Ltd.	2,700	145.00	391,500.00	1.00	2,700.00	2,700.00
17	प्रेस्टीज एचएम पाली कंटेनर्स लि.Prestige HM-Poly containers Ltd.	5,000	42.50	212,500.00	1.00	5,000.00	5,000.00
18	प्यारेलाल टेक्सटाइल्स लि. Pyarelal Text tile Ltd.	8,333	1.00	8,333.00	1.00	8,333.00	8,333.00
19	रामपुर फर्टिलाइजर्स लि. Rampur Fertilizers Ltd.	240	80.00	19,200.00	1.00	240.00	240.00
20	श्री इशर अलॉय स्टील्स लि. Shri Ishar Alloy Steels Ltd.	2,000	67.50	135,000.00	1.00	2,000.00	2,000.00
21	सिपानी ऑटोमोबाइल्स लि Sipani Auto Mobiles Ltd.	2,100	50.00	105,000.00	1.00	2,100.00	2,100.00
		195,462		10,284,054.00		195,456.00	195,456.00
ख: 31.03.2011 को अमूर्त रूप में रहे शेयर B: Shares, which are in dematerialized form as on 31.03.2011							
22	अशनूर टेक्सटाइल मिल्स लि. Ashnoor Textile Mills Ltd.	21,280	89.29	1,900,000.00	5.47	116,401	116,401
	कुल क और ख Total of A and B	216,742		12,184,054.00		311,857.00	311,857.00

अनुसूची 16 : महत्वपूर्ण लेखा पद्धतियाँ
क. पट्टा-वित्त :

कंपनी (एबीएफएसएल) वर्ष के पट्टा किराया को पहचानती है जिसमें वह परिपक्व हुआ हो. पट्टा संसाधन प्रभार, प्रबंध शुल्क तथा अन्य सेवा प्रभारों को समझौते का निष्पादन होने पर आय माना जाता है.

ख. किराया खरीद : शून्य
ग. निवेश व्यवसाय :

संविदा के निष्पादन पर प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री का लेखा-जोखा होता है.

घ. ब्याज :

(1). ब्याज तथा अन्य देय की, ऋण एवं दावों के संबंध में विवेक पर प्राप्त होने तक पहचान नहीं होती है.

1. जहां मुकदमें दायर किये गये हों

2. जहां खाते संदिग्ध माने जाएं

3. जहाँ पार्टियों को लगातार वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.

2. निवेश पर ब्याज :

शेयर पर लाभांश तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज की पहचान, ऐसी प्रतिभूतियों पर बकाया, यदि हों, दावों तथा प्रति-दावों की पूर्ति तक, नहीं की जाती है.

शेयरों पर लाभांश आय की पहचान की जाती है जब भुगतान प्राप्त हेतु स्वामित्व-अधिकार स्थापित हो.

विलंबित भुगतान प्रभार, दंड, समेकित क्षति के संबंध में पूर्ति तक विवेक के आधार पर राजस्व की पहचान नहीं की जाती है चूंकि राशि की वसूली निश्चित नहीं है.

ड. व्यापार में स्टॉक :

शेयरों एवं प्रतिभूतियों के स्टॉक का मूल्य लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर होता है. जहां आईसीएआई द्वारा सुझाए गए मानकों के अनुसार तथा नियंत्रण एवं उत्तरदायित्व के दृष्टिगत अनिर्विष्ट भाव वाले शेयरों का मूल्यांकन ₹ 1/- पर किया जाता है.

च. चल आस्तियां :

पट्टे पर दी गयी आस्तियों सहित, सभी चल आस्तियों का मूल्य लागत पर होता है.

छ. मूल्य-ह्रास :
1. स्व. प्रयोग हेतु आस्तियां

मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुरूप समानुपातिक आधार पर सीधी-पंक्ति पद्धति पर किया जाता है.

2. पट्टे पर दी गयी आस्तियां :

मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुरूप समानुपातिक आधार पर सीधी पंक्ति पद्धति पर अथवा संपूर्ण प्राथमिक पट्टा-अवधि हेतु कुल किराया तथा वर्ष के दौरान उपचित पट्टे-किराए के अनुपात में प्राथमिक पट्टा-अवधि पर आस्ति के मूल्य के 95 प्रतिशत बट्टा- खाता, जो भी अधिक हो, किया जाता है.

मेसर्स इनकैब इंडस्ट्रीज लि. को पट्टे पर मशीनरी इस वर्ष भी प्रयोग में नहीं लाई गयी.

ज. बट्टे खाते नहीं डाले गये की सीमा तक विविध व्यय :

सभी व्यय, जिनका लाभ कई वर्षों में फैला है, को इस खाते के अंतर्गत समूह-बद्ध किया गया है तथा प्रत्येक ऐसे वर्ष में आकलित लाभ के आधार पर कई वर्षों में परिशोधित किया है.

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते किशोर एंड वेंकट एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

के.एस.आर.आंजनेयुलु
भागीदार
एम.नं. 216283

अनिल गिरोत्रा
अध्यक्ष

आर.जे.वैद्यनाथन
निदेशक

एस.सूर्यनारायण
निदेशक

के.एस.रामकृष्णन
निदेशक

वाई.प्रमीला रानी
निदेशक

बी.नरेन्द्रनाथ रेड्डी
निदेशक

टी.उमामहेश्वर राव
प्रबंध निदेशक

के. रायर
कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद
दिनांक: 25.04.2011



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

SCHEDULE 16 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. LEASE FINANCE:

The Company (ABFSL) recognizes lease rentals in the year in which it has fallen due. The lease processing charges, management fee and other service charges considered as income on execution of agreements.

B. HIRE PURCHASE: NIL

C. INVESTMENT BUSINESS:

Purchase and Sale of securities are accounted on execution of contracts.

D. INTEREST:

[1] Interest and other dues are not recognised until received on the grounds of prudence in respect of debts and claims.

1. Where suits have been filed.
2. Where accounts are considered doubtful.
3. Where parties are facing prolonged financial difficulties.

[2] Interest on Investments

Interest on securities and dividend on share are not recognised until the claims and counter claims if any, pending on such securities are cleared.

Dividend Income on Shares is recognised when the owners right to receive payment is established.

Revenue is not recognised on the grounds of prudence, until resolved in respect of consolidation damages, penalties, delayed payment charges as recovery of the amounts is not certain.

E. STOCK IN TRADE:

Stock of shares and securities are valued at cost or market value whichever is lower. In case of unquoted shares the valuation is made at Re.1/- with a view to have control and accountability and also as per the standards suggested by ICAI.

F. FIXED ASSETS:

All fixed assets including assets given on lease are valued at cost.

G. DEPRECIATION:

1. Assets for own use.

Depreciation is provided on straight-line method on pro rata basis in accordance with rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

2. Assets leased out.

Depreciation is provided on straight line method on pro rata basis in accordance with rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956 or writing off at 95% of the cost of the asset over the primary lease period in proportion of lease rentals earned during the year to total rentals for the entire primary lease period, whichever is higher.

The machinery under lease to M/s. Incab Industries Ltd is not put to use during this year also.

H. Miscellaneous Expenses to the extent not written off:

All expenditure the benefit of which is spread over a number of years is grouped under this account and is amortized over number of years on the basis of estimated benefit derived in each such year.

As per our report of even date

FOR KISHORE & VENKAT ASSOCIATES
Chartered Accountants

K.S.R.ANJANEYULU
PARTNER
M.NO.216283

ANIL GIROTRA
CHAIRMAN

R.J. VAIDYANATHAN
DIRECTOR

S. SURYANARAYANA
DIRECTOR

K.S. RAMAKRISHNAN
DIRECTOR

Y. PRAMEELA
RANI
DIRECTOR

B. NARENDRANATHA
REDDY
DIRECTOR

T. UMAMAHESWARA RAO
MANAGING DIRECTOR

K .RAYAR
COMPANY SECRETARY

Place : Hyderabad
Date: 25-04-2011

तुलनपत्र सार एवं कम्पनी का साधारण कारोबार प्रोफाइल

I	पंजीकरण ब्यौरा	12376
	पंजीकरण संख्या	01
	राज्य कूट	31.03.2011
	तुलनपत्र की तिथि	
II	वर्ष के दौरान एकत्रित पूंजी (राशि ₹ हजारों में)	
	सार्वजनिक निर्गम	—
	अधिकार निर्गम	—
	बोनस निर्गम	—
	निजी अवस्थापन	—
III	निधियों के संग्रहण एवं वितरण की स्थिति (राशि ₹ हजारों में)	
	कुल देयताएँ	50,000
	कुल आस्तियाँ	50,000
	निधि स्रोत	
	प्रदत्त पूंजी	50,000
	प्रारक्षित एवं अधिशेष	—
	जमानती ऋण	—
	गैर जमानती ऋण	—
	निधियों का प्रयोग	
	निवेश	2
	निवल अचल आस्तियाँ	—
	निवल चालू आस्तियाँ	(1,26,032)
	विविध व्यय	—
	संचित हानि	1,76,030
IV	कम्पनी का कार्यनिष्पादन (राशि ₹ हजारों में)	
	टर्न ओवर	13,395
	कुल व्यय	5,688
	(+)/ (-) कर के पूर्व लाभ/हानि	7,707
	(+)/ (-) कर के बाद लाभ/हानि	7,097
	प्रति शेयर अर्जन	₹ 1.42
V.	कम्पनी के तीन मूल उत्पादों / सेवाओं के जातिगत नाम (आर्थिक शर्तों के अनुसार)	
	मद कूट संख्या	—
	उत्पाद वर्णन	किराया खरीद एवं पट्टा

कृते किशोर एंड वेंकट एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
के.एस.आर.आंजनेयुलु
भागीदार
एम.नं. 216283

अनिल गिरोत्रा
अध्यक्ष

आर.जे.वैद्यनाथन
निदेशक

एस.सूर्यनारायण
निदेशक

के.एस.रामकृष्णन
निदेशक

वाई.प्रमीला रानी
निदेशक

बी.नरेन्द्रनाथ रेड्डी
निदेशक

टी.उमामहेश्वर राव
प्रबंध निदेशक

के. रायर
कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद
दिनांक: 25.04.2011



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile

I.	Registration Details	
	Registration No.	12376
	State Code	01
	Balance Sheet Date	31.03.2011
II.	Capital Raised during the year (Amount in Rs. Thousands)	
	Public Issue	—
	Rights Issue	—
	Bonus Issue	—
	Private Placement	—
III.	Position of Mobilization and Deployment of Funds (Amount in ₹ Thousands)	
	Total Liabilities	50,000
	Total Assets	50,000
	Source of Funds	
	Paid-up Capital	50,000
	Reserves & Surplus	—
	Secured Loans	—
	Unsecured Loans	—
	Application of Funds	
	Net Fixed Assets	2
	Investments	—
	Net Current Assets	(126,032)
	Misc. Expenditure	—
	Accumulated Losses	176,030
IV.	Performance of Company (Amount in ₹ Thousands)	
	Turnover	13,395
	Total Expenditure	5,688
	(+)/(-) Profit/Loss before tax	7,707
	(+)/(-) Profit/Loss after tax	7,097
	Earnings per share	₹ 1.42
V.	Generic Names of Three Principal Products/Services of Company (as per monetary terms)	
	Item Code No.	—
	Product Description	Hire purchase and Leasing

FOR KISHORE & VENKAT ASSOCIATES
Chartered Accountants

K.S.R.ANJANEYULU
PARTNER
M.NO.216283

ANIL GIROTRA
CHAIRMAN

R.J. VAIDYANATHAN
DIRECTOR

S. SURYANARAYANA
DIRECTOR

K.S. RAMAKRISHNAN
DIRECTOR

Y. PRAMEELA RANI
DIRECTOR

B. NARENDRANATHA REDDY
DIRECTOR

T. UMAMAHESWARA RAO
MANAGING DIRECTOR

K .RAYAR
COMPANY SECRETARY

Place : Hyderabad
Date: 25-04-2011

निदेशक रिपोर्ट 2010-11

सदस्यों को,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के लेखा परीक्षित विवरण समेत कंपनी की 20 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की प्रमुख वित्तीय बातें निम्न प्रकार हैं :

(राशि रुपये लाखों में)

	2010-11	2009-10
कुल आय	133.95	107.86
परिचालन और प्रशासनिक व्यय	56.87	15.61
मूल्य ह्रास के पूर्व लाभ	77.08	92.25
घटाएं : मूल्यह्रास	0.01	0.01
कर के पूर्व लाभ	77.07	92.24
घटाएं : वर्तमान कर के लिए प्रावधान	14.29	14.25
कर के बाद लाभ	62.78	77.99
जोड़ें : लाभ और हानि लेखों में शेष	(1831.28)	(1908.60)
जोड़ें : पूर्व वर्षों के लिए अधिक प्रावधान	0	0
घटाएं : पहले के कर निर्धारण वर्षों के लिए आय कर	8.19	(0.67)
तुलन पत्र में ले जाए जाने वाले लाभ एवं हानि लेखा में शेष	(1760.31)	(1831.28)

1. परिचालन की समीक्षा :

आय में मुख्यतया बैंक जमा से प्राप्त ब्याज और धन वापसियों पर आय कर विभाग द्वारा अदा किया गया ब्याज है। वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी ने मूल्य ह्रास एवं आयकर एवं अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान करने के बाद ₹ 62.78 लाख का लाभ अर्जन किया है (वर्ष 2009-10 में ₹ 77.99 लाख). 31 मार्च 2011 को कंपनी को अब भी ₹1760.31 लाख की निवल हानि है (2009-10 में ₹1831.28 लाख है)।

2. जनता से जमा :

वर्तमान में कंपनी जनता की किसी भी प्रकार की जमा नहीं रख रही है। कंपनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत जनता से किसी भी प्रकार की जमा स्वीकार नहीं की है। कंपनी के निदेशक मंडल ने भी वर्ष 2011-12 के दौरान किसी भी प्रकार की पब्लिक जमा स्वीकार नहीं करने का संकल्प किया है।

3. निदेशक मंडल :

श्री पि श्रीनिवास, निदेशक, जो 23.10.2009 तक निदेशक रहे, आन्ध्रा

बैंक के महा प्रबंधक के रूप में पूर्व-व्यवस्था के कारण बोर्ड से पद त्याग किया, जो 05.07.2010 से स्वीकार किया गया।

श्री वी एस एन शर्मा, जो 23.10.2009 तक निदेशक रहे, आन्ध्रा बैंक उप महा प्रबंधक के रूप में पूर्व-व्यवस्था के कारण बोर्ड से पद त्याग किया, जो 05.07.2010 से स्वीकार किया गया।

श्री डी जोगिराजु, जो 26.12.2008 तक निदेशक रहे, आन्ध्रा बैंक महा प्रबंधक के रूप में पूर्व-व्यवस्था के कारण बोर्ड से पद त्याग किया, जो 05.07.2010 से स्वीकार किया गया।

श्री राकेश सेठी, जो 26.12.2008 तक निदेशक रहे, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक बनने के कारण बोर्ड से पद त्याग किया, जो 22.01.2011 से स्वीकार किया गया।

श्री आर जे वैद्यनाथन, मुख्य महा प्रबंधक, श्री के एस रामकृष्णन, महा प्रबंधक और श्री बी नरेन्द्रनाथ रेड्डी, महा प्रबंधक, आन्ध्रा बैंक दिनांक 05.07.2010 से अतिरिक्त निदेशकों के रूप में पदनामित किये गये। श्रीमती वाई प्रमीला रानी, महा प्रबंधक, आन्ध्रा बैंक दिनांक 22.01.2011 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में पदनामित किये गये। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 के प्रावधानों के अनुसार ये निदेशक आगामी वार्षिक साधारण बैठक तक कार्यभार संभालेंगे।

श्री टी उमा महेश्वर राव को, (जो आन्ध्रा बैंक से प्रतिनियुक्त पर हैं), प्रबंध निदेशक के रूप में दिनांक 07.07.2010 से 06.07.2011 तक पुनर्नियुक्त किया गया।

4. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अंतर्ल्यन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय :

कंपनी नियम (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों के प्रकटन), 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) के अंतर्गत प्रकटन किये जाने वाले ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अंतर्ल्यन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में विवरण या तो शून्य है या लागू नहीं है।

5. कर्मचारियों के विवरण :

कंपनी के किसी भी कर्मचारी द्वारा ₹ 24,00,000 प्रतिवर्ष या ₹ 2,00,000 प्रति माह का पारिश्रमिक आहरण नहीं करने के कारण यथा संशोधित कंपनी नियम (कर्मचारी के विवरण), 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार इसे शून्य माना जाए।

6. निदेशक उत्तरदायित्व विवरण :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार निदेशक उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में निदेशक एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि :

I. 31 मार्च, 2011 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी के लिए वस्तुपरक विसंगतियों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है।



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

Directors' Report 2010-11

To the Members,

Your Directors are pleased to present the 20th Annual Report of the Company together with the Audited Statement of Accounts for the year ended 31st March, 2011.

The Financial Highlights of the Company for the year ended 31st March, 2011 is summarized below:

(Amount in lacs)

	2010-11	2009-10
Total Income	133.95	107.86
Operating and Administrative Expenses	56.87	15.61
Profit before depreciation	77.08	92.25
Less: Depreciation	0.01	0.01
Profit before tax	77.07	92.24
Less: Provision for Current Taxation	14.29	14.25
Profit after tax	62.78	77.99
Add: Balance in the Profit & Loss A/c	(1831.28)	(1908.60)
Add: Excess provision for tax for earlier years	0	0
Less: Income tax for earlier Asst. Years	8.19	(0.67)
Balance in P & LA/c to be carried to Balance Sheet	(1760.31)	(1831.28)

1. Review of Operations

The income mainly consists of interest on Bank Deposits and interest paid by Income Tax Department on refunds. The company earned a profit of ₹ 62.78 lacs during the year 2010-11 (₹ 77.99 lacs in 2009-10) after providing for depreciation and Income Tax. The company still carries an accumulated loss of ₹ 1760.31 lacs as on 31st March, 2011 (₹ 1831.28 lacs in 2009-10).

2. Public Deposits.

At present Company is not holding any Public Deposits. During the year 2010-11, the company has not accepted any deposits from the public within the meaning of provisions of Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1998. The Board of Directors of the company also resolved not to accept any Public Deposits during the year 2011-12.

3. Board of Directors.

Shri P Srinivas, Director, who has been on the Board since 23.10.2009, resigned from the Board on account of his pre-occupation from Andhra Bank as General Manager and the same was accepted w e f 05.07.2010.

Shri V S N Sarma, Director, who has been on the Board since 23.10.2009, resigned from the Board on account of his pre-occupation from Andhra Bank as Deputy General Manager and the same was accepted w e f 05.07.2010.

Shri D Jogiraju, Director, who has been on the Board since 26.12.2008, resigned from the Board on account of his pre-occupation from Andhra Bank as General Manager and the same was accepted w e f 05.07.2010.

Shri Rakesh Sethi, Director, who has been on the Board since 26.12.2008, resigned from the Board on account of his elevation as Executive Director to Punjab National Bank and the same was accepted w e f 22.01.2011.

Shri R J Vaidyanathan, Chief General Manager, Shri K S Ramakrishnan, General Manager and Shri B Narendranatha Reddy, General Manager of Andhra Bank have been appointed as Additional Directors of the Company on 05.07.2010. Smt Y Prameela Rani, General Manager of Andhra Bank has been appointed as Additional Director of the Company on 22.01.2011. As per the provisions of section 260 of the Companies Act 1956, these Directors hold the office up to the forthcoming Annual General Meeting of the Company.

Shri T.Uma Maheswara Rao, was reappointed as Managing Director of the Company (who is on deputation from Andhra Bank) from 07.07.2010 to 06.07.2011.

4. Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and outgo:

The particulars relating to Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and outgo, as required to be disclosed under Section 217 (1) (e) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Disclosure of particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988 are either NIL or are not applicable.

5. Particulars of Employees:

As required under Section 217 (2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975 as amended may be treated as 'NIL' as no Employee of the Company is drawing a remuneration of ₹ 24,00,000/- p.a. or ₹ 2,00,000/- p.m.

6. Directors' Responsibility Statement.

Pursuant to the requirement under Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956 with respect to Directors' Responsibility Statement, the Directors hereby confirm that:

(i) in the preparation of the Accounts for the Financial Year ended 31st March 2011, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;

II. उन्होंने इस प्रकार की लेखा नीति का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और किये गये निर्णय और आकलन उचित एवं विवेकपूर्ण है ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति को कंपनी के कामकाज का सही और उचित चित्र और वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी का लाभ/हानि प्रस्तुत कर सके.

III. निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने हेतु उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है.

IV. निदेशकों ने निरंतर आधार पर 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी की है.

7. लेखा परीक्षा समिति :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने वर्तमान निम्नलिखित निदेशक समेत लेखा परीक्षा समिति का गठन/पुनर्गठन किया है :

1. श्री एस सूर्यनारायण	निदेशक
2. श्री के एस रामकृष्णन	निदेशक
3. श्री वाई प्रमीला रानी	निदेशक
4. श्री बी नरेन्द्रनाथ रेड्डी	निदेशक

8. लेखा परीक्षक :

मेसर्स किशोर एंड वेंकट एसोसियेट्स, सनदी लेखाकार, हैदराबाद, वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किये गये हैं. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (बी) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू हैं.

9. आभार प्रदर्शन :

निदेशकगण अभिरक्षक, माननीय विशेष न्यायालय, मुंबई, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं क्षेत्र), भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक को उनके मार्गदर्शन, समर्थन एवं कंपनी को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं.

निदेशकगण प्रायोजक बैंक, यानी कि आन्ध्रा बैंक को, उनके द्वारा दिये गये समर्थन एवं निदेश के लिए धन्यवाद देता है. इसके अलावा, बोर्ड निदेशकों के अपने कार्यकाल के दौरान दी गयी सेवाओं एवं अमूल्य मार्गदर्शन के लिए प्रशंसा रिकार्ड करता है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अनिल गिरोत्रा)

अध्यक्ष

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 25.04.2011



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

(ii) they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company as at the end of the financial year and of the profit / loss of the company for the Financial Year;

(iii) the directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(iv) the directors have prepared the Annual Accounts for the financial year ended 31st March 2011 on a 'going concern' basis.

7. Audit Committee.

In accordance with the provisions of Section 292 A of the Companies, Act 1956, the Company has constituted / re constituted an Audit Committee comprising of the following Directors at present:

1. Shri S Suryanarayana : Director
2. Shri K S Ramakrishnan : Director
3. Smt Y Prameela Rani : Director
4. Shri B Narendranatha Reddy : Director

8. Auditors

The Comptroller & Auditor General of India has appointed M/s. Kishore & Venkat Associates, Chartered Accountants, Hyderabad as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2010-11. The provisions of Section 619 (B) of the Companies Act, 1956 are applicable to the Company.

9. Acknowledgments.

The Directors thank the Custodian, Hon'ble Special Court, Mumbai, Ministry of Finance (Financial Services Sector), Reserve Bank of India, and Comptroller & Auditor General of India for their valuable guidance, support and cooperation to the Company.

The Directors gratefully acknowledge the support and direction provided by the parent Bank i.e Andhra Bank. The Board further places on record its appreciation for the services rendered and valuable guidance provided by the directors during their tenure in the Board.

For and on behalf of the Board of Directors

(Anil Girotra)
CHAIRMAN

Place: Hyderabad
Date : 25.04.2011.

अनुबंध-I निदेशक की रिपोर्ट का अनुशेष

रिपोर्ट में दर्शाए अनुसार 01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि से संबंधित खातों पर सांविधिक परीक्षकों की रिपोर्ट दिनांक 25.04.2010 के प्रेक्षण पर स्पष्टीकरण.

वर्तमान मामले में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दि.15.12.2010 द्वारा मामले में मध्यस्थता तथा मध्यस्थ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले को सूचीबद्ध करने का अनुदेश दिया. दिनांक 06.04.2011 को मध्यस्थता की कार्रवाई के अनुसार टीएनपीएल तथा एबीएफएसएल एलडी. मध्यस्थ के समक्ष अंतिम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इन परिस्थितियों में मध्यस्थ का उच्चतम न्यायालय के आदेश, जो अपेक्षित हैं, की प्राप्ति के पश्चात लागू होगी.

कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुसार ब्याज तथा अन्य देय की पहचान, मुकदमों के दायर होने पर ऋण तथा दावों के संबंध में, विवेक के आधार पर प्राप्त होने पर ही होगी.

उत मदों के आधार पर, टीपीएनएल से 05.04.2011 को कंपनी द्वारा प्राप्त राशि को वित्तीय वर्ष 31.03.2011 हेतु आय नहीं माना जाएगा.

अतएव, दिनांक 05.04.2011 को कंपनी द्वारा प्राप्त राशि को टीएनपीएल से प्राप्त अग्रिम माना जाना है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 25.04.2011

(अनिल गिरोत्रा)
अध्यक्ष



ANNEXURE - 1 - ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT

Explanations to observations of the Statutory Auditors in their Report dated 25.04.2011 on the accounts relating to the period 01.04.2010 to 31.03.2011 as per the seriatum indicated in the report.

In the present case, the Supreme Court of India, vide its order dt.15.12.2010, directed the matter to mediation and to list after receiving the report from the mediator. As per the mediation proceedings conducted on 06.04.2011, TNPL and ABFSL signed the final Memorandum of settlement before Ld.Mediator. In these circumstances, the mediation will be effective after receipt of order of Supreme Court of India which is awaited

As per Significant Accounting Policies of the Company, interest and

others dues shall not be recognized until received on the grounds of prudence in respect of debts and claims where suits have been filed.

Basing on above points, the amount received by the Company from TNPL on 05.04.2011 not to be treated as income for the Financial Year 31.03.2011.

Hence, the amount received by the Company on 05.04.2011 is to be treated as advance received from TNPL.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Hyderabad
Date : 25.04.2011.

(Anil Girotra)
CHAIRMAN

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्य

आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

हैदराबाद

हमने आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 का तुलन पत्र और इसके परिशिष्ट में दी गयी उसी तिथि को समाप्त वर्ष के कंपनी के लाभ हानि खाते की भी लेखा परीक्षा की है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार प्रस्तुत करना हमारी जिम्मेदारी है।

हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अनुसार हम से यह अपेक्षित है कि "वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण तथ्य छूट न जाएं" - इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने योजना बनायी तथा लेखा परीक्षा की। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में किये गये प्रकटनों तथा राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों के संबंध में जांच आधार पर किया गया परीक्षण सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों तथा प्रयुक्त किये गये लेखा सिद्धांतों तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा अपनी राय के लिए यथोचित आधार प्रस्तुत करती है।

1. कंपनी ने टीएनपीएल से ₹ 490 लाख प्राप्त किए, जिनमें से ₹ 429 लाख कंपनी से वसूल किया गया अधिक ब्याज है। भुगतान किये गये वर्ष में उसे लाभ हानि लेख में नामे किया गया है तथा यह मामला न्यायालयाधीन है। दिनांक 29.03.2011 को संपन्न विवाचन (सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के अनुसार) की चौथी बैठक में दोनों पक्षकार, यानी एबीएएसएल और टीएनपीएल ने ₹ 490 लाख में यह मामले का निपटारा किया, जो 05.04.2011 को प्राप्त हुआ। यद्यपि, दिनांक 29.03.2011 को धन की प्राप्ति निर्धारित हुई तथापि राशि वास्तव में 05.04.2011 को ही प्राप्त हुई।
2. कंपनी ने अंतर-कार्पोरेट जमा का परिपक्वता दिन पर ब्याज सहित भुगतान किया। कुछ जमाकर्ताओं ने संविदा की तारीख और वास्तविक भुगतान तिथि के बीच की अवधि के लिए भी ब्याज की मांग की। ऐसे दावों को कंपनी ने न तो मान्यता दी न उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में स्वीकार किया। हमारी राय में इन दावों को आकस्मिक देयताओं के रूप में स्वीकार किया जाना है तथापि सूचना के अभाव में हम ब्याज राशि की गणना नहीं कर सके।
3. हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सामने प्रस्तुत रिकार्डों की जांच के बाद वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए ₹ 8,19,506 और वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए ₹ 1,76,618 के टीडीएस मूल प्रमाण पत्र आज तक वसूल नहीं किये गये हैं और आय कर विभाग को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः हम सलाह देते हैं कि उक्त टीडीएस प्रमाण पत्रों को वसूल कर आय कर विभाग को प्रस्तुत करें या उक्त राशियों को अपलिखित करें।
4. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों (रिजर्व बैंक) के निदेश, 2008 की अपेक्षा के अनुसार, आगे हम यह सूचित करते हैं कि हमने निदेशक मंडल को उक्त निदेशों में निर्दिष्ट मामलों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों पर विवरण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

5. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 56 आईए में प्रावधानित अनुसार, कंपनी 9 जनवरी, 1997 के पूर्व निगमित कंपनी है एवं 28.01.2005 को भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएसीआई के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र के आवेदन को नामंजूर करने की सूचना प्राप्त हुई है।

अनुसूची 15 की नोट संख्या 7 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक दिनांक 28.01.2005 के पत्र के अनुसार, कंपनी ने भौतिक रूप में कुछ शेयरों को छोड़कर, अपनी सभी वित्तीय आस्तियों का निपटारा कर दिया है। साथ ही कंपनी ने दिनांक 09.01.2008 के पत्र द्वारा स्वयं को गैर बैंकिंग गैर वित्तीय संस्था के रूप में मानने के अनुरोध सहित भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 05.12.2008 को विषय वस्तु नोट करने के संबंध में कंपनी को जानकारी दी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने जनता से जमा स्वीकार नहीं करने का संकल्प पारित किया है।

- कंपनी ने संदर्भाधीन वर्ष में जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।
- मद संख्या 1 के अधीन रहते हुए, कंपनी ने अपने पर लागू आय निर्धारण, लेखा मानदंड, आस्ति वर्गीकरण और अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन किया है।
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अनुसार कंपनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किये गये कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (सी ए आर ओ 2003) की अपेक्षानुसार हम उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में प्रस्तुत कर रहे हैं।
- उक्त संदर्भित अनुच्छेदों में की गयी हमारी टिप्पणियों के अधीन - 31 मार्च, 2010 को कंपनी के कार्यों के तुलन पत्र के मामले में और - लाभ व हानि के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के मामले में

हम सूचित करते हैं कि :

- हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं, जो हमारी उत्तम - जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून की अपेक्षानुसार खाता बहियों का अब तक उचित रखरखाव किया गया है
- इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा, लेखा-बही के अनुरूप है
- हमारी राय में तुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3 सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुरूप हैं।
- कंपनी तथा उसके सभी निदेशकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- हमें दिये गये स्पष्टीकरण, अनुसूचियों के साथ पढ़े जाने वाले उक्त खाते और उन पर की गयी टिप्पणियाँ कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करते हैं और ये सही और उचित हैं।



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

AUDITORS' REPORT

To
The Members
Andhra Bank Financial Services Ltd
Hyderabad

We have audited the Balance Sheet of Andhra Bank Financial Services Ltd as on 31st March, 2011 and the Profit and Loss account for the year ended on that date and annexed thereof. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

- 1 The Company has received ₹ 490 lacs from TNPL out of which ₹ 429 lacs represents the excess interest collected from the Company and same was debited to Profit and Loss Account in the year of payment and the matter was in court. As per the minutes of the 4th sitting of Arbitration (As directed by Supreme Court) on 29-03-2011 both the parties that is ABFSL and TNPL settled the issue for an amount of ₹ 490 lacs which was received on 05-04-2011. The above amount was not recognized as income by the Company even though the receipt is certain on 29-03-2011 and the amount was actually received on 05-04-2011.
- 2 The Company has repaid Inter-Corporate Deposit with interest to the date of maturity. Few depositors claimed for interest after the contracted date and upto the date of repayment. Such claims have not been acknowledged by the company nor recognized as contingent liabilities. In our opinion these claims are to be considered as contingent liabilities, however we are unable to quantify the interest in the absence of information.
- 3 As per the explanation given to us and after the verification of records produced before us TDS original certificates worth ₹ 8,19,506 for the financial year 1996-97 and ₹ 1,76,618 for the financial year 1997-98 were not collected and submitted to the Income Tax Department as on date. Hence we suggested to collect and submit the above-mentioned TDS original certificates to Income Tax Department or write off the above-mentioned amounts.

- 4 As required by the Non Banking Financial Companies Auditors' [Reserve Bank] Directions, 2008 we further state that we have submitted a report to the Board of Directors of the Company containing a statement on the matters of the supervisory concern to the Reserve Bank of India as specified in the said directions.
- 5 The company, incorporated prior to January 9, 1997 has applied for registration as provided in section 56 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 [2 of 1934] and has received a communication dt. 28.01.2005 from the Reserve Bank of India rejecting the application for certificate of registration as an NBFI.

Attention is invited to note No 7 of schedule 15. As per the directions of RBI vide their Lr dt.28.01.2005, the company had disposed off all its financial assets except certain shares which are in physical form. Further, the company has approached RBI vide Lr dt. 09.01.2008 with a request to treat it as Non Banking Non Financial Institution. RBI replied on 05.12.2008 that it has taken the contents mentioned there in on record.

The board of directors of the company has passed a resolution for non-acceptance of any public deposits.

- The company has not accepted any public deposits during the year under reference.
- The company subject to point no. – 1 has complied with prudential norms relating to the Income recognition, accounting standards, asset classification and provision of bad and doubtful debts as applicable to it.
- As required by the Companies [Auditors' Report] Order, 2003 [CARO 2003], issued by the Company Law Board in terms of Section 227 [4A] of the Companies Act, 1956, we give in the annexure, a statement on the matters specified in the said order.
- Subject to our comments in the paras referred to above, we report that:
 - We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - In our opinion, proper books of account have been kept by the company as required by law so far, as appears from our examination of these books.
 - The Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.
 - In our opinion, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account comply with the Accounting Standards referred in sub-section [3C] of Section 211, of the Companies Act, 1956.
 - As per the representation made by the Company and all its directors, no director is disqualified from being appointed as director of the company under clause [g] of sub-section [1] of Section 274 of the Companies Act, 1956.

लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध

- i. क) कंपनी परिमाणात्मक विवरण एवं पट्टेदारी आस्तियों समेत अचल संपत्तियों का संपूर्ण विवरण दर्शाने के लिए सही रिकार्ड का रखरखाव कर रही है.
- ख) उचित समय अंतराल में पट्टेदारी आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों की जाँच प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप में की गयी है. जाँच के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गयी.
- ग) वर्ष के दौरान अचल संपत्ति के किसी भी अंश का विक्रय नहीं किया गया है.
- ii. क) प्रबंधन द्वारा उचित समयांतराल पर सूचीगत शेयरों, स्क्रिप, बांडों का भौतिक सत्यापन किया गया है.
- ख) हमारे विचार के अनुसार प्रबंधन द्वारा स्टाकों की भौतिक जाँच के लिए अपनायी गयी पद्धति, कंपनी के आकार और कारोबार की प्रकृति के अनुरूप उचित एवं पर्याप्त है.
- ग) कंपनी सूचीगत शेयरों एवं स्क्रिपों के सही रिकार्ड का रख रखाव कर रही है. शेयर और बांडों की भौतिक जाँच के समय कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी गयीं.
- iii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखरखाव किये गये रजिस्टर के साथ कवर किये गये किसी भी कंपनी, फर्म एवं अन्य पार्टियों से /को किसी भी प्रकार का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया / दिया है.
- iv. स्टॉक एवं अचल संपत्तियों का क्रय और स्क्रिपों, शेयरों और बांडों के विक्रय के लिए कंपनी के आकार एवं उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धति है.
- v. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टि किये जाने हेतु कोई लेनदेन नहीं हैं.
- vi. कंपनी ने जनता से जमाओं को स्वीकार नहीं किया है.
- vii. कंपनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है. तथापि व्यापार के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं.
- viii. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अंतर्गत लागत रिकार्ड का रखरखाव करने की आवश्यकता नहीं है.
- ix. क) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कंपनी पर भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं हैं.
- ख) कंपनी ने निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1997-98, 1999-2000 और 2008-09 के आयकर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है.

- x. कंपनी वर्ष 1991 में निगमित की गयी है एवं 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि अपने निवल मूल्य का 50% से अधिक है. लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में लाभ अर्जन किया है.

वर्षवार संचित हानि के विवरण, जिन्हें भविष्य के लाभों में से, यदि हों तो, समंजन किया जाना है, निम्न प्रकार हैं :

निर्धारण वर्ष समायोजन के बाद नकद हानि

2003-04 ₹ 8,69,88,297.00

2004-05 ₹ 37,33,598.00

2007-08 ₹ 23,54,633.00

- xi. शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के आधार पर किसी प्रकार के ऋणों की मंजूरी नहीं की गयी.
- xii. कंपनी ने शेयरों, प्रतिभूतियों में लेनदेन किया है और लेनदेन तथा संविदाओं के सही रिकार्ड का रखरखाव किया गया है और समय पर संबंधित प्रविष्टियाँ की गयी हैं अन्य शेयरों, प्रतिभूतियाँ और अन्य प्रतिभूतियाँ कंपनी के अपने नाम पर हैं.
- xiii. कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थाओं से अन्य द्वारा लिये गये ऋणों के लिए किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी है.
- xiv. अल्पावधि के लिए एकत्रित कर दीर्घावधि निवेश के लिए या इसके विपरीत प्रयोजन हेतु कोई निधि उगाही नहीं की गयी.
- xv. आबंटन के लिए अधिमान शेयर उपलब्ध नहीं हैं.
- xvi. वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी की जानकारी नहीं मिली या रिपोर्ट की गयी.
- xvii. कंपनी आदेश (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैराग्राफ 11,13,16,19 एवं 20 इस कंपनी पर लागू नहीं हैं.

कृते किशोर एंड वेंकट एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

ह/-

के एस आर आंजनेयुलु

साझेदार

सदस्यता संख्या 216283

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 25.04.2011



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

- Explanations given to us, the said accounts read together with the notes annexed thereto, give information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required subject to our comments referred to above and give a true and fair view.
 - In the case of Balance Sheet of the State of Affairs of the company as at 31st March 2011 and
 - In the case of Profit and Loss Account, of the profit of the Company for the year ended on that date.

Annexure to the Auditors' Report

- i. a) The company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets including that of leased assets.
 - b) These fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals, other than those assets that have been leased out by the company. No material discrepancies were noticed on such verification.
 - c) No part of fixed assets has been disposed off during the year.
- ii. a) Physical verification of inventory shares, scrip, bonds, has been conducted at reasonable intervals by management.
 - b) In our opinion the procedures for physical verification of inventory followed by the management is reasonable and adequate in relation to the size of the company and the nature of its business.
 - c) The Company is maintaining proper records of inventory-Shares and Scrips. No material discrepancies were noticed on physical verification of the Share and Bonds.
- iii. The company has not taken / granted any loans, secured or unsecured to or from companies, firms, or other parties covered with the register maintained under section 301 of the Companies Act 1956.
- iv. There is an adequate internal control procedure commensurate with the size of the company and the nature of business, for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of scrips, shares, and bonds.
- v. There are no transactions that need to be entered into a register in pursuance of section 301 of The Companies Act, 1956;
- vi. The company has not accepted deposits from the public.
- vii. The company has no internal audit system. However, the internal control procedures in place are commensurate with its size and nature of business.

- viii. The company is not required to maintain cost records under section 209[1][d] of The Companies Act, 1956.
- ix. a) As per the information and explanation furnished to us, in our opinion the Provident Fund and Employees State Insurance Act, are not applicable to the company.
 - b) The company has gone in appeal against the income tax Assessment orders for the Assessment Years 1993-94 to 1997-98, 1999-2000 and 2008-09.
- x. The company is incorporated in the year 1991 and the accumulated losses at the end of the financial year ending 31st March 2010 are more than 50% of its net worth but have earned profit for the current financial year.

Year wise losses, which can be set off against future profits if any.

Assessment Year cash losses after adjustments

2003-04 ₹ 8,69,88,297.00

2004-05 ₹ 37,33,598.00

2007-08 ₹ 23,54,633.00
- xi. No Loans have been granted on the basis of Security of Shares, debentures and other securities.
- xii. The company has dealt in shares, securities and proper records have been maintained of the transactions and contracts and timely entries have been made therein; also the shares, securities, and other securities have been held by the company, in its own name.
- xiii. The company has not given any guarantee for loans by others from bank or financial institutions;
- xiv. No funds have been raised on the short-term basis and have been used for long-term investment and vice-versa;
- xv. No preferential shares are available for allotment.
- xvi. No fraud on or by the company has been noticed or reported during the year;
- xvii. The paragraphs No 11, 13, 16, 19 & 20 of Companies (auditor's report) order, 2003 are not applicable to this company.

For **KISHORE & VENKAT ASSOCAITES**

Chartered Accountants

K. S. R. ANJANEYULU

Partner

Membership No.216283

Place: Hyderabad

Date: 25.04.2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

	₹	₹
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी आगमन		87,55,641
निवेशों पर वापसी एवं वित्तीय चुकौती		
प्राप्त ब्याज	0	
प्रदत्त ब्याज	0	
प्रदत्त लाभांश	0	
निवेशों पर वापसी एवं वित्तीय चुकौती से निवल नकदी आगमन / (बहिर्गमन)	0	
कर-निर्धारण		
प्रदत्त कार्पोरेशन कर		
प्रदत्त कर (37,80,899 - 9,70,202 - 6,20,000)		21,90,697
निवेश क्रियाकलाप		
अमूर्त अचल संपत्ति अधिग्रहण करने हेतु भुगतान	0	
मूर्त अचल संपत्ति अधिग्रहण करने हेतु भुगतान	0	
मूर्त अचल संपत्ति की बिक्री पर वसूली	0	
निवेश क्रियाकलापों पर निवल नकद आगमन / (बहिर्गमन)		0
वित्तपोषण से पहले निवल नकदी आगमन		1,09,46,338
वित्तपोषण	0	
साधारण पूंजी जारी करना	0	
डिबेंचर ऋण की पुनः खरीदी	0	
शेयर जारी करने के संबंध में प्रदत्त व्यय	0	
वित्तपोषण पर निवल नकद आगमन (बहिर्गमन)	0	0
नकद एवं नकद तुल्यों में वृद्धि / (कमी)		1,09,46,338

1. दिनांक 31.03.2011 के परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकद आगमन पर परिचालन लाभ का समाशोधन

	₹	₹
परिचालन लाभ		77,06,733
मूल्यहास प्रभार		718
मूर्त अचल आस्तियों की बिक्री पर हानि		0
स्टाक की वृद्धि / हास		70,863
देनदार में वृद्धि / हास		9,77,327
लेनदार में वृद्धि / हास		0
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी आगमन		87,55,641

2. वर्ष के दौरान नकद एवं नकद तुल्य के अंतर्गत परिवर्तन पर विश्लेषण

	₹	₹
1 अप्रैल 2010 को शेष		12,08,00,397
निवल नकदी आगमन		1,09,46,338
31 मार्च, 2011 को शेष		13,17,46,735

3. तुलन पत्र में दर्शाये गये नकद एवं नकद तुल्य शेष राशियों का विश्लेषण

	31.03.2011	31.03.2010	वर्ष में परिवर्तन
	₹	₹	₹
बैंक में नकद एवं हस्तगत नकद	13,17,46,735	12,08,00,397	1,09,46,338
अल्प अवधि निवेश	0	0	0
बैंक ओवरड्राफ्ट	0	0	0
	13,17,46,735	12,08,00,397	1,09,46,338

4. वर्ष के दौरान वित्तपोषण के अंतर्गत परिवर्तन पर विश्लेषण

	शेयर पूंजी	डिबेंचर ऋण
	₹	₹
01 अप्रैल, 2010 को शेष	50,00,00,000	0
वित्तपोषण से नकद आगमन / (बहिर्गमन)	0	0
पुस्तक मूल्य के कम मूल्य पर डिबेंचर ऋण की पुनः खरीद पर लाभ	0	0
दिनांक 31 मार्च, 2011 को शेष	50,00,00,000	0

नोट : लेनदेन जिनसे नकद प्रवाह नहीं हो, उन्हें विवरण में नहीं दर्शाना चाहिए. नकद अथवा नकद-तुल्य में परस्परिक संचालन नहीं दर्शाना चाहिए.



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2011

	₹	₹
Net cash inflow from operating activities		87,55,641
Returns on investments and servicing of finance		
Interest received	0	
Interest paid	0	
Dividends paid	0	
Net cash inflow/ (outflow) from returns on investments and servicing of finance	0	
Taxation		
Corporation tax paid		
Tax paid (37,80,899 – 9,70,202 - 6,20,000)		21,90,697
Investing activities		
Payments to acquire intangible fixed assets	0	
Payments to acquire tangible fixed assets	0	
Receipts from sales of tangible fixed assets	0	
Net cash inflow/ (outflow) from investing activities		0
Net cash inflow before financing		1,09,46,338
Financing	0	
Issue of ordinary capital	0	
Repurchase of debenture loan	0	
Expenses paid in connection with share issues	0	
Net cash inflow/ (outflow) from financing	0	0
Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents		1,09,46,338

NOTES ON THE CASH FLOW STATEMENT

1. Reconciliation of operating profit to net cash inflow from operating activities as on 31.03.2011

	₹	₹
Operating profit		77,06,733
Depreciation charges		718
Loss on sale of tangible fixed assets		0
(Increase)/decrease in stocks		70,863
(Increase)/decrease in debtors		9,77,327
Increase/decrease in creditors		0
Net cash inflow from operating activities		87,55,641

2. Analysis of changes in cash and cash equivalents during the year

	₹
Balance at 1 st April 2010	12,08,00,397
Net cash inflow	1,09,46,338
Balance at 31 st March 2011	13,17,46,735

3. Analysis of the balances of cash and cash equivalents as shown in the balance sheet

	31.03.2011	31.03.2010	Change in year
	₹	₹	₹
Cash at bank and in hand	13,17,46,735	12,08,00,397	1,09,46,338
Short term investments	0	0	0
Bank overdrafts	0	0	0
	13,17,46,735	12,08,00,397	1,09,46,338

4. Analysis of changes in finance during the year

	Share capital	Debenture loan
	₹	₹
Balance at 1 st April 2010	50,00,00,000	0
Cash inflow/(outflow) from financing	0	0
Profit on repurchase of debenture loan for less than its book value	0	0
Balance at 31 st March 2011	50,00,00,000	0

Note: Any transactions which do not result in a cash flow should not be reported in the statement. Movements within cash or cash equivalents should not be reported.



आन्ध्रा बैंक एवं इसकी अनुषंगियों / एसोसिएट्स के समेकित वित्तीय विवरण
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF
ANDHRA BANK AND ITS SUBSIDIARY/ASSOCIATES

31.03.2011 को आन्ध्रा बैंक तथा उसकी अनुषंगी / एसोसिएट्स का समेकित तुलन पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF ANDHRA BANK AND ITS SUBSIDIARY/ASSOCIATES AS ON 31.03.2011

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
निधियों का स्रोत SOURCE OF FUNDS			
पूंजी CAPITAL	1	5,595,804	4,850,000
प्रारक्षितियाँ और अधिशेष RESERVES & SURPLUS	2	59,546,049	39,417,942
जमाशियाँ DEPOSITS	3	921,431,070	776,761,276
उधार BORROWINGS	4	76,397,408	58,524,426
अन्य देयताएँ और प्रावधान OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	5	26,484,470	24,278,747
कुल TOTAL		1,089,454,801	903,832,391
निधियों का विनियोजन APPLICATION OF FUNDS			
नकद एवं भारतीय रिजर्व बैंक में शेष CASH AND BALANCES WITH RBI	6	71,844,052	66,986,980
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	32,745,455	44,689,587
निवेश INVESTMENTS	8	242,384,026	209,111,003
अग्रिम ADVANCES	9	714,353,582	561,135,072
अचल आस्तियाँ FIXED ASSETS	10	3,175,004	3,556,569
अन्य आस्तियाँ OTHER ASSETS	11	24,952,682	18,353,180
कुल TOTAL		1,089,454,801	903,832,391
आकस्मिक देयताएँ CONTINGENT LIABILITIES	12	362,109,830	417,341,573
वसूली के लिए बिल BILLS FOR COLLECTION		30,620,760	23,118,333
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ NOTES ON ACCOUNTS	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र की अभिन्न अंग हैं.

The Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

(आर. रामचन्द्रन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक			अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक		ए ए ताज कार्यपालक निदेशक	
निदेशक			डी जोगिराजु महा प्रबंधक		वी सत्यनारायण मुख्य प्रबंधक	
मधुलिका पी. सुकुल	के आर आनंदा	राजीव शेखर साहू	टी वी एस चंद्रशेखर उप महा प्रबंधक		वी सत्यनारायण मुख्य प्रबंधक	
प्रेम प्रकाश पारीक	के रघुरामन	मनोरंजन दास				
एन वी आर रेड्डी	एन राजगोपाल रेड्डी					

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी एन केडिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001652 एन
(एस के केडिया)
साझेदार (स.संख्या.052579)

कृते रामन एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 02910एस
(जी वासुदेवन)
साझेदार (स.संख्या.020739)

कृते के के घई एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001342एन
(सुमीत घई)
साझेदार (स.संख्या.097893)

कृते राजु एण्ड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 003475 एस
(एम शिव राम प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.018943)

कृते के एस रामकृष्ण एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 02888 एस
(सीएच अमर सुधीर)
साझेदार (स.संख्या.201320)

कृते नटराज अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 002413एस
(जी प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.019617)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 05.05.2011



31.03.2011 को समाप्त वर्ष हेतु आन्ध्रा बैंक तथा उसकी अनुषंगी / एसोसिएट्स का समेकित लाभ एवं हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF ANDHRA BANK AND ITS SUBSIDIARY/ASSOCIATES
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2011

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010
आय INCOME			
अर्जित व्याज INTEREST EARNED	13	82,916,522	63,728,948
अन्य आय OTHER INCOME	14	8,969,516	9,646,366
कुल TOTAL		91,886,038	73,375,314
व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया व्याज INTEREST EXPENDED	15	50,693,370	41,770,958
परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES	16	17,054,328	13,496,912
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		11,460,517	7,641,229
कुल TOTAL		79,208,215	62,909,099
एसोसिएट्स में लाभ का शेयर SHARE OF PROFIT IN THE ASSOCIATES		43,086	30,464
वर्ष हेतु निवल लाभ NET PROFIT FOR THE YEAR		12,720,909	10,496,679
आगे लाया गया लाभ PROFIT BROUGHT FORWARD		1,874,848	1,396,007
कुल TOTAL		14,595,757	11,892,686
विनियोजन APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		3,177,899	2,637,576
पूंजी प्रारक्षितियों को अंतरण Transfer to Capital Reserve		44,000	933,600
राजस्व व अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण Transfer to Revenue & Other Reserves		4,024,325	3,018,900
विशेष प्रारक्षिती को अंतरण Transfer to Special Reserve		960,000	600,000
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		3,077,692	2,425,000
लाभांश पर कर Tax on Dividend		499,279	402,762
तुलन पत्र को ले जाया गया शेष Balance carried over to Balance Sheet		2,812,562	1,874,848
कुल TOTAL		14,595,757	11,892,686
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर अर्जन Earnings per share (Basic and diluted) ₹		26.06	21.64

The Schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss Account.

R. Ramachandran Chairman & Managing Director			Anil Girotra Executive Director		A.A. Taj Executive Director	
Directors			D. Jogiraju General Manager		D. Jogiraju General Manager	
Madhulika P. Sukul	K.R. Ananda	Rajib Sekhar Sahoo	T.V.S. Chandrasekhar		V. Satyanarayana	
Prem Prakash Pareek	K. Raghuraman	Manoranjan Das	Deputy General Manager		Chief Manager	
N.V.R. Reddy	N. Raja Gopal Reddy					

As per our report of even date

For B.N. KEDIA & CO
Chartered Accountants
FRN-001652N
(S.K. Kedia)
Partner (M. No. 052579)

For RAMAN ASSOCIATE
Chartered Accountants
FRN-02910S
(G. Vasudevan)
Partner (M. No.020739)

For K.K.GHEI & CO
Chartered Accountants
FRN-001342N
(Sumit Ghei)
Partner (M.No. 097893)

For RAJU & PRASAD
Chartered Accountants
FRN-003475S
(M. Siva Ram Prasad)
Partner (M. No.018943)

For K.S.RAMAKRISHNA & CO
Chartered Accountants
FRN-02888S
(Ch. Amar Sudheer)
Partner (M No. 201320)

For NATARAJA IYER & CO
Chartered Accountants
FRN-002413S
(G. Prasad)
Partner (M. No.019617)

Place : Hyderabad
Date : 05.05.2011

अनुसूचियाँ, जो समेकित तुलन पत्र का भाग हैं
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE-1:: पूँजी CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी AUTHORISED CAPITAL		
300,00,00,000 ₹10 का प्रत्येक इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	30,000,000	30,000,000
II. निर्गमित, अभिवत्त, बुलाई गयी और प्रवृत्त पूँजी ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED UP AND PAID UP		
₹.10/- प्रत्येक के 55,95,80,364 पूँजी शेयर (गत वर्ष 48,50,00,000 पूँजी शेयर) (केन्द्र सरकार के स्वामित्व में 32,45,80,364 पूँजी शेयर गत वर्ष 25,00,00,000 पूँजी शेयर) 55,95,80,364 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 48,50,00,000 Equity Shares) [Including 32,45,80,364 Equity Shares (Previous year 25,00,00,000 Equity Shares) held by Central Government]	5,595,804	4,850,000
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 1	5,595,804	4,850,000
अनुसूची SCHEDULE- 2 : प्रारक्षितियाँ और अधिशेष RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक प्रारक्षितियाँ STATUTORY RESERVE		
प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE	13,789,741	11,152,165
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITION DURING THE YEAR	3,177,899	2,637,576
कुल TOTAL - I	16,967,640	13,789,741
II. पूँजी प्रारक्षितियाँ CAPITAL RESERVE		
प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE	3,449,971	2,516,371
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कमी ADDITION DURING THE YEAR	44,000	933,600
कुल TOTAL - II	3,493,971	3,449,971
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM		
प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE	6,800,000	6,800,000
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	10,984,196	-
कुल TOTAL - III	17,784,196	6,800,000
IV. राजस्व प्रारक्षितियाँ REVENUE RESERVE		
प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE	11,463,382	8,444,701
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITION DURING THE YEAR	4,024,325	3,018,900
घटाइये : समायोजन Less: Adjustments	27	219
कुल TOTAL - IV	15,487,680	11,463,382
V. विशेष आरक्षिती SPECIAL RESERVE U/S 36(1)(viii) OF IT ACT		
प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE	2,040,000	1,440,000
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITION DURING THE YEAR	960,000	600,000
घटाइये : कटौतियाँ Less: Deductions	-	-
कुल TOTAL - V	3,000,000	2,040,000
VI. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT	2,812,562	1,874,848
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 2	59,546,049	39,417,942



अनुसूचियाँ, जो समेकित तुलन पत्र का भाग हैं

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE- 3 : जमाएँ DEPOSITS		
I-A माँग जमाएँ DEMAND DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	850,552	1,030,693
ii) अन्यो से FROM OTHERS	70,748,173	66,429,536
कुल TOTAL I-A	71,598,725	67,460,229
I-B बचत बैंक जमा राशियाँ SAVING BANK DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	-	-
ii) अन्यो से FROM OTHERS	196,192,780	161,180,814
कुल TOTAL I-B	196,192,780	161,180,814
I-C सावधि जमा राशियाँ TERM DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	1,095,812	2,293,610
ii) अन्य से FROM OTHERS	652,543,753	545,826,623
कुल TOTAL I-C	653,639,565	548,120,233
कुल TOTAL-I	921,431,070	776,761,276
II-A भारत की शाखाओं में जमाएँ DEPOSITS OF BRANCHES IN INDIA	921,431,070	776,761,276
II-B भारत की बाहरी शाखाओं में जमाएँ DEPOSITS OF BRANCHES OUTSIDE INDIA	-	-
कुल TOTAL-II	921,431,070	776,761,276
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 3	921,431,070	776,761,276
अनुसूची SCHEDULE - 4 : उधार BORROWINGS		
I. भारत में उधार BORROWINGS IN INDIA		
i) भारतीय रिजर्व बैंक FROM RESERVE BANK OF INDIA	-	-
ii) अन्य बैंक FROM OTHER BANKS	-	57
iii) अन्य संस्था और एजेंसियाँ OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	57,959,547	47,728,056
(गौण ऋण/आई पी डी बी /अप्पर टियर -II बांड सहित Including Subordinated Debts/IPDB/Upper Tier II Bonds)		
II. भारत से बाहर उधार BORROWINGS OUTSIDE INDIA	18,437,861	10,796,313
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 4	76,397,408	58,524,426

अनुसूचियों, जो समेकित तुलन पत्र का भाग हैं
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE - 5 :: अन्य देयता और प्रावधान OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल BILLS PAYABLE	6,363,682	9,086,660
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) INTER OFFICE ADJUSTMENTS (NET)	-	-
III. उपचित ब्याज INTEREST ACCRUED	4,299,833	1,821,233
IV. मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान CONTINGENT PROVISIONS AGAINST STANDARD ASSETS	4,375,900	2,725,341
V. आस्थगित कर देयता DEFERRED TAX LIABILITY	710,000	-
VI. अन्य OTHERS (प्रावधान के साथ Including Provisions)	10,735,055	10,645,513
कुल TOTAL SCHEDULE - 5	26,484,470	24,278,747
अनुसूची SCHEDULE - 6 :: नकद एवं भारतीय रिजर्व बैंक में शेष CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. नकद CASH IN HAND (विदेशी करेंसी नोट सहित Including Foreign Currency Notes)	4,579,162	4,299,906
II. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष BALANCE WITH RESERVE BANK OF INDIA		
i) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	67,264,890	62,687,074
ii) अन्य खातों में IN OTHER ACCOUNTS	-	-
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 6	71,844,052	66,986,980
अनुसूची SCHEDULE - 7 :: बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में IN INDIA		
i) बैंकों में शेष BALANCES WITH BANKS		
ए a) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	1,080,777	1,261,585
बी b) अन्य खातों में IN OTHER ACCOUNTS	5,076,064	2,076,064
कुल TOTAL	6,156,841	3,337,649
ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
ए a) बैंकों के पास WITH BANKS	22,976,528	39,975,864
बी b) अन्य संस्थाओं के पास WITH OTHER INSTITUTIONS	-	-
कुल TOTAL	22,976,528	39,975,864
कुल TOTAL - I	29,133,369	43,313,513
II. भारत के बाहर OUTSIDE INDIA		
i) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	1,657,689	797,117
ii) अन्य जमा खातों में IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	1,954,397	578,957
iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	-	-
कुल TOTAL - II	3,612,086	1,376,074
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 7	32,745,455	44,689,587



अनुसूचियाँ, जो समेकित तुलन पत्र का भाग हैं

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE - 8 :: निवेश INVESTMENTS		
I भारत में निवेश INVESTMENTS IN INDIA		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	227,195,506	197,435,330
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	235,919	374,641
iii) शेयर SHARES	1,964,139	1,064,948
iv) डिबेंचर और बंधपत्र DEBENTURES AND BONDS	5,859,745	5,816,121
v) अनुषंगी और /अथवा संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	1,697,321	1,277,717
vi) अन्य (म्यूचुअल फंड, आरआईडीएफ, कमर्शियल पेपर एवं उद्यम पूंजी) OTHERS (IDBI Deposits, IVPs, Units Mutual Funds etc.)	5,431,396	3,142,246
कुल TOTAL - I	242,384,026	209,111,003
II भारत में निवेश INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	-	-
कुल TOTAL - II	-	-
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I and II)	242,384,026	209,111,003
सकल निवेश GROSS INVESTMENTS	242,442,892	209,362,040
घटाएँ LESS: मूल्यहास DEPRECIATION	58,866	251,037
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 8	242,384,026	209,111,003

अनुसूचियाँ, जो समेकित तुलन पत्र का भाग हैं
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE - 9 :: अग्रिम ADVANCES		
I-A. क्रय किये गये और भुनाये गये बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	16,786,690	14,764,440
I-B नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिदेय ऋण CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS	385,505,110	295,833,298
I-C. सावधि ऋण TERM LOANS	312,061,782	250,537,334
कुल TOTAL - I	714,353,582	561,135,072
II-A. गोचर आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही खातों के अग्रिमों के प्रति ऋण सहित) SECURED BY TANGIBLE ASSETS (Includes Advances against Book Debts)	570,987,850	453,128,112
II-B. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित COVERED BY BANK/GOVERNMENT GUARANTEES	29,652,441	26,880,834
II-C. अप्रतिभूत UNSECURED ADVANCES	113,713,291	81,126,126
कुल TOTAL - II	714,353,582	561,135,072
III-A. भारत में अग्रिम ADVANCES IN INDIA		
i) प्राथमिकता क्षेत्र PRIORITY SECTOR	235,741,470	199,301,140
ii) सार्वजनिक क्षेत्र PUBLIC SECTOR	58,344,298	48,088,177
iii) बैंक BANKS	0	0
iv) अन्य OTHERS	420,267,814	313,745,755
कुल TOTAL	714,353,582	561,135,072
III-B. भारत के बाहर अग्रिम ADVANCES OUTSIDE INDIA	-	-
कुल TOTAL - III	714,353,582	561,135,072
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 9	714,353,582	561,135,072
अनुसूची SCHEDULE - 10 :: अचल आस्तियाँ FIXED ASSETS		
A. गोचर आस्तियाँ TANGIBLE ASSETS		
I. परिसर PREMISES		
लागत पर प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE AT COST	787,895	705,433
वर्ष के दौरान जोड़ ADDITION DURING THE YEAR	71,739	82,462
वर्ष के दौरान कमी DEDUCTION DURING THE YEAR	-	-
अब तक मूल्यह्रास DEPRECIATION TO DATE	274,394	248,070
वर्षांत तक डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR	585,240	539,825
II. अन्य अचल आस्तियाँ OTHER FIXED ASSETS		
लागत पर प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE AT COST	7,160,636	6,365,433
वर्ष के दौरान जोड़ ADDITION DURING THE YEAR	565,473	946,824
वर्ष के दौरान कमी DEDUCTION DURING THE YEAR	301,053	151,621
अब तक मूल्यह्रास DEPRECIATION TO DATE	5,534,784	5,005,239
वर्षांत तक डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR	1,890,272	2,155,397
III. प्रक्रियागत पूँजी कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS		
लागत पर प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE AT COST	180,455	127,064
वर्ष के दौरान जोड़ ADDITION DURING THE YEAR	112,082	198,815
वर्ष के दौरान कमी DEDUCTION DURING THE YEAR	75,818	145,424
वर्षांत तक मूल्य VALUE AT THE END OF THE YEAR	216,719	180,455
B. अगोचर आस्तियाँ INTANGIBLE ASSETS		
I. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE		
लागत पर प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE AT COST	1,080,526	890,453
वर्ष के दौरान जोड़ ADDITION DURING THE YEAR	34,799	190,073
वर्ष के दौरान कमी DEDUCTION DURING THE YEAR	2,576	-
अवतक मूल्य ह्रास / शोषण DEPRECIATION / AMORTIZATION TO DATE	629,976	399,634
वर्षांत तक डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR	482,773	680,892
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 10	3,175,004	3,556,569



अनुसूचियाँ, जो समेकित तुलन पत्र का भाग हैं

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को As on 31.03.2011	31.03.2010 को As on 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE - 11 :: अन्य आस्तियाँ OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) INTER OFFICE ADJUSTMENTS (NET)	1,876,065	1,773,278
II. उपचित ब्याज INTEREST ACCRUED	5,447,115	4,692,446
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/ स्रोत पर काटा गया कर TAX PAID IN ADVANCE/TAX DEDUCTED AT SOURCE (Net of Provision)	9,310,920	6,700,225
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प STATIONERY AND STAMPS	74,346	64,905
V. आस्थगित कर आस्ति निवल DEFERRED TAX ASSET- NET	-	1,133,100
VI. अन्य OTHERS	8,244,236	3,989,226
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 11	24,952,682	18,353,180
अनुसूची SCHEDULE - 12 :: आकस्मिक देयताएँ CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया CLAIMS AGAINST BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	2,301,560	3,064,684
II. पूँजी प्रतिबद्धता CAPITAL COMMITMENTS	1,405,041	62,672
III. विकल्प एवं डेरिवेटिव्स OPTIONS & DERIVATIVES	4,346,302	5,387,291
IV. OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS ग्राहकों की ओर से गारंटियाँ (बैंक गारंटियाँ)	196,929,298	285,420,123
V. GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS (BGs)		
क a) भारत में IN INDIA	86,846,153	71,357,269
ख b) भारत के बाहर OUTSIDE INDIA	1,890,733	1,550,842
VI. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएँ ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	50,055,556	43,403,231
VII. चुकौती का आश्वासन पत्र LETTER OF COMFORT	15,289,327	3,838,328
VIII. ब्याज दर स्वैप INTEREST RATE SWAPS	-	-
IX. विवादित कर देयताएँ DISPUTED TAX LIABILITY	2,895,300	3,126,500
X. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देय है OTHER ITEMS FOR WHICH BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	150,560	130,633
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 12	362,109,830	417,341,573

अनुसूचियाँ, जो समेकित लाभ एवं हानि खाते का भाग हैं

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को Year Ended 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE - 13 :: अर्जित व्याज INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों / बिलों पर व्याज / रियायत INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS	66,891,686	51,612,765
II. निवेशों पर आय INCOME ON INVESTMENTS	15,395,925	11,883,189
III. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष और अन्य अंतरबैंक निधियों पर व्याज INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS	308,419	158,294
IV. अन्य आय OTHER INCOME	320,492	74,700
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 13	82,916,522	63,728,948
अनुसूची SCHEDULE - 14 :: अन्य आय OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	2,376,688	2,063,299
II. निवेश के विक्रय पर लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	1,407,722	3,245,181
III. निवेशों के प्रतिदान पर लाभ PROFIT ON REDEMPTION OF INVESTMENTS	(83)	2,277
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ PROFIT ON SALE OF LAND, BUILDINGS AND OTHER ASSETS	8,562	5,471
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS	943,849	579,576
VI. भारत में अनुषंगियों / कंपनियों व/या संयुक्त उद्यम से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय INCOME BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES / JOINT VENTURES IN INDIA	19,789	21,389
VII. विविध आय MISCELLANEOUS INCOME	4,212,989	3,729,173
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 14	8,969,516	9,646,366



अनुसूचियाँ, जो समेकित लाभ एवं हानि खाते का भाग हैं

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2011 को Year Ended 31.03.2011	31.03.2010 को Year Ended 31.03.2010
अनुसूची SCHEDULE - 15 :: व्यय किया गया ब्याज INTEREST EXPENDED		
I. जमाशियों पर ब्याज INTEREST ON DEPOSITS	45,646,026	38,003,764
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RBI/INTER-BANK BORROWINGS	2,255,187	1,340,469
III. अन्य OTHERS	2,792,157	2,426,725
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 15	50,693,370	41,770,958
अनुसूची SCHEDULE - 16 :: परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	11,043,268	8,241,440
II. किराया, कर और रोशनी RENT, TAXES AND LIGHTING	1,120,767	1,010,279
III. मुद्रण और लेखन सामग्री PRINTING AND STATIONARY	171,821	154,867
IV. विज्ञापन और प्रचार ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	98,232	67,393
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	1,074,351	1,019,966
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	7,335	7,801
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षक सहित) AUDITORS' FEES AND EXPENSES (Including Branch Auditors)	178,901	147,955
VIII. विधि प्रभार LAW CHARGES	123,996	89,995
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	274,148	252,318
X. मरम्मत और अनुरक्षण REPAIRS AND MAINTENANCE	634,975	569,997
XI. बीमा INSURANCE	724,601	649,537
XII. अन्य व्यय OTHER EXPENDITURE	1,601,933	1,285,364
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 16	17,054,328	13,496,912

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य :

वित्तीय विवरण, अन्यथा उल्लिखित न होने पर, विद्यमान दृष्टिकोण अपनाते हुए पारंपरिक लागत एवं संचित आधार पर एवं सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानकों/मार्गदर्शी नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार तैयार किये गये हैं।

2. राजस्व की पहचान :

- क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है।
- ख. अतिदेय बिलों पर ब्याज, कमीशन, विनिमय, ब्रोकरेज एवं लॉकरों पर किराया उगाही पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- ग. वाद दाखिल खातों के मामले में, लाभ एवं हानि लेखा में विधिक व्यय प्रभारित किया गया है। उसी तरह, वाद दाखिल खातों के संबंध में विधिक व्यय की वसूली के समय वसूल की गयी राशि, आय के रूप में परिकलित है।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन :

- क. आय एवं व्यय की मंटेनमेंट की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज की जाती हैं।
- ख. मौद्रिक मदों को साप्ताहिक औसत दर पर रेकार्ड किया जाता है। तुलनपत्र की तिथि को क्लोजिंग दरों पर ऐसी मौद्रिक मदों को रिपोर्ट किया जाता है। वर्ष के अन्त में प्रचलित ऐसी मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर आनेवाले विनिमय अन्तर को आय या व्यय, यथा मामला हो, या प्रारंभ में जो रेकार्ड किये गये हैं से अलग मौद्रिक मदों के निपटान पर निर्धारित किया जाता है।
- ग. वायदा विनिमय करार प्रारंभ में बुकिंग के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किये जाते हैं और तुलनपत्र निधि को भी मौलिक बुकिंग दर रिपोर्ट की जाती है। इस प्रकार के वायदा करार भारतीय मुद्रा विनिमय डीलर संघ (फेडाई) के पुनर्मूल्यांकन दर के आधार पर प्रत्येक महीने के अंत में फिर से मूल्यांकित किये जाते हैं। वायदा विनिमय करार के रद्दीकरण पर प्राप्त किसी लाभ या हानि को आय या व्यय, जैसा भी मामला हो, के रूप में मान्यता दिया जाता है।
- घ. विदेशी साख पत्रों तथा गारंटी पत्रों का, ऐसी प्रतिबद्धता की तारीख पर प्रचलित दरों के अनुसार रिकार्ड किया जाता है। फिर भी, तुलन पत्र की तारीख पर समाप्ति दर के अनुसार बकाया मदों का दुबारा वर्णन किया जाता है।
- ड. बैंक टू बैंक आधार पर लिये गये डेरिवेटिव-संविदा, संविदा की तिथि को प्रचलित दरों पर किये जाते हैं एवं तुलनपत्र की तारीख को, क्लोजिंग डेट पर रिपोर्ट किये जाते हैं। इन लेनदेन के संबंध में राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति पर किया जाता है या संविदा के समय-पूर्व समाप्ति पर समानुपातिक अवधि के लिए। बैंक टू बैंक आधार पर संविदा के संबंध में संविदा की अवधि पूर्व समाप्ति पर आय, समाप्ति समय पर निर्धारित किया जाता है।
- च. इस प्रयोजन के लिए उपयोग की गयी विनिमय दरें फेडाई द्वारा नोटिफाइड हैं।

4. निवेश :

क. बैंक के निवेश संविभाग निम्न प्रकार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- i) परिपक्वता तक रखे गये (एचटीएम)
- ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- iii) व्यापारार्थ रखे गये (एचएफटी)

परिपक्वता तक रखे गये निवेश के अंतर्गत परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त की गयी प्रतिभूतियाँ आती हैं। व्यापार के लिए रखे गये के अंतर्गत व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त प्रतिभूतियाँ आती हैं। बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियाँ वे हैं जो उपर्युक्त दोनों वर्गों में वर्गीकृत नहीं हैं।

ख. तुलनपत्र में प्रकट करने के लिए निवेश निम्नलिखित छः भागों में वर्गीकृत किये गये हैं।

- i) सरकारी प्रतिभूतियाँ
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- iii) शेयर
- iv) डिबेंचर एवं बॉंड
- v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम
- vi) अन्य

ग. मूल्यांकन :

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूतियों का मूल्यन निम्न के आधार पर किया जाता है।

i) परिपक्वता तिथि तक रखी गयी :

- क. इस वर्ग में रखे गये निवेश, परिशोधन की अर्जन लागत को कम कर लिये जाते हैं। यदि अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक हो तो शेष, परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- ख. अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों के निवेश मूल्यों में हुए ह्रास को निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक निवेश के लिए अलग से प्रावधानीकृत किया जाता है।

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध :

- क. इस वर्ग के अंतर्गत रखे गये निवेश बाजार में तत्कालीन अंतराल में बाजार मूल्य पर बेचे जाते हैं और शेयर बाजार, एसजीएल खाता लेनदेन, भारतीय रिजर्व बैंक की मूल्य सूची, प्रायमरी डीलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्य और फिक्सड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) से संयुक्त रूप में, तुलनपत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है। अनकोटेड प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।
- ख. छः समूहों में से (उपर्युक्त पैरा ख) प्रत्येक के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का पूर्णतया प्रावधान किया जाता है जबकि उपर्युक्त किसी भी समूह के अन्तर्गत शुद्ध मूल्य वृद्धि की उपेक्षा की जाती है। अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य मार्किंग टू मार्केट करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।



SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR 2010-11

1. GENERAL:

The financial statements are prepared on historical cost convention and accrual basis, unless otherwise stated, by following going concern concept and conform to the statutory provisions, accounting standards/guidance notes issued by Institute of Chartered Accountants of India and practices prevailing in the banking industry in India.

2. REVENUE RECOGNITION:

a. Interest on non-performing advances and investments is recognized as per the norms laid down by Reserve Bank of India.

b. Interest on overdue bills, commission, exchange, brokerage and rent on lockers are accounted on realization.

c. In case of suit filed accounts, legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and at the time of recovery of such expenses the same is accounted as income.

3. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS:

a. Income and Expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

b. Monetary items are reported at weekly average rate. Such monetary items are reported at closing rates as at balance sheet date. Exchange differences arising on the reporting of such monetary items at rates prevailing at the year end or on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded, are recognized as income or expense, as the case may be.

c. Forward exchange contracts are initially recorded at exchange rate prevailing at the time of booking of the contract and reported on the Balance Sheet date also at original booked rate only. Such forward contracts are revalued on the basis of FEDAI revaluation rate at the end of each month and profit or loss on such revaluation is recognized as income or expense as the case may be. Any profit or loss arising on cancellation of a forward exchange contract is recognized as income or expenditure as the case may be.

d. Foreign Letters of Credit and Letters of Guarantee are recorded at the rates prevailing on the date of entering into such commitment. Outstanding items are restated at the rate prevailing at the Balance Sheet date.

e. Derivative contracts undertaken on back-to-back basis or for hedging our own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of the contract and are reported at the closing rates at the Balance Sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till expiry of the contract. In respect of contracts done

on back to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.

f. The exchange rates used for this purpose are those notified by FEDAI.

4. INVESTMENTS:

a. The Investment portfolio of the Bank is classified into the following three categories:

- i. Held to Maturity (HTM)
- ii. Available for Sale (AFS)
- iii. Held for Trading (HFT)

"Held to Maturity" category comprises of securities acquired with the intention to hold them up to maturity. "Held for Trading" category comprises securities acquired with the intention of trading. "Available for Sale" securities are those which are not classified in either of the above two categories.

b. Investments are classified and shown in Balance Sheet under the following six heads:

- i. Government Securities
- ii. Other Approved Securities
- iii. Shares
- iv. Debentures and Bonds
- v. Subsidiaries / Joint Ventures and
- vi. Others.

c. Valuation:

The securities in each classification are valued in accordance with Reserve Bank of India guidelines on the following basis:-

i) Held to Maturity:

a. Investments classified under this category are stated at acquisition cost net of amortization. The excess of acquisition cost over the face value, if any, is amortized over the remaining period of maturity.

b. Any diminution, other than temporary in nature, in the value of investments is determined and provided for each investment individually.

ii) Available for Sale:

a. Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the Balance Sheet date from trades/quotes on the Stock Exchanges, prices/yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

b. The net depreciation under each of the six heads (Para 4b above) is fully provided for whereas the net appreciation, if any, under any of the aforesaid heads is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

iii) व्यापारार्थ रखे गये :

क. इस वर्ग के निवेश का मूल्यन प्रत्येक महीने के अंत में एफआईएमडीए द्वारा कीमत/प्रतिफल घोषित करने के बाद बाजार भावों के आधार पर बाजार दर पर किया जाता है।

ख. मूल्यहास, श्रेणी वार निर्धारित किया जाता है (उक्त पेरा 4 ख देखें) और यदि मूल्य वृद्धि हो तो उसकी उपेक्षा की जाती है।

ग. अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य मार्किंग टू मार्केट करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।

घ. विवेकपूर्ण मानदंड :

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनर्जक निवेशों की पहचान की गयी है और उन पर प्रावधान किये जाते हैं। अनर्जक निवेशों के संबंध में अपेक्षित प्रावधान को अन्य अर्जक निवेशों के प्रति समायोजित नहीं किया जाता है।

ङ. निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि :

i. निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है। डिबेंचर/बांडों के मोचन पर प्रीमियम की पहचान, मोचन की तारीख पर की गयी है।

ii. **बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापारार्थ रखे गये** श्रेणियों के निवेशों की बिक्री पर लाभ, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है।

iii. **परिपक्वता तक रखे गये** श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ, पहले लाभ एवं हानि लेखा में रखा गया है और लाभ की समान राशि पूँजी आरक्षित निधि में विनियोजित की गयी है।

iv. इन तीन श्रेणियों में से किसी एक में निवेशों की बिक्री पर हुई हानि, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है।

च. सामान्य:

i. बैंक 1 जनवरी, 2011 से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन की खरीद एवं बिक्री रिकार्ड करने हेतु **निपटान तिथि** लेखा का अनुपालन कर रहा है।

ii. (क) एफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण: अंतरण बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है। अंतरण के समय जहाँ बाजार-मूल्य बही मूल्य से कम है, इस प्रतिभूति (अंतरण की तिथि को किए गए मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त प्रावधान, यदि हो, सहित) के विरुद्ध मूल्य-हास का समायोजन बही मूल्य को कम करके बाजार मूल्य किया जाता है तथा प्रतिभूति का अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाता है।

(ख) एचटीएम से एफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में यदि प्रतिभूति मूल रूप से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई थी:-

- बट्टे पर, उसका अंतरण एफएस/एचएफटी श्रेणी में वही मूल/अभिग्रहण-

मूल्य पर किया जाता है।

- प्रीमियम पर, उसका अंतरण एफएस/एचएफटी श्रेणी में परिशोधन-मूल्य पर किया जाता है।

उक्त दोनों मामलों में अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामतः मूल्य-हास, यदि हो, का प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रतिभूतियों के एफएस से एचएफटी श्रेणी अथवा इसके विपरीत अंतरण के मामले में प्रतिभूतियों का पुनः मूल्यांकन अंतरण की तिथि को नहीं किया जाता तथा उपचित मूल्य-हास, यदि हो, हेतु प्रावधान एचएफटी प्रतिभूतियों को विरुद्ध मूल्य-हास तथा इसके विपरीत हेतु प्रावधानों को अंतरित किया जाता है।

iii. एचटीएम/एफएस/एचएफटी कोटि में प्रतिभूतियों के अंशदान पर प्रारंभिक शुल्क/ प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया जाएगा। प्रतिभूति की बिक्री के बाद प्राप्त प्रोत्साहन को लाभ एवं हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv. प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में दी गयी दलाली/कमीशन तथा स्टाम्प शुल्क को राजस्व व्यय माना गया है।

5. क. व्याज दर का स्वाप : (हेजिंग)

क. सतत स्वाप लेनदेनों पर आय उस स्वाप को छोड़कर, जो आस्ति या देयता के साथ संबंधित है तथा वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य या कम लागत या बाजार मूल्य पर किया गया है, का निर्धारण प्रोद्भूत आधार पर परिकलन किया गया है। उस मामले में स्वाप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिणामरूपी लाभ या हानि, बाजार मूल्य या संबंधित आस्ति या देयता के समायोजन के रूप में दर्ज किए गये हैं।

ख. जब समायोजित लाभ या हानि संबंधित आस्ति या देयता में निर्धारित किये जाते हैं, तब समाप्त किये गये स्वाप लेनदेनों पर लाभ/हानि का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार, समाप्त किये गये स्वाप पर लाभ या हानि, स्वाप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/देयता का शेष समय, जो भी कम हो, तक आस्थगित कर निर्धारित किये जाते हैं।

ख. व्याज दर स्वाप (व्यापार)

क) व्यापार स्वाप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिवर्तनों को लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया गया है।

ख) ऐसे स्वापों से संबंधित आय एवं व्यय को निपटान तारीख में निर्धारित किया गया है।

ग) शुल्क का निर्धारण आय या व्यय के रूप में किया गया है।

घ) स्वाप की समाप्ति पर लाभ या हानि, ऐसी समाप्ति के तुरन्त बाद आय या व्यय के रूप में दर्ज किए गये हैं।



iii) Held for Trading:

- a. Investments classified under this category are valued at market price based on market quotations, prices/yields declared by FIMMDA at the end of every month.
- b. Depreciation is recognized classification wise (see para 4b above) and appreciation, if any, is ignored.
- c. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) Prudential Norms:

The identification of non performing investments and provision made thereon is as per Reserve Bank of India guidelines. Provision requirement in respect of non-performing investments is not set off against the appreciation of other performing investments.

e) Profit / Loss on Sale of Investments:

- i. Profit or loss on sale of investments is recognized on the value dates on the basis of weighted average cost. Premium on redemption of Debentures/ Bonds is recognized on the date of redemption.
- ii. Profit on sale of investments held in "Available for Sale" and "Held for Trading" categories is recognized in the Profit and Loss Account.
- iii. Profit on sale of investments in "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and an equivalent amount of profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).
- iv. Loss on sale of investments in any of the three categories is recognized in Profit and Loss Account.

f) General

- i. Bank is following 'Settlement Date' accounting for recording purchase and sale of transactions in Government Securities from January 1, 2011.
- ii. a) Transfer of scrips from AFS/HFT category to HTM category : Transfer is made at the lower of book value or market value. In case where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored and the security is transferred at book value. In case where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.
- b) In case of transfer of securities from HTM to AFS/

HFT category:

If the security was originally placed under HTM category - is at a discount, it is transferred to AFS/HFT category at the acquisition price/ book value.

- is at a premium, it is transferred to AFS/HFT category at the amortized cost.

After transfer in both of the above cases, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

c) In case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, is transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

iii. Upfront fee / Incentives on subscription of securities in HTM / AFS / HFT categories are reduced from the cost of securities. The incentives received after sale of securities is credited to Profit and Loss account.

iv. Brokerage, Commission and Stamp Duty paid in connection with the acquisition of securities are treated as revenue expenditure.

5. a). INTEREST RATE SWAPS: (Hedging)

i. Income on continuing swap transactions is recognized on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. In that case, the swap is marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value or designated asset or liability.

ii. Gains/ losses on terminated swap transactions are recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Thus, the gain or loss on the terminated swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

b). INTEREST RATE SWAPS (Trading)

i. Trading swaps are marked to market with changes recorded in the Profit and Loss account;

ii. Income and expenses relating to these swaps are recognized on the settlement date;

iii. Fee is recognized as income or expenses as the case may be;

iv. Gains or losses on the termination of the swaps are recorded immediately as income or expenses on such termination.

6. अग्रिम

क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का उल्लेख किया गया है।

i. अग्रिमों के वर्गीकरण मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियाँ ऋणी वार किया गया है

ii. अनर्जक आस्तियों के लिए किये गये प्रावधान एवं

iii. मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान

ख. तुलनपत्र में उल्लिखित अग्रिम निम्नलिखित के लिए किये गये प्रावधान को कम कर हैं

i. अनर्जक आस्तियाँ

ii. अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

ग. अनर्जक आस्तियों में आंशिक वसूली को पहले प्रभार एवं ब्याज को विभाजित किया गया है बाद में मूल धन के प्रति

7. अचल आस्तियाँ :

क. परिसर तथा अन्य स्थिर आस्तियों का वर्णन परंपरागत लागत में मूल्यहास के निवल पर किया गया है।

ख. मूल्यहास

i. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर कंप्यूटर एवं एटीएम को छोड़कर परिसर एवं अन्य आस्तियों पर मूल्यहासित बही मूल्य पद्धति पर मूल्यहास लगाया गया है।

ii. कंप्यूटरों तथा अन्य कलपुर्जों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर 33.33% की दर पर लगाया गया है।

iii. एटीएम पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति के अनुसार एटीएम के उपयोगी जीवनकाल, जिसके संबंध में बैंक ने 7 वर्ष का अनुमान लगाया है, के आधार पर किया गया है।

ग. परिशोधन

i) 60 वर्ष से कम अवधिवाली पट्टागत भूमि के अधिग्रहण लिए प्रदत्त प्रीमियम एवं उस पर निर्मित भवनों की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया गया है।

ii) अधिग्रहित साफ्टवेयर को अधिग्रहण के वर्ष में बट्टे खाते में डाला गया है।

8. कर्मचारी लाभ

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में गैर बट्टे के आधार पर व्यय के रूप में पहचानी गयी हैं जिसमें संबंधित सेवाएँ दी गयी हैं।

ख. परवर्ती रोजगार लाभ

I. परिभाषित अंशदान योजनाएँ परिभाषित अंशदान योजनाएँ जैसे, भविष्य निधि व्यय के रूप में पहचानी गयी हैं एवं लाभ एवं हानि लेखों में चार्ज किया गया है

II. परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) ग्रेचुइटी: कर्मचारी ग्रेचुइटी योजना को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग न्यास के जरिए जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित है। ग्रेचुइटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य, शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है

ख) पेंशन: कर्मचारी पेंशन निधि को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधित है। पेंशन के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है।

परिशोधन

वर्ष के दौरान बैंक के कर्मचारियों को पुनः पेंशन विकल्प देने के पश्चात अतिरिक्त देयता/व्यय तथा ग्रेचुइटी अधिनियम, 1972 के भुगतान में सुधार के अनुसरण में वर्ष के दौरान ग्रेचुइटी सीमा में वृद्धि में प्रत्येक वर्ष लाभ एवं हानि खाते में कुल राशि का 1/5 देते हुए चालू वित्त वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होकर 5 वर्ष की अवधि तक परिशोधन हो रहा है।

ग) अन्य दीर्घावधि लाभ: अन्य दीर्घावधि लाभ जैसे, छुट्टी नकदीकरण, बीमारी छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी लेना/नकदीकरण, कर्मचारी प्रोत्साहन योजना, सेवा निवृत्तों के लिए अनुग्रह राशि एवं निकासी पर व्यय का पुनः स्थापन के रूप में पहचाने गये हैं।

9. कराधान हेतु प्रावधान

क. कराधान के लिए प्रावधान अनुमानित कर देयता पर किया गया है।



6. ADVANCES

- a) Advances are stated in accordance with the Prudential Norms issued by Reserve Bank of India.
 - i. Advances are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets borrower-wise.
 - ii. Provisions are made for non performing assets and
 - iii. General provision is made for standard assets.
- b) Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for:
 - I. Non performing assets
 - II. Additional Provision made for Non-performing Assets
- c) Partial recoveries in Non Performing Assets are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal.

7. FIXED ASSETS

- a) Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost net of depreciation.

b) DEPRECIATION

- i. Depreciation on Premises and on other Fixed Assets except Computers and ATMs is provided on written down value method at the rates specified in Schedule XIV of the Companies Act 1956.
- ii. The depreciation on Computers and other Peripherals is provided @ of 33.33 % on straight line method.
- iii. Depreciation on ATMs is provided on straight line method based on the estimated useful life of seven years.

c) AMORTIZATION

- i. Premium paid for acquisition of leasehold land for a period less than 60 years and cost of the buildings constructed thereon is amortized over the period of lease.
- ii. The cost of Software is treated as intangible asset and the same is amortized over its estimated useful life.

8. EMPLOYEES BENEFITS

- a) Short Term Employee Benefits
Short Term Employee Benefits such as short-term compensated absences are recognized as an expense

on an undiscounted basis in the Profit & Loss Account of the year in which the related service is rendered.

b) Post Employment Benefits

- i) Defined Contribution Plans: Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to the Profit & Loss Account.

ii) Defined Benefit Plans

(a) Gratuity:

The employees Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by LIC /Bank through a separate scheme. The present value of the Bank's obligations under Gratuity is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

(b) Pension:

The employees Pension Fund is funded by the Bank and is managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis

Amortization

The additional liability/expenditure arising consequent upon the reopening of Pension Option to the employees of the bank during the year and enhancement in gratuity limit during the year pursuant to amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 is being amortized over a period of five years beginning with the current financial year 2010-11, with 1/5th of total amount being charged off to the Profit and Loss Account every year.

(a) Other Long Term Benefits:

Other Long Term Benefits such as Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC availment/encashment, Employee Incentive Scheme, Ex-gratia to retirees and Relocation of expenses on exit are recognized on the basis of actuarial valuation made as at the end of the year.

9. PROVISION FOR TAXATION:

- a) Provision for taxes is made on the basis of estimated tax liability.

ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी आय पर करों के लिए लेखानीति एएस-22 का पालन करते हुए, कर दर एवं कानून पर विचार करने के बाद जो विधिकरण किये गये हैं या तुलनपत्र तिथि को वास्तविक रूप से विधिकरण किये गये हैं, आस्थगित आयकर लेखाबद्ध किया गया है।

10. आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को यह निर्धारण किया जाता है कि क्या किसी प्रकार की आस्ति की हानि हुई है, यदि इस प्रकार का संकेत रहता है तो वसूल की जाने वाली राशि और आस्ति हानिकरण के लिए किसी प्रकार का प्रावधान किया गया है।

11. प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रावधान

संभवतया या वर्तमान बाध्यता के विगत की घटनाएँ प्रासंगिक देयताओं के रूप में ट्रीट की जाती हैं। वर्तमान देयता के संबंध में प्रावधान निर्धारित किया गया है, जहाँ कहीं विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है, जहाँ कहीं देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों के आउटफ्लो छोड़ने की संभावना है।

12. निवल लाभ

लाभ एवं हानि लेखा में प्रकट किया गया निवल लाभ निम्न लिखित के बाद किया गया है।

क. निवेशों पर मूल्यह्रास का प्रावधान

ख. कराधान हेतु प्रावधान

ग. विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ऋण हानियों के लिए प्रावधान

घ. भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार अनर्जक निवेशों पर प्रावधान

ङ. अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान.

13. अनुषंगी - एबीएफएसएल

अनुषंगी लेखा नीतियों संदर्भ में, आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि. की अनुसूची 16 का संदर्भ लें.

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 05.05.2011

(आर. रामचन्द्रन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक			अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक	ए ए ताज कार्यपालक निदेशक
मधुलिका पी. सुकुल प्रेम प्रकाश पारीक एन वी आर रेड्डी	निदेशक के आर आनंदा के रघुरामन एन राजगोपाल रेड्डी	राजीब शेखर साहू मनोरंजन दास	टी वी एस चंद्रशेखर उप महा प्रबंधक	डी जोगिराजु महा प्रबंधक वी सत्यनारायण मुख्य प्रबंधक

कृते वी एन केडिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एआरएन - 001652 एन
(एस के केडिया)
साझेदार (स.संख्या.052579)

कृते रामन एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 02910एस
(जी वासुदेवन)
साझेदार (स.संख्या.020739)

कृते के के घई एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 001342एन
(सुमीत घई)
साझेदार (स.संख्या.097893)

कृते राजु एण्ड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 003475 एस
(एम शिव राम प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.018943)

कृते के एस रामकृष्ण एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन - 02888 एस
(सीएच अमर सुधीर)
साझेदार (स.संख्या.201320)

कृते नटराज अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 002413एस
(जी प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.019617)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 05.05.2011

Date : 05.05.2011

अनुसूची 18

समेकित वित्तीय विवरण के लेखे पर टिप्पणियाँ -2010-11

क. आन्ध्रा बैंक की निम्नलिखित अनुषंगी कंपनी है.

आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

निगमन का देश : भारत

शेयर होल्डिंग पैटर्न :

आन्ध्रा बैंक : 100%

गतिविधि की प्रकृति : वित्तीय सवाएं

ख. समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार:

लागू सांविधिक/विनियामक प्रावधान, भारत में प्रचलित लेखा मानक सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांत एवं व्यवहार, जबतक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, के साथ पैतृक बैंक एवं इसके अनुषंगी के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) के सभी महत्वपूर्ण मामलों का अनुपालन करने के लिए बनाये गये हैं.

ग. समेकन प्रक्रिया

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-21) समेकित वित्तीय विवरण एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण बनाये गये हैं. बैंक एवं इसके अनुषंगी के वित्तीय विवरण आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय, इंटर-ग्रुप शेष/लेनदेन के निरसन एवं गैरवसूली लाभ/हानि के परिणाम की राशि को जोड़कर पंक्ति वार मिश्रण किया गया है.

घ. अनुषंगी के वित्तीय विवरण, बैंक की लेखा नीतियों के अनुरूप जहाँ-कहीं आवश्यक है, समायोजित किये गये हैं.

ड. निवेश में मूल्यहास के कारण आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड में आन्ध्रा बैंक के निवेश का बहीमूल्य शून्य हो गया है. अतः रु 5.00 करोड़ की आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड की शेयर पूंजी, जो आन्ध्रा बैंक के पास है, समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित की गयी है.

च. आरआरवी में निवेश के लिए लेखापद्धति

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (एएस-23) के अनुरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों नामतः ऋषिकुल्या ग्राम्य बैंक एवं चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक में प्रत्येक बैंक में 35% तक की शेयर पूंजी पिछले वर्ष में पालन की गयी पद्धति की तर्ज पर सम पद्धति पर मूल्यन किया गया है. निवल आस्तियों में बढोत्तरी के कारण 4.31 करोड़ से बढोत्तरी के कारण एसोशियेट में निवेश का मूल्य समायोजित किया गया है.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 31 मार्च 2011 के वर्षांत को अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है.

8) समेकित वित्तीय विवरण में अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्न प्रकार है.

समेकित वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्न प्रकार है.

क. जोखिम पर्याप्तता अनुपात को पूंजी	2010-11	2009-10
(i) पूंजी पर्याप्तता अनुपात टीयर I + टीयर II पूंजी	13.50	13.31
(ii) पूंजी पर्याप्तता अनुपात टीयर I पूंजी	9.09	7.82
(iii) पूंजी पर्याप्तता अनुपात टीयर II पूंजी	4.41	5.49
(iv) आन्ध्रा बैंक में भारत सरकार के शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	58.00	51.55
(V) टीयर II पूंजी में आन्ध्रा बैंक द्वारा जुटये गये गौण ऋण की राशि (रु. करोड़ों में)	-	1120.00
ख. प्रति शेयर अर्जन (घ 10/- का अंकित मूल्य)		
मूल ईपीएस (घ)	26.06	21.64
डाइल्यूटेड ईपीएस (घ)	26.06	21.64
मूल ईपीएस का परिकलन		
निवल लाभ (घ करोड़ों में)	1267.78	1049.67
शेयरों की औसत अधिभारिता (करोड़ों में)	48.64	48.50
प्रति शेयर मूल अर्जन (घ)	26.06	21.64



Schedule - 18

NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS -2010-2011

A Andhra Bank has the following subsidiary company:

M/s. Andhra Bank Financial Services Ltd.

Country of Incorporation : India

Share holding pattern

Andhra Bank : 100%

Nature of Activity : Financial Services

B. Basis of preparation of Consolidated Financial Statements.

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Parent Bank and its subsidiary are prepared to comply in all material respects with applicable statutory / regulatory provisions, Accounting Standards, generally accepted accounting principles and practices prevailing in India, unless otherwise stated.

C. Consolidation Procedure:

The Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS-21) "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements. The financial statements of the Bank and its subsidiary are combined on a line by line basis by adding together like sum of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group balances / transactions and resulting unrealized profit / loss.

D. The financial statements of subsidiary, are adjusted, wherever necessary, to conform to the accounting policies of the Bank.

E. The Book value of the investment of Andhra Bank in Andhra Bank Financial Services Ltd., has been reduced to 'Nil' due to depreciation on investments. Therefore, the share capital of ABFSL held by Andhra Bank, amounting to ₹ 5 crores has been included in capital reserve in the consolidated financial statements.

F. Accounting for investments in RRBs:

In conformity with the Accounting Standard (AS-23) issued by the Institute of Chartered Accountants of India the investment in Regional Rural Banks (RRBs) namely Rushikulya Grameena Bank and Chaitanya Godavari Grameena Bank to the extent of 35% each of their respective share capital are valued "at equity method" in line with methods followed in previous year. The values of investment in associates have been adjusted due to increase in shares in net assets of the company by ₹ 4.31 crores.

The RRBs are duly audited by other auditors for the year ending on 31st March 2011.

G. Additional disclosures for consolidated financial statements are as under:

A. Capital to Risk Adequacy Ratio	2010-11	2009-10
(i) Capital adequacy ratio Tier I + Tier II capital	13.50	13.31
(ii) Capital adequacy ratio Tier I capital	9.09	7.82
(iii) Capital adequacy ratio Tier II capital	4.41	5.49
(iv) Percentage of the shareholding of the Government of India in Andhra bank	58.00	51.55
(V) Amount of subordinated debt raised by Andhra Bank as Tier-II capital (₹ in crores)	--	1120.00
B. Earnings per share (face value of ₹ 10/- each)		
Basic EPS (₹)	26.06	21.64
Diluted EPS (₹)	26.06	21.64
Calculation of Basic E P S		
Net Profit (₹ in crores)	1267.78	1049.67
Weighted Average No of Shares (in crores)	48.64	48.50
Basic Earnings per Share (₹)	26.06	21.64

एच. समेकित व्यवसाय खंड - मार्च, 2011

		खंड वार परिणाम (समेकित)	
भाग ए	व्यवसाय खंड	31.03.2011 के वर्षांत के लिए	31.03.2010 के वर्षांत के लिए
1	खंड राजस्व		
	(क) राजकोष	1788.79	1603.45
	(ख) कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	3824.47	2478.47
	(ग) रिटेल बैंकिंग	2887.18	2827.05
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	688.16	431.61
	कुल	9188.60	7340.58
	कम: इंटर सेगमेंट राजस्व	0	0
	परिचालन से आय	9188.60	7340.58
2	खंड वार परिणाम		
	(क) राजकोष	469.75	437.74
	(ख) कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	1004.34	597.20
	(ग) रिटेल बैंकिंग	758.20	669.34
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	181.54	109.51
	कुल	2413.83	1813.79
	कम: अन्य अनाबंटित व्यय	646.05	374.12
	कर पूर्व कुल लाभ	1767.78	1439.67
	आयकर एवं अन्य प्रदत्त कर	500.00	390.00
	निवल लाभ	1267.78	1049.67
3	सेगमेंट आस्तियाँ		
	(क) राजकोष	24204.00	20881.04
	(ख) कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	42353.94	30063.81
	(ग) रिटेल बैंकिंग	25580.95	24956.04
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	3500.47	1093.66
	(ड.) अनाबंटित आस्तियाँ	13306.12	13388.69
	कुल आस्तियाँ	108945.48	90383.24
4	सेगमेंट देयताएँ		
	(क) राजकोष	1843.79	1079.63
	(ख) कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	24487.33	21349.12
	(ग) रिटेल बैंकिंग	47176.64	49290.79
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	20492.31	7048.30
	(ड.) अनाबंटित आस्तियाँ	8431.23	7188.61
	कुल	102431.30	85956.45
	पूंजी एवं प्रारक्षितियाँ	6514.18	4426.79
	कुल देयताएँ	108945.48	90383.24

भाग बी: भौगोलिक खंड : केवल एक खंड है- घरेलू खंड
(प्रबंधन द्वारा संकलित एवं लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास में लिया गया)



H. CONSOLIDATED BUSINESS SEGMENT - March 2011

Segment wise Results (Consolidated)			
		(₹ in Crore)	
Part A	Business Segments	For the Year Ended 31.03.2011	For the Year Ended 31.03.2010
1	Segment Revenue		
	(a) Treasury	1788.79	1603.45
	(b) Corporate/Wholesale Banking	3824.47	2478.47
	(c) Retail Banking	2887.18	2827.05
	(d) Other Banking Operations	688.16	431.61
	Total	9188.60	7340.58
	Less: Inter Segment Revenue	0	0
	Income from Operations	9188.60	7340.58
2	Segment Results		
	(a) Treasury	469.75	437.74
	(b) Corporate/Wholesale Banking	1004.34	597.20
	(c) Retail Banking	758.20	669.34
	(d) Other Banking Operations	181.54	109.51
	Total	2413.83	1813.79
	Less: Other Un-allocable Expenditure	646.05	374.12
	Total Profit Before Tax	1767.78	1439.67
	Income Tax and Other Taxes paid	500.00	390.00
	Net Profit	1267.78	1049.67
3	Segment Assets		
	(a) Treasury	24204.00	20881.04
	(b) Corporate/Wholesale Banking	42353.94	30063.81
	(c) Retail Banking	25580.95	24956.04
	(d) Other Banking Business	3500.47	1093.66
	(e) Unallocated Assets	13306.12	13388.69
	Total Assets	108945.48	90383.24
4	Segment Liabilities		
	(a) Treasury	1843.79	1079.63
	(b) Corporate/Wholesale Banking	24487.33	21349.12
	(c) Retail Banking	47176.64	49290.79
	(d) Other Banking Business	20492.31	7048.30
	(e) Unallocated Assets	8431.23	7188.61
	Total	102431.30	85956.45
	Capital & Reserves	6514.18	4426.79
	Total Liabilities	108945.48	90383.24

Part B Geographic Segments :There is only one segment - Domestic Segment

(Compiled by the Management and relied upon by the Auditors)



समेकित वित्तीय विवरण 2010-11 के लेखों पर टिप्पणियां

भाग क :

कृपया "आन्ध्रा बैंक के लेखों पर टिप्पणी" अनुसूची-18 देखें.

भाग ख :

कृपया "अनुषंगी (एवीएफएसएल) के लेखों पर टिप्पणी" कृपया एवीएफएसएल के लेखों पर टिप्पणी अनुसूची-15 देखें.



Notes on Accounts to Consolidated Financial Statements - 2010-11

PART A:

Please refer Schedule-18 “Notes on Accounts of Andhra Bank”

PART B - Notes on Accounts of Subsidiary : (ABFSL) - Please refer Schedule-15 “Notes on Accounts of Andhra Bank Financial Services Limited (ABFSL)”

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल

आन्ध्रा बैंक

1. हमने 31 मार्च 2011 को समाप्त आन्ध्रा बैंक और इसकी अनुषंगी मेसर्स आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्वीसेस लिमिटेड के संलग्न समेकित तुलनपत्र एवं इस वर्ष के समेकित लाभ व हानि लेखा एवं समेकित नकद प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है।

इस वित्तीय विवरण की जिम्मेदारी आन्ध्रा बैंक के प्रबंधन की है एवं अलग वित्तीय विवरणों एवं संबंधित अनुषंगी एवं एसोसिएटों की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर प्रबंधन द्वारा तैयार किये गये हैं। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय जताना हमारी जिम्मेदारी है।

हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम उपयुक्त आश्वासनों को प्राप्त करने के लिए योजना बनावें और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण सभी प्रकार से पहचानीकृत वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किये गये हैं, ये विवरणी वस्तुस्थिति से अलग नहीं हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जाँच करना, वित्तीय विवरण की राशियों एवं प्रकटनों का प्रमाण शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयोग में लाये गये लेखामान सिद्धांतों के निर्धारण और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलन के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती है।

2. हमने निम्नांकित के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा नहीं की है

- अनुषंगी जिसके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2011 को रु.24,37,90,473/- आस्तियाँ एवं वर्ष के अंत में रु.1,33,94,635/- के कुल राजस्व को दर्शाते हैं।
- 31 मार्च 2011 समाप्त वर्ष के लिए 2 एसोसियेट का निवल लाभ रु. 1,231.05 लाख दर्शाते हैं।

3. इन वित्तीय विवरणियों और अन्य वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गयी हैं और हमारी राय पूर्ण रूप से अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर ही आधारित है।

4. हम रिपोर्ट करते हैं कि आन्ध्रा बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरणियाँ लेखामानक (एएस) 21 की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार की गयी हैं। समेकित वित्तीय विवरणियों में समेकित वित्तीय विवरणियाँ और भारतीय सनदी लेखा संस्थान द्वारा जारी लेखामान 23 की समेकित वित्तीय विवरणियों में एसोसियेट में निवेश हेतु लेखा विवरण शामिल हैं।

5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुषंगी कंपनी के गैर बैंकिंग कंपनी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन नकारने के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची नं 18 के भाग बी का नोट संख्या 7 एवं कुछ शेयरों को जो फिजिकल फार्म में हैं, को छोड़कर वित्तीय आस्तियों का निपटान

6. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और अलग वित्तीय विवरणों तथा घटक की अन्य वित्तीय सूचना के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों के विचारों के आधार पर तथा हमारी उत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर और बैंक की अनुषंगी की आकस्मिक देयता के रूप में अंतर कार्पोरेट जमा के संबंध में अनिश्चितता तथा ब्याज देयता के अप्रकटीकरण के अधीन हम यह राय प्रकट करते हैं कि लेखा नीति और लेखों पर टिप्पणियों को पढ़ते हुए संलग्न समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र दर्शाता है।

- 31 मार्च 2011 को आन्ध्रा बैंक एवं इसकी अनुषंगी कंपनी के कार्य तथा एसोसियेट के समेकित तुलन पत्र के मामले में और
- उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आन्ध्रा बैंक और इसकी अनुषंगी कंपनी के परिचालन के समेकित परिणाम के समेकित लाभ एवं हानि लेखा एवं अपने एसोसियेट्स के हित के मामले में।
- उस वर्ष की समाप्ति के लिए नकदी प्रवाह के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों द्वारा कवर किये गये समेकित नकदी प्रवाह की विवरणी के मामले में

कृते बी एन केडिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-001652 एन
(एस के केडिया)
साझेदार (स.संख्या.052579)

कृते रामन एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-029105
(जी वासुदेवन)
साझेदार (स.संख्या.020739)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 05.05.2011

कृते के के घई एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-001342 एन
(सुमीत घई)
साझेदार (स.संख्या.097893)

कृते राजु एण्ड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफआरएन-0034755
(एम शिव राम प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.018943)

कृते के एस रामकृष्ण एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-028885
(सीएच अमर सुधीर)
साझेदार (स.संख्या.201320)

कृते नटराज अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-0024135
(जी प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.019617)



AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Board of Directors,
Andhra Bank.

1. We have examined the attached consolidated balance sheet of Andhra Bank and its subsidiary M/s Andhra Bank Financial Services Limited, as on 31st March 2011 and also the consolidated Profit and Loss account and the consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto.

These financial statements are the responsibility of the Andhra Bank's Management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding subsidiary and associates. Our Responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit of consolidated financial statements in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material aspects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material mis-statements. An audit includes examining, on test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

2. We have not audited the financial statements of:
 - i. the subsidiary, whose financial statements reflect total assets of ₹ 24,37,90,473/- as on 31st March, 2011 and total revenue of ₹ 1,33,94,635/- for the year ended on that date.
 - ii. the two associates reflecting net profit of ₹ 1231.05 lacs for the year ended 31st March 2011.

3. These financial statements and other financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the report of other auditors.
4. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Andhra Bank's management in accordance with the requirements of Accounting Standards (AS) 21, Consolidated financial statements and (AS) 23 "Accounting for investments in Associates in consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
5. Reference is invited to Note no. 7 of Part B of schedule 18 to the consolidated financial statements regarding rejection of the application of the Subsidiary Company for registration with the Reserve Bank of India as a non banking financial institution and disposal of financial assets except certain shares which are in physical form.
6. Based on our Audit and on consideration of reports of other auditors on separate financial statements and on other financial information of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us and subject to non-ascertainment and non-disclosure of interest liability in respect of Inter Corporate deposits as contingent liability of the subsidiary of the Bank, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements read with the Accounting Policies and notes on accounts give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - (a) in case of the Consolidated Balance sheet of the state of affairs of Andhra bank and its Subsidiary and interests in its Associates as at 31st March 2011 and
 - (b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account of the consolidated results of operations of Andhra Bank, its subsidiary and interests in its Associates for the year ended on that date.
 - (c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the Cash Flows for the year covered by the consolidated financial statement.

For B.N. KEDIA & CO.
Chartered Accountants
FRN-001652N
(S.K. Kedia)
Partner (M. No. 052579)

For RAMAN ASSOCIATE
Chartered Accountants
FRN-02910S
(G. Vasudevan)
Partner (M. No.020739)

For K.K.GHEI & CO
Chartered Accountants
FRN-001342N
(Sumit Ghei)
Partner (M.No. 097893)

For RAJU & PRASAD
Chartered Accountants
FRN-003475S
(M. Siva Ram Prasad)
Partner (M. No.018943)

For K.S.RAMAKRISHNA & CO
Chartered Accountants
FRN-02888S
(Ch. Amar Sudheer)
Partner (M No. 201320)

For NATARAJA IYER & CO
Chartered Accountants
FRN-002413S
(G. Prasad)
Partner (M. No.019617)

Place : Hyderabad
Date : 05.05.2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी

	(रु. 000. में)	
विवरण	31/03/2011	31/03/2010
नकदी और नकदी तुल्य का अथ शेष	111676567	52875015
नकदी और नकदी तुल्य का इति शेष	104589507	111676567
अवधि के दौरान नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि / कमी	-7087060	58801552
परिचालनगत कार्यों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	17721491	14396460
जोड़ : संपत्ति पर मूल्यह्रास	1074351	1019966
जोड़ : गौण ऋण पर ब्याज	2792157	2426725
घटावें : आस्तियों की बिक्री पर लाभ	8562	5471
घटावें : लाभ में सम्मिलित एसोसिएट के लाभांश	43087	30464
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	21536350	17807216
परिचालक आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन		
जमा में वृद्धि / कमी	144669794	182972653
उधारी में वृद्धि / कमी	17872982	15212078
निवेश में वृद्धि / कमी	-33229937	-39699031
अग्रिम में वृद्धि / कमी	-153218510	-119742475
अन्य आस्तियों में वृद्धि / कमी	-2675007	451604
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	1456516	2833110
परिचालन से जनरेटेड नकदी	-3587812	59835155
प्रदत्त कर	-8925105	-4635352
परिचालनगत कार्यों से नकदी प्रवाह (ए)	-12512917	55199803
निवेशी कार्यों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीदी / बिक्री	-684224	-1218110
निवेशी कार्यों से नकदी प्रवाह (बी)	-684224	-1218110
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्रीमियम सहित ईक्विटी पूंजी	11730000	0
गौण ऋण पर प्रदत्त ब्याज	-2792157	-2426725
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर मिलाकर)	-2827762	-2553416
गौण ऋण की जारी / शोधन	0	9800000
वित्तीय कार्यों से नकदी प्रवाह (सी)	6110081	4819859
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में निवल वृद्धि / कमी (ए)+(बी)+(सी)	-7087060	58801552

आर. रामचन्द्रन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृते बी एन केडिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-001652 एन
(एस के केडिया)
साझेदार (स.संख्या.052579)

कृते के के घई एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-001342 एन
(सुमीत घई)
साझेदार (स.संख्या.097893)

कृते के एस रामकृष्ण एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-028885
(सीएच अमर सुधीर)
साझेदार (स.संख्या.201320)

कृते रामन एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-029105
(जी वासुदेवन)
साझेदार (स.संख्या.020739)

कृते राजु एण्ड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफआरएन-0034755
(एम शिव राम प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.018943)

कृते नटराज अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-0024135
(जी प्रसाद)
साझेदार (स.संख्या.019617)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 05.05.2011



CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

(₹ in '000s)

Particulars	Year Ended 31-03-2011	Year Ended 31-03-2010
Opening balance of Cash and Cash equivalents	111676567	52875015
Closing balance of Cash and Cash equivalents	104589507	111676567
Net Increase (+) / Decrease (-) of Cash and Cash equivalents during the period	-7087060	58801552
Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit before tax	17721491	14396460
Add: Depreciation on Assets	1074351	1019966
Add: Interest on Subordinated Debt	2792157	2426725
Less: Profit on Sale of Assets	8562	5471
Less: Share of Profit from Associates included in above profit	43087	30464
Operating Profit before changes in Operating Assets and Liabilities	21536350	17807216
Adjustment for changes in operating Assets and Liabilities		
Increase / (Decrease) in Deposits	144669794	182972653
Increase / (Decrease) in Borrowings	17872982	15212078
(Increase) / Decrease in Investments	-33229937	-39699031
(Increase) / Decrease in Advances	-153218510	-119742475
(Increase) / Decrease in Other Assets	-2675007	451604
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	1456516	2833110
Cash Generated from Operations	-3587812	59835155
Taxes Paid	-8925105	-4635352
Cash Flow from Operating Activities (A)	-12512917	55199803
Cash Flow from Investing Activities		
(Purchase) / Sale of Fixed assets	-684224	-1218110
Cash Flow from Investing Activities (B)	-684224	-1218110
Cash Flow from Financing Activities		
Equity Capital including Premium	11730000	0
Interest paid on Subordinated debts	-2792157	-2426725
Dividend paid (including tax on dividend)	-2827762	-2553416
Issue / Redemption of Subordinated Debts	0	9800000
Cash Flow from Financing Activities (C)	6110081	4819859
Net Increase (+) / Decrease (-) in Cash flow during the period (A)+(B)+ (C)	-7087060	58801552

R. Ramachandran
Chairman & Managing Director

For B.N. KEDIA & CO
Chartered Accountants
FRN-001652N
(S.K. Kedia)
Partner (M. No. 052579)

For RAMAN ASSOCIATE
Chartered Accountants
FRN-02910S
(G. Vasudevan)
Partner (M. No.020739)

For K.K.GHEI & CO
Chartered Accountants
FRN-001342N
(Sumit Ghei)
Partner (M.No. 097893)

For RAJU & PRASAD
Chartered Accountants
FRN-003475S
(M. Siva Ram Prasad)
Partner (M. No.018943)

For K.S.RAMAKRISHNA & CO
Chartered Accountants
FRN-02888S
(Ch. Amar Sudheer)
Partner (M No. 201320)

For NATARAJA IYER & CO
Chartered Accountants
FRN-002413S
(G. Prasad)
Partner (M. No.019617)

Place : Hyderabad
Date : 05.05.2011



(भारत सरकार का उपक्रम)
A Govt of India Undertaking

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004

फार्म बी

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है)
दसवीं वार्षिक साधारण बैठक, 22 जून 2011

पंजीकृत फोलियो नं _____

डीपीआईडी नं _____

ग्राहक आईडी नं _____

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ आन्ध्रा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/ श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____ राज्य को आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की बुधवार, दिनांक 22 जून, 2011 को 10.00 बजे शिल्प कला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद 500 081 में होने वाली वार्षिक साधारण बैठक, और उसके स्थगन की बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्राक्सी के रूप में नियुक्त करता/ करती हूँ/करते हैं.

कृपया रु.1/- का
राजस्व स्टाम्प
लगायें

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम _____

(बड़े अक्षरों में)

पता _____

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____ पता _____

प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश

- प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक
- वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या लिखित रूप में प्राधिकृत उनकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो
- संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उनकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
- निगम निकाय के मामले में उसे अधिकारी या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
- परंतु यह कि किसी प्रॉक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के यथेष्ट रूप में हस्ताक्षर होंगे, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया है और वह निशान किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफ अशुरेंस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए
- प्रॉक्सी साथ
- मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा,
- नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति, प्रधान कार्यालय, व्यापारी बैंकिंग प्रभाग, आन्ध्रा बैंक, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 में वार्षिक साधारण बैठक प्रारंभ होने के चार दिन के पहले यानी कि शुक्रवार, 17 जून 2011 के कार्यसमय की समाप्ति के पहले अर्थात् सायं 2.00 बजे जमा किया जाए.
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह विधिवत् स्पष्टित न हो.
- बैंक में जमा करायी गयी प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी.
- वैकल्पिक रूप में दो अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे.
- प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो.
- जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.



Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004

FORM B PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

ELEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING, 22nd JUNE, 2011

Regd. Folio No. _____

D.P.ID No. _____

Client ID No. _____

I/We _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholders of Andhra Bank hereby appoint, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him / her, Shri / Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf in the Eleventh Annual General Meeting of the Shareholders of Andhra Bank to be held on Wednesday, the 22nd June, 2011 at 10.00 am at Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near Hitec City, Madhapur, Hyderabad - 500 081, and at any adjournment thereof.

Please affix
Re.1/-
Revenue
Stamp

Signature of first named/sole Shareholder

Name _____

(in Block letters)

Signature of Proxy _____ Address _____.

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- i) No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her attorney, duly authorised in writing;
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register of his/her attorney, duly authorised in writing;
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly Authorised in writing;
- ii) An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.
- iii) The Proxy together with
 - a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Merchant Banking Division, Head Office, Dr.Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004 not later than FOUR DAYS before the date of Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours i.e., 2.00 P.M. of Friday, 17th June, 2011.
- iv) No instrument of proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- v) An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- vi) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vii) The shareholder, who has executed an instrument of proxy, shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- viii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.





प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

उपस्थिति पर्ची ATTENDANCE SLIP

(प्रवेश के समय सौंपा जाना है to be surrendered at the time of Entry)

दिनांक : 22 जून 2011 Date : 22nd June, 2011
 समय : प्रातः 10.00 बजे Time : 10.00 A.M.
 स्थान : शिल्प कला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट्स विलेज, हाई टेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद - 500 081
 Place : Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad-500 081.

शेयरधारक का हस्ताक्षर Signature of the Shareholder	
उपस्थित प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Proxy / Representative present	

पंजीकृत फोलियो Regd. Folio (यदि अभौतिक नहीं है if not dematerialised)	डीपी आईडी व ग्राहक आई डी DP ID & Client ID (यदि अभौतिक है if dematerialised)
शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	
शेयरों की संख्या Number of Shares	



प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

प्रवेश पास ENTRY PASS

(बैठक के दौरान रखा जाना है to be retained throughout the meeting)

पंजीकृत फोलियो Regd. Folio (यदि अभौतिक नहीं है if not dematerialised)	डीपी आईडी व ग्राहक आई डी DP ID & Client ID (यदि अभौतिक है if dematerialised)
शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	
शेयरों की संख्या Number of Shares	

शेयरधारकों/शेयरधारकों के प्राक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची के हाल में प्रवेश करने के लिए बैंक के साथ दर्ज नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत् हस्ताक्षरित के अनुसार प्रस्तुत करें. बहरहाल आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन /जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी. किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार में हाजिरी - पर्ची की दूसरी प्रति नहीं दी जाएगी.

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

टिप्पणी P.S. किसी भी प्रकार के उपहार /उपहार कूपन बांटे नहीं जाएंगे

No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.

